खण्ड-425, अंक-10
शुक्रवार, 26 आषाढ़, शक संवत् 1920
(17 जुलाई, 1998 ई0)

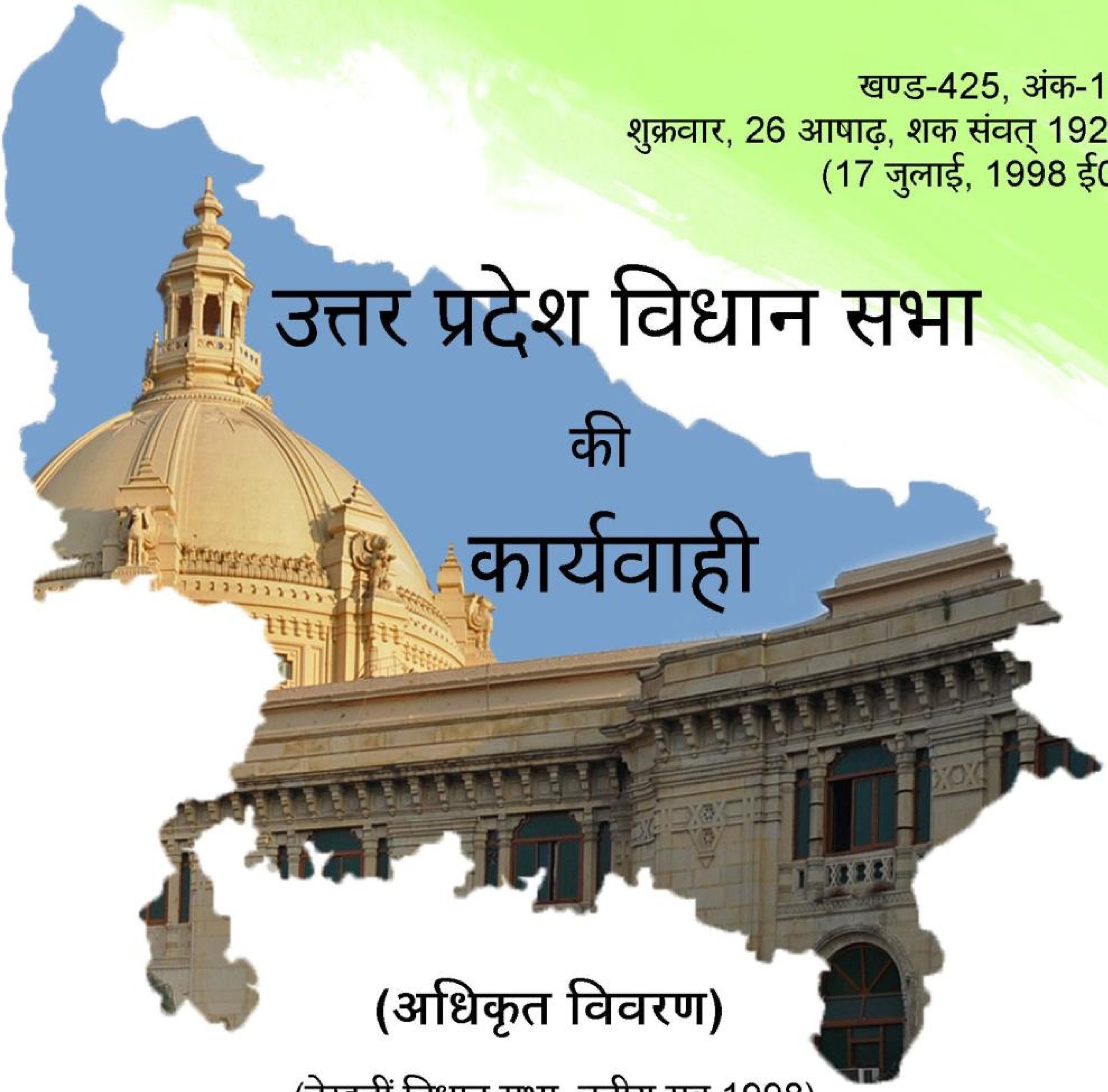

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 425 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	घ–ङ
प्रश्नोत्तर	1—105
— नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	105
— जनपद चन्दौली में नवम्बर, 1997 में हुयी ओलावृष्टि से प्रभावित सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अवशेष बचे हुये लोगों को सहायता दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
— आबकारी विभाग के सहायक अल्कोहल टेक्नोलोजिस्ट के पद पर चयन में की गयी धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना————	106
— जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बस्तरा के पास लोनी नदी पर पुल बनवाने की मांग की सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना————	106
— जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत की खराब सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना————	106
— जनपद कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जवई पडरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना—	107
— जनपद बदायूँ के ग्राम बेहटा गोसाई विकास खण्ड अघियापुर के ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी भवन पर किये गये अवैधानिक कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना———	107
—राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये अधिनियमों के अन्तर्गत नियमावलियां न बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न————————	107—109
— अप्रेन्टिस प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न————	109—114
— संसद की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा में आय-व्यय को प्रस्तुत करने से पूर्व आर्थिक समीक्षा एवं आय-व्ययक का विवरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न————————	115—116
— लोक निर्माण मंत्री एवं उत्तरांचल मंत्री द्वारा फिल्म सिटी के निर्माण में दिये गये परस्पर विरोधी बयान के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न————————	116—118
— सूचना निदर्शिनी में विधान सभा सचिवालय के लिये कोई स्थान न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न————————	118—119

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
— जनपद शाहूजी महाराज नगर के अन्तर्गत राजापुर में यमुना नदी पर पक्का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनराज आदि की याचिका (प्रस्तुत की गई)	119
— कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	119—122
— कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें।————	122—155
— प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने विषयक श्री दद्दू प्रसाद के संकल्प पर चर्चा, विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों को सम्बन्धित विकास प्राधिकरण का सदस्य नामित किये जाने विषयक श्री संजय गर्ग आदि का संकल्प, उत्तरांचल की क्षेत्रीय पारम्परिक पन चक्कियों (घ्राटों) को लघु उद्योग घोषित करने विषयक श्री हरवंश कपूर आदि का संकल्प, प्रदेश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई का संकल्प, प्रदेश के तीर्थ स्थानों में प्रतिवर्ष मेलों के लिये कर्मचारियों को मेलावधि तथा तीर्थ भत्ता दिये जाने विषयक कुंवर रेवती रमण सिंह का संकल्प एवं जनपद देहरादून की चकराता तहसील में शिक्षा व्यवस्था में सुधार विषयक श्री मुन्ना चौहान के संकल्प पर चर्चा, प्रदेश के भू-गर्भीय जल स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट पर चिन्ता विषयक श्री बालचन्द्र मिश्र के नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा, सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने विषयक श्री बालचन्द्र मिश्र के नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा, प्रदेश में अतिवृष्टि से बाढ़ से सम्बन्धित श्री जगदम्बिका पाल आदि की सूचनाओं पर चर्चा जारी कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्षवार विभिन्न श्रोतों से अर्जित सम्पत्तियों से सम्बन्धित अतारांकित विभिन्न प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा तथा प्रदेश में एड्स के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न किये जाने विषयक श्री मुन्ना चौहान आदि की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा, (मद संख्या 9 से 15) तक का स्थगन। (स्वीकृत)————	155—157
— वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक पर अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (जारी)	157—181
— जनपद एटा में रामजी लाल एवं राम प्रसाद के घरों को तोड़ने एवं सामान लूटने की घटना के कारणों की जानकारी।	181—182
— वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक पर अनुदानों के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)——	182—193
— वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक पर अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग। (स्वीकृत)————	194—201

विषय	पृष्ठ-संख्या
— नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें————————	202—204
— रबर फैक्ट्री, मेरठ में प्रबन्धकों की अघोषित तालाबन्दी से श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य।——	204—205
— जनपद आगरा में यमुना नदी से निकलने वाले ताज तथा दयालबाग माइनरों में सिंचाई विभाग द्वारा सफाई कराकर पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत सिंचाई राज्य मंत्री का वक्तव्य ।————	205—206
— प्रदेश में नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अफरोज अली खाँ द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य ----------	206—207
— नत्थियां	208—239

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री	सीतापुर	जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	दयाशंकर, श्री	जालौन
अतुल कुमार, श्री	मेरठ	देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	पीटर फैन्थम	नाम-निर्देशित सदस्य
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
ओइम्वेश स्वामी	बिजनौर	बच्चा पाठक, श्री	बलिया
ओमकार सिंह, श्री	बदायूँ	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
ओम प्रकाश, श्री	एटा	मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
काजिम अली खां, उर्फ		मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
नवेद मियां, श्री	रामपुर	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर	रघुवर दयाल वर्मा, श्री	फिरोजाबाद
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राधेश्याम सिंह, श्री	पड़रौना
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
वेद प्रकाश सिंह, एम० एस०, डा०	बिजनौर
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
हरिनारायण, श्री	बलिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अधिष्ठाता श्री गौरीशंकर एडवोकेट के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट के अधिष्ठाता के रूप में आसन ग्रहण करने पर कई आवाजें मुबारक हो, मुबारक हो।)

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश का विभाजन कर पूर्वांचल प्रदेश बनाये जाने की मांग

**1.-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के जनपदों के क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिये पूर्वांचल प्रदेश का गठन करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो गठन कब तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह (मुख्यमंत्री)-

जी नहीं।

कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डलों के जनपदों को मिलाकर पृथक उत्तरांचल राज्य की स्थापना के अतिरिक्त सरकार प्रदेश का और विभाजन/पुनर्गठन करने के पक्ष में नहीं है।

* श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य का पुनर्गठन करने के क्या मानक हैं? कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डलों के जनपदों को मिलाकर पृथक उत्तराचंल राज्य प्रस्तावित है, किस मानक के आधार पर इस राज्य का प्रस्ताव है और कौन से ऐसे मानक विद्यमान नहीं हैं जिससे पूर्वांचल प्रदेश का गठन नहीं हो सकता है?

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार 1956 के ऐक्ट के अनुसार केन्द्र सरकार को है। मान्यवर, कुमांऊ और गढ़वाल मण्डलों को मिलाकर जनपदों को मिलाकर उत्तरांचल राज्य अलग से गठित करने का प्रस्ताव 1991 में पास करके भेजा गया है उसके बाद भी जो सरकारें आयीं उन्होंने प्रस्ताव भेजे। मान्यवर, आप भली-भांति अवगत हैं कि वहां की विशेष परिस्थितियां हैं, भौगोलिक रूप से। क्योंकि विकास के दो ही तरीके हैं या तो वहां औद्योगिक विकास हो या कृषि का

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास हो। सारे प्रदेश की जो स्थिति है उससे भिन्न कुमांऊ और गढ़वाल की स्थिति है। वहां भारी उद्योग नहीं लग सकते हैं वहां पर केवल वही उद्योग लग सकते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित न करें। कृषि के लिए वहां अलग प्रकार की फसलें उगाई जायेगी अलग प्रकार के सीजन होंगे सिंचाई की स्थिति भी अलग प्रकार की होगी। वहां के विकास के लिए यह देखा गया कि जब से हिमांचल प्रदेश का गठन हुआ है पजांब से अलग हो करके, क्योंकि वहां की अलग विशेष परिस्थितियां, थीं हिमांचल प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक विकास किया, इन सारी बातों को देखते हुए कई सरकारों ने सारे बिन्दुओं पर विचार करने के बाद यह पाया कि गढ़वाल और कुमांऊ मण्डलों की विशेष परिस्थिति है और उनके पुनर्गठन का प्रस्ताव भेजा।

* श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, प्रश्न में पूर्वांचल प्रदेश के विचार की बाबत बताया कि जी नहीं, लेकिन जो वहां के जनपदों के क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने की बात प्रश्न में है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जिसके कारण वहां अलग राज्य की मांग उठ रही है। क्योंकि पूर्वांचल का पिछड़ा होना, उद्योगों का न होना, रोजगार के अवसर न होना- इसका करण है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री अधिष्ठता-

माननीय मुख्यमंत्री जी बतायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं संसदीय कार्यमंत्री हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं।

मान्यवर, जो माननीय चौधरी जी ने प्रश्न किया कि असंतुलन को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? इससे तो सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि असंतुलन को समाप्त करने के लिए, केवल नये राज्य का गठन करना ही आवश्यक नहीं है। अभी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण आपने सुना होगा, उन्होंने 120 करोड़ रूपये की पूर्वान्चल निधि की घोषणा की है। यह जो 120 करोड़ रूपये की घोषणा की है यह पूर्वान्चल को पिछड़ा मानकर उसका विकास करने के लिए की है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से से एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन का प्रकरण केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में आता है और उस अधिनियम का भी उल्लेख उन्होंने किया जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार का अधिकार स्पष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं कि जैसा माननीय पाल साहब ने यह प्रश्न किया कि क्या सरकार पूर्वान्चल को राज्य बनाने पर विचार कर रही है तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि जी नहीं। राज्य का पुनर्गठन हो, पूर्वान्चल राज्य बने या न बने, यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केन्द्र का प्रकारण है लेकिन राज्य सरकार अगर ईमानदारी से सोचती पूर्वान्चल के बारे में तो जैसा संकल्प और प्रस्ताव उत्तरांचल के निर्माण के लिए भेजा गया तो क्या संसदीय कार्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार उसी तर्ज पर जैसा कि सम्मानित सदन ने 2-3 बार प्रस्ताव भेजा तो क्या भविष्य में पूर्वांचल के लिए उन्हीं मापदण्ड के आधार पर प्रस्ताव भेजने के लिए विचार करेगी?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उत्तरांचल में 12 जनपद हैं और 59 लाख की आबादी है जबकि पूर्वांचल में 28 जनपद है और 7 करोड़ की आबादी है। 45 प्रतिशत की हिस्सेदारी है तो पूर्वांचल के विकास के लिए 92 करोड़ की तुलना में इस बार 120 करोड़ कर दिया है। जहां उत्तरांचल के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 677 करोड़ के प्राविधान के मुकाबले प्रदेश की सरकार ने 860 करोड़ का प्राविधान किया वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां 28 जनपद हैं और 7 करोड़ की आबादी है वहां 120 करोड़ कर दिया तो यह जो वित्तीय विसंगति है यह क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ाने वाला है तो क्या राज्य सरकार यह विचार करेगी कि योजना परिव्यय की 45 प्रतिशत वह पूर्वांचल के लिए लगायेंगे? मान्यवर जो आउटले बनायेंगें उसका 45 प्रतिशत धन पूर्वांचल के लिए प्राविधान करेंगें।

श्री हुकुम सिंह-

उत्तर प्रदेश का विघटन करके उत्तर प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एक विशेष स्थान है, राजनैतिक और सामाजिक परिपेक्ष्य में क्या हम उस स्थान को समाप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं? बनारस और इलाहाबाद के बिना उत्तर प्रदेश की कल्पना कर लें यह सम्भव नहीं है। यह तो उत्तर प्रदेश में वक्षस्थल हैं उनके बगैर उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रह जायेगी? माननीय सदस्य ने कहा आबादी मानकर, यह जो आपने 800 करोड़ रूपये की बात की है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि यह तमाम विभागों का बजट इसी के माध्यम से जायेगा। उत्तरांचल के लिए विशेष तौर से इसका प्राविधान किया गया है। जिला योजनाएं हैं और दूसरी जो योजनाएं हैं उनके लिए तो धन अलग है ही। सबको मिलाकर इतनी बड़ी धनराशि लग रही है।

श्री राजधारी-

मान्यवर, यह सरकार जन कल्याणकारी है और उत्तर प्रदेश का एक विशेष स्थान है। चाहे चौधरी मा0 चरण सिंह रहे हों या मा0 जय प्रकाश नारायण जी रहे हों, सभी ने राय दी है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पिछड़ापन है उस पर पुनः विचार करके नयी संस्तुति पूर्वांचल के लिए करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसकी तो आवश्यकता नहीं है। जितने जन प्रतिनिधि है उनकी कल्पना से यह बाहर होना चाहिए। हम पूर्वांचल के विकास की बात करते हैं।

उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, प्रयास तो हमें करना चाहिए कि समस्त उत्तर प्रदेश विकास करके अग्रणी प्रदेशों में हो। विघटन करके, विभाजन करके इसकी रही सही स्थिति भी समाप्त हो जायेगी।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मैं आपकी आज्ञा से पूछना चाहता हूं कि अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि उत्तरांचल राज्य बनाने के दो मानक थे एक तो कृषि और दूसरा उद्योग वहां प्रदेश के और क्षेत्रों की अपेक्षा उद्योगों की कमी है और कृषि भी वहां पर विशेष तौर की है। अगर यही दो मानक हैं तो उद्योग के मामले में कौन सी भिन्नता है? उत्तरांचल में उद्योगों की जो स्थिति है उससे कहीं बदतर स्थिति पूर्वांचल की है। अगर उद्योग मानक माना है तो देखेंगे कि पूर्वांचल में उद्योग नहीं हैं। बुन्देलखण्ड है वहां पर भी सिंचाई और खेती जो है, वह मैदानी भागों से काफी भिन्न हैं।

तीन मानक आपने बताये और कहा कि इलाहाबाद और बनारस के बिना उत्तर प्रदेश की क्या कल्पना की जा सकती है तो क्या केदारनाथ, बद्रीनाथ ऋषिकेश, यमुनोत्री, गंगोत्री तथा और बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं उनके बिना उ0प्र0 की कल्पना की जा सकती है। जो मानक आपने बतायें उसमें एक कृषि भी है तो उसमें भी बुंदेलखण्ड की विशेष परिस्थितियां हैं, वहां सिंचाई की हालत, वहां की भूमि और वहां की मिट्टी की हालत और फसल के पैदावार की हालत में भिन्नता है। तो जिन आधार पर आपने प्रदेश बनाने की बात कही है उसके अनुसार बुंदेलखण्ड और पूर्वांचल भी आते हैं तो इसके लिये भी क्या प्रस्ताव करेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं जो अंतिम प्रश्न था वहीं से शुरू करता हूं। क्योंकि केदार नाथ, बद्रीनाथ आदि स्थान हमारे संस्कृति से जुड़े हुए है। राष्ट्र की संस्कृति से जुड़े हुए है हर बात की तुलना हर एक से करने लगेंगें तो यह उचित नहीं होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ अपने स्थान पर है, वहां पर कोई उद्योग नहीं चल सकता है बनारस में चल सकता है और चल रहें है। इलाहाबाद में चल सकते हैं और उद्योग हैं भी, और उच्च न्यायालय भी इलाहाबाद में है और न जाने कितने उद्योग हैं भी, और उच्च न्यायालय भी इलाहाबाद में है और न जाने कितने उद्योग है लेकिन क्या केदारनाथ, बद्रीनाथ में उद्योगों की कल्पना कर सकते है, मैंने जो विशेष बातें बतायीं थी कृषि और उद्योगों का विशेष महत्व है और केवल यहीं कारण है ऐसा नहीं। आधार भिन्न-भिन्न हैं। खेती का आधार भिन्न हैं, उद्योगों का आधार वहां भिन्न है और इतनी भिन्नता है कि उनमें एकरूपता का प्रश्न भी नहीं उठता। इसमें दो राय नहीं है, कि पूर्वांचल में इस तरह की बात नहीं है, मैं भावात्मक रूप से आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश ने एक स्थान प्राप्त किया है अगर बार-बार इसे तोड़ने की बात करेंगे, विघटन की बात करेंगें तो यह न तो उत्तर प्रदेश के हित में होगा न पूर्वी उत्तर प्रदेश के न पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हित में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ता आ रहा है।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के संज्ञान में इतना लाना चाहता हूं कि पूरे देश में पूर्वांचल ही एक ऐसा अंचल था जहां भुखमरी गरीबी और खेती एवं उद्योग शून्य थे और इस स्थिति से केन्द्र सरकार चिंतित हुई थी और उसने पटेल आयोग का गठन किया था उसने अपनी रिपोर्ट भी दी थी जिसमें कहा गया था कि वहां लोग जानवर के गोबर से अन्न बीन कर खाते हैं। और उसी के आधार पर पटेल आयोग का गठन हुआ और वहां के पिछड़े पन को देखकर केन्द्र चिंतित था।

मान्यवर, ऐसी दुरूह स्थित वहां की है। उत्तरांचल जैसी विषम परिस्थित पूर्वांचल की भी हैं अगर आप प्रस्ताव नहीं कर सकते तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्वांचल के लिए जो पटेल आयोग की संस्तुतियां हैं उनको लागू करें।

श्री हुकुम सिंह-

जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी गरीबी है वहां अन्न नहीं मिलता यदि आप इस बात से सहमत हैं तो फिर पूर्वांचल की स्थापना के लिए फिर क्यों कई सौ करोड़ रूपयों का प्रशासनिक भार डालना चाहते हैं?

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग बहुत अर्से से चली आ रही है अब उत्तराखण्ड राज्य का प्रस्ताव पास हो गया है। सरकार भी स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल सबसे पिछड़ा क्षेत्र है वहां की पर कैपिटा इनकम कम है। विद्युत का उपभोग, प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति व्यक्ति उपभोग कम है। आपने जो संस्कृति की बात कही है तो उत्तराखण्ड को भी संस्कृति के आधार पर बनाने से रोका नहीं गया। हमारे प्रदेश की सारी प्राकृतिक संम्पदा नदियां उत्तराखण्ड में हैं इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुये पूर्वांचल के बारे में प्रस्ताव लाने पर सरकार गम्भीरता से विचार करे। प्रदेश के विभाजन को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गंम्भीरता से विचार करके पूर्वांचल राज्य के बारे में कोई प्रस्ताव लाने पर विचार करेगी और इसे पास करके केन्द्र सरकार को भेजेगी?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रयास तो यही होगा कि प्रदेश का विभाजन न हो भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है?

माननीय सदस्य इस प्रदेश के सर्वोच्च आसन पर आसीन रह चुके हैं पिछलें 10-15 सालों में ऐसी कोई नीति नहीं बन गई जिससे पूर्वांचल पिछड़ गया हो यदि ऐसी चिंता थी तो जब उनको अवसर मिला था तब उन्होंने इसकी आवश्यकता क्यों नहीं समझी? जहां तक उत्तराखण्ड का प्रस्ताव है वहां की पीड़ा को समझ कर यह प्रस्ताव लाया गया है इसमें न केवल इस सरकार ने बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने यह प्रस्ताव पारित किया।

श्री भरत सिंह -

माननीय अधिष्ठाता महोदय आज पूर्वांचल की गरीबी बढ़ती जा रही है वहां का नौजवान बम्बई, सूरत, कलकत्ता में काम करने जा रहा है वहां का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी के कारण दर-दर की ठोकरें खा रहा है। सरकार का कहना है कि पूर्वांचल के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है इस स्थिति में क्या सरकार पूर्वांचल के उन जनपदों में जहां पर उद्योग धन्धे नहीं हैं जैसे बलिया, आजमगढ़, मऊ, जहां पर कोई इन्ड्रस्ट्री नहीं है वहां पर कोई उद्योग धन्धे खोलने पर विचार करेंगें ताकि पूर्वांचल की गरीबी को दूर करके लोगों को रोजगार दिया जा सके।

दूसरा सवाल मेरा यह है कि पूर्वांचल ने आजादी के इतिहास में सबसे ज्यादा संघर्ष किया और आजादी के इन 50 वर्षों में पूर्वांचल की खूब उपेक्षा भी हुई, जिन्हें वहां का नेता बनने का अवसर मिला, उन्होंने भी उपेक्षा की, इस स्थिति में पूर्वांचल की आवाज को वह उठाते हैं जो उत्तर प्रदेश में फेल हो जाते हैं, जो समझते हैं कि हमारा कोई भविष्य नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग पूर्वांचल में एक जबरदस्त आन्दोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तराचंल या बनांचल की भांति उन्हीं मानकों के अनुरूप पूर्वांचल के गठन पर विचार करेंगे?

श्री हुकुम सिंह -

मान्यवर, यह तो हमें गर्व है कि पूर्वांचल ने इस देश को 3-3 प्रधानमंत्री दिये। पूर्वांचल में जो प्रतिभा है, जो वहां का संघर्ष है, उसके बारे में कोई विवाद नहीं है। यह सही है कि जिन जनपदों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, प्राथमिकता के आधार पर वहां प्रयास होना चाहिये। जितने संसाधन उपलब्ध होंगे, उसके अनुसार वहां पर उद्योग-धन्धें लगाये जायेंगें।

श्री अम्बिका चौधरी -

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की जानकारी को थोड़ा ठीक कराना चाहता हूं, पूर्वांचल के प्रति उनकी दृष्टि कैसी है, इसका पता इसी से लग जाता है, उन्होंने कहा कि 3 प्रधानमंत्री दिये। मैं बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल ने देश को 5 प्रधानमंत्री दिये, श्री लालबहादुर शास्त्री, और श्री चन्द्र शेखर जी को वह भूले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड के जनपदों में विकास कार्यों के लिये जितनी जनसंख्या पर जितना बजट और जितने संसाधन पिछले 10 वर्षों में दिया गया है, तो क्या पूर्वांचल की आबादी के हिसाब से, वहां के जिलों को, उतना ही धन देने की कृपा करेंगें?

दूसरी बात जानना चाहता हूं कि जब यह स्थापित तथ्य है, कि पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है, इसको माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है तो क्या उस असंतुलन को समाप्त करने के लिये पूर्वांचल विकास निधि के अलावा क्या कोई पैकेज देंगें या लाने पर विचार कर रहें हैं?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी बात को सही कर दूं। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहर लाल नेहरू को मैंने पूर्वांचल का नहीं माना था क्योंकि वह राष्ट्रीय नेता थे। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल की विशेष परिस्थिति को देखते हुये इस वर्ष 120 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है, आगे भी जैसे संसाधन उपलब्ध होगें, वैसे किया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा करा लें, हम लिखकर देते हैं।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण आसन ग्रहण करें। श्री मुन्ना चौहान जी कुछ कहना चाह रहें हैं, उन्हें सुन लें।

श्री मुन्ना चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तरांचल की विषम परिस्थितियों को देखते हुए, वहां के पिछड़ेपन को देखते हुए एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तरांचल राज्य के गठन का प्रस्ताव इस सम्मानित सदन में किया गया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि चूंकि आर्थिक, शैक्षिक सामाजिक और औद्योगिक पिछड़ापन है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति का 1/7 भाग जो 59 अरब रूपया पहुंचता है, को क्या पृथक उत्तराखण्ड राज्य को दिये जाने के लिए इस सदन से इस सरकार की तरफ से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेंगें?

श्री अधिष्ठाता-

यह इस प्रश्न से कनेक्टेड नहीं है।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, उत्तर दिलवा दें।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसमें आप नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा करवा रहें हैं इसलिए अब अगला प्रश्न ले लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस पर आधे घण्टे की चर्चा मन्जूर करता हूं। अगला प्रश्न माननीय सदस्य बी0 आर0 वर्मा जी का है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 सदस्यों की सुरक्षा हेतु गनर व शैडो की व्यवस्था

**2-श्री बी0 आर0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गनर/शैडो सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिये शासन की क्या नीति है ? क्या सरकार बतायेगी कि पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधान सभा सदस्यों के कामों के कारण उत्पन्न जीवन के खतरे को देखते हुये उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकारी खर्च पर गनर/शैडों दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या शासन ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

शासन की नीति संलग्न हैं ।

शासन की संलग्न नीति के बिन्दु-5 के अनुसार ही सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है ।

संलग्न नीति में पूर्ण विवरण हैं +.

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यथापूर्व से नीति निर्धारित है ।

(+देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 208 पर)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो उत्तर दिया है उसके क्रम संख्या 8 व 9 के क्रम में अब तक कितने लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दी है, कितने लोगों ने एप्लाई किया था, जिन्हें निरस्त किया है 1. क्या पुलिस अधीक्षक की संस्तुति इन आधारों पर होना आवश्यक है या नहीं । तीसरा अब तक जितने लोगों को शैडों व गनर की व्यवस्था की है उसमें विधान सभा सदस्यों वर्तमान या भूतपूर्व । सांसद वर्तमान या भूतपूर्व के अतिरिक्त कितने लोग किस दल से सम्बद्ध हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं गनर/शैडों सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए शासन की क्या नीति है तो शासन की नीति संलग्न है ।

दूसरा पूर्व विधान सभा सदस्यों के कामों के कारण उत्पन्न जीवन के खतरे को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकारी खर्च पर गनर/शैडों दिए जाने की व्यवस्था है । उसका भी उत्तर आया कि संलग्न नीति के बिन्दु-5 के अनुसार ही सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है । कितने प्रार्थना पत्र आए कितने शैडों दिए गए किन-किन दल से सम्बन्धित है यह मूल प्रश्न से हटकर है ।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जो उत्तर आया है उसका आठवां बिन्दु सामान्यतः ऐसे किसी व्यक्ति को शैडो/गनर गार्ड आदि नहीं दिया जाएगा जिसका कोई पूर्व अपराधिक इतिहास रहा हो या जिसके विरुद्ध अपराधिक अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त होने सम्बन्धी आरोप किसी न्यायालय में विचाराधीन हों। तो मान्यवर, यह सदन की प्रापर्टी बन चुका है। जिस नीति की बात इन्होंने कही है इस नीति के तहत कितने लोगों को गनर/शैडों आज की तारीख में उपलब्ध कराए हैं। यह लिखित रूप से उत्तर आया है यह सदन की प्रापर्टी हो चुका है।

इसी तरह से उत्तर के नवें बिन्दु को देखें सामान्यतः ऐसे किसी व्यक्ति को शैडों/गनर/ गार्ड, आदि सुरक्षा नहीं दी जाएगी जो किसी व्यापारिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक संस्थान से जुड़ा हो अथवा जिसे सुरक्षा अपने निजी व्यावसायिक स्वार्थ के हित में आवश्यक हो।

ऐसे व्यक्ति जो वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, ऐसे कितने लोगों को गनर और शैडों दिये गये हैं?

श्री अधिष्ठाता-

इसके लिए व्यापक सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर से मैं बंधा हुआ हूं। मान्यवर, आप भी उत्तर देख लें। हमने स्पष्ट रूप से कहा है सामान्यतः ऐसे किसी व्यक्ति को शैडों/गनर/गार्ड आदि नहीं दिया जायेगा जिसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास रहा हो। इस नीति में क्या गलत है। क्या अपराधिक इतिहास वालों को गनर/शैडों दिये जांय इसके बावजूद भी हमने सामान्यतः कहा है। ऐसी स्थिति दो दिन पहले आयी थी जब अपराधिक इतिहास रखने वाले लोग जो जेल में बंद हैं, के लिये अतिरिक्त सुरक्षा के बारे में माननीय सदस्यगण ने आग्रह किया था, विशेष परिस्थितियों में उस पर विचार किया ही जाता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली के नियम 31 में अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के लिये मात्र 20 मिनट का समय निर्धारित है। 40 मिनट हो गये हैं, इसलिये आप कार्य सूची की दूसरी मद लें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है। पूर्वांचल से संबंधित जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न था, इसलिये विशेष परिस्थितियों में समय दिया गया।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह के खड़े होने पर-व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मद संख्या-7 पर विविध वक्तव्य का प्राविधान है, जो माननीय मंत्री जी के लिये हैं। प्रश्न काल हमारा है, इसमें आप व्यवधान न करें।

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)-

मान्यवर, मेरे खड़े होने पर विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है, मैं नहीं जान पाया। इस सदन के सदस्य के रूप में अपनी बात कहने का अधिकार मुझे भी है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। कुंवर रेवती रमण सिंह जी को आपसे स्नेह है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, आप अनुज्ञा नहीं देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणी जी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि सामान्यतः किसी अपराधी को शैडो/गनर नहीं दिया जाता है। तो सामान्यतया नहीं दिया जाता तो जिन लोगों को दिया गया है, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, उनका नाम बता दें। किन परिस्थितियों में दिया गया है, यह भी बता दें?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जहां तक नीति का प्रश्न है। सामान्य रूप से जिनका अपराधिक इतिहास है, उन लोगों को नहीं दिया जाता है लेकिन कभी ऐसी असामान्य परिस्थितियां आ जाती हैं तो उस पर विचार कर लिया जाता है। सरकार ने यह अधिकार अपने अन्दर रखा है कि अगर कोई अपवाद स्वरूप ऐसी स्थिति आती है कि उनका अपराधिक इतिहास रहा हो लेकिन उनकी जान माल को खतरा है तो उस पर विचार कर लिया जाता है। विवरण के बारे में आपने भी कह दिया है कि उसके लिये अलग से कह देंगे हम दे देंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ "मणी"-

माननीय अधिष्ठाता जी, यह लिस्ट कितनी बड़ी है जो आपको देने में समय लगेगा। अपवाद स्वरूप 2/4 लोगों के नाम होंगे। अपवाद स्वरूप में 2/3 दर्जन लोग तो होंगे नहीं। इसलिये कितनों के नाम हैं बता दें?

श्री हुकुम सिंह-

प्रश्न व्यक्तियों का नहीं है। प्रश्न सरकार की नीति के बारे में है। यह हमको अधिकार है, जैसी परिस्थिति आयेगी उसके अनुरूप उस पर विचार कर के दे सकते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भूतपूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों को 10 प्रतिशत पैसा लेकर शैडों/गनर दिया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि पूर्व विधायकों और सांसदों को 10% लेकर देंगें लेकिन निःशुल्क बी0जे0पी0 के कितने कार्यकर्ताओं को दिया गया है? मान्यवर, यह इसी से संबंधित है। क्या निःशुल्क बी0जे0पी0 के कुछ लोग जो कि पूर्व विधायक या सांसद की श्रेणी में भी नहीं आते और सामान्य कार्यकर्ता और जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में शैडों और गनर निःशुल्क दिये गये हैं। अपराधिक पृष्ठभूमि के कितने लोग मंत्री हैं जिनको शैडों और गनर दिया गया है?

श्री हुकुम सिंह-

अपराधिक इतिहास का कोई व्यक्ति हमारे मंत्रि-मण्डल में नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के मंत्रि-मण्डल में सभी मंत्री स्वच्छ छवि के हैं और अपराधियों के खिलाफ लड़ने वाले हैं, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

पूर्व वाले जो मंत्री होंगे वर्तमान में, उनके खिलाफ अपराधिक इतिहास हो तो उसका उल्लेख कर दें।

श्री हुकुम सिंह-

वर्तमान मंत्रियों के खिलाफ कोई अपराधिक इतिहास नहीं है इसलिये उल्लेख करने के लिये शून्य है। मेरा दायित्व यह है कि सम्मानित सदस्यों के प्रश्न का उत्तर उसी रूप में दे दूं। आपने कहा एक पार्टी विशेष का नाम लेकर कि अपराधिक इतिहास के कार्यकर्ताओं को भी विधायकों और सांसदों की तरह गनर और शैडों दिये गये हैं वह भी निःशुल्क। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सुरक्षा की व्यवस्था किसी दलगत आधार पर नहीं केवल आवश्यकता के आधार पर की जाती है।

(व्यवधान)

एक मा0 सदस्य-

मान्यवर, कबीर नगर में मोहम्मद नाजिम खां को गनर दिया गया है या नहीं अगर दिया गया है तो बता दें।

श्री हुकुम सिंह-

इस प्रदेश में 5 हजार लोगों को गनर दिए गए हैं आप एक व्यक्ति का नाम लेकर पूछें तो इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता है हम कैसे बता सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जाएं। कृपया सहयोग करें।

श्री समरपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं जानना चाहता हूं कि शासन की नीति है कि प्रत्येक विधायक को गनर शैडों निःशुल्क दिया जाएगा। यदि शासन ने यह आवश्यकता महसूस की कि किसी विधायक की जान को खतरा है तो यह 25 प्रतिशत के खर्चे पर गनर शैडों और उपलब्ध करा दिया जाएगा। पूर्व विधायकों को गनर, शैडों 10 प्रतिशत पैसा देने पर दिया जाएगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक जो 25 प्रतिशत, दस प्रतिशत खर्चा वहन करने की स्थिति में नहीं है तो क्या उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी?

श्री हुकुम सिंह-

अपवाद स्वरूप दिए गए हैं। दो दिन पूर्व आपके साथी बैठे थे सम्मानित विधायकों ने, नेताओं ने आग्रह किया कि इनको अतिरिक्त शैडों की आवश्यकता है तो मा0 मुख्यमंत्री जी ने उनको निःशुल्क गनर, शैडों देने के आदेश किए हैं। हमारे माननीय सदस्य राणा साहब जी ने स्वयं लिखकर दिया कि 25 प्रतिशत के खर्चे पर दिया जाय। तो उनको 25 प्रतिशत पर दे दिया गया।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मा0 मुख्यमंत्री जी ने अतारांकित प्रश्न संख्या-55 का उत्तर दिया। शिवराज सिंह उर्फ पी0टी0आई0 पर 49 अपराधिक मुकदमें थे। यह श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकाण्ड में शामिल था। यह उपदेश सिंह चौहान का सगा भाई है। उसके दो आरक्षी लगा दिये गये। उसके पूरे परिवार का अपराधिक इतिहास है। तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिनके खिलाफ मुकदमें कायम हों क्या उनको भी गनर, शैडों देते हैं?

श्री हुकुम सिंह-

यह प्रकरण कई बार उठ चुका है। यह सही है....

श्री अधिष्ठाता-

आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है।

श्री हुकुम सिंह -

केवल यही नहीं इस सदन के कई सम्मानित सदस्य जो एन0एस0ए0 और गैंगस्टर ऐक्ट में बन्द हैं उनको भी सुरक्षा देने की व्यवस्था की गयी है। सुरक्षा देना और संरक्षण देना यह शासन के विवेक पर है। आवश्यकता होगी तो दिया जायेगा अगर नहीं होगी तो नहीं दिया जायेगा।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट -

मान्यवर, आज अपराधिक लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है।

श्री बाबू राम यादव -

मान्यवर, सरकार की नीति क्या है ? क्या वह अपराधिक लोगों को शैडो/गनर की जरूरत पड़ेगी तो क्या वह उनको उपलब्ध करायेगी ?

(व्यवधान)

जो अपराधिक इतिहास के मंत्री हैं उनके डर के मारे यह नाम नहीं बता रहें हैं। आज इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है।

(व्यवधान होने पर)

श्री अधिष्ठाता -

कृपया शांत रहें।

श्री बी0 आर0 वर्मा -

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इनके मंत्रिमंडल में कोई भी अपराधिक पृष्ठभूमि का मंत्री नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी इस सदन में गैंग लीडरों की सूची आयी थी, जो अपराधिक गिरोह हैं उनकी सूची आयी थी ?

(* * *)

श्री हुकुम सिंह -

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। इस प्रकार के अनावश्यक और अनर्गल आरोप लगाकर मंत्री का नाम लिया है अतः इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता -

इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी -

मान्यवर, किस आधार पर कार्यवाही से निकाल देंगे। यह सदन नियमों से चलेगा या संसदीय कार्य मंत्री जी की डिक्टेशन से चलेगा। एक सीधा सा प्रश्न है और ऐसे सदस्य का मामला है जो कि सदन में मौजूद हैं।

नोट :- (* * *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

युवा कल्याण, राज्य मंत्री (श्री अमरमणि)-

मान्यवर, नियम इधर भी लागू होगा तो उधर भी लागू होगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसका उत्तर बता दें जो कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है।

(व्यवधान)

श्री अमरमणि-

मा0 मुलायम सिंह पर कितने अपराधिक मुकदमें थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई अपराधी है तो (* * *) है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो व्यक्ति इस सदस्य का सदन नहीं है उसके बारे में तो नियम है..

(घोर व्यवधान के मध्य डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री उदय राज यादव एवं समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग अपने आसनों पर वापस जायें।

(इसी बीच डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री उदय राज यादव रिपोर्टर्स टेबुल पर चढ़ गये।)

श्री अधिष्ठाता-

यह उचित नहीं है आप लोग कृपया अपने स्थान पर वापस जायें। श्री अम्बिका चौधरी जी कृपया सदस्यों को आसनों पर ले जायें।

(सदन के फ्लोर पर आये हुये सदस्य अपने-अपने आसनों पर वापस चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कुछ आप देख रहें हैं अगर इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, (× × ×)

राज्य मंत्री, आवास (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह अशोभनीय है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलेगा। अपराधियों की धमकी से नहीं चलेगा।

नोट :--(* * *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सदन की जो मर्यादा है जो नियम है उनके अनुसार चलायें।

श्री अधिष्ठाता-

अब इसे समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसकी भाषा ठीक नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरी भाषा ठीक है, मैंने ठीक कहा है।

श्री अधिष्ठाता-

जब संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं वह हर चीज की पैरवी करने के लिए यहां पर सक्षम हैं।

(व्यवधान)

श्री राजधारी-

मान्यवर, हमारे साथियों को गलतफहमी हो गयी है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, कभी-कभी ऐसी स्थिति बन जाती है। प्रयास यह होना चाहिए कि ऐसी स्थिति न बने और अच्छी तरह से सदन चले। कुछ न कुछ ऐसी बातें पूछी गयीं अभी इस प्रश्न के माध्यम से, यह केवल नीतिगत प्रश्न था एक सम्मानित सदस्य ने हमारे मंत्रिमण्डल के एक सम्मानित साथी का उल्लेख किया (व्यवधान) मान्यवर, किसी पर कोई व्यक्तिगत आरोप लगाना उचित नहीं प्रतीत होता। अब हम प्रयास यह करें कि इस प्रकरण को छोड़कर आगे की कार्यवाही चलायें।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फ्री आफ कास्ट शैडों दिये जा रहें हैं और हम से पैसा लिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी आप पूछ लें लेकिन ऐसी कोई बात न कहिए मेरा अनुरोध है, आप पीठ पर विराजमान रह चुके हैं।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, प्रश्नों के संदर्भ में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता-

माननीय बाबू राम जी, प्रश्नों की व्यवस्था के माध्यम से अव्यवस्था हो जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

अभी मैंने एक अपील की थी और फिर आग्रह कर रहा हूं कि आगे की कार्यवाही होनी है, इसका पटाक्षेप किया जाये और नत्थी (ग) के प्रश्न को ले लिया जाये।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मेरा ऐसा स्वभाव भी नहीं है कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगाऊँ और न मुझे ऐसा भान था कि मेरे इतना पूछने पर सदन में इस प्रकार उत्तेजना पैदा होगी वरना मैं वह शब्द भी नहीं कहता, मेरे मन में किंचित मात्र भी किसी के प्रति विद्वेष की भावना नहीं है, मैं केवल यह जानकारी चाह रहा था कि जैसे भूतपूर्व सदस्यों को आपने 10 प्रतिशत भुगतान के आधार पर सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात कही है, लेकिन जो एम0एल0ए0, एम0एल0सी0 नहीं हैं, लोक सभा या राज्य सभा के सदस्य भी नहीं हैं, किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री भी नहीं हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को क्या निःशुल्क सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराई गई है, मैं बस यही जानकारी चाह रहा था?

दूसरी बात जानना चाहता हूं कि जो सूची है, जिनका अपराधिक इतिहास था, क्या उस सूची को माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

जो सुरक्षा प्रदान की जा रही है, वह इसी नीति के अन्तर्गत की जा रही है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख करें तो मैं बता दूं कि उसे क्यों दी गई है? आप तो मान्यवर, यहां भी रहे हैं, वहां भी रहे, आपको तो कई बार मौका मिला है। श्री हरीशंकर आजमगढ़ के थे, उनके लिए आपने सिफारिश की थी, उनका इतना बड़ा अपराधिक इतिहास था, आपने सिफारिश की, मिल गया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में मजदूरों के कल्याण एवं उत्थान हेतु केन्द्र की भांति उ0प्र0 सफाई मजदूर आयोग के गठन की मांग

*1-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार सफाई मजदूरों के कल्याण एवं उत्थान के लिये केन्द्र सरकार की भांति उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर आयोग के गठन पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-(आवास एवं नगर विकास मंत्री)-

जी हाँ।

प्रकरण नीति विषयक है। आयोग के गठन के सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया जाना है, जिसमें समय लगने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि सरकार क्या सफाई मजदूरों के कल्याण एवं उत्थान के लिए केन्द्र सरकार की भांति उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर आयोग के गठन पर विचार कर रही है, उसका उत्तर दिया, जी हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आयोग के गठन के सभी पहलुओं पर विचार करके निर्णय लिया जाना है तो कब तक विचार कर रहे हैं? क्या इसके लिए कोई समिति बनी है? अगर बनी है तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं और क्या उसमें सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया गया है?

श्री सतीश महाना-(नगर विकास राज्य मंत्री)-

सभी बिन्दुओं पर विचार करना है। केन्द्र सरकार के अनुरूप सफाई कर्मचारियों के आयोग को गठित करने के संबंध में यहां पर एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया जाना था। यह बैठक 21 अप्रैल को हुई थी। हम सामूहिक रूप से बैठकर इस पर विचार कर लेंगे।

कानपुर महानगर के विकास के लिये सरकार की योजना

*2-श्री बाल चन्द्र मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर कानपुर के चतुर्दिक विकास के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है? क्या यह सही है कि डूडा (जिला नगरीय विकास प्राधिकरण) के अन्तर्गत इस नगर के विकास की कुछ योजनायें शासन के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उनका कार्यान्वयन कब तक हो जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 1998-99 में रु0 526.87 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वच्छकार विमुक्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की सहमति हेतु दिनांक 23 अगस्त, 1997 को प्रेषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना एवं स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना संचालित की जा रही है। भारत सरकार की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रश्नगत योजना का क्रियान्वयन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कानपुर जैसा महत्वपूर्ण नगर है और उसको उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी आज भी माना जाता है। मा0 मंत्री जी ने बताया कि उसके विकास के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है तो क्या इसके महत्व को देखते हुए इसके विकास की योजना की घोषणा करेंगे?

श्री सतीश महाना-

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अलग-अलग योजनाएं ली गयी हैं। 105 करोड़ रुपये की इण्डोडच योजना का प्रस्ताव भारत सरकार के पास है, जिसमें 6 करोड़ न्यूसिटी के लिए अवमुक्त हो चुके हैं और कानपुर ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 570 करोड़ रुपये की रिंग रोड योजना तैयार की जा रही है।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

जनपद लखनऊ के सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के अन्तर्गत डायमण्ड डेरी कालोनी से अतिक्रमण हटाने विषयक कार्यवाही की मांग

*1.-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ में इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या राज्य सम्पत्ति विभाग की आवासीय कालोनियों से अतिक्रमण हटाये गये? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां? क्या यह सही है कि राज्य सम्पत्ति विभाग की डायमण्ड डेरी कालोनी से अतिक्रमण हटाने के संबंध में उत्तरांचल विकास मंत्री तथा राज्य मंत्री, ऊर्जा ने वर्ष 1998 में नगर विकास मंत्री तथा आयुक्त, लखनऊ मण्डल को पत्र लिखा है? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं? क्या उक्त कालोनी को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रकरण पूर्णतया राज्य सम्पत्ति विभाग से संबंधित है। राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय कालोनियों से अनाधिकृत कब्जे हटाने के संबंध में उपलब्ध कराई गई विवरणिका में डायमण्ड डेरी कालोनी से अतिक्रमण हटाये जाने का उल्लेख नहीं है।

नगर विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग की डायमण्ड डेरी कालोनी से अतिक्रमण हटाने के संबंध में उत्तरांचल विकास मंत्री तथा राज्यमंत्री, ऊर्जा ने नगर विकास मंत्री तथा आयुक्त, लखनऊ मण्डल को पत्र लिखे हैं और क्या वह उनको प्राप्त हुए हैं, क्या इस पर सम्यक् विचार करने हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द करेंगे?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कोई आवश्यकता नहीं है, माननीय सदस्य ने अतिक्रमण हटाने के संबंध में पूछा, राज्य सम्पत्ति विभाग अगर हमसे सहायता मांगेगा तो हम उसको हटा देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

तारांकित प्रश्न

आवास एवं नगर विकास विभाग के अन्तर्गत प्राधिकरणों के गठन के समय संबंधित नगरों के निर्मित भाग के नक्शे पास करने का अधिकार

*1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राधिकरणों के गठन के समय सम्बन्धित नगरों के निर्मित भाग के नक्शे पास करने का अधिकार संबंधित स्थानीय निकायों को देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

नोट :- नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या *1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*2-श्री श्याम देव राय चौधरी-

(4थें गुरुवार में ता0प्र0सं0-6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

उत्तर प्रदेश के शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही विद्युत कटौती

*3-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में वर्तमान समय में भीषण गर्मी में शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही विद्युत कटौती को तत्काल समाप्त करने के संबंध में निर्णय लेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री- (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

विद्युत कटौती समाप्त करने के हर-सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो जाने के कारण मांग में कुछ कमी आ गयी है, जिससे कटौती की मात्रा काफी कम हो गया है। प्रदेश में विद्युत की मांग विशेष रूप से पीक समय में उपलब्धता से अधिक होने के कारण कटौती को पूरी तरह समाप्त करना संभव प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के डायमण्ड डेरी आवासीय योजना में अधिग्रहीत भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*4-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के आवास विकास परिषद् की डायमण्ड डेरी आवासीय योजना में अधिग्रहीत पूरी भूमि पर परिषद् का कब्जा है? यदि नहीं, तो किन-किन व्यक्तियों ने कब से उस पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है और उसे हटाने के लिए परिषद् ने क्या कोई प्रयास किया है? यदि हां, तो कब-कब और क्या? क्या यह सही है कि उक्त योजना के विस्थापितों को बसाने हेतु भूमि दे दिये जाने के बावजूद वे डायमण्ड डेरी में ही रह रहे हैं और परिषद् द्वारा प्रस्तावित दो आवासीय ब्लाक दो दशक बीत जाने पर भी नहीं बन पाये हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लाल जी टण्डन-

आवास विकास परिषद् की डायमण्ड डेरी आवासीय योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के कुछ भाग पर अनधिकृत कब्जा है।

28 परिवार (सूची संलग्न-क) परिषद् द्वारा वर्ष 1975 में बनाये गये ट्रांजिट कैम्पों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 5 लोगों ने भी योजनाओं की लगभग 378 वर्ग मीटर भूमि पर वर्ष 1990 से 92 की अवधि में अनधिकृत कब्जा किए हैं, जिनकी सूची-ग पर संलग्न है।

ट्रांजिट कैम्प में रह रहे 28 परिवारों को परिषद् द्वारा लखनऊ नगर में विकसित योजनाओं में भवन/भूखण्ड वर्ष 1977 में आफर किये गये परन्तु उन्होंने इस वैकल्पिक व्यवस्था का आफर स्वीकार नहीं किया। वर्ष 1990-92 के बीच 13 लोगों ने योजना की खाली भूमि पर कब्जा कर लिया जिसमें से सितम्बर, 95 में पुलिस बल एवं प्रशासनिक सहयोग से 8 अनधिकृत कब्जे हटाये गये परन्तु शेष 5 अनधिकृत निर्माण स्थानीय जन प्रतिनिधियों के कड़े विरोध के कारण नहीं हटाया जा सका। इन 5 अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए समय-समय पर पुलिस एवं प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने हेतु कई बार जिला प्रशासन को लिखा गया था।

जी नहीं। विस्थापितों को कोई भूमि नहीं दी गयी है बल्कि 19 विस्थापितों को दुर्बल आय वर्ग के भवन इसी योजना में आवंटित किये गये तथा शेष 28 विस्थापितों को अन्य योजना में दुर्बल आय वर्ग के भवन आफर करने पर भी स्वीकार नहीं किए गए और वर्तमान में इसी योजना में उक्त ट्रांजिट कैम्पों में रह रहे हैं जिनके विरुद्ध पी0पी0 ऐक्ट के अन्तर्गत दायर किया गया वाद का निर्णय अपेक्षित है।

जी हां।

उपरोक्त सूचना के आधार पर परिषद् का कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी न पाये जाने के कारण कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 209 पर)

प्रदेश में आवारा कुत्तों को पकड़े जाने हेतु अभियान की जानकारी

*5-श्री बाल चन्द्र मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवारा पशुओं विशेषकर आवारा कुत्तों को पकड़ने का सरकार द्वारा कोई अभियान चलाया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार ऐसा अभियान प्रारम्भ करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री लालजी टण्डन-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्यवाही नियमित रूप से स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुछ महत्वाकांक्षी आवासीय एवं गैर आवासीय योजनाओं की सरकार द्वारा गारंटी न लेने के कारणों की जानकारी

*6-श्री समरपाल सिंह-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुछ महत्वाकांक्षी आवासीय एवं गैर आवासीय योजनायें सरकार द्वारा गारंटी न दिये जाने के कारण रुकी पड़ी हैं? यदि हां, तो ऐसी योजनाओं की संख्या कितनी है और उनकी अनुमानित लागत क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा विकास प्राधिकरण की योजनाओं की गारंटी न लेने का कारण क्या है?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद् जनपद पिथौरागढ़ के वर्गोत्थान किये जाने की मांग

*7-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़ के वर्गोत्थान करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक वर्गोत्थान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में नगर स्थानीय निकाय नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, एवं नगर पंचायतों के नाम से श्रेणी बद्ध है। नगर पालिका परिषद् की श्रेणी व्यवस्था अब प्रचलन में नहीं हैं फलतः वर्गोत्थान का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जनपद गौतम बुद्ध नगर में स्थित डी0सी0एम0 डायवू लि0 सूरजपूर में निर्माणाधीन टंकी के गिरने से हुई श्रमिकों की मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को मुआवजा व रोजगार दिये जाने की मांग

*8-श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 3-8-97 को जनपद गौतम बुद्ध नगर में स्थित डी0सी0एम0 डायवू लि0 सूरजपुर में निर्माणाधीन टंकी गिरने से 12

श्रमिकों की मौत हो गयी थी ? क्या यह सही है कि उद्योग प्रबन्धकों की तरफ से मृतकों को एक-एक लाख रुपया देने तथा मृतक परिवारों से एक-एक व्यक्ति को स्थाई रोजगार देने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसका पालन आज तक नहीं किया गया है ? क्या मंत्री जी मृतक आश्रितों को मुआवजा व रोजगार दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री-(श्रीमती प्रभा द्विवेदी)-

दिनांक 3-8-97 को जनपद गौतमबुद्ध नगर में स्थित कारखाना मेसर्स डायवू मोटर्स इण्डिया लि0, सूरजपुर में निर्माणाधीन पानी की टंकी के गिरने से 12 श्रमिकों की मौत नहीं हुई अपितु 9 श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे जिनमें से 8 श्रमिकों की बाद में मृत्यु हो गई थी तथा एक श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हुआ था।

दुर्घटना में मृत और घायल श्रमिकों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के आशय से एक लाख रु0 पारिश्रमिक की दर से मृत श्रमिक को तथा रु0 30,000/- घायल श्रमिक हेतु कारखाना प्रबन्धकों द्वारा 8.30 लाख की धनराशि उप श्रमायुक्त गाजियाबाद के कार्यालय में जमा कराई गई है। कारखाना प्रबन्धकों द्वारा मृतक परिवारों के एक-एक व्यक्ति को स्थाई रोजगार देने की घोषणा नहीं की गई है।

कारखाना प्रबन्धकों द्वारा उप श्रमायुक्त गाजियाबाद के कार्यालय में जमा कराई गई 8.30 लाख रूपये की धनराशि में से तीन मृत श्रमिकों के आश्रितों को रु0 एक लाख की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया जा चुका है। शेष मृतक आश्रितों एवं एक घायल श्रमिक को आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करवा कर भुगतान करने के लिये विभाग प्रयासरत है।

अवशेष मृतक आश्रितों एवं घायल श्रमिक को मुआवजे की धनराशि शीघ्र ही औपचारिकताएं पूर्ण कराकर भुगतान कराने हेतु श्रमायुक्त को निर्देशित कर दिया गया है। श्रम अधिनियमों में मृतक आश्रित को रोजगार दिलाये जाने की व्यवस्था न होने के कारण कारखाना मालिकों को रोजगार देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

प्रश्न नहीं उठता।

*9-श्री विजय सिंह-

(17वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

प्रदेश में विद्युत चोरी पर अंकुश लगाये जाने के लिये राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कड़ी व्यवस्था

*10-श्री विजय पाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित भारी उद्योगों द्वारा भारी मात्रा में विद्युत चोरी की जा रही है जिससे शासन को राजस्व की क्षति हो रही है ? क्या इसे रोके जाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

विद्युत चोरी से सम्बन्धित मामलों पर अंकुश लगाने हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कुछ निम्न महत्वपूर्ण उपाय किये जा रहें हैं।

1. सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के मीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

2. आंचलिक मुख्य अभियन्ता (वितरण) के स्तर पर एक उच्च-स्तरीय रेड इकाई का गठन किया जा चुका है जो भारी एवं बड़े उपभोक्ताओं के विरुद्ध शिकायत पर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करती है।

3. प्रत्येक वितरण मण्डल स्तर पर एक जांच इकाई का गठन किया गया है जो सभ उपभोक्ताओं के विरूद्ध शिकायतों पर कार्यवाही करती है।

4. बड़े एवं भारी उपभोक्ताओं के परिसरों पर नवीनतम् तकनीकी के इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जा रहें हैं।

5. विद्युत चोरी करते हुये पकड़े गये उपभोक्ताओं पर दंडात्मक राजस्व निर्धारित किया जाता है। एवं एफ0 आई0 आर0 दर्ज की जाती है।

जनपद लखनऊ की आवास विकास कालोनी राजाजीपुरम् में अवैध रूप से काबिज असामाजिक तत्वों से भवनों को खाली कराने की कार्यवाही

* 11-श्री हरि शंकर माहौर-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास कालोनी राजाजीपुरम् में कितने आवास आवंटन हेतु अवशेष हैं? क्या यह सही है कि कुछ पर असामाजिक तत्वों का कब्जा है? यदि हां, तो ऐसे कितने आवास हैं? क्या यह भी सही है कि सेक्टर-1 में सबसे ज्यादा भवनों में असामाजिक तत्वों का अवैध कब्जा है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 1/66 व 1/67 किसके नाम आवंटित है तथा इस पर कौन लोग काबिज हैं? क्या सरकार अवैध रूप से काबिज भवनों को खाली कराकर उन्हें बेचने का आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

राजाजीपुरम योजना, लखनऊ के अन्तर्गत समस्त निर्मित भवनों का आवंटन हो चुका है। वर्तमान में काई भी भवन आवंटन हेतु अवशेष नहीं है।

जी, नहीं।

जी, नहीं।

भवन संख्या-1/66 श्री नन्द किशोर पुत्र श्री शिव मंगल को आवंटित है जिसका कब्जा आवंटी के पास है, भवन संख्या-1/67.

श्री गोपाल दीक्षित पुत्र स्व0 श्री बृजेश कुमार को आवंटित है। परन्तु आवंटी द्वारा कब्जा संबंधी औपचारिकतायें पूर्ण न किए जाने पर परिषद् द्वारा कब्जा नहीं दिया गया है। उक्त भवन का कब्जा परिषद् के पास है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बागपत में 33 के0 वी0 सब-स्टेशन पर लगे 5 एम0 बी0 ए0 के दो ट्रांसफार्मर पर उनकी क्षमता से अधिक लोड होने के कारण एक 5 एम0 बी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर और लगाये जाने की मांग

*12-श्री रूप चौधरी-

क्या उर्जा मंत्री को जानकारी है कि तहसील खेकड़ा, जिला बागपत में 33 के0 वी0 सब स्टेशन पर लगे 5 एम0 बी0 ए0 के दो ट्रांसफार्मर पर उनकी क्षमता से लगभग क्रमशः 110 एम्पीयर तथा 155 एम्पीयर अधिक लोड चल रहा है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गत वर्ष से उक्त सब स्टेशन के लिये एक 5 एम0 बी0 ए0 का ट्रांसफार्मर स्वीकृत पड़ा है? यदि हां, तो क्या उसे अब तक निर्गत नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त ट्रांसफार्मर कब तक उक्त सब स्टेशन पर लगाया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध भी सरकार कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

तहसील-खेकड़ा, जिला-बागपत में 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र पर 2×5 एम0 बी0 ए0 ट्रान्सफार्मर अतिभारित है।

गत वर्ष इस उपकेन्द्र पर 5 एम0 बी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर स्वीकृत नहीं हुआ था। वास्तविकता में वर्ष 1997-98 की कार्य सूची में इस उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 2×5 एम0 बी0 ए0 से 1×8 + 1×5 एम0 बी0 ए0 करने का प्रस्ताव सम्मिलित था।

वर्तमान में इस उपकेन्द्र पर कोई ट्रान्सफार्मर नहीं लगाया जा रहा है।

परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण इस उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि का कार्य कराये जाने की समय सीमा निधारित करना सम्भव नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

कोई भी अधिकारी क्षमता वृद्धि का कार्य न कराये जाने के लिये उत्तरदायी नहीं हैं।

जनपद गाजियाबाद के शहीद नगर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था

*13-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्ष 1998 में शहीद नगर जनपद गाजियाबाद में पिछले माह दूषित पानी के पीने से 64 लोगों की मृत्यु हो गयी है? यदि हां, तो सरकार ने ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं। शहीद नगर जनपद गाजियाबाद में लोगों की मृत्यु उच्च ज्वर, वृद्धावस्था तथा अल्प आयु के बच्चों एवं नवजात शिशुओं के होने वाली विभिन्न बीमारियों के फलस्वरूप हुई है।

प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं समय-समय पर जल की जांच करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जौनपुर में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था हेतु सरकार से ठोस कदम उठाये जाने की मांग

* 14-श्री अफजाल अहमद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जौनपुर में वर्तमान समय में पानी की घोर समस्या उत्पन्न हो गयी है? क्या सरकार पीने के लिये स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने हेतु कोई कारगर कदम उठायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रदेश सरकार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्ध है। जौनपुर नगर में 13 नलकूपों गोमती नदी के पानी को शोधित कर पाइप द्वारा एवं 294 हैण्डपम्पों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। एक नलकूप निमार्णाधीन है। 18 स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराकर चालू किया जा चुका है। जफराबाद नगर में 2 नलकूप एवं 36 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं जिनमें से 5 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब थे जिन्हें रिबोर कराकर ठीक करा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 6 पेयजल योजनाओं तथा 1080 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 49 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब थे जिनकी रिबोरिंग करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

*15-श्री बी0 आर0 वर्मा-

(दिनांक 3.7.98 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 द्वारा उत्तरित।)

जनपद हरदोई में गेहूं क्रय केन्द्रों का विवरण

*16-श्री धर्मज्ञ मिश्र-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998 में हरदोई में कितने गेहूं क्रय केन्द्र खोले गये हैं? विकास खण्ड माधौगंज, बिलग्राम, मल्लावां में कितने क्रय केन्द्र खोले गये? क्या खोले गये क्रय केन्द्रों पर किसानों का गेहूं रुपये 510/- की दर से खरीदा गया है? यदि हां, तो कितना? क्या यह सही है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी हरदोई द्वारा दिनांक 21 मई, 1998 को समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं जिलापूर्ति अधिकारी, तहसीलदार को आदेशित किया गया कि क्रय केन्द्रों का सघन निरीक्षण हेतु जांच दल लेकर चेकिंग की जाय? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, हरदोई के आदेशों के बावजूद भी क्रय केन्द्र अधिकारियों द्वारा कृषकों का गेहूं न लेकर व्यापारियों का गेहूं लिया गया है? क्या शासन उन कृषकों की सूची प्रकाशित करायेगा जिनके नाम से विचौलियों द्वारा फर्जी भुगतान दिखाया गया? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री ऐजाज रिज़वी)-

गेंहू खरीद वर्ष 1998-99 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत जनपद हरदोई में गेहूं खरीद हेतु खाद्य विभाग की हाट शाखा द्वारा 20, पी0सी0एफ0 द्वारा 85, उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा 18, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 4, यू0 पी0 स्टेट एग्रो द्वारा 12, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा 10, क्रय केन्द्र तथा बाद में केन्द्रीय भण्डारागार निगम द्वारा 4 एवं राज्य भण्डारागार निगम द्वारा। कुल 154 क्रय केन्द्र खोले गये।

विकास खण्ड माधोगंज में 6, बिलग्राम में 10 एवं मल्लावां में 6 कुल 22 क्रय केन्द्र खोले गये।

जी हां। क्रय केन्द्रों पर किसानों का गेहूं का मूल्य रु0 510-00 प्रति कुन्टल की दर से क्रय एजेन्सियों द्वारा भुगतान किया गया।

विकास खण्ड बिलग्राम में किसानों से 1551 टन, मल्लावां से 352 टन एवं माधोगंज में किसानों से 3059 टन तथा कमीशन एजेन्ट व्यापरियों से दिनांक 09 मई, 1998 तक 901 टन कुल 5863 मी0 टन गेहूं खरीदा गया।

जी हां। जिलाधिकारी द्वारा 22 मई, 1998 को समस्त उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, तहसीलदार जनपद हरदोई को क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया।

जी नहीं। यह सही नहीं है कि क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा कृषकों का गेहूं न लेकर व्यापारियों का गेहूं लिया गया। जनपद हरदोई में कुल 55445 टन गेहूं की खरीद हुई है जिसमें से सीधे किसानों से 42236 टन एवं कमीशन एजेन्ट्स के माध्यम से 13209 टन गेहूं खरीदा गया है।

क्रय केन्द्रों पर किसानों के नाम से बिचौलियों को फर्जी भुगतान नहीं दिलाया गया है। इस प्रकार की समस्त संभावनाओं को रोकने हेतु गेहूं खरीद केन्द्रों पर किसानों को बियरर चेक के स्थान पर आर्डर चेक निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा समस्त क्रय एजेन्सियों को आदेश दिये गये हैं।

जनपद गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित " वैशाली " कालोनी के कुछ मकानों के गिरकर ध्वस्त होने विषयक जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

*17-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि 1998 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित " वैशाली " कालोनी में कुछ मकान गिरकर ध्वस्त हुए हैं? यदि हां, तो ये मकान कब (किस वर्ष) बने थे? इनकी लाइफ कितनी थी? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि 1992 में "इन्दिरापुरम्" में भी एक मकान ध्वस्त हुआ था? यदि हां, तो उस प्रकरण में क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां,

दिनांक 5.4.1998 को " वैशाली " योजना के सेक्टर-2, ई-ब्लाक में स्थित 4 मंजिले एक कमरे वाले भवन संख्या-49 ए(प्रथम तल), 49 बी (द्वितीय तल), 49 सी(तृतीय तल) आंशिक रूप से ध्वस्त हुए। यह मकान वर्ष 1989 में बनना प्रारम्भ होकर 1992 में पूर्ण हुए, इस प्रकार के भवनों की लाइफ सामान्यतः 60 वर्ष होती है।

प्रकरण पर जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा एक तकनीकी जांच केन्द्रीय सरकार की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारत की स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग रिसर्च सेन्टर, गाजियाबाद द्वारा करायी गई थी जिसके अनुसार निर्माण सामग्री एवं स्ट्रक्चर सन्तोषजनक पाया गया है। इसी प्रकरण पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने रुड़की विश्वविद्यालय, रूड़की के विशेषज्ञों से भी जांच कराई थी, उनके निष्कर्ष के अनुसार निर्माण सामग्री यथावश्यक गुणात्मक स्तर की थी तथा स्ट्रक्चर की स्थिति से विस्फोट का संकेत मिलता है।

दुर्घटना के उपरान्त 41 वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0 गाजियाबाद के बम डिस्पोजल स्क्वायड तथा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रान्च के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी

स्थल का मुआयना किया था। उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पायी गई, परन्तु गैस रिसाव व मकान बन्द होने के कारण विस्फोट से दीवार आदि ध्वस्त हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जी हां।

सम्बन्धित निर्माणकर्ता एवं वास्तुविद को "ब्लैक लिस्ट" किया गया तथा प्राधिकरण के सम्बन्धित सहायक अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ता को विभागीय कार्यवाही कर दण्डित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स सोमानी आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड सोनिक उन्नाव द्वारा की गई बिजली की चोरी एवं राजस्व न जमा करने की शिकायत।

*18-श्री दीपक कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मेसर्स सोमानी आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड सोनिक, उन्नाव में तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के नेतृत्व में लखनऊ से आये जांच दल द्वारा दिनांक 19.8.97 को बिजली की चोरी पकड़ी गयी थी? क्या यह सही है कि उक्त जांच दल की रिपोर्ट पर इकाई के ऊपर 19 करोड़ 66 लाख से अधिक का राजस्व निर्धारित किया गया था? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त निर्धारित राजस्व कब जमा कराया गया? क्या उसमें कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं। दिनांक 19.8.97 को अधीक्षण अभियन्ता के नेतृत्व में मुख्य अभियन्ता, मध्यांचल से गये जांच दल द्वारा मे0 सोमानी आयरन एवं स्टील लि0, सोनिक, उन्नाव के 45 एम0वी0ए0 विद्युत भार के संयोजन की मीटरिंग प्रणाली में अनियमितता के सन्दर्भ में इकाई के ऊपर रु0- 19,66,37,868.59 का दण्डात्मक राजस्व निर्धारण किया गया है इकाई द्वारा उक्त दण्डात्मक राजस्व को जमा नहीं किया गया है और इसके विरुद्ध अपील की गई है, जो कि सक्षम अपीलीय समिति के विचाराधीन है। संयोजन 6.10.97 से विच्छेदित हैं अतः अन्य किसी दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में डा0 भीम राव अम्बेडकर उद्यान योजना गोमती नगर के निर्माण सम्बन्धी अनियमितताओं की जांच

*19-श्री सीताराम निषाद-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 भीमराव अम्बेडकर उद्यान योजना गोमतीनगर लखनऊ के निर्माण संबंधी अनियमितताओं की जांच के संबंध में सरकार ने कोई जांच कमेटी बनाकर विस्तृत जांच कराई है?

यदि हां, तो सरकार ने जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की है? क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां। प्रक्रिया एवं वित्तीय अनुशासन के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एवं प्रशासनिक अनियमितताओं एवं कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जांच आदेशित की गई थी।

नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की ड्राफ्ट आडिट रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई थी जिस पर शासन द्वारा आख्या नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक को उपलब्ध करा दी गई है। अन्तिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जा रही जांच की दो प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट माह जनवरी/फरवरी, 1998 में प्राप्त हो चुकी है। अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस प्रकरण में कार्यवाही की जा सकेगी।

अभी जांच पूरी न होने के कारण इसे सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एस0 के गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के नाम से दायर की गई याचिका

*20-कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एस0 के0 गर्ग बनाम उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् नाम से जनहित याचिका में गत 25 मई, 1998 को कोई अन्तरिम निर्णय दिया गया है? क्या यह सही है कि उसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किसी कार्यदल के गठन का भी निर्देश दिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यदल गठित हुआ है? यदि हां, तो उसके द्वारा क्या कार्य किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित संदर्भित आदेश के अनुपालन में कार्यदल (टास्क फोर्स) की प्रथम बैठक दिनांक 16.7.98 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निर्धारित है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मथुरा के विवाद संख्या 66/94 अभिनिर्णय दिनांक 9.12.96 के संबंध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक सी0एम0/वि0को0 एम 3/7909 मथुरा/98 दिनांक 21.2.98 प्रमुख सचिव श्रम को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

1-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हर स्वरूप सिंह सुपुत्र श्री बीरी सिंह, निवासी माधुरी कुण्ड, पो0-अर्डीग, जनपद मथुरा के विवाद संख्या 66/94 के अभिनिर्णय दिनांक 9.12.96 के अनुपालन के संबंध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक सी0 एम0/वि0 को0-एम-3/7909/मथुरा/98, दिनांक 21-2-98 प्रमुख सचिव, श्रम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां। अभिनिर्णय संख्या 66/94 को प्रतिपालित कराने हेतु अपर श्रम आयुक्त आगरा क्षेत्र, आगरा को निर्देशित किया गया है तथा उनके द्वारा एवार्ड को प्रतिपालित कराने की कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 21.2.98 का पत्र भी प्राप्त होने पर श्रमायुक्त को आवश्यक कार्यवाही करके आख्या हेतु लिखा जा चुका है। आख्या प्रतीक्षित है।

राजधानी लखनऊ के जल संस्थान में दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने में आरक्षण के नियमों का पालन किये जाने की जानकारी

2-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 19 अगस्त, 1996 को लखनऊ जल संस्थान, लखनऊ में एक सौ अस्सी (180) पद पम्प चालक के शासन द्वारा सृजित किये गये थे ? क्या सरकार बतायेगी कि दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त पदों में आरक्षण से वंचित 33 पिछड़ी जाति के कर्मचारियों को अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय दिनांक 27.10.97 एवं पत्रांक 1316/शिकायत-97/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/97, दिनांक 3.11.97 सचिव, नगर विकास उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां।

मा0 अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र पर कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय लखनऊ में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को साइकिल भत्ता दिये जाने के स्थान पर मोटर साइकिल भत्ता दिये जाने की मांग

3-श्री अकबर हुसैन-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय, लखनऊ में कार्यरत अवर अभियन्ताओं (विद्युत) को मोटर साइकिल भत्ते के स्थान पर साइकिल भत्ता दिया जाता है जबकि उनके द्वारा सम्पूर्ण जिले में दौरा करके निरीक्षण संबंधी कार्य को अंजाम दिया जाता है? यदि हां, तो उक्त अवर अभियन्ताओं को साइकिल भत्ता दिये जाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार उन्हें मोटर साइकिल भत्ता स्वीकार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां-

वर्तमान में विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अवर अभियन्ताओं को साइकिल भत्ता ही अनुमन्य है।

प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मचारियों के भत्तों के सम्बन्ध में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों पर उ0प्र0 शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुतियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर रोड योजना सेक्टर बी0 लखनऊ में बनी दुकानों को हटाकर आवासीय व्यवस्था करने की मांग

4-श्री अजय कुमार पोइया-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के दूसरे मंगल के ता0 प्रश्न सं0 18 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यवसायिक केन्द्र की प्रत्येक दुकान में क्या-क्या व्यवसाय किया जा रहा है? क्या व्यवसायिक केन्द्र की 178 में से 61 दुकानें अभी अनिस्तारित पड़ी हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या कानपुर रोड पर आबादी का दबाव सेक्टर बी से आगे के सेक्टरों में बढ़ता जा रहा है, जहां पर व्यवसायिक स्थल है? क्या सरकार इस स्थिति को देखते हुए आवंटियों के हितों एवं प्राधिकरण को आर्थिक हानि से बचाने हेतु वर्तमान व्यवसायिक केन्द्र की अवशेष पड़ी भूमि का भू-उपयोग बदलकर आवासीय

करने पर पुनः विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

कानपुर रोड योजना सेक्टर "बी" लखनऊ में एक व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण कराया गया है। जिन दुकानों में व्यवसाय हो रहा है उनमें आवंटियों द्वारा दुकान सं0-131, 136, 135 में मीट शाप, दुकान संख्या-122,67,03, 162,151 में परचून शाप, 06 में जनरल मरचेन्ट, 150 में आफिस (ट्रान्सपोर्ट) 94 में मिठाई, 82 में चप्पल जूते की दुकान, 72 में मछली शाप, 126 में डाक्टर की दुकान, 36 में अण्डे, 109 में पेन्टिग, 20 में खराद, 25 में सब्जी, 111 में बर्फ का व्यवसाय किया जा रहा है।

जी हां। 178 में से 61 दुकाने अभी अनिस्तारित पड़ी हैं। सम्पत्ति का निस्तारण जनता की रुचि पर होता है। अतः निस्तारण न होने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है।

महायोजना के प्राविधानों तथा इस योजना में निर्धारित व्यवसायिक स्थलों को आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-5 के प्रयोगार्थ जगत जननी सहकारी आवास समिति लिमिटेड की खसरा सं0 459 ग्राम बरगवां परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की भूमि निष्प्रभावी होने के कारण जनहित में आवास हेतु देने की मांग

5-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-5 के प्रयोगार्थ जगत जननी सहकारी आवास समिति लि0 की खसरा सं0 459 ग्राम बरगवां, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ स्थित भूमि विज्ञप्ति दिनांक 8-7-87 द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी, जिसका अवार्ड घोषित न किये जाने के कारण भूमि अर्जन की कार्यवाही प्राविधानित नियमों के अनुसार स्वतः निष्प्रभावी हो गयी है? यदि हां, तो क्या भूमि का कब्जा समिति को वापस दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार समिति के सदस्यों की आवासीय परेशानी को देखते हुए जनहित में उक्त भूमि पर आवास बनाये जाने की अनुमति देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

अर्जन की धारा-4 व 6 की कार्यवाही हो चुकी है किन्तु अभिनिर्णय समय से घोषित न हो पाने के कारण अर्जन की कार्यवाही स्वतः निष्प्रभावी हो गयी फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकारण को कब्जा प्राप्त नहीं हो सका।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त न हो सकने के कारण समिति को भूमि वापस दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

समिति के अनुरोध पर समिति के कुल 20 सदस्यों को प्राधिकरण द्वारा अन्यत्र भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं तथा प्रश्नगत भूमि अर्जन हेतु पुनः प्रस्तावित होने के कारण इस पर आवास बनाये जाने की अनुमति दिया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

खसरा नं0 459 ग्राम बरगंवा, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की विवादित भूमि

6-श्री अजय कुमार पोंइया-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-5 के लिये खसरा नं0 459 ग्राम बरगंवा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ स्थित भूमि विज्ञप्ति दिनांक 8-7-87 द्वारा अर्जित किये जाने के बाद एल्डिको को व्यवसायिक भवन का निर्माण कराने हेतु कब्जा देने तथा उक्त योजना के लिये अन्य खसरा नम्बरों की अर्जित भूमि के समान प्रतिकर का भुगतान किये जाने के संबंध में सचिव, जगत जननी सहकारी आवास समिति लि0 का प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-5-96 अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या आदेश पारित किये गये थे तथा उन आदेशों के अनुपालन में, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) के कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति

7-श्री राम नक्षत्र तथा श्री लाल मणि प्रसाद-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) में कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी किस तिथि से तदर्थ/स्थानापन्न रूप से नियुक्त/प्रोन्नत किये गये हैं? इनकी संवर्गवार संख्या क्या है? क्या प्रोन्नत कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 के लागू होने के उपरान्त से अभी तक किसी कर्मचारी का विनियमितीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)-(डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय)-

भर्ती वर्ष 1998-99 में कोई तदर्थ पदोन्नति नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ प्रोन्नतियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1988 के अन्तर्गत अर्ह और उपयुक्त निर्विवाद प्रकरण में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 1 जनवरी, 1985 के बाद की गई तदर्थ प्रोन्नतियां इस नियमावली की परिधि में नहीं है।

मा0 उच्च न्यायालय में लम्बे समय से लम्बित वाद के निस्तारण हेतु न्याय विभाग से विशेष कौन्सिल नियुक्त करने की मांग

8-श्री राम नक्षत्र तथा श्री लाल मणि प्रसाद-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8-10 वर्षों से अधिक समय से कितने वाद मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित हैं? क्या विभाग द्वारा मामले के निस्तारण हेतु स्पेशल स्टैन्डिंग कौंसिल नियुक्त करने के लिये न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

57 (सत्तावन)

पैरवी शासन के न्याय विभाग के निर्देशानुसार यथास्थिति स्थायी अधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता द्वारा की जाती है।

कतिपय मामलों में दिनांक 16-6-1998 को अपर महाधिवक्ता को विशेष कौंसिल नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव न्याय विभाग को भेजा गया था। न्याय विभाग द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्पेशन कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत आवंटित धन के व्यय न किये जाने के कारणों की जानकारी

9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूरे वर्ष के जिला योजना के निर्माण में शासन की नीति क्या है? क्या यह सही है कि एस0सी0पी0 (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) हेतु कुल आवंटन का 21 प्रतिशत से अधिक धन कई वर्षों से रखा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह व्यवस्था के विपरीत कार्य हो रहा है?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

जिला योजना निर्माण हेतु जिलों को वस्तुपरक मानक के आधार पर प्रतिवर्ष परिव्यय का आवंटन किया जाता है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पूर्वताओं के अधीन जिला स्तर पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिये परिव्यय प्रस्तावित किया जाता है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु राज्य स्तर पर कुल आयोजनागत परिव्यय का अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में मात्राकरण की व्यवस्था की गयी है। यह मात्राकरण कार्यक्रम विशेष में अनुसूचित जाति की जनसंख्या को प्राप्त होने वाले लाभ पर निर्भर करता है।

प्रश्न ही नही उठता।

जनपद बाराबंकी वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्रामों की सड़क निर्माण कार्य की जानकारी

10-श्री राम देव आचार्य-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 में जनपद बाराबंकी में स्वीकृत अम्बेडकर ग्रामों के सड़क निर्माण का लक्ष्य पूरा हो गया है? क्या सड़क निर्माण में कोई अनियमितता बरतने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन मंत्री (श्री राधेश्याम कोरी)-

वर्ष 1995-96 में जनपद बाराबंकी में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 125 अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये थे तथा 115 अम्बेडकर ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष अब तक 78 अम्बेडकर ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जा चुका है। सीमित संसाधनों के कारण अवशेष अम्बेडकर ग्राम जोड़े नहीं जा सके हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर में नगर पंचायत (टाउन एरिया) खीरी तथा ओयल की बैठकों में क्षेत्रीय सांसद व विधायकों को बुलाये जाने हेतु निर्देश

11-डा0 कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत (टाउन एरिया) खीरी जनपद लखीमपुर व नगर पंचायत (टाउन एरिया) ओयल, जनपद लखीमपुर की बैठकों में क्षेत्रीय सांसद व विधायकों को बुलाया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

मा0 सांसदों/विधायकों को नगर पंचायतों की बैठकों में बुलाने हेतु शासनादेश संख्या-113 सी0एम0/9-1-98-9ई/97टी0सी0, दिनांक 30 मई, 1998 द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिये जा चुके हैं।

जनपद लखीमपुर के नाले-नालियों की सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की मांग

12-डा0 कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर मुख्यालय शहर के नाले-नालियों की सफाई की कोई व्यवस्था की जा रही है ? क्या गत वर्षों से नालों की सफाई न होने की वजह से शहर के अन्दर पांच फिट ऊंचा पानी भर गया था ? जिससे पूरे शहर में करोड़ों रुपये का सामान भीग कर बरबाद हो गया ? क्या इस समस्या के निस्तारण के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

लखीमपुर में नाले-नालियों की सफाई का कार्य नगर पालिका परिषद् अपने संसाधनों से करा रही हैं ।

प्राप्त सूचनानुसार पालिका द्वारा गत वर्ष भी नालों की सफाई करायी गयी थी, किन्तु एक रात्रि में अचानक अतिवृष्टि के कारण शहर के निचले क्षेत्रों में जलभराव के कारण नुकसान हुआ था ।

इस समस्या के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की मलिन बस्तियों में निर्मित खड़न्जों पर जिला नगरीय विकास अभिकरण, द्वारा पत्थर के शिलापट का लगाया जाना

13-श्री चेतराम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर शाहजहांपुर में वर्ष 1997-98 में मलिन बस्तियों में निर्मित खड़न्जों पर जिला नगरीय विकास अभिकरण, शाहजहांपुर द्वारा पत्थर के शिला पट लगाये गये ? यदि हां, तो उक्त शिलापटों पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या मलिन बस्तियों में निर्मित खड़न्जों पर पत्थर के शिलापट लगाये जाने का प्राविधान विभाग में है ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थल विशेष की महत्ता को देखते हुए पत्थर के शिलापट लगाये जाते हैं ।

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड, सोहावल के गांव दौलतपुर में विद्युत् आपूर्ति के लिये सही ढंग से वायरिंग कराने की व्यवस्था

14-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित विकास खण्ड सोहावल के गांव दौलतपुर में बिजली के तार की लाइन में केवल एक तार लोहे का है ? क्या यह सही है कि जितने तार खींचने चाहिए उतने तार न होने से हमेशा खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण तारों को कब तक लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जनपद फैजबाद स्थित विकास खण्ड सोहावल के गांव दौलतपुर में विद्युत् आपूर्ति 1 फेस 2 वायर(एक कन्डक्टर एवं 1 जी0आई0 वायर) द्वारा की गयी है।

उपरोक्त ग्राम के लिये उक्त लाइन द्वारा किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है।

जी0आई0 वायर के स्थान पर कन्डक्टर लगाने के आदेश कर दिये गये हैं।

जनपद बलिया, नगर पंचायत बिल्थरा रोड, के नागरिक राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल व अन्य लोगों द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1998 को अतिक्रमण हटाने व गुमटियों को लगवाकर अपना स्वार्थ पूरा करने वालों के विरुद्ध जांच की मांग

15-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत बिल्थरा रोड, जिला बलिया के नागरिक राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल सहित अन्य कई लोगों द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1998 को अतिक्रमण हटाने और गुमटियों को लगवाकर अपना स्वार्थ पूरा करने वालों के विरुद्ध जांच की मांग, शासन से किया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

प्रकरण में जिलाधिकारी बलिया से जांच करायी जा रही है।

जिला बलिया नगर पंचायत बिल्थरा रोड के चेयर मैन द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताएं

16-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत बिल्थरा रोड जिला बलिया के चेयरमैन द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितता और पद के दुरुपयोग की जांच और कार्यवाही करने हेतु नगर पंचायत के बारह सभासदों ने वर्ष 1997 और 1998 में अनेकों शिकायती-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

प्रकरण में जिलाधिकारी बलिया से जांच कराई जा रही है।

17-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

(6 ठे मंगलवार में अता0प्र0सं0, 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद शाहजहांपुर में शासन द्वारा निर्धारित नीति के तहत जिला नगरीय अभिकरण द्वारा सामुदायिक विकास समितियों का गठन

18-श्री चेतराम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर शाहजहांपुर में वर्ष 1997-98 में शासन द्वारा निर्धारित नीति के तहत जिला नगरीय अभिकरण शाहजहांपुर द्वारा कितनी एवं कहां-कहां सामुदायिक विकास समितियों का गठन किया गया ? क्या गठित समिति द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों पर ही निर्माण कार्य कराये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार शासन स्तर से समस्त विकास कार्यों की भौतिक जांच जनहित में कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लाल जी टण्डन-

वर्ष 1997-98 में नगर शाहजहांपुर में निम्न 12 सामुदायिक विकास समितियों (सी0डी0एस0) का गठन किया गया :-

1-बाडूजई प्रथम	7-लोधीपुरा
2-महमद जलालनगर	8-बंगश
3-भारद्वाजी	9-फत्तेपुर
4-सराय कइयां	10-अर्जीजगंज
5-ककरा	11-एमनजई
6-बिजलीपुरा	12-दिलाजाक

जी हाँ।

कराये गये समस्त विकास कार्यों का सत्यापन सम्बन्धित परियोजना अधिकारी द्वारा एवं तकनीकी गुणवत्ता का सत्यापन सहायक अभियन्ता, नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा मलिन बस्तियों में वर्ष 1997-98 में कराये गये कार्यों की जानकारी

19-श्री चेतराम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर शाहजहांपुर अन्तर्गत किन-किन मलिन बस्तियों में जिला नगरीय विकास अभिकरण शाहजहांपुर द्वारा कौन-कौन से कार्य वर्ष 1997-98 में कराये गये? क्या यह सच है कि नगर में जो मलिन बस्ती नहीं है वहां भी कुछ कार्य कराकर अनियमितता की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में समस्त कार्यों की भौतिक जांच शासन स्तर से कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

मलिन बस्तियों तथा उनमें कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 211 पर)

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित संजय प्लेस व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत सीवर, पानी, सड़क, पार्किंग व बिजली आदि कार्यों की जानकारी

20-श्री किशन लाल बघेल-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित संजय प्लेस व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत सीवर, पानी, सड़क, पार्किंग व बिजली आदि विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं? क्या सरकार अवशेष कार्यों का विवरण बतायेगी? क्या अवशेष कार्यों को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

संजय प्लेस व्यवसायिक योजना तीन चरणों में विकसित की गई है। प्रथम चरण के अन्तर्गत सीवर, पानी, सड़क, पार्किंग व बिजली आदि का विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। द्वितीय एवं तृतीय चरण में बिजली के कार्य पूर्ण कर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं, तथा मुख्य सड़कों एवं मुख्य पार्किंग स्थलों का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। विकास कार्य उन स्थानों पर पूर्ण नहीं है जहां ब्लाकों का निर्माण चल रहा है। अवशेष सड़क, सीवर, पार्किंग एवं पानी के कार्य समयबद्ध तरीके से कराया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु 2 वर्ष का समय लगेगा।

21-सेठ किशन लाल बघेल-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

नगर निगम लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रोन्नति एवं आरक्षण कोटा

22-श्री रामाधार सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर निगम, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति करने का शासनादेश लागू है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उप नगर अधिकारी (अधि0) नगर निगम लखनऊ ने अपने पत्र सं0 581/एच0ओ0,यू0एन0ए0 (ई0), दिनांक 24-10-94 के द्वारा द्वितीय श्रेणी लिपिक के पदों की पूर्ति हेतु निगम में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों से आवेदन-पत्र मांगे थे? यदि हां, तो उक्त वर्ग के किन कर्मचारियों द्वारा आवेदन-पत्र दिया गया है? क्या आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति का आरक्षण पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? आरक्षण कोटा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जी हाँ।

आवेदन-पत्र संख्या-581/एच0ओ0/यू0एन0ए0 (ई0), दिनांक 24-10-96 द्वारा मांगे गये थे।

आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों द्वारा आवेदन-पत्र दिया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी नगर क्षेत्रों में सड़कों पर सुरक्षित केबिल लाइन बिछाये जाने के दीर्घ-कालीन व्यवस्था किये जाने विषयक दूर संचार एवं सड़क निर्माण विशेषज्ञों की कमेटी गठित किये जाने की मांग

23-श्री कृष्ण चन्द्र पुमेठा-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के सभी नगर क्षेत्रों में केबिल लाइन बिछाने के नाम पर बार-बार पक्की सड़कों की खुदाई की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु सुरक्षित केबिल लाइन बिछाये जाने की दीर्घकालीन व्यवस्था हेतु दूर संचार एवं सड़क निर्माण विशेषज्ञों की कोई कमेटी गठित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन

जी हाँ।

जी नहीं।

अलग-अलग नगरों में दूर संचार का विस्तारीकरण कार्यक्रम भिन्न-भिन्न होने के कारण कोई एक कमेटी गठित करने से समाधान नहीं होगा। स्थानीय निकाय अपने स्तर पर यह समन्वय कर सकते हैं कि यथासम्भव केवल कच्ची पटरी ही काटकर केबिल बिछाये जायें।

जिला अम्बेडकर नगर, जहाँगीरगंज के तेदुयाई कला में निर्मित विद्युत सब-स्टेशन चालू किये जाने की मांग

24-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज जि0 अम्बेडकर नगर के तेदुयाई कला में निर्मित विद्युत सब-स्टेशन अब तक चालू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? इसे कब तक चालू किया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

विद्युत उपकेन्द्र पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इस उपकेन्द्र को वर्ष 1998-99 में चालू करने का लक्ष्य है।

जनपद अम्बेडकर नगर के बुनकर बाहुल्य बाजार हंसवर तथा भरौली ग्राम में जले हुए ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग

25-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर के बुनकर बाहुल्य बाजार हंसवर में दो महीने से जला हुआ ट्रान्सफार्मर एवं भरौली ग्राम में चार महीने से जला हुआ ट्रान्सफार्मर अब तक बदले न जाने का क्या कारण है? यह कब तक बदल दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

हंसवर बाजार में जला परिवर्तक को दिनांक 14-7-98 को बदल दिया गया है तथा ग्राम भरौली का जला हुआ परिवर्तक दिनांक 8-7-98 को बदल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बलिया नगर पंचायत बिल्थरा रोड को सरकार द्वारा विभिन्न मदों में स्वीकृत धन की जानकारी तथा अध्यक्ष नगर पंचायत द्वारा फर्जी भुगतान कर शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने की जांच कराये जाने की मांग

26-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996-97 और 1997-98 में नगर पंचायत बिल्थरा रोड, जिला-बलिया को कितना-कितना धन विभिन्न मदों में स्वीकृत किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि को अध्यक्ष नगर पंचायत द्वारा फर्जी भुगतान कर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कराये गये कार्यों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

वित्तीय वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में नगर पंचायत बिल्थरा रोड, जिला-बलिया को निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत की गयी :-

मद का नाम	1996-97	1997-98
साधारण सड़क अनुदान	5,00,000	--
अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत	1,00,000	--
मार्ग प्रकाश/सफाई उपकरण	--	50,000
बकाया वेतन	4,62,239	2,44,580
10 हैंड पम्प हेतु	--	1,60,000
दशम् वित्त आयोग	92,520	92,520
राज्य वित्त आयोग	--	3,80,875
पथकर क्षतिपूर्ति अनुदान	1,49,040	1,49,040
जिला स्तर से (सूदा)	--	1,39,300

जी नहीं।

जांच कराई गयी जांच में अनियमितताओं की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच व बाराबंकी में वर्ष 1997-98 के विद्युतीकरण के लक्ष्य की जानकारी

27-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच व बाराबंकी में

कितने ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य वर्ष 1997-98 में रखा गया था ? कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा कितने शेष हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वर्ष 1997-98 में जनपद बहराइच में 113 ग्रामों तथा बाराबंकी में 220 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

वर्ष 1997-98 के अन्त तक जनपद बहराइच में 42 ग्रामों तथा बाराबंकी में 110 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 1997-98 के लक्ष्य के विरुद्ध जनपद बहराइच तथा बाराबंकी में क्रमशः 71 तथा 110 ग्रामों का विद्युतीकरण होना शेष है।

28-श्री हरदेव सिंह-

(7वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

जनपद आगरा में भोगीपुरा चौराहे पर अतिक्रमण हटाओं अभियान के अन्तर्गत 21 जनवरी, 1975 को 60 वर्ष तक लीज पर दी गयी नगर निगम की दुकानों के तक मालिकों को पुनः अन्य कहीं बसाये जाने की मांग

29-डा0 राम बाबू हरित-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में 9-1-97 को भोगीपुरा चौराहे पर 21 जनवरी, 1975 को 60 वर्ष तक लीज पर दी गयी नगर निगम की 7 दुकानें अतिक्रमण हटाओं अभियान के अन्तर्गत तोड़ी गयी है ? यदि हां, तो सरकार ने उजड़े (एक विकलांग) दुकानदारों को पुनः कहीं बसाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

भोगीपुरा चौराहे पर दिनांक 1-1-75 को 7 व्यक्तियों को भूमि, दुकानें बनाने हेतु 20 वर्ष के पट्टे पर दी गई थी। इस पट्टे में 20-20 वर्ष के दो नवीनीकरण का भी प्राविधान था। दिनांक 9-1-97 को सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0प्र0, आगरा के चिन्हांकन पर जिला प्रशासन ने उपरोक्त दुकानों को हटा दिया।

उक्त हटाये गये दुकानदारों में कोई विकलांग नहीं था। नगर निगम द्वारा उन्हें बसाया नहीं गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में वर्ष 1995-96 से अब तक नगर पंचायत बिल्थरा रोड के लिये विभिन्न मदों में स्वीकृत धन की जानकारी एवं दुरूपयोग किये जाने की जांच तथा कार्यवाही

30-श्री अफजाल अहमद-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1995-96 से अब तक बलिया जनपद के नगरपंचायत बिल्थरा रोड के लिये विभिन्न मदों में कितना कितना धन स्वीकृत

किया गया ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्गत धन का खुला दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी तकनीकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

वित्तीय वर्ष 1995-96 से अब तक नगर पंचायत विल्थरा रोड, बलिया को निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत की गई :-

मद का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
साधारण सड़क अनुदान	10,00,000	5,00,000	--	--
अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत	--	1,00,000	--	--
मार्ग प्रकाश/सफाई उपकरण	5,24,000	--	50,000	--
बकाया वेतन	1,83,865	4,62,239	2,44,580	--
10 हैण्ड पम्प हेतु	--	--	1,60,000	--
दशम् वित्त आयोग	--	92,520	92,520	--
राज्य वित्त आयोग	--	--	3,80,875	4,98,651 -(चार माह हेतु)
पथकर क्षतिपूर्ति अनुदान	1,49,040	1,49,040	1,49,040	--
जिला स्तर से (सूदा)	--	--	1,39,300	9,71,171

जी नहीं नगर पंचायत से नियमानुसार प्रस्ताव पारित कराकर, स्वीकृति प्राप्त कर निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराया गया।

कराये गये कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कराई गई जांच में अनियमितताओं की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद मथुरा के नगला दोजी मजरा दौलतपुर फरह में पेयजल एवं खड़ंजा लगाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक के पत्रांक सी0एम0बी0का0/एम-3/7376/मथुरा/98 दिनांक 22-1-98 सचिव नगर विकास को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

31-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के नगला दोजी मजरा दौलतपुर फरह में पेयजल एवं खंड़जा लगाये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0का0/एम-3/7376/मथुरा/98 दिनांक 22-1-98 सचिव, नगर विकास के यहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा प्रेषित पत्र 821/प्रतापगढ़/स्पे0 आडिट/97 दिनांक 6-7-97 पर प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

32-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद प्रतापगढ़ के स्थानीय निकायों के विशेष आडिट कराने के आदेश 17-5-95 के क्रम में निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा प्रेषित पत्र 8/21/प्रतापगढ़/स्पे0 आडिट/97 दिनांक 8-7-98 पर प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के वर्ष 95-96 के लेखों की विशेष संपरीक्षा कराए जाने के संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय का समसंख्यक पत्र दिनांक 8-7-97 प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के आधार पर नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के लेखाओं की विशेष संपरीक्षा कराने हेतु निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद को आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए हैं।

निदेशक, स्थानीय निकाय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 8-7-97 के अनुसार माननीय पूर्व विधायक श्री राजेश बहेलिया ने वर्ष 95-96 व 96-97 में नगरपालिका परिषद्, प्रतापगढ़ में विभिन्न मदों तथा प्रधानमंत्री गरीबी उन्मूलन योजना (पी0एम0वाई0) एवम् नेहरू रोजगार योजना (एन0 आर0 वाई0) की मद से कई लाख रुपये के दुरुपयोग की शिकायत करते हुए विशेष संपरीक्षा कराने का अनुरोध किया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सुल्तानपुर की तहसील सदर अम्बेडकर ब्लाक धनपतगंज ग्राम सभा पीपरगांव के मजरे औसान मिसिर, के विद्युतीकरण की मांग

33-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अम्बेडकर ग्राम सभा पीपरगांव के मजरे औसान मिसिर, ब्लाक धनपतगंज, तहसील सदर जिला सुल्तानपुर का विद्युतीकरण आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इस ग्राम का विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

प्रश्नगत ग्राम वर्तमान में विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं है । अतः इसके विद्युतीकरण की समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

राज्य योजना आयोग पी0पी0एम0 सेल में अनियमित प्रोन्नति का मामला

34-श्री राम नक्षत्र तथा श्री लाल मणि प्रसाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य योजना आयोग/पी0पी0एम0 सेल में समन्वय/संख्या सहायक/शोध अधिकारी/वरिष्ठ शोध अधिकारी/संयुक्त निदेशक के कुल कितने पद श्रेणीवार स्वीकृत हैं ? क्या इन पदों पर कार्यरत कुछ श्रेणी के कनिष्ठ लोगों की पदोन्नति नियम विरुद्ध श्रेष्ठ कार्मिक को छोड़ते हुये की गयी है ? यदि हां, तो किस पद पर ? कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति करने का क्या आधार है ? क्या श्रेष्ठ को छोड़कर कनिष्ठ को पदोन्नति करने वाले दोषी सहायक/अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

राज्य योजना आयोग में श्रेणी एक के -17 श्रेणी-दो के -36 तथा श्रेणी-तीन के-73 पद स्वीकृत हैं ।

वर्तमान भर्ती वर्ष में यथा इंगित पदों पर प्रोन्नति नहीं हुई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लि0 रसड़ा बलिया के श्रमिकों को दिनांक 16.2.98 को एक दिन का वेतन भुगतान तथा उक्त दिवस को लोक सभा का निर्वाचन के मतदान हेतु सार्वजनिक छुट्टी होने के कारण अतिरिक्त वेतन भुगतान किये जाने की मांग

35-श्री अम्बिका चौधरी-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 16-2-98 को लोक सभा सामान्य निर्वाचन के मतदान हेतु सार्वजनिक छुट्टी घोषित होने पर और अपर श्रमायुक्त

उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 17-3-98 व उप श्रमायुक्त, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 5-3-98 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बाद भी मुख्य अधिशासी, उ0 प्र0 स्टेट यार्न कम्पनी लि0 रसड़ा, बलिया द्वारा मिल श्रमिकों का दिनांक 16-2-98 को किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लि0 रसड़ा, बलिया के प्रबन्धकों द्वारा कारखाने के श्रमिकों से दिनांक 16-2-98 को कराये गये कार्य के वेतन का भुगतान श्रमिकों को कर दिया गया है परन्तु उक्त तिथि को लोकसभा का मतदान दिवस होने के कारण शासन द्वारा दिनांक 16-2-98 को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में श्रमिकों को अतिरिक्त वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

श्रमायुक्त के स्तर से भुगतान की कार्यवाही कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

36-श्री राजधारी-

(4 थें गुरूवार में अता0 प्र0 सं0 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मेरठ में नकली गैस सिलेण्डर बनाने का मामला तथा अवैध सिलेण्डर निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

37-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या सरकार को जानकारी है कि मेरठ में नकली गैस सिलेन्डर बनाने का कार्य लगभग 130 निर्माताओं द्वारा किया जा रहा है? क्या केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट आफ एक्सप्लोसिव नागपुर ने मेरठ प्रशासन को लिखकर इस अवैधानिक कार्य को रोकने और अवैध सिलेन्डर निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया था? यदि हां, तो प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ऐजाज रिज़वी-

डिपार्टमेन्ट ऑफ एक्सप्लोसिव के संयुक्त विस्फोटक निदेशक, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के आधार पर जनपद में 5 अवैध गैस निर्माताओं के विरुद्ध छापे की कार्यवाही की गई जिसमें 2 निर्माताओं के यहां अनियमितता पाये जाने पर उनके मालिक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, 3 निर्माताओं की फैक्ट्रियां डेढ़ वर्ष से बन्द पाई गई।

श्रम विभाग के अन्तर्गत पत्र संख्या 342/वी0 आई0 पी0/97/7-5-97 श्रमायुक्त, कानपुर, सी0 एम0/नि0 को0/एम0 3/8032/ एटा/98/9-3-98 प्रमुख सचिव श्रम द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

38-श्री राम सिंह सैनी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि पत्र सं0 342/वी0 आई0 पी0/97/7-5-97 श्रमायुक्त, कानपुर, सी0 एम0/नि0 को0/एम-3/8032/एटा/98/9-398 प्रमुख सचिव, श्रम को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित प्रथम पत्र पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय भवन, बाराबंकी को खाली कराने हेतु अन्यत्र भवन तलाश किया जा रहा है और द्वितीय पत्र पर जांच करायी जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ व जिला चम्पावत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्यों, अनुदेशकों, लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने का मामला

39-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ एवं नव सृजित जिला चम्पावत में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) हैं ? इनमें कितने पद प्रधानाचार्यों, अनुदेशकों, लिपिकों एवं चुतर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों पर आठ-दस सालों से विभिन्न ट्रेडों में दैनिक वेतन में कार्यरत अनुदेशकों को नियमित करने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो ये नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

पिथौरागढ़ एवं नवसृजित जिला चम्पावत् में कुल आठ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, इन संस्थानों में 6 पद प्रधानाचार्यों, 13 अनुदेशकों, 4 लिपिकों एवं 3 पद चतुर्थ श्रेणी के रिक्त हैं।

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन से प्राप्त प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

जनपद लखनऊ के मुंशी पुलिया इन्दिरा नगर में स्थित प्रयाग मार्केट की दुकान संख्या 17 के पीछे आवास विकास परिषद् की भूमि पर पुराने गुमटी दुकानदारों को आवंटन हेतु प्राथमिकता, दिये जाने की मांग

40-श्री गंगा प्रसाद पुष्कर-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुंशी पुलिया, इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित प्रयाग मार्केट की दुकान संख्या 17 के पीछे स्थित आवास विकास परिषद् की भूमि पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त भूमि का आवंटन किसी आवंटी को किया गया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि का आवंटन किस पद्धति से, कब, किस दर पर तथा किस अधिकारी द्वारा किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि आवंटन की प्रक्रिया में उन लोगों के प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया है, जो वहां के पुराने गुमटी दुकानदार है परन्तु उनकी कोई पक्की दुकान नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? उन्हें प्राथमिकता न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

जी हां।

प्रथम चरण में 35.51 वर्गमीटर भूमि का आवंटन अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति दिनांक 29-5-95 के आधार पर उप-आवास आयुक्त के आदेश दिनांक 6-6-95 के द्वारा तत्काल व्यवसायिक दर रु0 2340/- प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया है तथा द्वितीय चरण में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3 के संस्तुति दिनांक 23-11-96 के आधार पर उप-आवास आयुक्त के आदेश दिनांक 19-12-96 द्वारा तत्काल व्यवसायिक भूमि दर रु0 3300/- प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया है, जिसे कालांतर में ले-आउट प्लान में दर्शित सड़क की भूमि होने के कारण उप-आवास आयुक्त के आदेश दिनांक 8-5-97 द्वारा निरस्त किया गया है।

जी हां।

परिषद् की योजना में अतिरिक्त भूमि का आवंटन उन आवंटी के पक्ष में किया जाता है जिनके पक्ष में पहले से ही प्रदिष्ट सम्पत्ति के साथ लगी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध रहती है तथा ऐसे आवंटी का प्रथम अधिकार होता है तथा अन्य लोगों को अतिरिक्त भूमि के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है।

परिषद् की योजनाओं में अतिरिक्त भूमि को पाने का प्रथम अधिकार आवंटी का होता है ऐसी दशा में अन्य व्यक्तियों को अतिरिक्त भूमि आवंटन किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जौनपुर के मडियाहूं विधान सभा क्षेत्र में अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों की संतृप्तीकरण

41-श्री बी0 आर0 वर्मा-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने ग्राम अब तक अम्बेडकर गांव के रूप में चयनित किये गये हैं? इनमें से कितने गांवों को अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजनाओं से संतृप्त कर दिया गया है? शेष को कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा? शेष गांवों की कार्य प्रगति क्या है? क्या इन्हें संतृप्त करने हेतु शासन ने धन उपलब्ध कराया है? यदि हां, तो कब और कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राधेश्याम कोरी-

मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत वर्ष 1997-98 तक 35 ग्राम अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अर्न्तगत अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं।

मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 1997-98 तक चयनित 35 अम्बेडकर ग्रामों के संतृप्तीकरण तथा शेष अम्बेडकर ग्रामों की अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में सम्मिलित/चिन्हित प्रमुख 11 कार्यक्रमों की स्थिति सलंग्नक में दर्शायी गयी है।

(देखिये नथी 'घ' आगे पृष्ठ 214 पर)

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत उसमें सम्मिलित किसी भी कार्यक्रम को अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग द्वारा पृथक से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, अपितु कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय आय-व्ययक में संसाधन की उपलब्धता के अनुसार अम्बेडकर ग्रामों में कार्य कराया जाता है।

जनपद लखीमपुर खीरी में अनुपयोगी बोरों की नीलामी की स्वीकृति

42-श्री हरवंश कपूर-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि लखीमपुर खीरी जनपद में अनुपयोगी घोषित बोरों (अन सर्विसेबिल गनी बैग्स) की उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा दिनांक 18-6-1996 को की गई नीलामी की स्वीकृति लगभग डेढ़ वर्ष बाद अर्थात् दिनांक 1-12-1997 को दी गई थी? क्या यह सही है कि विलम्ब से स्वीकृति दिये जाने के कारण नीलाम किये बोरे सड़ गये? यदि हां, तो विलम्ब से स्वीकृति दिये जाने के क्या कारण थे? क्या सरकार उक्त प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये क्रेतागणों जिनके द्वारा धरोहर धनराशि भी कोष में जमा कर दी गई थी, को कोई राहत दिलवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ऐजाज रिज़वी-

जी हां। लखीमपुर खीरी जनपद में अनुपयोगी बोरों की नीलामी उप-सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा दिनांक 18-6-96 को की गई थी, जिसकी स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 1-12-1997 को दी गई।

जी नहीं। दिनांक 18-6-1996 को जिन निष्प्रयोज्य बोरों की नीलामी की गयी थी वे पूर्व से ही निष्प्रयोज्य थे और दिनांक 18-6-96 से अब तक उन निष्प्रयोज्य बोरों की दशा में मात्र स्वाभाविक रूप से ह्रास हुआ है।

स्वीकृति की कार्यवाही में जनपद स्तर से रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को भेजी गयी। तदुपरान्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय द्वारा खाद्य आयुक्त कार्यालय को आख्या भेजी गयी। वहां से परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव प्राप्त हुआ तथा सम्यक परीक्षण के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी। स्वीकृति में जो समय लगा है, वह स्वीकृति की प्रशासनिक प्रक्रिया के अन्तर्गत लगा है।

प्रकरण के निस्तारण में जो समय लगा है वह स्वाभाविक प्रक्रिया के अन्तर्गत लगा है। इसलिये इसमें कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। क्रेतागणों द्वारा जो धरोहर धनराशि कोष में जमा कर दी गयी उसके संबंध में उन्हें राहत दिये जाने हेतु शासन विचार कर रहा है।

जनपद जालौन में नगर पालिका परिषद्, जालौन क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति

43-श्री श्रीराम पाल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में नगर पालिका परिषद्, जालौन क्षेत्र में विद्युत संकट को दूर करने हेतु 8 एम0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो क्या ट्रांसफार्मर विद्युत आपूर्ति हेतु लगवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस उपकेन्द्र की वर्तमान क्षमता 1×5 एम0वी0ए0 है जिसकी क्षमता वृद्धि 5+3= 8 एम0 वी0 ए0 किये जाने हेतु वर्ष 1997-98 में प्रस्ताव था लेकिन परिषद् की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण यह कार्य नहीं कराया जा सका। यह कार्य वर्ष 1998-99 की कार्य योजना में पुनः शामिल किया गया है।

जनपद लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ला माडल मांटेसरी स्कूल, लखनऊ की अध्यापिकाओं की प्रोन्नति का मामला एवं शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान देने की मांग

44- श्रीमती माया प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कश्मीरी मोहल्ला गर्ल्स इण्टर कालेज एवं कश्मीरी मोहल्ला माडल माण्टेसरी स्कूल, लखनऊ दोनों वर्ष 1981 से पूर्व एक संस्था के रूप में चलाये जाते थे जिससे कश्मीरी मोहल्ला माडल माण्टेसरी की अध्यापिकाओं की प्रोन्नति जूनियर विभाग में होती थी? क्या यह सही है कि सन् 1981 के पश्चात् इस स्कूल को दो संस्थाओं के रूप में चलाया जा रहा है, जिसके कारण कश्मीरी मोहल्ला माडल मांटेसरी स्कूल, लखनऊ की अध्यापिकाओं की प्रोन्नतियां रोक दी गई हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।
जी नहीं।
जी हां।
प्रश्न नहीं उठता।

45- श्रीमती माया प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कश्मीरी मोहल्ला मांडल माण्टेसरी स्कूल, लखनऊ नगर निगम के अधीन संचालित है? क्या इस संस्था की अध्यापिकाओं को वेतन प्राइमरी स्कूल के स्वीकृत वेतनमानों से भिन्न दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? उक्त संस्थाओं की अध्यापिकाओं को शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

जी हां।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा संचालित काश्मीरी मोहल्ला माडल माण्टेसरी स्कूल की अध्यापिकाओं को समता समिति, 1989 की रिपोर्ट के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल के वेतनमान नगर निगम के विद्यालयों में लागू नहीं है। नगर निगम में अपने अलग वेतनमान लागू हैं जो कि प्राइमरी स्कूल की अध्यापिकाओं को दिये जा रहें हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर नगर पालिका परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच

46- श्री अम्बिका चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि क्या मिर्जापुर नगरपालिका परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच हो रही है? यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं? जांच कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री लाल जी टण्डन-

अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच हेतु जिलाधिकारी, मिर्जापुर को निर्देशित किया गया है।

जिलाधिकारी, मिर्जापुर से अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

जिलाधिकारी, मिर्जापुर को शीघ्र जांच पूर्ण कराकर जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में उमरासू से धिण्डवाड़ा 10 कि0मी0 मोटर मार्ग की सड़क निर्माण हेतु धन आंवटित कर निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने की मांग

47- श्री भारत सिंह रावत-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में उमरासू से धिण्डवाड़ा 10 कि0मी0 मोटर मार्ग की स्वीकृति शासन द्वारा विगत पांच वर्षों में दो बार प्रदान की गयी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृति के उपरान्त धन आवंटित न किये जाने पर स्वीकृतियां स्वयं समाप्त हो गयी हैं? क्या यह सही है कि उक्त सड़क की स्वीकृति के उपरान्त कई सड़कों का निर्माण कार्य भी आरम्भ हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क के लिए धन आवंटित करेगी और निर्माण कार्य आरम्भ कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तराचंल विकास मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल निशंक)-

सूचना एकत्र की जा रही है।

48- श्री श्याम किशोर यादव-

(दिनांक 10.7.98 को अता0 प्र0 सं- 107 द्वारा उत्तरित)

मेसर्स महाराष्ट्र स्टील लि0 गाजियाबाद द्वारा विद्युत चोरी प्रकरण की जांचोपरांत दोषी पाये गये अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता तथा अभियन्ताओं को दण्डात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप संवेदनशील पदों से हटाये जाने की जानकारी

49- कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स महाराष्ट्र स्टील लि0 गाजियाबाद द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरण में कोई जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से अधिकारी/अवर अभियन्ता दोषी पाये गये थे ? क्या इन अधिकारियों को दण्डात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप इन्हें संवेदनशील पदों पर न तैनाती का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उन्हें किस तिथि से संवेदनशील पदों से हटाया गया है और उनकी वर्तमान में कहां तैनाती है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

द्वि सदस्यीय जांच समिति की आख्या तथा तदन्तर मामले की समीक्षा के आधार पर सर्वश्री हरी सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, राजेन्द्र कुमार, कृपाल सिंह, वी0पी0 रस्तोगी, एस0 एस0 शर्मा, जे0 पी0 शर्मा, के0 पी0 शर्मा, आर0 के0 तायल, अधिशासी अभियन्ता, वेद प्रकाश शर्मा, एस0 के0 जैन, एस0 के0 पाठक, वीरेन्द्र सिंह, मुमताज हाशमी, सहायक अभियन्ता, आर0 पी0 गर्ग, डी0 एल0 कालरा एवं एस0 पी0 सिंह, अवर अभियन्ता दोषी पाये गये।

दण्डात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप कुल सात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संवेदनशील पदों पर न तैनात करने का निर्णय लिया गया।

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 215 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में मुख्य अभियन्ता स्तर प्रथम के सृजित पदों पर नियुक्ति के मानक की जानकारी

50- कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत परिषद् में मुख्य अभियन्ता स्तर प्रथम के कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उसके विरुद्ध मुख्य अभियन्ता स्तर प्रथम के कौन-कौन ऐसे पद हैं जिस पर मुख्य अभियन्ता स्तर द्वितीय के अधिकारी तैनात है ? क्या मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध) का पद मुख्य अभियन्ता स्तर प्रथम का पद है ? यदि हां, तो क्या उस पर मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम का अधिकारी तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विद्युत परिषद् में मुख्य अभियंता (स्तर-1) के 26 (छब्बीस) पर स्वीकृत हैं।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) के निम्नलिखित पदों पर मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) के अधिकारी तैनात हैं:-

1-मुख्य अभियन्ता, सामग्री प्रबंध, लखनऊ।
2-महाप्रबन्धक, हरदुआगंज।
3-महाप्रबन्धक, टाण्डा।
4-मुख्य अभियंता, ऊर्जा प्रणाली, लखनऊ।
5-मुख्य अभियंता, जांच समिति, लखनऊ।
6-मुख्य अभियंता (वितरण) उत्तराचंल, देहरादून।
7-महाप्रबन्धक, अनपरा।

जी हां।
जी नहीं।

अनुभव एवं कार्य की आवश्यकता तथा उपयुक्तता को देखते हुए मुख्य अभियंता (स्तर-2) की तैनाती की गई है।

51- श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

(मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया)

52- श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

(मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया)

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र 155 तुलसीपुर में अम्बेडकर-ग्रामो में, वित्तीय वर्ष 1998-99 में विद्युतीकरण किये जाने विषयक जानकारी।

53- श्री कमलेश कुमार सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 155 तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के कितने अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण किया जा चुका है ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया जाना है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विधान सभा क्षेत्र 155 तुलसीपुर जनपद बलरामपुर में 6 अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 1998-99 में अभी तक किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया है।

54- डा0 वकार अहमद शाह-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर/कर्मचारियों की कार्य करते समय दुर्घटना में हाथ पैर टूटने अथवा मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को दुर्घटना बीमा फण्ड, ग्रेच्युटी आदि अन्य देयों के भुगतान का विवरण

55- डा0 वकार अहमद शाह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री में कार्य करते समय कार्यरत मजदूर/कर्मचारियों की दुर्घटना में हाथ, पैर टूटने, मृत्यु आदि होने पर उन्हें व उनके आश्रितों को दुर्घटना बीमा, फण्ड, ग्रेच्युटी आदि अन्य देयों के भुगतान करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो मै0 यू0 पी0 एसबेस्टस शीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री लि0 मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा वर्ष 1990 से मई, 1998 तक कितने लोगों को कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान उपरोक्त आदेशानुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ? उपरोक्त भुगतान न होने की दशा में फैक्ट्री के प्रबन्धक/सेवायोजकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां।

1- श्री तेजी लाल पुत्र श्री मैकू लाल के दुर्घटना दिनांक 9-5-96 के लिये क्षतिपूर्ति मुआवजा रु0 97,842=00, ग्रेच्युटी रु0 32628=00 का भुगतान हो चुका है।

2- श्री गया प्रसाद पुत्र श्री रामकिशन के दुर्घटना दिनांक 7-4-97 के लिये क्षतिपूर्ति मुआवजा रु0 1,59,800=00 ग्रेच्युटी रु0 33,215=00 का भुगतान हो चुका है।

उपरोक्त दोनों मजदूर/कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा की धनराशि व फन्ड का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, कानपुर द्वारा सीधे इनके आवेदन पत्र पर किया जाना है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।
प्रश्न ही नहीं उठता है।
प्रश्न ही नहीं उठता है।

भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर के समक्ष श्री तेजी लाल का प्रार्थना पत्र प्रेषित है। श्री गया प्रसाद द्वारा अभी तक कोई प्रार्थना पत्र फन्ड एवं दुर्घटना बीमा भुगतान हेतु सेवायोजकों के माध्यम से भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर को प्रेषित नहीं किया गया है।

56- डा0 वकार अहमद शाह-

(6 ठें सोमवार में अता0 प्र0 स0 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद लखनऊ के मै0 यू0 पी0 ऐसबेस्ट्स शीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री लि0 मोहनलालगंज के मुख्य प्लान्ट में नियमित कर्मचारियों को न लगाकर दैनिक वेतन भोगी एवं ठेकेदारों द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को लगाकर कार्य लिया जाना

57- डा0 वकार अहमद शाह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मै0 यू0 पी0 ऐसबेस्टस शीट्स फैक्ट्री लि0 मोहनलालगंज, लखनऊ में वर्तमान वर्ष 1998 में कितने नियमित एवं कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं कितने ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी हैं ? क्या यह सही है कि फैक्ट्री के मुख्य प्लान्ट में नियमित कर्मचारियों को न लगाकर दैनिक वेतन भोगी एवं ठेकेदारों के द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को लगाकर कार्य लिया जाता है ताकि दुर्घटना आदि होने पर दुर्घटना बीमा आदि देयों के भुगतान से बचाया जा सके ? क्या आकस्मिक निरीक्षण होने पर मुख्य प्लान्ट से उपरोक्त कर्मचारियों को हटाकर नियमित कर्मचारियों को लगा दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रकरण की एक निष्पक्ष जाच कराकर कर्मचारियों का शोषण करने वाले फैक्ट्री प्रबन्धक/सेवायोजकों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा दिवेदी-

यू0पी0 एसबेस्ट्स सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री लि0 मोहनलालगंज, लखनऊ में नियमित-190 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी-18, ठेकेदार के माध्यम से -59 कर्मचारी कार्यरत है ।

जी नहीं ।
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।

58- श्री मुराद लारी-

(5 वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

59- श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

(5 वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0- 190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद लखीमपुर खीरी व गोलागोकरन नाथ गेहूं खरीद केन्द्रों पर महेश्वरी राइस मिल द्वारा गेंहू की खरीद पर की गई धाधली के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

60- श्री अरविन्द गिरि-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अलीगंज व गोला-गोकरन नाथ गेहूं खरीद केन्द्रों पर एक ही फर्म महेश्वरी राइस मिल के द्वारा दिनांक 8 एवं 9 मई, 98 में लगभग 65 हजार क्विन्टल गेहूं तुलवाया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने सरकार द्वारा दिनांक 10 मई, जबसे व्यापारियों से

गेहूं की खरीद बन्द कर दी गई थी तब से 15 मई 98 तक गेहूं खरीद कर उसे 8 एवं 9 मई, 98 में दिखाया गया और अनियिमित रूप से फर्म को लाभ पहुंचाया गया? यदी हां, तो इस धांधली के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ऐजाज रिज़वी-

(क) जी नहीं। महेश्वरी राइस मिल द्वारा दिनांक 8 मई, 1998 को लगभग 2891 कुन्टल गेहूं तुलवाया गया। दिनांक 9 मई, 98 को कोई गेहूं नहीं तुलवाया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में जल संस्थान इन्दिरा नगर जोन लखनऊ में हुये 25 लाख रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

61- श्रीमती सीमा द्विवेदी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष 1996-97 में लखनऊ जल संस्थान इन्दिरा नगर जोन, लखनऊ में हुये लगभग 25 लाख रुपये के घोटाले के संबंध में विभाग के कई कर्मचारियों सन्तोष, सोनी आदि को निलम्बित किया गया है? क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में गाजीपुर थाने में तत्समय कोई मुकदमा पंजीकृत कराया गया है? यदि हां, तो मुकदमा किसके द्वारा पंजीकृत कराया गया है और क्या उसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार तत्काल अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

वर्ष 1996-97 में इंदिरा नगर जोन में 496332=81 रुपया के धन का दुरूपयोग किया गया था, दिनांक 25-10-96 को श्री सन्तोष कुमार चौकीदार, श्री राम औतार कनौजिया, प्रभारी कैशियर/कर निरीक्षक को निलम्बित किया गया तथा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव दैनिक वेतन भोगी लिपिक को सेवामुक्त किया गया।

जी हां।

अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान जोन-5 द्वारा पंजीकृत कराया गया है।

जी नहीं।

एफ0 आई0 आर0 लाज कराने के उपरान्त विधि के अनुरूप कार्यवाही/गिरफ्तारी आदि की जाती है।

जनपद गोरखपुर में दिनांक 7.5.98 को भीषण आंधी आने से कई पोल गिर जाने के कारण विद्युत आपूर्ति में आयी बाधा को दूर करने की मांग

62- श्रीमती गौरी देवी-

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में दिनांक 7.5.98 को भीषण आंधी आने से ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम विशुनपुर मटिपरा से पश्चिम में कई पोल

गिर गये हैं? यदि हां, तो क्या लाइन के सुधार व पोल लगाने की कार्यवाही न होने से लगभग 35 गांवों को विद्युत आपूर्ति बाधित है? यदि हां, तो इसके लिये अब तक कार्य न करने के लिये कौन दोषी है? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी नहीं।

दिनांक 7-5-98 को भीषण आंधी आने से 14 पोल गिर गये थे। जिसे बदलकर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत व्यवस्था सामान्य कर दी गयी।

63- श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद मैनपुरी के कुसमरा कस्बा के कब्रिस्तानों का विवरण

64- श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी मे कितने कब्रिस्तान सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ, बोर्ड में दर्ज हैं? उसमें कितने कस्बा कुसमरा के हैं? क्या यह सच है कि मौके पर कस्बा कुसमरा जनपद मैनपुरी में कई कब्रिस्तान हैं जो बोर्ड में दर्ज नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनको कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करवाने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजा गजनफर अली)-

जनपद मैनपुरी में 567 कब्रिस्तान सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं।

कस्बा कुसमरा के वक्फ बोर्ड में दर्ज कब्रिस्तानों की संख्या केवल चार हैं।

जांच कराई जा रही है।

जांच के परिणाम देखने के बाद उचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड हसरेन ग्राम नगला दनुआ तथा इसके आस-पास के ग्रामों में विद्युतीकरण की योजना

65- श्री राम औतार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम नगला-दनुआं विकास खण्ड हसरेन जनपद फर्रुखाबाद व इससे लगे हुये 10 वर्ग किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों

में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार उक्त परिधि में आने वाले ग्रामों को विद्युतीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में सरकार की प्रत्येक गांव को विद्युतीकृत करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उस योजना को मूर्तरूप कब तक दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

बिजली की आंशिक सुविधा उपलब्ध है ।

जी हां ।

ग्रामों का विद्युतीकरण वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर है । परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण शेष ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने की समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्रत्येक गांव को विद्युतीकृत करने हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के बचे हुये ग्रामों को एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकृत करने में लगभग रु0 3000 करोड़ से अधिक का व्यय अनुमानित है । संसाधनों की कमी के कारण यह कार्य कराना अभी सम्भव नहीं है ।

जनपद उन्नाव में 800 के0 वी0 उपकेन्द्र को स्थापित किये जाने तथा जनपद को उससे विद्युत् आपूर्ति कराये जाने की मांग

66-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में क्या स्थापित किये जा रहे 800 के0 वी0 उपकेन्द्र से जनपद उन्नाव को विद्युत् आपूर्ति करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जनपद उन्नाव में वर्तमान में 800 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित नहीं किया जा रहा है । अतः जनपद उन्नाव की इसके माध्यम से विद्युत् आपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य योजना आयोग में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत प्रवर वर्ग सहायकों को प्रोन्नति दिये जाने की मांग

67-श्री राम नक्षत्र तथा श्री लालमणि प्रसाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य योजना आयोग में अनुभाग अधिकारी के स्वीकृत/रिक्त पद पर वर्ष 1984 से कार्यरत प्रवर वर्ग सहायक जो निर्धारित शैक्षिक अर्हता सहित लम्बी सेवा पूर्ण करने के बाद भी अभी तक प्रोन्नति नहीं की गयी है और दूसरे विभाग के प्रवर वर्ग सहायक पद से प्रोन्नति वाले कार्मिक से पद भरा गया है? यदि हां, तो क्यों, इसका आधार क्या है?

डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

विधि अनुज्ञेय रीति से पद भरने की विवशतावश सचिवालय संवर्ग का अनुभाग अधिकारी एक अनुभाग में कार्यरत है। इस भर्ती वर्ष में पूर्व व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा दायर याचिका के अनुसार अभियन्ताओं की वरिष्ठता निर्धारण

68-श्री राजेन्द्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति ने पत्रांक 8198, दिनांक 8-1-98 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या 3349 आफ 1997 निर्णित दिनांक 27-5-97 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अनुसूचित जाति के अभियन्ताओं की वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु निवेदन किया था? यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार वरिष्ठता का निर्धारण कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु सलंग्नक भिन्न हैं।

जी नहीं।

प्रश्न में उल्लिखित वाद संख्या 3349 आफ 1997 दिनांक 27-5-97 को निर्णित वाद की प्रति उ0 प्र0 रा0 विद्युत् परिषद् अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति के पत्रांक 8198 दिनांक 8-1-98 के साथ संलग्न नहीं है न ही उक्त वाद का सन्दर्भ पत्र में इंगित है।

2-ज्येष्ठता का निर्धारण उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1998 के प्राविधानों के अनुसार ही किया जाता है।

69-श्री राजेन्द्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति ने पत्रांक 30, दिनांक 17.4.98 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या 4026/88 निर्णित दिनांक 16.11.94 तथा 23-11-94 1456669/95 निर्णित दिनांक 20.10.95 में निर्देशानुसार प्रोन्नति हेतु पात्रता सूची सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की अलग-अलग बनाये जाने हेतु निवेदन

किया था ? यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, प्रोन्नति हेतु पात्रता सूचियां सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की अलग-अलग बनाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अपर सचिव के स्वीकृत पदों में से आरक्षण पूरा किये जाने की मांग

70- श्री राजेन्द्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् में अपर सचिव के स्वीकृत तीन पदों में से आरक्षण नियमानुसार एक पद आरक्षण कोटे का बनता है जिस पर श्री जुग्गी लाल संयुक्त सचिव दिनांक 1.7.96 से कार्यरत थे ? क्या विद्युत् परिषद् ने आरक्षण नियमों एवं प्राविधानों की अवहेलना कर आरक्षित पद पर श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव संयुक्त सचिव को पदोन्नत कर दिया ? क्या श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव श्री जुग्गी लाल से कनिष्ठ हैं ? यदि हां, तो क्या आरक्षण नीति के अनुसार उक्त पद पर पदोन्नति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अपर सचिव के स्वीकृत तीन पदों में दो पद अभियन्ता संवर्ग (मुख्य अभियंता स्तर-2) के तथा मात्र एक पद सचिवालय (लिपिकीय) संवर्ग का है। लिपिकीय संवर्ग का एकल पद आरक्षित नहीं है। श्री जुग्गी लाल, संयुक्त सचिव दिनांक 1.7.96 से अपने मूल पद (संयुक्त सचिव) के साथ-साथ अपर सचिव (सचिवालय संवर्ग) का कार्य भी देख रहे थे इस पद पर उनको पदोन्नति प्रदान नहीं की गई थी।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

71-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

(दिनांक 10.7.98 को अता0 प्र0 सं0- 129 द्वारा उत्तरित)

91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र हरदोई के अन्तर्गत नगर पंचायत माधोगंज तथा नगरपालिका परिषद् मल्लावां व बिलग्राम में विद्युत् आपूर्ति

72-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र हरदोई के अन्तर्गत नगर पंचायत माधवगंज तथा नगरपालिका परिषद् मल्लावां एवं

नगर पालिका परिषद् बिलग्राम को 132 के0 वी0 हरदोई से विद्युत् आपूर्ति करने हेतु लाइन बनाने एवं धन उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता विद्युत् वितरण मण्डल सीतापुर, मुख्य अभियन्ता लखनऊ मण्डल क्षेत्र को माह फरवरी, 1997 में भेजा गया? क्या इसका इस्टीमेट भी पास हो चुका है? जनहित में इस लाइन को बनाकर उपरोक्त नगरों को जोड़ने का कार्य कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी नहीं।

तकनीकी दृष्टिकोण से यह कार्य कराया जाना आवश्यक नहीं है।

परिषद् स्तर पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि विद्युत आपूर्ति की वर्तमान प्रणाली नगर पंचायत माधवगंज एवं नगरपालिका परिषद् मल्लावां एवं नगरपालिका परिषद् बिलग्राम हेतु संतोषजनक है। प्रस्तावित कार्य करने से सन्दर्भित क्षेत्रों की विद्युत् आपूर्ति में कोई सुधार नहीं आयेगा।

जनपद सुल्तानपुर भण्डार नायक विद्युत् भण्डार केन्द्र दरियाबाद से दिनांक 30.5.95 को सेवानिवृत्त हुये श्री धर्म नारायन श्रीवास्तव की पेन्शन ग्रेच्युटी आदि के भुगतान

73-श्री तेजभान सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री धर्म नारायन श्रीवास्तव, भण्डार नायक विद्युत् भण्डार केन्द्र दरियाबाद, सुल्तानपुर से दिनांक 30.5.95 को सेवानिवृत्त हुये हैं? यदि हां, तो क्या इनकी पेंशन ग्रेच्युटी आदि का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या भुगतान न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? श्री श्रीवास्तव की पेंशन आदि देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी नहीं।

श्री धर्मनारायन श्रीवास्तव के विरुद्ध लम्बित प्रकीर्ण अग्रिम का निस्तारण न हो पाने के कारण इनके पेंशन/ग्रेच्युटी आदि का भुगतान सम्भव नहीं हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रपत्र आदि के परीक्षण के उपरान्त इनके देयों के भुगतान की शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

74-श्री श्याम देवराय चौधरी-

(7 वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

जनपद लखनऊ मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम के पत्र संख्या - 3490/ पी दिनांक 23.3.98 द्वारा जोनल अधिकारी तृतीय को एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने के लिए दिये गये निर्देश सम्बन्धी जानकारी

75-श्री उदयराज यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-3490/पी0, दिनांक 23.3.98 द्वारा जोनल अधिकारी तृतीय को एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो क्या एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नगर जल विद्युत् परियोजना पर प्रदेश सरकार की व्यय की गई धनराशि एवं कार्य प्रगति की जानकारी

76-श्री भारत सिंह रावत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर जल विद्युत् परियोजना पर प्रदेश सरकार अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय कर चुकी है? उक्त परियोजना की कार्य प्रगति क्या है तथा कब तक उक्त परियोजना से विद्युत् उत्पादन आरम्भ हो जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

इस परियोजना पर लगभग 85 करोड़ रु0 व्यय हो चुके हैं।

उक्त परियोजना के लिये आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण हो चुका है, परियोजना के लिये लगभग 70% भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं सड़क आदि का निर्माण हो चुका है।

इस परियोजना से विद्युत् उत्पादन वर्ष 2003-2004 में आरम्भ होने का अनुमान है।

जनपद मैनपुरी द्वारा शासनादेश सं0-694, दिनांक 9-11-98 के अनुसार जिलाधिकारी नगर पंचायत कुरावली के रिक्त उपाध्यक्ष पद का चुनाव

77-श्री मानिक चन्द्र-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 694, दिनांक 9.11.98 के अनुसार जिला अधिकारी, मैनपुरी द्वारा नगर पंचायत कुरावली के रिक्त उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन अभी तक नहीं कराया गया जबकि जनपद मैनपुरी की अन्य सभी नगर पंचायतों का चुनाव दिनांक 25.5.98 को करा दिये गये हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

शासनादेश सं0-684/9-1-98-38 ई/97, दिनांक 15 अप्रैल, 1998 द्वारा प्रदेश की नगर पंचायतों में उपाध्यक्ष पदों के निर्वाचन हेतु निर्देश जारी किये गये थे। नगर पंचायत कुरावली के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण, उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। मा0 न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण अब निस्तारित हो गया है, तथा विधान सभा के वर्तमान सत्र (तृतीय सत्र 1998) समाप्त होने के उपरान्त नगर पंचायत कुरावली में उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी मैनपुरी एवं प्रशासक नगर पंचायत कुरावली द्वारा 5 लाख रुपये सड़क अनुदान की निविदायें बिना बोर्ड की सहमति के स्वीकृत किये जाने के कारणों की जानकारी

78-श्री मानिक चन्द्र-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत रु0 तीन हजार से ज्यादा की सभी संविदाओं में बोर्ड की स्वीकृत होना वैधानिक अनिवार्यता है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी मैनपुरी एवं प्रशासक, नगर पंचायत कुरावली द्वारा 5 लाख रुपये सड़क अनुदान की निविदायें बिना बोर्ड की स्वीकृति के स्वीकृत की गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गंज जलालाबाद में विद्युत् व्यवस्था सुधार हेतु सब-स्टेशन के निर्माण की मांग

79- डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करायेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गंज जलालाबाद में विद्युत व्यवस्था की स्थिति दयनीय है और उक्त क्षेत्र की जनता को विद्युत लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु एक सब-स्टेशन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं। 91- मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गंज जलालाबाद को परिषद् द्वारा नियमानुसार निर्धारित ग्रामीण शिड्यूल के अनुसार प्रतिदिन औसतन 10 घन्टे की विद्युत् आपूर्ति की जा रही है।

वर्तमान में नये 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी दृष्टि से 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के मुहल्ला उटारखाना नगर कर्वी में विद्युत आपूर्ति की समस्या के निराकरण का मामला

80-श्री दद्दू प्रसाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला उटार खाना नगर कर्वी जिला-छत्रपति साहूजी महराज नगर में विद्युत आपूर्ति का वोल्टेज अत्यधिक कम है? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या का निराकरण करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

1-मुहल्ला उटारखाना नगर कर्वी जिला क्षत्रपति साहूजी महराज नगर में विद्युत आपूर्ति में लो वोल्टेज की समस्या है।

उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु एक 100 के0 वी0 ए0 का विद्युत उपकेन्द्र बनाना प्रस्तावित है जिसकी लागत लगभग रु0 1.50 लाख है। बुन्देलखण्ड विकास निधि से धन उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त कार्य का प्राकलन जिलाधिकारी, क्षत्रपति साहूजी महराज नगर को प्रेषित कर दिया गया है। धन प्राप्त होने पर कार्य को पूरा कराना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के कटेहरी बाजार में विद्युत सब स्टेशन के निर्माण की जानकारी

81-श्री राजधारी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के कटेहरी बाजार में विद्युत सब-स्टेशन निर्माण की स्वीकृति हुई है? यदि हां, तो उसके निर्माण में अब तक हुई प्रगति क्या है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

अभी तक जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसलिये निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया।

जनपद प्रतापगढ़ शहरी क्षेत्र (बाबागंज) में विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने की जानकारी

82-श्री चन्द्र नाथ सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ शहरी क्षेत्र (बाबागंज) में कोई विद्युत उपकेन्द्र खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

प्रतापगढ़ शहरी क्षेत्र (बाबागंज) में नये 33/11 के0 वी0 (5 एम0 वी0 ए0) उपकेन्द्र की स्थापना हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था परन्तु परिषद् की [illegible] वित्तीय स्थिति एवं सीमित संसाधनों के कारण इस प्रस्ताव को कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र अतरौली के चालू किये जाने की जानकारी तथा उक्त के निर्माण में कथित लाखों रुपये के तार की चोरी

83-श्री अजय कुमार पोद्दार-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि क्या 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र अतरौली जनपद हरदोई का निर्माण कार्य पूरा हो गया है परन्तु उक्त उपकेन्द्र अभी चालू नहीं किया गया है? क्या यह सही है कि 33 के0 वी0 लाइन का लाखों रुपये का तार वर्ष 1997 में चोरी चला गया था जिसकी जांच करायी गयी है? यदि हां, तो जांच के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

33 के0 वी0 उपकेन्द्र, अतरौली जनपद हरदोई का निर्माण पूरा करके फरवरी, 97 में चालू कर दिया गया है।

जी हां।

विभागीय जांच जारी है। जांच पूर्ण न होने के फलस्वरूप किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

84-86-श्री श्याम देव राय चौधरी-

(7 वें शुक्रवार के लिये स्थगित)

लखनऊ नगर निगम में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री आर0 के0 उपाध्यक्ष मेडिकल यूनिट द्वारा महत्वपूर्ण फाइल गायब होने की शिकायत तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

87- डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक

आर0 के0 उपाध्याय, मेडिकल यूनिट, लखनऊ नगर निगम, लखनऊ के चिकित्सा अवकाश की अवधि में नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा माह जनवरी से अप्रैल, 1998 के बीच कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में एक एफ0 आई0 आर0 अभिलेखों के गायब हो जाने के संबंध में दर्ज करायी गयी है? यदि हां, तो इस एफ0 आई0 आर0 का आधार क्या था? क्या यह सही है कि उक्त अभियोग पंजीकृत कराने से पूर्व संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार कोई नोटिस स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? अभिलेखों के गायब होने का पता उक्त अधिकारी को किस आधार पर चला? क्या सरकारी सेवक के अवकाश की अवधि में उसकी आलमारी/मेज का ताला तोड़ा गया था? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी/अधिकारी की उपस्थिति में? क्या सरकार उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय विभागीय जांच शासन स्तर के किसी अधिकारी से कराकर तथ्यों को सदन के पटल पर रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां-

एफ0 आई0 आर0 का आधार श्री उपाध्याय द्वारा निगम कार्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिलेखों को गायब किया जाना था।

जी नहीं।

स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियमानुसार नोटिस दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

संबंधित कर्मचारी द्वारा बन्द की गयी विभागीय अलमारी को खोलवाने के पश्चात इन्वैन्ट्री बनाते समय अभिलेखों के गायब होने का पता चला।

जी हां।

कार्यालय अनुचर, कार्यालय लिपिक एवं 2 अधिकारियों की उपस्थिति में।

जांच का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर में फरवरी 1998 में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र के 3 एम0 पी0 ए0 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी होने का मामला

88-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि फरवरी, 1998 में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र तम्बौर जनपद सीतापुर के 3 एम0 पी0 ए0 ट्रांसफार्मर का तेल चोरी हो जाने

के कारण परिषद् को लाखों रुपयों की क्षति हुई है ? यदि हां, तो इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

निर्माणाधीन 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र तम्बौर जनपद सीतापुर के 3 एम0 वी0 ए0 ट्रान्सफार्मर का तेल चोरी होने के कारण परिषद् को लगभग रु0 50 हजार की क्षति हुई है।

उपरोक्त चोरी की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दिनांक 9.2.98 को सम्बन्धित थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस थाने को अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। विभागीय जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही की पुष्टि नहीं हो पायी है। अतएव किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का अभी प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में वक्फ बोर्ड की चल-अचल सम्पति के विवरण की जानकारी तथा बोर्ड की चल-अचल सम्पत्ति पर अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

89-श्री बांके लाल सोनकर-

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में वक्फ बोर्ड की कितनी चल-अचल सम्पति है ? उसका विवरण क्या है ? क्या वक्फ बोर्ड की अचल सम्पत्ति पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो उसको हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गजनफर अली खां-

सूचना एकत्र की जा रही।

जनपद बरेली के अम्बेडकर ग्राम धौरहरा के मजरा श्यामपुर व विशुनपुर में विद्युतीकरण

90-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धौरहरा विकास खण्ड नवाबगंज (बरेली) अम्बेडकर ग्राम घोषित है और गांव के मजरा श्यामपुर व विशुनपुर में विकास कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ग्राम धौरहरा के मजरा श्यामपुर व विशुनपुर में विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक इन मजरों में विद्युतीकरण करायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया है।

जी नहीं।

इन दोनों मजरों का विद्युतीकरण वर्ष 1998-99 सम्भव है।

जनपद देहरादून के रामनगर डांडा के 33 के0 वी0 उपस्थान को सक्रिय किये जाने की मांग

91-श्री हरवंश कपूर-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि [illegible] लाख रुपये से निर्मित 33 के0 वी0 उपस्थान रामनगर डाडा जनपद देहरादून निष्क्रिय पड़ा है? क्या उक्त उपस्थान को सक्रिय किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी इस उपस्थान के निष्क्रिय पड़े रहने की जांच करायेंगे तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी हां।

उपरोक्त उपकेन्द्र को वर्ष 1998-99 में चालू करने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

33 के0 वी0 मानियावाला बिरला यामहा लाइन को चालू किये जाने की मांग

92-श्री हरवंश कपूर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 33 के0 वी0 मानियावाला बिरला यामहा लाइन जिसके निर्माण की लागत लगभग 25 लाख आई थी, उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? क्या यह सत्य है कि विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण) की लापरवाही के कारण उक्त लाइन का कण्डक्टर व अन्य सामान चोरी हो चुका है? यदि हां, तो इसके संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मै0 बिरला यामहा द्वारा अपनी 33 के0 वी0 लाइन से इस लाइन को जोड़ने के विरुद्ध न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया जिसके कारण लाइन के निर्माण एवं चालू करने का कार्यपूरा नहीं हो पाया। इसी अंतराल में तार आदि की चोरी हो गयी। जिसके कारण लाइन का उपयोग नहीं हो पाया।

जी नहीं।

लाइन के भौतिक सत्यापन हेतु समिति का गठन करके उसकी आख्या प्राप्त कर ली गयी है। न्यायालय के अंतिम आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग में स्थान-2 की स्क्रेप मशीनरी की नीलामी की मांग

93-श्री हरवंश कपूर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में स्थान-2 पर जो स्क्रेप मशीनरी पड़ी है, उसकी नीलामी की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत परिषद में स्क्रेप (निष्प्रयोज्य) सामग्री के निस्तारण का कार्य भारत सरकार के उपक्रम, मैसर्स एम0 एस0 टी0 सी0 लिमिटेड नई दिल्ली के माध्यम से कराया जाता है।

94-श्री हरवंश कपूर-

(7 वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

जनपद लखनऊ में सेक्टर-II विकास नगर विस्तार लखनऊ में स्थित आवास विकास परिषद् की जमीन पर अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

95-श्री अरुण वीर सिंह-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर-।। विकास नगर विस्तार लखनऊ में स्थित आवास विकास परिषद् की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन पर अवैध रूप से अनेक व्यक्ति कब्जा किये हुये हैं? क्या सरकार उन लोगों को वहां से हटायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की विकास नगर विस्तार योजना के

सेक्टर-11 में लगभग 0.81 हेक्टेयर भूमि पर झुग्गी झोपड़ी डालकर कुछ व्यक्तियों द्वारा परिषद् भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है।

जी, हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात की पेम अम्बेडकर ग्राम के सभी बार्डों में विद्युतीकरण की मांग

96- डा0 धर्मेन्द्र मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर देहात की ग्राम पंचायत पेम जो [illegible] उसके सभी बार्डों में वि[illegible]करण का कार्य नहीं कराया गया [illegible] सरकार कब तक विद्युतीकरण करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी हां।

वर्तमान में उक्त ग्राम के शेष मजरे विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं है। अतः इनका विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हमीरपुर के निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 5.3.1998 को पारित होने के उपरान्त रिक्त पद का चुनाव न कराये जाने का कारण

97-श्री शिवचरण प्रजापति-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष, हमीरपुर के विरुद्ध विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों के तहत अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 5.3.1998 को पारित हो जाने के उपरान्त यह पद मार्च, 1998 से रिक्त चला आ रहा है? यदि हां, तो अभी तक चुनाव न कराने का क्या कारण है? चुनाव कब तक करा लिये जायेंगे?

श्री लाल जी टण्डन-

अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्, हमीरपुर के विरुद्ध पालिका बोर्ड की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की सूचना शासन में प्राप्त हुई है, किन्तु अध्यक्ष नगर पालिका परिषद्, हमीरपुर ने बोर्ड के उक्त प्रस्ताव की वैधता को चुनौती देते हुए अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है, जो सम्प्रति शासन के समक्ष विचाराधीन है। जब

तक उक्त प्रत्यावेदन पर निर्णय लम्बित है, उक्त पद को रिक्त नहीं कहा जा सकता है।

अध्यक्ष का प्रत्यावेदन अभी तक विचाराधीन है और रिक्ति औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुई है, जिसके कारण अभी अध्यक्ष के पद को रिक्त नहीं कहा जा सकता है। अतः चुनाव नहीं कराया जा सका है।

अध्यक्ष, नगर पालिका, हमीरपुर के उक्त प्रत्यावेदन पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त यथा निर्णय कार्यवाही की जाएगी।

जनपद कुशीनगर नगर पंचायत खड्डा में निर्मित खड़न्जा कार्य मानक के अनुसार न किये जाने की जानकारी तथा उक्त कार्य में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की मांग

98-श्री दीप लाल भारती तथा श्री बादशाह सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पचायत खड्डा (कुशीनगर) में निर्मित खड़न्जा कार्य मानक के अनुसार नहीं हुआ है तथा सीमा से बाहर निर्माण कार्य दिखा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या अनियमितता पूर्ण कार्य कराने वाले को दण्डित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

नगर पंचायत खड्डा में निर्मित खड़न्जा कार्य की तकनीकी जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये हैं। जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

उतरौला विधान सभा क्षेत्र के सभी चयनित अम्बेडकर ग्रामों और पुरवों को ऊर्जीकृत किये जाने की मांग

99-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार ने ऐसा कोई शासनादेश निर्गत किया है कि प्राथमिकता के आधार पर अम्बेडकर ग्रामों को ऊर्जीकृत कर दिया जाय? यदि हां, तो क्या उतरौला विधान सभा क्षेत्र के सभी चयनित अम्बेडकर गांव और उनके पुरवों को ऊर्जीकृत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अम्बेडकर ग्रामों एवं उनके पुरवों को वरीयता के आधार पर ऊर्जीकृत करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं-

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में केवल चयनिम अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण करने की नीति है अतः अम्बेडकर ग्रामों एवं उनके समस्त पुरवों के वरीयता के आधार पर विद्युतीकरण की कोई योजना वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र उतरौला के राजस्व ग्रामों एवं उनके पुरवों का विद्युतीकरण की मांग

100-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला में किस-किस राजस्व ग्रामों एवं उनके पुरवों का विद्युतीकरण किया गया है? वर्तमान में कितने ग्रामों एवं उनके पुरवे विद्युतीकरण से वंचित हैं? क्या सरकार शेष बचे राजस्व ग्रामों एवं उनके पुरवों को ऊर्जीकृत करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विधान सभा क्षेत्र उतरौला में संलग्न सूची + में इंगित 182 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इन ग्रामों के विद्युतीकृत पुरवों की संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र उतरौला में 72 ग्राम एवं इनके पुरवे विद्युतीकृत नहीं हैं।

जी नहीं।

ग्रामों का विद्युतीकरण शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार चयनित होने पर तथा वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर कराया जाता है। विधान सभा क्षेत्र उतरौला के शेष सभी ग्रामों का विद्युतीकरण वर्तमान में चयनित न होने के कारण सम्भव नहीं है।

(+ देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 216 पर)

राजधानी लखनऊ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिये बनाई गई आवासीय योजना की जानकारी तथा वर्ष 1998-99 में उक्त योजना पर व्यय किये गये धन की स्वीकृति का विवरण

101-श्री श्याम लाल रावत-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के लिये कोई आवासीय योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो वह योजना क्या है और वर्ष 1998-99 में उस योजना पर कितना धन खर्च किये जाने की स्वीकृति दी गई है?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां, आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आश्रय योजना बनाई गई है।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत रु0 5, 10 तथा 15 प्रतिदिन की भुगतान देयता के आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड, जानकीपुरम विस्तार तथा शारदा नगर में चार हजार आश्रय तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर, जिनमें लखनऊ भी सम्मिलित है, 10,000 आश्रय उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 1998-99 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 710.80 लाख तथा परिषद् द्वारा रु0 400 लाख का व्यय निहित है। उक्त व्यय प्राधिकरण तथा परिषद् स्वंय वहन करेगें। शासन द्वारा कोई धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

जनपद लखनऊ के जल संस्थान में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षित विभिन्न रिक्त पदों की जानकारी

102-श्री श्याम लाल रावत-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ जल संस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षित विभिन्न पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं? यदि हां, तो पदवार कितने-कितने स्थान रिक्त हैं? उन रिक्त स्थानों पर कब तक नियुक्तियां की जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

रिक्त पदों की पदवार स्थिति निम्नवत् है:-

पम्प चालक	-	34 अनु0 जाति
	-	12 अनु0 जन-जाति
कैशियर	-	02 अनु0 जाति
एकाउन्टेंट	-	02 अनु0 जाति
सहा0 लेखाकार	-	02 अनु0 जाति
आयलमैन	-	02 अनु0 जाति
इलेक्ट्रीशियन	-	01 अनु0 जाति
शिफ्ट ईचार्ज	-	01 अनु0 जाति
मीटर रीडर	-	01 अनु0 जाति
आशुलिपिक	-	01 अनु0 जाति
फोरमैन	-	01 अनु0 जाति
टैक्स कलेक्टर	-	01 अनु0 जाति

रिक्त स्थानों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जल संस्थान में विगत दो वर्षों के अन्तराल में विभिन्न पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण व नियुक्तियों की जानकारी

103-श्री श्याम लाल रावत-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जल संस्थान लखनऊ में विगत दो वर्षों के अन्तराल में किन-किन पदों पर कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी विनियमित किये गये? किन-किन पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की गई है?

श्री लाल जी टण्डन-

विगत 2 वर्षों में लखनऊ जल संस्थान में गैंगमैन के पद पर 24, सीवर कर्मी के पद पर 13 तथा चौकीदार के पद पर 12 कर्मचारी विनियमित किये गये।

पम्प चालक, कैशियर, एकाउन्ट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सहायक लेखाकार तथा वॉटर एनालिस्ट के पदों पर अस्थाई पदों के विरुद्ध नियुक्तियां अस्थाई/तदर्थ रूप से की गयी हैं।

राजधानी लखनऊ के गौतम बुद्ध पार्क के रख-रखाव पर व्यय हुयी धनराशि तथा पार्क में प्रवेश के लिये प्रति व्यक्ति लिये गये शुल्क की जानकारी

104-श्री श्याम लाल रावत-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ नगर में गोमती नदी के किनारे स्थित गौतम बुद्ध पार्क में प्रवेश के लिये प्रति व्यक्ति कितना शुल्क लिया जाता है? उससे विगत दो वर्षों में कितनी आय हुई तथा उसके रख-रखाव पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

श्री लाल जी टण्डन-

प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क दो रूपया है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है।

विगत दो वर्षों में 13.49 लाख रुपये आय हुई है तथा उसके रख-रखाव पर 13.10 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई है।

जिला टिहरी गढ़वाल में टिपरी पेयजल पम्पिंग योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

105-श्री लाखीराम जोशी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में टिपरी पेयजल पम्पिंग योजना का निर्माण कार्य जो अधूरा पड़ा है, उसको कब तक पूरा

करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल निशंक-

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के रा0इ0का0 रानीचौरी व रा0इ0का0 काफलपानी में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में विज्ञान विषय शामिल किये जाने की स्वीकृति

106-श्री लाखीराम जोशी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि टिहरी गढ़वाल के रा0इ0का0 रानीचौरी एवं रा0इ0का0 काफलपानी में इंटरमीडिएट कक्षाओं हेतु विज्ञान विषय की स्वीकृति किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों विद्यालयों में आगामी शिक्षा सत्र से विज्ञान विषय में पढ़ने हेतु प्रवेश की सुविधा मिल जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल निशंक-

जी, हां।

अतर्विभागीय समन्वय अतर्निहित होने के कारण समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रकरण के निस्तारणोपरान्त।

जिला टिहरी गढ़वाल के पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पर्वतीय परिसर रानीचौरी की समस्याओं से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

107-श्री लाखीराम जोशी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पर्वतीय परिसर रानीचौरी की समस्याओं से सम्बन्धित पत्र संख्या-प0प0/4054/वा0, दिनांक मार्च 20, 1998 एवं पत्रांक -प0प0/लेखा/4052/वा0, दिनांक मार्च 20, 1998 पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल निशंक-

जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित पन्तनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पर्वतीय परिसर, रानीचौरी की समस्याओं से सम्बन्धित पत्र संख्या प0प0/4054/वा0, दिनांक मार्च 20, 1998 एवं पत्रांक प0प0/लेखा/4052/वा0, दिनांक मार्च 20, 1998 पर पीरक्षणोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-2186/बी0आई0पी0, दिनांक 8.5.98 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

108-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का

पत्र संख्या-2186/वी0आई0पी0, दिनांक 8.5.98 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत मकान को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु उन्होंने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में भवन संख्या-डी-25/2 स्थित गंगा महल वाराणसी में उक्त भवन से सटे हुए एक अवैध निर्मित भवन के ध्वस्तीकरण के समय हुई क्षति की प्रतिपूर्ति किए जाने की अपेक्षा की गयी है। स्थल पर निरीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत भवन में कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं हुई थी, केवल एक कमरे की छत की पट्टियां क्षतिग्रस्त हुई थी जिसकी मरम्मत भवन स्वामी द्वारा करा ली गयी है। किसी अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के समय उससे सटे हुए भवन में क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का प्राविधान नियमों में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

109- श्री इकबाल महमूद तथा
श्री अब्दुल खालिक-

(दिनांक 10.7.98 को अता0प्र0 सं0- 123 द्वारा उत्तरित)

जनपद हरदोई ग्राम परसोला के विद्युतीकरण में हो रहे विलम्ब की जानकारी

110-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र 91-मल्लावां, हरदोई के अन्तर्गत ग्राम परसोला में सांसद कोटे से विद्युतीकरण हेतु धन आवंटित हुआ था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 18 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है? विलम्ब का क्या कारण है ? कब तक परसोला ग्राम पंचायत में विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

सांसद कोटे से वांछित धनराशि परिषद् को लगभग साढ़े पांच माह पूर्व दिनांक 24.1.98 को प्राप्त हुई थी और कार्य प्रगति पर है। अतः कोई विलम्ब नहीं हुआ है। यह कार्य दिसम्बर, 1998 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

जनपद बहराइच में प्रदेश सरकार के गेहूं क्रय केन्द्रों पर निर्धारित दर से कम दर पर गेहूं खरीदे जाने की शिकायत

111-डा0 वकार अहमद शाह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बहराइच में प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं क्रय केन्द्रों पर कर्मचारियों द्वारा निर्धारित दर से कम धनराशि पर क्रय कर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन

ने जून, 1998 में विभिन्न गेहूं क्रय एजेन्सियों के नौ व्यक्तियों तथा आठ व्यापारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है ? यदि हां, तो सरकार किसानों का उत्पीड़न रोकने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिज़वी-

(क)- पूरे जनपद की सघन जांच करायी गई। केवल छः क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद के कार्य में अनियमितता पायी गई।

(ख)- उक्त छः क्रय केन्द्रों की विशेष जांच मजिस्ट्रेट से करायी गई थी और प्रथम दृष्टिया दोषी पाये जाने पर सात दोषी कर्मचारियों और नौ व्यापारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसकी पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों को जिलाधिकारी बहराइच द्वारा संस्तुति भेज दी गई है। खाद्य विभाग की हाट शाखा के सर्वश्री जगपाल सिंह, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक एवं श्री हरि गोपाल शर्मा विपणन निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है।

81-ए जोधवल (बालू का पूरा) तेलियरगंज इलाहाबाद को जोड़ने वाली लगभग 150 मीटर रोड पर सोलिंग बिछवाने, नाली बनाने तथा उक्त रोड पर अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

112-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि 81-ए जोधवल (बालू का पूरा) तेलियरगंज, इलाहाबाद को जोड़ने वाली लगभग 150 मीटर रोड पर सोलिंग बिछवाने, नाली बनवाने तथा उक्त रोड से अवैध कब्जे को हटवाने के सम्बन्ध में मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा का उन्हें सम्बोधित पत्रांक-1357/जी/1998, दिनांक 21-2-98 एवं राज्य मंत्री, ग्राम विकास का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक वी0आई0 पी0-430/रा0 मं0ग्रा0वि0, दिनांक 25.3.98, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के न्याय पंचायत महरथा फुटकर डीजल पेटी लाइसेन्स अनुसूचित जाति के कोटे में न देकर मौजूदा प्रधान को दिये जाने का मामला

113-श्री शब्बीर अहमद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि बहराइच के विकास खण्ड रिसिया के अन्तर्गत न्याय पंचायत महरथा फुटकर डीजल पेटी लाइसेंस अनुसूचित जाति

के कोटे में न देकर मौजूदा प्रधान को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा गलत लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? क्या सरकार उक्त लाइसेंस को निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिज़वी-

न्याय पंचायत महरथा में पेटी डीजल डीलर की रिक्ति आरक्षित कोटे की न होकर सामान्य श्रेणी की थी जिसमें अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये और नियमानुसार डीलर की नियुक्ति की गई। ग्राम प्रधानों को पेटी डीज़ल लाइसेंस निर्गत करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के स्थानीय निकायों में नगर पालिका अधिनियम की धारा-9 में शासन से नामित किये जाने वाले सदस्यों को नामित करने एवं हटाने की नीति की जानकारी

114-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्थानीय निकायों में नगरपालिका अधिनियम की धारा-9 में शासन से नामित किये जाने वाले सदस्यों को नामित करने एवं हटाने की नीति क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में क्या व्यवस्था लागू है ?

श्री लाल जी टण्डन-

स्थानीय निकायों में शासन से नामित किये जाने वाले सदस्यों को नामित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-9 (घ) में निम्न प्राविधान हैं:-

धारा-9 (घ):- नाम निर्दिष्ट सदस्य राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

सदस्यों को हटाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-9 में न होकर धारा-40 एवं 41 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार की जाती हैं।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश के गावों में विद्युतीकरण का मामला तथा वर्ष 1997-98 में रखे गये विद्युतीकरण के लक्ष्य की जानकारी

115-कुं0 रेवती रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एक लाख 12 हजार 665 गांवों में से अभी तक कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया जा चुका है ? कितने ग्रामों का

विद्युतीकरण बाकी है ? वर्ष 1997-98 में कितने ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है ? कितना लक्ष्य अब तक पूरा कर लिया गया है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में आबाद ग्रामों की कुल जनसंख्या 1,12,665 न होकर 1,12,804 है जिनमें से मार्च 1998 के अन्त तक 59,812 ग्रामों का एल0टी0 मेन्स से विद्युतीकरण कर दिया गया है।

52,992 ग्रामों का एल0टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण शेष है।

वर्ष 1997-98 में 6194 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था।

वर्ष 1997-98 के अन्त तक 6194 ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 2078 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के तापीय विद्युत गृहों में प्लान्ट लोड फैक्टर एवं एन0 टी0 पी0 सी0 तथा रेनूकूट तापीय विद्युत गृह के लोड फैक्टर की जानकारी

116-कुं0 रेवती रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के तापीय विद्युत गृहों में प्लान्ट लोड फैक्टर क्या है ? एन0 टी0 पी0 सी0 तथा रेनूकूट तापीय विद्युत गृह का लोड फैक्टर क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के तापीय विद्युत गृहों का वर्ष 1997-98 का प्लांट लोड फैक्टर 49.1 प्रतिशत है यद्यपि अनपरा ताप विद्युत गृह जिसकी मशीनों की क्षमता एन0 टी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत आने वाले ताप विद्युत गृहों के समकक्ष है का वर्ष 1997-98 का पी0 एल0 एफ0 79.17 प्रतिशत है।

एन0टी0पी0सी0 एवं रेनूकूट तापीय विद्युत गृहों का प्लांट लोड फैक्टर क्रमशः 75.3 प्रतिशत एवं 92.9 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत अनपरा सी परियोजना होने तथा निजी क्षेत्र में बनाये जाने विषयक जानकारी

117-कुं रेवती रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनपारा सी परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ? उक्त परियोजना किसकी सहायता से बनायी जा रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अनपारा "सी" परियोजना वर्ष 2003-2004 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

इस परियोजना को निजी क्षेत्र में बनाया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश की राज्य विद्युत् परिषद् की वर्ष 1997-98 की कुल अनुमानित आय तथा सरकारी संस्थाओं पर बकाया धनराशि को वसूलने के लिये सरकार की कार्यवाही की जानकारी

118-कुं0 रेवती रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में राज्य विद्युत् परिषद् की कुल वर्ष 1997-98 की अनुमानित आय क्या है? कितनी धनराशि किन सरकारी संस्थाओं पर बकाया है? उसे वसूलने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वर्ष 1997-98 में कुल राजस्व आय रु0 5170.90 करोड़ है (ग्रामीण-विद्युतीकरण सहायिकों को छोड़कर) विभिन्न सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम आदि पर 3/98 के अंत तक रु0 1766.06 करोड़ हैं। **सूची संलग्न है।**

शासन द्वारा गठित "राज्य वित्त आयोग" के निर्णय के तहत रु0 938.05 करोड़ बकाया राशि निहित है।

केन्द्रीय सरकार के अधीन आई0 डी0 पी0 एल0 एन0 टी0 सी0 एवं बी0 आई0 सी0 मिल्स के बकाया राशि उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 द्वारा देनदारियों (एन0 टी0 पी0 सी0, एन0 एच0 पी0 सी0 आदि) पर समायोजन हेतु प्रयास किये जा रहें हैं। कुल राशि लगभग रु0 120.63 करोड़ है।

सिंचाई विभाग पर बकाया विवादास्पद है। विवादास्पद राशियों के मिलान का प्रयास किया जा रहा है यह राशि रु0 331.93 करोड़ है।

शेष सभी विभागों से "वसूली करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें रु0 375.45 करोड़ प्रभावित है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 219 पर)

जनपद कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 में विभिन्न स्रोतों से अर्जित की गई सम्पत्ति तथा प्राधिकरण के आय के स्रोतों की जानकारी।

119-श्री बाल चन्द्र मिश्र-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 में विभिन्न श्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गई? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के श्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई?

श्री लाल जी टण्डन-

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का अर्जन किया जाता है। वर्ष 1996-97 में विकास प्राधिकरण द्वारा कोई भूमि अर्जित नहीं की गयी।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय श्रोत थे। उक्त वर्ष में 715

भवनों का निर्माण कर एवं 1223 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गई।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98 में आय के श्रोतों व अर्जित की गई धनराशि

120-श्री बाल चन्द्र मिश्र-

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98 में विभिन्न श्रोतों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की गई? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्राधिकरण के आय के श्रोत क्या थे तथा उक्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गई?

श्री लाल जी टण्डन-

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अचल सम्पत्ति के रूप में केवल भूमि का अर्जन किया जाता है। वर्ष 1997-98 में विकास प्राधिकरण द्वारा कोई भूमि अर्जित नहीं की गई।

भवनों/भूखण्डों के आवंटन, किस्तों की वसूली, किराया, नक्शा स्वीकृति/विपरीत निर्माण के तावान, ऋण/अनुदान प्राधिकरण के वित्तीय श्रोत थे। उक्त वर्ष में 664 भवनों का निर्माण कर तथा 1834 भूखण्डों का विकास कर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी की गई।

जनपद सुल्तानपुर प्रदेश के अम्बेडकर गांव के रूप में चयनित ग्राम सभा अफोइया ब्लाक-सायगढ़ तहसील, गौरीगंज, के विद्युतीकरण का मामला

121-कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, वर्ष 1997 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0-80 में यह उत्तर दिया गया था कि अम्बेडकर गांव के रूप में चयनित ग्राम सभा-अफोइया, ब्लाक-सायगढ़ तहसील गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर में 12 खम्भों में तार लगाकर अगस्त, 1997 तक लाइन चालू करने का लक्ष्य है? क्या उक्त गांव में न तो अभी तक तार खींचा गया और न ही लाइन चालू की गयी? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार शीघ्र ही तार खिंचवाकर लाइन चालू करने के निर्देश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राधेश्याम कोरी-

जी हाँ।

यद्यपि यह अम्बेडकर ग्राम विगत में ही विद्युतीकृत किया जा चुका है परन्तु उचित संख्या में विद्युत् कनेक्शन लेने वाले भावी उपभोक्ताओं की उपलब्धता सुनिश्चित न होने के कारण शेष कार्य नहीं किया जा सका। कनेक्शन लेने वाले

इच्छुक व्यक्तियों की उपलब्धता की दशा में शेष कार्य तुरन्त करा दिया जायेगा। इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उचित संख्या में विद्युत् कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं द्वारा समस्त विभागीय औपचारिकतायें पूर्ण करने की दशा में शेष कार्य तुरन्त कर दिया जायेगा। इस कार्य हेतु उक्त गांव में एक विशेष कैम्प लगाकर सम्भावित उपभोक्ताओं का पता लगाने का आदेश सम्बन्धित अवर अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी को दिया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश राज्य कल्याण निगम के कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान की जानकारी

122-श्री विनोद मणि, डा0 वकार अहमद शाह, श्री जोखू लाल यादव तथा श्री राम तेज यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को इस बात की जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लखनऊ में दो पहिया वाहन क्रय करने हेतु राज्य कर्मचारियों से उसके रजिस्ट्रेशन एवं ओवर राइडलिंग से मिलने वाली आय से उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान कराया जाता रहा है? क्या उपरोक्त व्यापार कर समाप्त कर देने से कल्याण निगम के कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु कोई अन्य व्यवस्था करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है? उक्त कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य देयों का भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ऐजाज रिज़वी-

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम अपने व्यापार से प्राप्त लाभांश से कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान करता है।

जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
कर्मचारियों का वेतन भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।
प्रश्न नहीं उठता।

नगर परिषद् उतरौला जनपद बलरामपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक करने की मांग

123-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-एम-4/96-12/गोण्डा/97, दिनांक 29.10.97 जो नगर परिषद् उतरौला जनपद

बलरामपुर के शेष 8 वार्डों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियंत्रित मूल्य की दुकानें स्थापित कराने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ऐजाज रिज़वी-

जी हां।

नगर परिषद् उतरौला में उचित दर की 17 दुकानें संचालित है, जिनसे नगर परिषद् उतरौला में प्रचलित 5827 राशन कार्डों के अंतर्गत 34,756.5 यूनिटों को उक्त 17 उचित दर की दुकानों से सम्बद्ध करके अनुसूचित वस्तुओं के वितरण का कार्य शासन की नीति के अनुसार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्रम विभाग के रीजनल कार्यालय में कार्यरत लिपिकों की पदोन्नति का मामला

124-डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1993 में निर्धारित लिपिक वर्ग से श्रम निरीक्षक की प्रोन्नति हेतु रीजनल कार्यालयों में कार्यरत लिपकों के 10 प्रतिशत कोटे की पूर्ति की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि मुख्यालय के कोटे की पूर्ति कर दी गई है? यदि हां, तो क्या रीजनल लिपिकों की डी0पी0सी0 एक माह में कराकर इनको भी प्रोन्नति देने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी नहीं।

उस समय पद श्रम निरीक्षक था इसे वर्तमान में बदलकर श्रम प्रवर्तन अधिकारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली का प्रख्यापन 6 जून, 1992 को किया गया तथा प्रोन्नति की कार्यवाही वर्ष 1994 में की गई।

वर्ष 1993 में मुख्यालय के कोटे की पूर्ति प्रोन्नति में नहीं हुई थी, किन्तु वर्ष 1998 तक इस कोटे की 100 प्रतिशत पूर्ति कर दी गयी। प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वर्ष 1998 तक 10 प्रतिशत रीजनल लिपिक कोटे से प्रोन्नति का कोटा पूरा है, कोई प्रोन्नति से भरा जाने वाला पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की प्रशिक्षुओं की वरिष्ठता सूची तैयार कर घोषित करने तथा लागू करने की मांग

125-श्री अशोक बाजपेयी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

प्रशिक्षुओं की वरिष्ठता सूची तैयार करने के सम्बन्ध में परिषादाज्ञा सं0-3180-आ0रा0-02/रा0वि0प0/96-5(148)/एनबी/92, दिनांक 3 अगस्त, 1996 निर्गत किया गया हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि लगभग दो वर्ष के अन्तराल में प्रशिक्षुओं की वरिष्ठता सूची घोषित की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त वरिष्ठता सूची को कब तक घोषित करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी नहीं। मुख्य अभियंता (जल विद्युत्) कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षुओं की एक वर्षवार कन्सोलिडेटेड वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं की संख्या बहुत अधिक है। परिषद् के कार्यालयों की विभिन्न इकाइयां सम्पूर्ण प्रदेश के नगरों एवं उपनगरों में व्याप्त हैं। प्राशिक्षुओं से संबंधित प्रकरण दीर्घावधि एवं वर्षों पुराने हैं। अतः इस कार्य को पूर्ण करने हेतु निश्चित समय सीमा का निर्धारण संभव नहीं है। जैसे ही वरिष्ठता सूची तैयार हो जायेगी उसे घोषित कर दिया जायेगा।

जनपद कानपुर नगर के जिला नगरीय विकास प्रधिकरण के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में डूडा द्वारा आंवटित हुये धन तथा इस धन से विधान सभा क्षेत्रों में कराये गये कार्यों के विवरण की जानकारी

126-श्री बाल चन्द्र मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के लिए पिछले 3 वर्षों में डूडा (जिला नगरीय विकास प्राधिकरण) के अन्तर्गत कुल कितना धन आंवटित हुआ ? इस धन से कौन-कौन से कार्य किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कराये गये हैं ?

श्री लाल जी टण्डन-

पिछले तीन वर्षों में डूडा, कानपुर, (जिला नगरीय विकास अभिकरण, कानपुर) को सूडा मुख्यालय द्वारा निम्न धनराशि आवंटित की है:-

वित्तीय वर्ष	धनराशि
1995-96	रु0 1,04,55, 000=00
1996-97	रु0 1,66,05, 100=00
1997-98	रु0 3,70,18, 400=00

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर, छावनी, कल्याणपुर, सीसामऊ एवं आर्यनगर में कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 220 पर)

जनपद कुशीनगर के अधिशासी अभियन्ता विद्युत् का मुख्यालय जिला पड़रौना में स्थापित किये जाने का मामला

127-श्री दीप लाल भारती-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर के अधिशासी अभियन्ता विद्युत् जनपद मुख्यालय पर न रहने से जनहित का कार्य प्रभावित हो रहा है? यदि हां, तो उनका कार्यालय जिला मुख्यालय-पडरौना में कब तक स्थापित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

पर्याप्त क्षेत्रफल का कार्यालय भवन उपलब्ध न होने के कारण अधिशासी अभियन्ता, कुशीनगर के कार्यालय का मुख्यालय पडरौना में स्थापित नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत की थाम-ड्यूरी पेयजल योजना की लागत की जानकारी तथा योजना पूरी न होने के कारणों की जांच

128-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चम्पावत जनपद की थाम-ड्यूरी पेयजल योजना जो 7 किमी0 लम्बी है, का निर्माण पूरा हो चुका है? इस पेयजल योजना की लागत क्या है? कितने गांव लाभान्वित होंगे? यदि नहीं, तो क्या योजना पूरी न होने की जांच सरकार करायेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल निशंक-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला चम्पावत की "घुरचुम" जल विद्युत् परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने की मांग

129-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जिला चम्पावत की "घुरचुम" जल विद्युत् परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक शुरू कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र-9 के लगभग दस वर्ष पूर्व किये गये ऊर्जीकृत गांवों के पुनः विद्युतीकरण की मांग

130-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 9, पिथौरागढ़ के कितने गांव ऐसे हैं जिनको बहुत पहले से विद्युतीकरण युक्त दर्शाया गया है, परन्तु वहां न विद्युत् पोल है और न तार लाइन ही है ? क्या उक्त गांवों को पुनः विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ ब्लाक-चम्पावत के दो ग्रामों तथा स्वाला (कोड-संख्या-552) एवं छतकोठ (कोड सं0 556) लगभग दस वर्ष पूर्व ऊर्जीकृत किये गये थे। इन ग्रामों में लगे लकड़ी के खम्भे इस लम्बे अंतराल में गल कर टूट गये एवं तार भी स्थल पर उपलब्ध नहीं हैं।

जी नहीं।

इन ग्रामों में काई वैध विद्युत् कनेक्शन न होने के कारण वर्तमान में खम्भे व तार पुनः लगवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बांदा जनपद के गाजीपुर अधरौरी आदि ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग

131-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 6 मई, 1997 को बांदा जनपद के गाजीपुर अधरौरी आदि ग्रामों में विद्युतीकरण किये जाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु जिलाधिकारी बांदा ने अपने पत्र सं0-786(5) घोषणा/बांदा दिनांक 12 अगस्त, 1997 द्वारा प्रमुख सचिव नियोजन उ0प्र0 शासन से बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत रु0 तीस लाख की मांग की थी परन्तु अभी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

धनराशि उपलब्ध होने पर ही कार्य कराया जाना संभव होगा। अतः कोई समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद के ग्राम कल्याणपुर में ऊर्जीकृत लाइनों में पावर न होने की शिकायत

132-श्री विजय पाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत विकास

खण्ड फतेहाबाद के ग्राम कल्यानपुर में बिजली के खम्भे गड़े हुए हैं तथा लाइन भी बिछाई गई है ? क्या विगत 25 वर्षों से बिना विद्युत् प्रवाह के लाइन खड़ी हुई है ? यदि हां, तो लाइन बिछाये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

उक्त लाइन पर कोई भी वैधानिक कनेक्शन नहीं है तथा लाइन में इस समय विद्युत् प्रवाह है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर में चौरे बाजार व गयासपुर में विद्युत् सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने की मांग

133-श्री सीताराम निषाद्-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद की तहसील बीकापुर में चौरे बाजार व गयासपुर में विद्युत् सब-स्टेशन की स्थापना का प्रस्ताव राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कब तक जारी हो जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पंचायत बेनीगंज में कई वर्ष पूर्व बनाई गई जल निगम द्वारा पानी की टंकी को चालू न किये जाने की जानकारी

134-श्री रामपाल वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की नगर पंचायत बेनीगंज में कई वर्ष पूर्व जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त पानी की टंकी चालू न करने का क्या कारण है ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। किन्तु नगर पंचायत, बेनीगंज द्वारा अभी योजना को टेकओवर न करने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है।

जनपद बरेली तहसील नवाबगंज के विकास खण्ड नवाबगंज व भदपुरा के शेष ग्रामों के विद्युतीकरण योजना के प्रारूप की जानकारी

135-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली तहसील नवाबगंज

के विकास खण्ड नवाबगंज व विकास खण्ड भदपुरा के शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की कोई योजना सरकार के विचारधीन है? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

ग्रामों का विद्युतीकरण शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार चयनित होने पर एवं धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में प्रश्नगत विकास खण्डों के शेष समस्त ग्राम विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं है।

नगर निगम लखनऊ से संबंधित खसरा सं0 664 की 15 बिस्वा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत

136-श्री तोता राम-

विधान सभा के द्वितीय सत्र वर्ष 1997 के 3 सरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 182 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि खसरा सं0 664 की 15 बिस्वा जमीन जो नगर निगम, लखनऊ की है, पर 4 व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा बताया गया है? क्या यह सही है कि उन पर श्री कल्याण सिंह तथा श्री जाकिर हुसैन का तो निकास का रास्ता है परन्तु झिनकन का निकास उन दोनों व्यक्तियों द्वारा बन्द कर दिया गया है? क्या सरकार झिनकन के प्रयोग हेतु निकास का रास्ता खुलवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में तोता का ताल 33/11 के0 वी0 ए0 उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने की मांग

137-श्री विजय पाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगर आगरा में तोता का ताल नाम से 33/11 के0 वी0 ए0 का उपकेन्द्र ताज पेट्रोजियम के अन्तर्गत स्वीकृत हैं? यदि हां, तो क्या तोता का ताल में ही उसका निर्माण कार्य करा दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

इस उपकेन्द्र का निर्माण तोता का ताल क्षेत्र के निकट मेन्टल हास्पिटल के पास कराया जा रहा है।

इस उपकेन्द्र का निर्माण 9/98 तक लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का बिलिंग प्रक्रिया में सुधार संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

138-श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ ने अपने पत्र संख्या-213, 214, 215, 216 दिनांक 25-1-95 के द्वारा बिलिंग प्रक्रिया में सुधार के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण एवं उपभोक्ताओं के शोषण तथा विद्युत परिषद् को आर्थिक हानि से बचाने विषयक पत्र जो कि सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को संबोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये विन्दुओं की जांच किसके द्वारा की गयी? संघ के सुझाव का पालन न करने के क्या कारण रहे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत निजी/सहकारी बैंकों में विद्युत बिल आदि जमा करने पर रोक लगाने विषयक जानकारी

139-श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत निजी/सहकारी बैंकों में विद्युत बिल आदि जमा करने पर कब-कब रोक लगाई गई? क्या इस संबंध में श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, तत्कालीन विधायक का पत्र दिनांक 1-12-94 जो कि मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) एवं अध्यक्ष, उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 को संबोधित था, पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ में राजधानी सहकारी बैंक लखनऊ में विद्युत बिल जमा करने पर दिनांक 31-12-1994 को रोक लगाई गई।

पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

140-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

प्रदेश के ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने की नीति

141-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने की नीति क्या है और अब तक चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में कुल कितने ग्रामों को विद्युतीकृत कर दिया गया और कितनों को किया जाना प्रस्तावित है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में 1997-98 में इस हेतु किन-किन गांवों को चयनित किया गया और उनमें किन-किन को अब तक विद्युतीकृत कर दिया गया?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वर्तमान में प्रदेश में ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु शासन द्वारा घोषित तीन प्रकार की योजनायें हैं:-

1-**अविद्युतीकृत (वर्जिन) ग्राम:-** प्रदेश के जो ग्राम सी0ई0ए0 की पुरानी परिभाषा से विद्युतीकृत नहीं हुए है, उनका विद्युतीकरण जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा चयनित किये जाने पर किया जाता है।

2- **गांधी ग्राम:-** पूर्व में प्रत्येक विकास खण्ड के अन्तर्गत एक गांधी ग्राम का चयन किया गया था जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक हो। इसके अतिरिक्त प्रदेश में दो अन्य ग्राम जो गांधी जी की स्मृति से जुड़े हुये हैं, को भी चयनित किया गया है।

3- **अम्बेडकर ग्राम:-** शासन द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार वर्तमान में 1000 से ऊपर वाले उन ग्रामों के जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या कुल आबादी 30% या उससे अधिक है, का चयन करके विद्युतीकरण किया जाता है।

वर्ष 1997-98 में 6194 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था। वर्ष 1997-98 में 2078 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया था।

जनपद मैनपुरी वर्ष 1997-98 में विद्युतीकरण हेतु संलग्न सूची में इंगित 27 ग्रामों को चयनित किया गया। इनमें से संलग्न सूची में दर्शाये गये सभी 27 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

(देखिये नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 226 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 4×110 मेगावाट टाण्डा तापीय परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त तारकोल पाइप छड़ एवं पल्लों की आपूर्ति में की गयी धांधली एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

142-श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 4×110 मेगावाट टाण्डा तापीय परियोजना के निर्माण में अधिकारियों द्वारा आवश्यकता से अधिक 10 गुना तारकोल, पाइप छड़ एवं पल्लों की आपूर्ति कराई गयी थी? यदि हां, तो अलग-अलग कितनी मात्रा में यह सामग्रियां प्रयोग की गयीं? क्या यह भी सही है कि पल्ले अत्यन्त घटिया स्तर के लिये गये हैं तथा तारकोल के ड्रमों में मिट्टी एवं सीमेन्ट के बोरियों में आधे से ज्यादा राख भरी हुई थी? यदि हां, तो इस मिलावट के लिये अब (मार्च, 1998) तक किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

सीमेंन्ट एवं तारकोल की गुणवत्ता उच्चकोटि की थी एवं उनका क्रय क्रमशः यू0 पी0 स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन (उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम) एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम/भारत पेट्रोलियम (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल सुल्तानपुर का श्री के0 पी0 सिंह -उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उप खण्ड अमेठी, सुल्तानपुर को प्रेषित पत्र एवं कार्यवाही की मांग

143-श्री तेजभान सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल, सुल्तानपुर का श्री के0 पी0 सिंह, उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड अमेठी, सुल्तानपुर को प्रेषित दिनांक 8-12-97 का पत्र जिसमें गौरीगंज में कार्यरत एस0 एस0 ओ0 के विरुद्ध शिकायत की जांच हेतु प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इसकी शिकायत क्या है तथा इसकी जांच कर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उक्त कार्यालय से दिनांक 8-12-97 को ऐसा कोई पत्र निर्गत ही नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ क्षेत्र उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद् सुल्तानपुर के केन्द्र गौरीगंज में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध प्रेषित शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

144-श्री तेजभान सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता लखनऊ क्षेत्र, उ0 प्र0 रा0 विद्युत परिषद् लखनऊ का अधीक्षण अभियन्ता वि0 वि0 मण्डल, उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद्, सुल्तानपुर को प्रेषित पत्रांक 710 मु0अ0 ल0क्षे0/वा/जी-4, दिनांक 11 अप्रैल, 1997 जो विद्युत उप केन्द्र गौरीगंज में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करने हेतु है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

उक्त शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच श्री के0 पी0 सिंह, उपखण्ड अधिकारी, अमेठी द्वारा की गयी किन्तु कोई भी आरोप सही नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत स्थापित रोलिंग मिल एवं आर्क फर्नेश की संख्या एवं औद्योगिक संस्थानों पर रेड मानीटरिंग यूनिट द्वारा डाले गये छापे में निलम्बित अधिकारियों की बहाली की जानकारी

145-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 200 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन 13 अधिकारियों के निलम्बन के अलग-अलग कारण तथा रेड मानिटरिंग यूनिट ने इन अधिकारियों पर क्या आरोप लगाये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि 13 नम्बर के अधिकारी के विरुद्ध निलम्बन आदेश भी सर्व नहीं हो पाया था? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनमें से कितने अधिकारी आज भी स्वतंत्र प्रभार का कार्य कर रहे हैं और कहां पर तथा 31 मार्च, 1998 में इनके परिसम्पत्तियों का विवरण क्या है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

केवल 12 अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। वांछित विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत प्रकरण में नियुक्ति अधिकारी द्वारा पुनर्विचारोपरान्त श्री आर0 एन0 यादव, अधिशासी अभियन्ता पर निलम्बन आदेश तामील न करके उसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

छः अधिकारी।

स्वतन्त्र प्रभार का कार्य कर रहे अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है:-

1- मुजफ्फर सईद सहायक अभियंता	132 के0वी0 उपकेन्द्र, शाहजहांपुर।
2- राम सरन खरे सहायक अभियन्ता	वि0 परीक्षण खण्ड, सुल्तानपुर।
3- आर0 एस0 चौधरी अधिशासी अभियंता	विद्युत वितरण खण्ड, सिद्धार्थनगर।
4- प्रभुनाथ सिंह सिन्हा अधिशासी अभियंता	विद्युत वितरण खण्ड-1, जौनपुर।
5- आर0 एन0 यादव, अधिशासी अभियंता	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, चौक, लखनऊ।
6- गिरवर सिंह अधिशासी अभियन्ता।	विद्युत वितरण खण्ड, बरेली।

संबंधित अधिकारियों से परिसम्पत्तियों का विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ 227 पर)

प्रदेश के चयनित अम्बेडकर ग्रामों का वर्ष 1996-97 के विद्युतीकरण के लक्ष्य की जानकारी एवं विद्युतीकरण कार्य का अन्य जगह कराने की शिकायत तथा जांच की मांग

146-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996-97 में कितने अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया? विद्युतीकृत ग्रामों का भौतिक सत्यापन किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया? क्या यह सत्य है कि अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण न करके कहीं और कार्य करा लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वर्ष 1996-97 में 1506 अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया। कार्य का भौतिक सत्यापन उपखण्ड अधिकारी/खण्ड अधिकारी तथा अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया।

अम्बेडकर ग्रामों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल अम्बेडकर ग्रामों का ही विद्युतीकरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेसर्स हिण्डालको रेनूकूट द्वारा करोड़ों रुपये की विद्युत चोरी सम्बन्धी मा0 विधायकों व सांसदों का संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायती पत्र दिनांक 10-1-97 को मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त होने एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

147-श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेसर्स हिण्डालको रेनूकूट द्वारा करोड़ों रुपये के विद्युत चोरी सम्बन्धी श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक, श्री देवी सिंह, सांसद, राज्य सभा एवं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 10-1-97 जो कि मुख्य सचिव को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ट" आगे पृष्ठ 231 पर)

विद्युत वितरण खण्ड कार्यालयों के साथ उपखण्ड कार्यालयों की आवश्यकतानुसार मुख्यालयों पर स्थापित करने तथा जनपद आजमगढ़ में उपकेन्द्र ठेकमा में खोले जाने के कारणों की जानकारी

148-श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड कार्यालयों के साथ उपखण्ड कार्यालयों की तैनाती जिला मुख्यालयों पर क्यों की जाती है? क्या यह सही है कि जिला मुख्यालयों पर उक्त कार्यालयों के स्थित होने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को जिलों के भुगतान/अनुरक्षण कार्यों आदि के लिये काफी दूरी तय करनी पड़ती है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्यालयों व अधिकारियों की तैनाती कार्य-स्थल पर करने हेतु कोई योजना बनायेंगे? यदि हां, तो कब तक? क्या यह सही है कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत 33/11 के0 वी0 उप विद्युत केन्द्र का उपखण्ड कार्यालय जो ठेकमा में स्वीकृत है उसे जिला मुख्यालय पर तैनात किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्यालय ठेकमा/बरदहं में बनवा कर उस पर कर्मचारियों/अधिकारियों की तैनाती करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विद्युत वितरण खण्ड/उपखण्ड कार्यालय आवश्यकता के अनुसार जिला मुख्यालय/तहसील मुख्यालय/अन्य स्थानों पर स्थापित किये जाते हैं।

जी नहीं। उपभोक्ताओं के बिलों के भुगतान/अनुरक्षण कार्यों आदि के लिए सामान्यतः समीप के 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर व्यवस्था होती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु उपभोक्ता शिविर भी लगाये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, आजमगढ़ जनपद में 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का उपखण्ड कार्यालय ठेकमा में स्वीकृत है परन्तु कार्यालय/आवास हेतु स्थानाभाव के कारण इस उपखण्ड का कार्यालय ठेकमा में स्थापित किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हमीरपुर, आजमगढ़ एवं जौनपुर आदि जनपदों में विद्युत चोरी का मामला

149-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हमीरपुर, आजमगढ़ एवं जौनपुर में विद्युत चोरी बड़े पैमाने पर की जा रही है? यदि हां, तो पारेषण से प्राप्त ऊर्जा में कितने मिलीयन का अन्तर वितरण में है? क्या यह सत्य है कि केवल हमीरपुर में ही 20 करोड़ रुपये से अधिक की विद्युत चोरी पकड़ी गई है? क्या इस संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 25-6-96 जो कि मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन एवं अध्यक्ष, उ0 प्र0 राज्य विद्युत को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार स्थिति क्या है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सचिव उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 द्वारा की जा रही अनियमितता के संबंध में एम0 एल0 सी0 द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

150-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सचिव, उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 द्वारा की जा रही अनियमितता के संबंध में श्री ब्रज भूषण सिंह, कुशवाहा, एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 17-8-97 एवं 26-8-97 जो कि क्रमशः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 सरकार को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग के अन्तर्गत मार्गों के नामकरण

151-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 6 ठें शुक्रवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0-16 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्गों का नामकरण अब तक स्व0 वरिष्ठ सदस्यों के नाम से क्यों नहीं किया गया? इसे कब तक कर दिया जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन-

"मार्गों के नामकरण से संबंधित निर्णय स्थानीय निकायों द्वारा लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश रा0 वि0 परिषद् के अन्तर्गत पनकी तापीय परियोजना में फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की वसूली

152-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद् के अन्तर्गत पनकी तापीय परियोजना में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त की है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की वसूली दिनांक 27-1-95 को परिषद् द्वारा स्थगित क्यों किया गया? कब तक वसूली कर ली जायेगी?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ नगर की राजाजीपुरम् कालोनी में लेसू द्वारा शिकायत कक्ष खोले जाने हेतु किये गये भुगतान के बाद भी न खुलने के कारणों की जानकारी

153-श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर की राजाजीपुरम् कालोनी के भवन संख्या बी-26 को वर्ष 1990 में लेसू द्वारा "शिकायत कक्ष" खोलने हेतु किराये पर अनुबन्धित किया था? क्या यह सही है कि भवन स्वामी को लेसू द्वारा मार्च, 1995 तक के किराये का भुगतान कर दिया गया परन्तु अप्रैल, 1995 से किराये की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो इसका दोषी कौन है? क्या सरकार भवन स्वामी को किराये का भुगतान करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी हां। मार्च 1995 तक के किराये का भुगतान भवन स्वामी को कर दिया गया है किन्तु अप्रैल, 1995 से भवन स्वामी द्वारा बढ़ी दर पर किराये की मांग के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है।

बढ़ी दर पर किराये के भुगतान हेतु अधिकृत समिति से अनुमोदन अब प्राप्त हो गया है तथा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है इसके लिये कोई दोषी नहीं है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र उतरौला में स्वीकृत अम्बेडकर नगर योजना के अन्तर्गत कराये गये अधूरे कार्यों को पूर्ण किये जाने की मांग

154-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें अम्बेडकर ग्राम योजना में स्वीकृत की गयी थीं? यदि हां, तो कितने लागत का आगणन बनाया गया था? स्वीकृत धनराशि किन-किन मार्गों पर किस-किस कार्य के लिए व्यय की गयी है और सम्पर्क मार्गों को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया गया है? कार्य कराये जाने का मानक क्या था? क्या कार्य मानक के अनुसार नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार गुणवत्ता की जांच करायेगी और अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राधेश्याम कोरी-

विधान सभा क्षेत्र उतरौला (जनपद बलरामपुर) में वित्तीय वर्ष 1995-96 में 3 अम्बेडकर ग्राम, वर्ष 1996-97 में 1 अम्बेडकर ग्राम तथा वर्ष 1997-98 में 10 अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं, जिनकी वर्षवार सूची निम्नवत है:-

क्र0-सं0	वर्ष	विधान सभा का नाम	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1.	95-96	उतरौला	1- ठेड़वा ऐमा
			2- बासूपुर
			3- सिकरामाकी
2	1996-97	उतरौला	1- बन्जरिया
3	1997-98	उतरौला	1- उतरौला ग्रामीण
			2- विलरिया
			3- बभनीखास
			4- रमवापुर खुर्द

1	2	3	4
			5- देवरिया मुबारकपुर 6- अमारेभरिया 7- भिटरिया परसपुर 8- नन्दमहरा 9- अगहवा 10- सहियापुर

लोक निर्माण विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में निम्नलिखित अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्ग योजना स्वीकृत की गयी है:-

वित्तीय वर्ष	सम्पर्क मार्ग का नाम
1995-96	——
1996-97	बन्जरिया अम्बेकडकर ग्राम
1997-98	1- विलरिया ग्राम सम्पर्क मार्ग 2- देवरिया मुवारकपुर मार्ग

आगणन की स्थिति निम्नवत् है:-

सम्पर्क मार्ग का नाम	आगणन की स्वीकृत लागत
बंजरिया अम्बेडकर ग्राम	36.00
विलरिया ग्राम	18.20
देवरिया मुबारकपुर	17.01

स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध कार्यों का विवरण निम्नवत् है:-

मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि	कराया गया कार्य
1	2	3
बंजरिया ग्राम	36.00	6.00 कि0 मी0 लम्बाई हेतु पत्थर का एकत्रीकरण कर लिया गया है तथा 3 कि0 मी0 लम्बाई में द्वितीय सतह लेपन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
विलरिया	18.20	धनाभाव के कारण कार्य नहीं हुआ है।

1	2	3
देवरिया मुबारकपुर	17.01	धनाभाव के कारण कार्य नहीं हुआ है। धनाभाव के कारण समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार। मानक के अनुसार कार्य कराया गया है। प्रश्न नहीं उठता। जी हां। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की विद्युत वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत निर्माणाधीन सब-स्टेशन कोयलसा (आजमगढ़), फूलपुर (आजमगढ़) को पूर्ण होने में की जा रही देरी के कारणों की जानकारी

155-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की विद्युत वितरण व्यवस्था के सुधार के लिये 1978 से निर्माणाधीन 132 के0 वी0 सब स्टेशन कोयलसा (आजमगढ़) तथा 1980 से निर्माणाधीन 132 के0वी0 सब स्टेशन फूलपुर (आजमगढ़) पर अब तक कुल कितना धन खर्च हुआ है? लगभग बीस वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त दोनों सब-स्टेशनों के चालू न हो पाने के कारण क्या हैं? उक्त दोनों सब स्टेशन कब तक चालू हो जायेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

132 के0 वी0 उपकेन्द्र कोयलसा (आजमगढ़) के निर्माण पर अब तक कुल 33.80 लाख रु0 धन खर्च हुआ।

132 के0 वी0 उपकेन्द्र फूलपुर (आजमगढ़) पर अब तक कुल रु0 54.80 लाख धन खर्च हुआ।

विद्युत परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण यह कार्य परिषद् के आंतरिक संसाधनों से कराया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

उक्त दोनों उपकेन्द्रों के निर्माण का कार्य वर्ष 1998-99 की कार्य सूची में सम्मिलित हैं। परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति एवं संसाधन की अनुपलब्धता के कारण इन उपकेन्द्रों के पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ करने व चालू होने की तिथि निर्धारित करना संभव नहीं है।

जनपद उन्नाव में 400 के0 वी0, 800 के0 वी0 विद्युत केन्द्रों के निर्माण में अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

156-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद उन्नाव में 400 के0 वी0, 800 के0 वी0 विद्युत केन्द्रों का निर्माण कार्य वर्तमान में (1998) में चल रहा

है ? यदि हां, तो उसके निर्माण में किन-किन काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की गई है ? क्या भूमि अधिग्रहीत करने की विज्ञप्तियाँ जारी कर दी गई है ? क्या इसमें भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) धारा 6(1) धारा 17 का उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि को ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या भू-स्वामी को मुआवजे की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उ0प्र0रा0वि0 परिषद् के वी0ओ0 सं0 3060-कार्य/चौदह ÷ 11/रा0वि0प0/86/ए0आर0/6-ओ0डी0 (डी) ओ0डी0 1/86, दिनांक 1-12-1986 के अनुसार भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

166 काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उनकी सूची संलग्नक "क" एवं "ख" संलग्न है।

जी हां

जी हां।

धारा 4/17 दिनांक 31-1-90 एवं धारा 6/17 दिनांक 29-1-91 को सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में प्रकाशित हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ठ" आगे पृष्ठ 234 पर)

कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई लि0 (सेसू) लखनऊ के विकास खण्डों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की मांग

157-श्री राजधारी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई लि0 (सेसू), लखनऊ के 6 विकास खण्ड मलिहाबाद, सरोजनीनगर, काकोरी, मोहनलाल गंज, गोसाईंगंज, माल के विद्युत वितरण/संचालन कार्य के लाइसेंस की वैधता तिथि दिनांक 28-3-97 को समाप्त हो गई थी ? क्या सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 3-4-97 में लिये बिन्दु सं0-3 के अन्तर्गत सेसू में नियुक्ति समस्त नियमित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उ0प्र0रा0वि0 परिषद् में समाहित कर दिये गये ? क्या परिषद् के संयुक्त सचिव ने दिनांक 26 अगस्त, 1997 को मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र से उपरोक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में आख्या मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त आख्या प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

158-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उप पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) एवं सहायक अभियन्ता, केशा, कानपुर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

159-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उप पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) एवं सहायक अभियन्ता, केसा, कानपुर द्वारा जनवरी, 1985 से 31 मार्च, 1985 तक कुल कितने उपभोक्ताओं की चेकिंग की गई? क्या मंत्री जी उन उपभोक्ताओं के नाम बतायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ने पेनाल्टी क्यों नहीं रेज किया? क्या इस संबंध में कोई अनियमितता पाई गई थी? यदि हां, तो तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गबन आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी मामलों की रिपोर्ट (प्राथमिकी) न दर्ज कराने की प्रवृत्ति के कारण दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही

160-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गबन, आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी मामलों में थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं? मुख्य अभियन्ता, लेसू (लखनऊ) एवं लखनऊ क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में स्पेशल आडिट के दौरान कितने मामलों में सतर्कता जांच की संस्तुति की गयी? प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज कराने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या यह सत्य है कि आर्थिक अनियमितता गबन के दोषी अधिकारियों को लगातार प्रोन्नति दी गई है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के लिये परिषदीय आदेश हैं तथापि तत्संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पुनः आदेशित कर दिया गया है?

पिछले तीन वर्षों में नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, चौक (लेसू) लखनऊ एवं विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी के स्पेशल आडिट के उपरांत इन दो मामलों में सतर्कता जांच की संस्तुति की गई।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराने के लिये कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है क्योंकि विशेष सम्प्रेक्षा के उपरांत दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित करने के लिये परिषद्‌ीय सतर्कता इकाई द्वारा जांच की जा रही है।

अधिकारियों की प्रोन्नति तत्संबंधी सेवा विनियमावली के अन्तर्गत की जाती है।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मछोड़-भौनखाल-चिमटाखाल सड़क के निर्माण की जानकारी तथा उस पर डामरीकरण आदि कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

161-श्री अजय भट्ट-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के भिकियासैंण तहसील के अन्तर्गत मछोड़-भौनखाल-चिमटाखाल सड़क का निर्माण कब हुआ? इसमें आज तक डामरीकरण/ब्लैकेटिंग आदि न कराये जाने का क्या कारण है? उक्त मार्ग का डामरीकरण आदि कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

वर्ष 1974-75 में।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा में कई वर्ष पूर्व निर्मित हुये भुजान-रीची-बिल्लेख मोटर मार्ग के डामरीकरण किये जाने की मांग

162-श्री अजय भट्ट-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भुजान-रीची-बिल्लेख मोटर मार्ग कई वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था? यदि हां, तो अब तक इसका डामरीकरण न होने का क्या कारण है? क्या उपरोक्त मार्ग के डामरीकरण एवं अन्य कार्यों का कोई प्राक्कलन शासन स्तर पर लम्बित है? क्या उक्त मोटर मार्ग का डामरीकरण/ब्लैकेटिंग आदि का कार्य इस वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

जी हाँ।

सीमित संसाधनों के कारण।

जी हां। वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्राप्त हुआ था, जिसकी स्वीकृति सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नहीं दी जा सकी। अब संसाधनों की उपलब्धता होने पर पुनः पुनरीक्षित आगणन प्राप्त कर कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

(समय 11 बजकर 20 मिनट)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 17 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित छः सूचनाएं स्वीकार की गई।

पहली श्री प्रभू नारायण सिंह यादव जी की, दूसरी श्री राम नक्षत्र जी की, तीसरी श्री आर0 के0 चौधरी जी की, चौथी श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना जी की, पांचवी श्री मतेश चन्द्र सोनकर जी की, छठी प्रतीक्षा सूची से श्री भोला शंकर मौर्य जी की स्वीकार की गई। शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गई।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद चन्दौली में नवम्बर, 1997 में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अवशेष बचे हुए लोगों को सहायता दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रभुनारायन सिंह यादव-

(महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चन्दौली में नवम्बर 97 में हुए ओलावृष्टि से हुई क्षति की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर ओला वृष्टि से काफी क्षति चन्दोली जनपद के निवासियों को हुआ है। और उसकी सर्वे रिपोर्ट भी जिला स्तर पर लम्बित हैं कुछ लोगों को सहायता दी गई परन्तु सर्वे रिपोर्ट के अनुसार काफी लोग वंचित रख गये हैं। इससे सरकार व जिला प्रशासन से जनता का भरोसा उठता जा रहा है। लोग आन्दोलित हैं और सहायता सामग्री न मिलने से लोगों में काफी निराशा है। खाने-पीने के सामान लोगों के पास नहीं हैं। यह जनपद नवसृजित जनपद है और वहां के लोग काफी पिछड़े हुए हैं। कोई रोजगार का साधन नहीं है। सारी फसलें नष्ट होने से तबाही मची हुई है।

अतः मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अवशेष बचे हुए लोगों की सामग्री धनराशि तत्काल दिलाने हेतु मांग करता हूं।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आबकारी विभाग के सहायक अल्कोहल टेक्नोलोजिस्ट के पद पर चयन में की गयी धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम नक्षत्र-

(महोदय, लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/96-97, दिनांक 26 अगस्त, 1996 के परिप्रेक्ष्य में आबकारी विभाग के सहायक अल्कोहल टेक्नोलोजिस्ट के पद पर सीधी भर्ती हेतु चयन किया गया है। उक्त चयन में निर्धारित योग्यता न रखने वाले अपात्र व्यक्तियों का चयन कर लिया गया है एवं पात्र व्यक्तियों के अधिकारों का हनन किया गया है। इस सम्बन्ध में आबकारी सचिव ने पत्रांक 2309 ई-1/तेरह-98-140/94, दिनांक 21 फरवरी, 1998 द्वारा उक्त नियुक्तियों को संदिग्ध मानकर आबकारी आयुक्त को जांच का आदेश दिया गया था, किन्तु न तो जांच करायी गयी और न नियुक्ति ही निरस्त की गयी। इससे पात्र व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो रहा है।

अतः इसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के नियम 301 में उठाने की अनुज्ञा दी जाये।)

जनपद लखनऊ के मोहन लाल गंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बस्तरा के पास लोनी नदी पर पुल बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री आर0 के0 चौधरी-

(महोदय, विधान सभा क्षेत्र-मोहन लाल गंज जनपद-लखनऊ में लोनी नदी पर ग्राम बस्तरों के पास सुश्री मायावती के शासन काल में सेतु और लखनऊ रायबरेली मुख्य सड़क से शेरपुर लवल होते हुए नदौली तक 7 कि0मी0 सड़क स्वीकृत किया गया तथा धन आवंटन के उपरान्त हेतु तथा सड़क का निर्माण प्रारम्भ हो गया, परन्तु अब निर्माण कार्य रोक दिया गया है जिसके कारण जनता में अत्याधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त सेतु के निर्माण की मांग करता हूं।)

जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत की खराब सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

(महोदय, जनपद बागपत के सबसे बड़े कस्बा बड़ौत की हालत अति दयनीय हैं वहां की जनता नरकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। बरसात के समय पूरा शहर एक टापू बन जाता है। जिससे वहां के अध्ययन कर रहे लगभग 50 हजार बच्चों को तथा आम नागरिक को सड़कों पर निकलना दूभर हो जाता हैं। जिससे कोई न कोई दुर्घटना हुआ करती हैं। कई बार प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के बाद भी इसके निदान हेतु कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

अतः मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल सड़कों की मरम्मत कराने की मांग करता हूं।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जवई पड़री में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मतेश चन्द्र सोनकर-

(महोदय, माननीय अध्यक्ष जी सरकार द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र ग्राम-जवई पड़री, सिराथू जिला कौशाम्बी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनना अति आवश्यक है। उक्त गांव के लोगों को चिकित्सा हेतु काफी परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि 15 कि0मी0 की दूरी तय करना पड़ता है एवं ग्राम जवई पड़री गांवों के आस-पास की आबादी लगभग 10 हजार है।

माननीय अध्यक्ष जी से सादर अनुरोध है कि सरकार को जनहित को देखते हुए स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम जवई पड़री में बनवाने हेतु आदेश दें।)

जनपद बदायूं के ग्राम बेहटा गोसाई विकास खण्ड अम्बियापुर के ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी भवन पर किये गये अवैधानिक कब्जे को हटवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भोला शंकर मौर्य-

(महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम-बेहटा गोसाई विकास खण्ड अम्बियापुर की कन्या प्राइमरी पाठशाला को ग्राम प्रधान ने अनधिकृत कब्जे में ले लिया है और विद्यालय की छात्राएं खुले में पढ़ रही हैं। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं ने अपने पत्र संख्या-4491-93/95-96 दिनांक, 11 मार्च, 1996 को तथा थानाध्यक्ष बिलसी को पत्रांक पांच/97-97, दिनांक 15 अप्रैल, 1997 को तथा पुलिस अधीक्षक बदायूं 22 अप्रैल, 1997 को एवं 8 अगस्त, 1997 को तहसीलदार बिलसी को अनेकों बार अवैध कब्जा हटाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लिखित सूचना दी। जब पुलिस हरकत में आयी और एस0डी0एम0 ने मौके पर जाकर कब्जा हटवा दिया और फिर से राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके ग्राम प्रधान ने फिर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और अबोध एवं निरीह बच्चे इधर-उधर घूम रहे हैं। उनके लिए कोई भी सरकारी भवन पढ़ाई के लिए उपलब्ध नहीं है।

अतः इस लोक महत्व एवं जनहित के प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि शासन को स्पष्ट निर्देश प्रदान किये जायें कि ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी भवन पर किये गये अवैधानिक कब्जे को तत्काल हटवायें और बच्चों की पढ़ाई की सुविधा सरकारी भवन में प्रदान करें।)

राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये अधिनियमों के अन्तर्गत नियमावलियां न बनाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

आज नियम-300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें पहली डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये अधिनियमों के अन्तर्गत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियमावली के न बनाये जाने के बारे में है। माननीय बाजपेयी जी, आप दो मिनट संक्षेप में अपनी बात कहें।

* डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, हमारी नियमावली के नियम 200, 244, 245 हैं जिसमें समितियों के बनाने का प्राविधान है जिसमें एक प्रतिनिहित विधायन समिति है जिसका काम अधिनियमों के अन्तर्गत जो रूल्स बनते हैं उसके परीक्षण का काम है, मेरे पास एक लिस्ट है, जब से यहां विधेयक बने हैं, यूनाइटेड प्राविन्स से लेकर आज तक करीब 200 से अधिक अधिनियम हैं जिनमें से आधे से अधिक में नियमावली नहीं बनी है। 1939 में यू0पी0. इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट बना तथा उसमें 1994 में संशोधन भी हुआ लेकिन अभी तक उस अधिनियम के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नियमावली नहीं बनाई इसी तरह एक और काशी विश्वनाथ मंदिर के संबंध में अधिनियम बना परन्तु नियमावली नहीं बन कर आयी।

मैं मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं, जब नियमावली में प्राविधान है कि अधिनियम बनने के बाद विभाग नियम बनायेगा और उसका परीक्षण करने के लिए प्रतिनिहित विधायन समिति में भेजा जाता है और उसमें उन नियमों का परीक्षण होता है, अगर कोई ऐसे नियम होते हैं जो उसकी भावना के अनुकूल नहीं होते हैं तो समिति उस पर अपनी रिपोर्ट देती है और वह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाती है। यह मैंने एक 1949 का उदाहरण दिया। जिसमें अभी तक नियम नहीं बने हैं सदन के पटल पर या प्रतिनिहित विधायन समिति के सामने आने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शासन को निर्देश दें कि अब तक जो अधिनियम विधान सभा द्वारा पारित किये गये हैं अगर उनमें नियमावली बनाने का प्राविधान है तो तीन माह के अन्दर नियमावली बनाकर प्रतिनिहित विधायन समिति के माध्यम से नियमावली विधान सभा को सौंपें। शासन के विभाग इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली न बनाकर अपनी स्वेच्छाचारिता से प्रशासनिक आदेशों के जरिये कार्य कर रहे हैं उससे अधिनियम जो बना है चाहे वह राज्य कर्मचारियों के लिए बना है चाहे वह जनता के लिए बना है उनके हितों की अनदेखी हो रही है और उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है। विभाग अपनी मर्जी से नियमों का इंटरपिटेशन कर रहे हैं तो मैं औचित्य के माध्यम से निवेदन करूंगा कि शासन को निर्देश दें कि अब जिन अधिनियमों जिनमें नियम बनाने के बारे में अधिकार दिया गया था तीन माह के अन्दर नियमावली बनाकर प्रतिनिहित विधायन समिति को सौंपे ताकि समिति उन पर विचार करके प्रतिवेदन विधान सभा को सौंपे जिससे विधान सभा ने जिस भावना से अधिनियम बनाया उस भावना की पूर्ति हो सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री * (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, कहीं न कहीं भ्रम की स्थित है अधिनियम पारित होगा और उसके बाद अधिनियम की मंशा को लागू करने में यदि नियमों की आवश्यकता है तो नियम बनाये जायेंगे। अगर नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है और अधिनियम की धाराओं से काम चल जाता है तो नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 246 का जिक्र किया इससे प्रतिनिहित विधायन समिति का कोई संबंध नहीं है। इससे प्रतिनिहित विधायन समिति का कोई लेना देना नहीं है इसमें केवल समझने का अंतर है। माननीय सदस्य पढ़ने-लिखने की कोशिश करते हैं इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। अगर कहीं किसी अधिनियम के अन्तर्गत यदि नियम बनाने की आवश्यकता होती तो नियम बनाये जाते हैं और पटल पर रखे जाते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा मेरा कहना है कि अधिनियम के माध्यम से यदि नियम बनाने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए थी तो फिर यह अधिकार क्यों दिया था? 200 अधिनियम ऐसे पारित किये गये हैं जिनमें रूल्स बनाने का प्राविधान है मेरा निवेदन है कि आप निर्देश दें कि अधिनियम में जो रूल्स बनाने का प्राविधान है उसके अनुरूप शासन रूल्स बनाकर प्रस्तुत करे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से सहायता चाहूंगा कि उन विशिष्ट अधिनियमों का उल्लेख करके उनकी सूची दें जिसमें उनको आशंका है कि नियम नहीं बने हैं तो उसका परीक्षण करा सकते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि 1939 में अधिनियम बना अब उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जायेगा बहुत से ऐसे अधिनियम बने उसमें से अनेक तो समाप्त हो गये होंगे, निष्प्रभावी हो गये होंगे, तो ऐसे अधिनियमों को फिर लाया जाये और फिर नियम बनाये जायें यह उचित नहीं होगा। जैसा मैंने पहले ही कहा इसमें कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह दूर की जायेगी।

(समय 12 बजकर 30 मिनट)

श्री अधिष्ठाता-

डा0 बाजपेयी जी की सूचना नियम 300 की ग्राह्यता के आवश्यक मानकों के रूप में नहीं आती है। अतः इसे अस्वीकार किया जाता है।

अप्रेन्टिस प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

दूसरी सूचना श्री समरपाल सिंह की अप्रेन्टिस प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन न किये जाने के संबंध में है। श्री समरपाल सिंह संक्षेप में अपनी बात कहें।।

नोटः- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री समरपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सदन नियमों से, परम्पराओं से चलता है और यदि अध्यक्ष पीठ से कोई निर्देश सरकार को दिया जाय तो यह सरकार का परम कर्तव्य है और यह अपेक्षा की जाती है कि उसका पालन किया जायेगा। 7 जुलाई, 1998 को हमने नियम 56 में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस प्रशिक्षुओं के बारे में प्रश्न उठाया था उसको अग्राह्य करते हुए अध्यक्ष पीठ से निर्देश दिया गया था कि रिक्तियों की संख्या को देखते हुए शासनादेश की भावना के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पृष्ठभूमि में आवश्यक कदम उठाये जाएं, यह निर्देश अध्यक्ष पीठ से था। उसके बावजूद अगर कदम नहीं उठाये जाते हैं तो औचित्य का प्रश्न उठता है। माननीय अधिष्ठाता जी, शासनादेश क्या था, यह बता दूं। वह यह था कि अप्रेन्टिस प्रशिक्षुओं को वरीयता प्रदान करते हुए उनके समायोजन की कार्यवाही उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाये, इतना ही नहीं यह भी लिखा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और संबंधित सेवा नियमावली में यदि संशोधन अपेक्षित हो तो तत्काल सेवा नियमावली में अपेक्षित संशोधन किये जायं। मान्यवर, अगर यह कहा जाय कि रिक्तियां नहीं हैं तो रिक्तियां हैं।

माननीय अध्यक्ष पीठ से निर्णय हो गया इसके बावजूद अखबार में रिक्तियां प्रकाशित की जा रही हैं और जो अप्रेन्टिस ट्रेनी हैं उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 25 हजार अप्रेन्टिस ट्रेनी मौजूद हैं जिनका सेलेक्शन करने के बाद उनके ट्रेनिंग पर पैसा खर्च किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें समायोजित करने का निर्देश दिया तथा मुख्य सचिव ने समस्त विभागाध्यक्षों और विभाग के सचिवों को आदेश जारी किया कि अगर सेवा नियमावली में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो तत्काल परिवर्तन कर दें और रिक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनकी भर्ती की जाय। मान्यवर, जब यह नहीं हुआ तो मैंने नियम-56 में इस प्रकरण को उठाया और पीठ से अग्राह्य कर दिया गया लेकिन उसके साथ ही पीठ से यह निर्देश दिया गया कि शासनादेश की भावना एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कदम उठाये जायं। मान्यवर, कदम यह उठा रहे हैं, वैकेन्सी निकालते जा रहे हैं लेकिन अप्रेन्टिस प्रशिक्षुओं का ही जिक्र नहीं है और यह सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं मुख्य सचिव के जी0ओ0 का परिपालन सुनिश्चित नहीं करा रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय अध्यक्ष पीठ से जो निर्देश दिया गया उसका भी पालन नहीं कर रही है तो मेरा सदन में बैठने का और सूचनायें देने का औचित्य ही क्या बनता है। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न उठता है अतः इसमें व्यवस्था देने की कृपा करें।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और यह जानते हैं कि जिसकी सूचना होती है वही अपने विचार रखता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपकी कृपा पूर्ण सहमति से कुछ बातें कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, अगर कोई विशेष बात है तो संक्षेप में कहें।

* श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, केवल एक निवेदन है। डिप्लोमा अप्रेन्टिस ट्रेनीज के बारे में शासनादेश व माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद उनके समायोजन में सरकार को क्या कठिनाई है? मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से चाहता हूं कि आप नये पदों का सृजन व नई नियुक्तियां करने जा रहे हैं तो इन अप्रेन्टिस प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता के आधार पर रखने का आश्वासन दे दें। यह बहुत कठिनाई में हैं। यह लगातार 50 दिनों से धरने पर हैं और उनकी जो कठिनाई है वह पूरा प्रदेश जानता है। मान्यवर, इस विषय को कई बार सदन में उठाया जा चुका है। इस सदन से न्याय नहीं मिला है।

* पंजीयन मनोरजन कर स्टाम्प एंव न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) -

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस शासनादेश का हवाला दिया गया है उस शासनादेश में यह है। अप्रेन्टिस किए हुए प्रशिक्षुओं को वरीयता प्रदान करते हुए उनके समायोजन की कार्यवाही उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अभियान चालकर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। श्री समरपाल सिंह जी चाहते हैं कि रिक्तियों के विरुद्ध जो लोग सेवा में हैं उनको हटाकर अप्रेन्टिस वालों को लगाया जाए तो यह सम्भव नहीं है। उनके भी अधिकार हैं। अगर वर्तमान पद पर जो लोग कार्यरत हैं उनको हटाकर अप्रेंटिस किए हुए लोगों को लगाने की भावना है तो यह न तो शासनादेश की मंशा है न ही सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। सर्वोच्य न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने का प्रश्न ही नहीं उठता जो पीठ ने निर्देश दिए हैं वह शिरोधार्य हैं। निर्देश क्या हैं। रिक्तियों की संख्या को देखते हुए शासनादेश की भावना के अनुसार और सुप्रीमकोर्ट के निर्णय की पृष्ठभूमि में आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह 7 जुलाई, 1998 की बात है। इसके बाद आज 17 तारीख में हम बैठे हैं। इस दस दिन के अन्दर समरपाल जी अपेक्षा कर रहें हैं कि हजारों व्यक्तियों को हम समायोजित करके सदन के पटल पर रख दें। यह सम्भव नहीं है। उनके प्रति सहानुभूति किसको नहीं होगी, जो लोग नौजवान हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, अप्रेंन्टिस किए हुए हैं। उनके प्रति संवेदनशीलता है। जिन नियुक्तियों का आपने उल्लेख किया है यह तदर्थ नियुक्तियाँ नहीं है यह लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत हैं। लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है। इस पर इस सरकार का कोई अधिकार नहीं है। अगर तदर्थ नियुक्तियां होगी तो रिक्तियों पर मानकर उनको वरीयता दी जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री समर पाल सिंह-

अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने मजबूरी जाहिर की कि हमारे पास रिक्तियां नहीं हैं। दो हजार नौ सौ अट्ठावन रिक्तियां हैं उसके लिए विज्ञापन निकाला गया है। लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में शासनादेश में यह भी कहा है यदि इनके समायोजन में सेवा नियमावली में कोई संशोधन की आवश्यकता है तो किया जाए। सेवा नियमावली में संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है। यह अप्रेंटिस किए 25 हजार नौजवान यहां पर पिछले चार महीने से हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, 250 लोग जेल में बन्द हैं। वह बीमार होने लगे हैं। सेवा नियमावली में संशोधन करने में क्या दिक्कत है?

श्री हुकुम सिंह-

संशोधन सेवा नियमावली में नहीं संशोधन संविधान में होने की बात है। लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है। जो पद उसकी परिधि में आते हैं, उस पर हम नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। यह जो अप्रेंटिस किए हुए लोग हैं तो लोक सेवा आयोग से जब पद निकलेंगे तो उसमें जाएंगे वहां परीक्षा होगी उसके बाद उनका चयन होगा।

* श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, अप्रेन्टिस किये हुए बच्चों को नौकरी देने के लिये यह सरकार बेखबर हैं, सर्वोच्य न्यायालय की बात नहीं मान रही है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री कौकब हमीद एवम् श्री समरपाल सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री जगदम्बिका पाल-

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक को नहीं मान रही है और अप्रेन्टिस किये हुए लोगों के प्रति यह सरकार संवेदनशील नहीं है, इसलिये हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री जगदम्बिका पाल तथा उनके साथ एक और माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने लोक सेवा आयोग की बात कही कि यह एक स्वायत्तशासी संस्था है, इसमें वह हस्ताक्षेप नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, विभाग ही लोक सेवा आयोग को अपनी रिक्तियों से संबंधित अधियाचन भेजते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि रिक्त पदों के सापेक्ष प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जाये, इनकी कोई लिखित परीक्षा भी नहीं होगी, पहले इन्हें रखा जाय। यह सरकार डिप्लोमाधारी डिग्रीधारी, प्रशिक्षुओं के प्रति गम्भीर नहीं है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव ने अपने दल के अन्य माननीय सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि रिक्वीजीशन विभाग भेजता है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं, जहां पद हैं जो लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं, उनका रिक्वीजीशन नहीं भेजा गया है, उनमें एडहाक एप्वाइन्टमेंट किया गया है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। उदाहरण के लिये ही आप देखें कि (×××) में ही 1974 से लेकर आज तक लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आने वाले पदों का रिक्वीजीशन नहीं भेजा गया है, परन्तु उन पदों को भरा गया है।

श्री अधिष्ठाता-

विधान सभा से संबंधित प्रश्न यहां नहीं लाया जा सकता।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो कह रहा था कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अधीन पदों को एडहाक एप्वाइन्टमेंट से भरा गया है। माननीय मंत्री जी कह रहें हैं कि संविधान में संशोधन करना होगा। पहले भी यह हो चुका है। एडहाक एप्वाइन्टमेंट हुए हैं बाद में विनियमितीकरण नियमावली के तहत उनका विनियमितीकरण भी हुआ है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सबसे दुखद बात यह है कि माननीय सदस्य भी इस सर्वोच्च आसन पर बैठ चुके हैं। विधान सभा के पदों के बारे में यह विवेक माननीय अध्यक्ष जी का होता है। अध्यक्ष जी के बारे में और उनके विवेक के बारे में प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है और न ही कोई ऐतराज होता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाओं को अपने स्टाफ के चयन करने का अधिकार स्वतः है। आप भी जब इस पद पर रहें होंगे तो आपके सामने भी ऐसी बात आयी होंगी। आप अपने अधिकारों को सरेन्डर करने जा रहें हैं या रक्षा करने जा रहे हैं। जहां तक इन अप्रेन्टिस का प्रश्न है, सरकार अत्यन्त संवेदनशील है। ये लोग कौन हैं, सब टेक्नीकल हैं। विधान सभा में कौन सा पद टेक्नीकल है। कोई पद यहां इंजीनियर का तो है नहीं न ही किसी ओवरसियर का, ये सारे के सारे अप्रेन्टिस जूनियर इंजीनियर हैं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

आप विधान सभा को छोड़ दीजिये।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)।

नोटः- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री मौर्य जी, सहकारिता विभाग का बजट है आप जैसे विद्वान नेता अगर उस पर नहीं बोलेंगे तो शासन को कैसे दिशा मिलेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यह जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं इनको रोजगार देने के लिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार सम्वेदनशील है। हम इनकी बात को मानते हैं, तो उस सम्वेदनशील होने के नाते उन प्रशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार नियोजित करने की कोई कार्य योजना तैयार की है, यह बता दें।

श्री अधिष्ठाता-

आप उसी चीज की पुनरावृत्ति कर रहें हैं। यह बात आ गई हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी यदि पुनरावृत्ति करना मुनासिब समझें। सब बातें आ गई हैं। पीठ से बाध्य नहीं किया सकता कि आप की इच्छा के अनुसार उत्तर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सरकार की इन प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिये कोई कार्य योजना नहीं है, सदन को गुमराह करने के लिये, दिगभ्रमित करने के लिये यह ढोंग कर रहें हैं। इन प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवानों की रोजी-रोटी के साथ खेल करने के लिये जो गन्दा खेल सरकार खेल रही है, यह इसकी बदनीयती को जाहिर करती है। सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)।

श्री अधिष्ठाता-

दिनांक 7 जुलाई, 1998 को नियम-56 की सूचना को अग्राह्य करते हुए शासन को यह निदेश दिये गये थे कि रिक्तियों की संख्या को देखते हुए शासनादेश की भावना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पृष्ठभूमि में आवश्यक कदम उठाया जाय। नियम-300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय की किस स्तर पर और कैसे अवहेलना की जा रही है। अतः इस मामले में औचित्य का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

संसद की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा में आय-व्ययक प्रस्तुत करने से पूर्व आर्थिक समीक्षा एंव आय-व्ययक का विवरण प्रस्तुत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना श्री रामनरेश यादव की संसद की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा में आय व्ययक प्रस्तुत करने से पूर्व आर्थिक समीक्षा एवं आय-व्ययक का विवरण प्रस्तुत किये जाने के बारे में है।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सदन भारतीय संविधान और प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार चलता है और उसके आधार पर बजट की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 202 (1) और विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 183 जिसमें आय व्ययक और उसका उपस्थापन एवं नियम-184 में आय व्ययक पर चर्चा के बारे में दिया गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संसद है वहां पर दोनों सदनों में आय व्ययक को रखा जाता है उसके पूर्व व्यवस्था यह है कि बजट के दो दिन पूर्व ही आर्थिक समीक्षा रख दी जाती है। उस समीक्षा में पिछलें वर्ष के आय-व्यय के विवरण की समीक्षा तथा विवेचन रहता है जिसके आधार पर सदन के सदस्य उसका समीक्षात्मक अध्ययन करके निति निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नों पर अपने विचार रखते हैं। सदस्यों को उसका लाभ मिलता है। हमारे यहां भी आर्थिक समीक्षा की व्यवस्था है लेकिन वह कब रखी जाती है यह पता नहीं चलता है। माननीय सदस्यगण उसके विश्लेषण को जो उसमें रहता है नहीं देख पाते। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जिस प्रकार से संसद में आर्थिक समीक्षा सामान्य बजट रखने के दो दिन पूर्व रखी जाती है उसी तरह से यहां पर भी निर्देशित करें कि सरकार आर्थिक समीक्षा आय-व्यय का विवरण बजट रखने से पूर्व माननीय सदस्यों को वितरित कराये ताकि माननीय सदस्य उससे कुछ सहायता ले सकें और बजट में बहस के दौरान उसका लाभ मिल सके।

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

दोनों टेक्निकल शब्द हैं। आर्थिक समीक्षा यह पार्लियामेंट में रखने की प्रेक्टिस है। हमारे यहां आर्थिक समीक्षा का नाम नहीं दिया गया। हर वित्तीय वर्ष में वित्तीय विवरण हर माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है। उसमें वास्तविक आंकड़े और आगे के अनुमान दिये रहते हैं। आंकड़ों के द्वारा सारी जानकारी प्राप्त की जाती है कि पिछले वर्ष में अमुक मद पर कितना धन उपलब्ध कराया गया। कितना धन बचा, कितना काम आया। आर्थिक समीक्षा की बात कह रहे हैं तो एक समिति का गठन यहां किया गया। जब समिति पार्लियामेण्ट में बात करेगी तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्नगत मामले में औचित्य का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं। मा0 सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव पर सरकार विचार कर सकती है।

लोक निर्माण मंत्री एवं उत्तरांचल मंत्री द्वारा फिल्म सिटी के निर्माण में दिये गये परस्पर विरोधी बयान के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मुन्ना चौहान जी ने मा0 लोक निर्माण मंत्री एवं उत्तरांचल विकास मंत्री द्वारा फिल्म सिटी के निर्माण में दिये गये परस्पर विरोधी बयान के संबंध में सूचना दी है। मुन्ना चौहान जी आप क्या कहना चाहते हैं।

* श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, आप भिज्ञ हैं कि यह सदन संविधान द्वारा दी गयी व्यवस्था के तहत और नियमों से चलता है। उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 300 में इस बात की व्यवस्था है "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में है।" मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कल सम्मानित सदन के अंदर जब उत्तरांचल विकास विभाग का बजट प्रस्तुत हो रहा था तो मैंने इस बात का जिक्र किया था मा0 उत्तरांचल विकास मंत्री जी ने कहा था कि देहरादून के अंदर जो फिल्म सिटी, फिल्म उद्योग के स्थापित करने का कार्यक्रम है उससे संबंधित बयान सम्मानित संदन में दिया था। मान्यवर, लोक निर्माण मंत्री जी ने बयान दिया है कि चूंकि देहरादून भविष्य में उत्तराखंड में जाने वाला है तो फिल्म सिटी जो देहरादून में बनाई जा रही थी वह अन्यत्र बनाई जाएगी। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 164 में व्यवस्था है "मंत्रियों के बारे में अन्य उपबन्ध"।

इसी तरह से मान्यवर, 163 में राज्य मंत्रि परिषद् के संबंध में व्यवस्था है। मान्यवर, 164 (2) में कहा गया है। "मंत्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।" मंत्री परिषद् के दो सदस्यों द्वारा अलग-अलग बयान देकर नीतिगत मामले पर अलग-अलग बात कह कर सदन को गुमराह करने का काम किया है। इस सदन से संबंधित यह मामला है। यह संविधान से संबंधित अनुच्छेदों से संबंधित मामला है। मान्यवर मेरा कहना यह है कि मुझसे ज्यादा चिंता माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को होगी। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कल उत्तरांचल विकास विभाग के बजट पर सत्ता पक्ष के मंत्री जी और सदस्यों को मिलाकर 16 विधायक उत्तरांचल के हैं। उन्होंने उत्तरांचल विकास विभाग के बजट में इसके संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। सत्ता पक्ष के किसी सदस्य ने उत्तरांचल विकास विभाग के बजट पर नहीं बोला। यह पहला अवसर होगा कि किसी भी माननीय सदस्य ने उत्तरांचल विकास विभाग के बजट पर एक शब्द भी नहीं कहा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुन्ना चौहान-

(× × ×) मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो फिल्म नगरी वहां पर बनने वाली थी जो बड़ा उद्योग वहां लगने वाला था वह न लग पाये यह इनकी उत्तरांचल विरोधी मानसिकता का परिचायक है। लिहाजा मैं आग्रह करता हूं कि यह इस सदन की कार्यवाही से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेदों को आकर्षित करता है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लोक महत्व का कोई विषय नहीं हो सकता है। जो मंत्रि परिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व है वह भंग हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस पर आप व्यवस्था दें और इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करें। इस पर चर्चा करायी जाय।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी दयालु दृष्टि के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मान्यवर, कल इस सदन में उत्तरांचल के बजट पर अवसर दिया गया था। बड़े विस्तार से माननीय उत्तरांचल विकास मंत्री जी ने अपनी बातें कहीं थी और बड़े विस्तार से माननीय मुन्ना चौहान जी ने भी अपनी बातें कहीं थी। अब विस्तार से बात आ जाने के बाद औचित्य के प्रश्न के रूप में कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। फिल्म नगरी कहां बनेगी इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। हां जो परफारमेंस माननीय सदस्य मुन्ना चौहान जी ने की है, जिस प्रभावित ढंग से यहां पर बात रखते हैं वह भले ही औचित्य के प्रश्न के रूप में बनता हो या न बनता हो, लेकिन हर बात को फिल्मी मोड़ देने के लिए मैं मुन्ना चौहान जी की प्रशंसा करता हूं। जब आप मुझे हर बात पर बोलने को कहेंगें तो मैं कुछ न कुछ कहूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मुन्ना चौहान जी की पात्रता पर विचार कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

जिस फिल्म इण्डस्ट्री के यह हीरो हैं उसके माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विलेन हो सकते हैं।

श्री अम्बरीष कुमार-

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात कही। मैं आपका ध्यान चाहता हूं। अभी माननीय मुन्ना चौहान जी ने जो प्रश्न उठाया और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है चूंकि यह फिल्म नगरी से संबंधित है और श्री कलराज मिश्रा जी ने बयान दिया था कि हरिद्वार में फिल्म नगरी बनायी जायेगी। कल उत्तरांचल विकास मंत्री ने यह बयान दिया कि ऋषिकेश और देहरादून के मध्य में बनायेगें तो एक ही सरकार के दो मंत्रियों का परस्पर विरोधी बयान-यह इस बात को उजागर करता है कि यह सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर रहें हैं। जो संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा, हम लोग रोज ही हाउस में बैठते हैं और हमें देखने का अवसर मिलता है, मुन्ना चौहान जी भले ही हीरो बन पायें या नहीं लेकिन इतना श्योर है कि यह पक्के नम्बर एक के हीरो हो जायेगें।

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

सूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों माननीय मंत्रियों के बयानों में क्या विरोधाभाष है। अतः मैं इसे अस्पष्टता के आधार पर अस्वीकार करता हूं।

सूचना निदर्शिनी में विधान सभा सचिवालय के लिये कोई स्थान न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री. अधिष्ठाता-

अगली सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी की पटल कार्यालय के माध्यम से विधान सभा के माननीय सदस्यों को सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना निदर्शिनी में विधान सभा सचिवालय के लिए कोई स्थान न दिए जाने के बारे में है।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, सूचना विभाग द्वारा माननीय विधायकों को साहित्य के साथ पटल कार्यालय के माध्यम से सूचना निदर्शिनी बांटी गई उसमें विधान सभा सचिवालय का स्थान उपयुक्त स्थान पर अंकित नहीं है। जब कि विभिन्न विभागों की सारी सूचनाएं उसमें अंकित हैं और यह विधानसभा तथा माननीय सदस्यों के लिए उपयोगी भी है। मैं चाहता हूं कि उस निदर्शिनी में जो स्थान माननीय अध्यक्ष तथा सचिव विधान सभा का होना चाहिए वह भी उपयुक्त स्थान पर नहीं है, माननीय विधायकों का उसमें उल्लेख नहीं है जब कि उसका उपयोग सबके लिए है। चूंकि उसमें माननीय अध्यक्ष तथा सचिव विधान सभा का उल्लेख उपयुक्त स्थान पर नहीं है तथा माननीय विधायकों को उसमें उल्लेख नहीं है इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उक्त निदर्शिनी का पुनः मुद्रण कराया जाय उसमें माननीय सदस्यों का उल्लेख हो, माननीय अध्यक्ष विधानसभा तथा सचिव विधानसभा का भी उसमें उचित स्थान पर उल्लेख हो इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है मैं देख लूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्नगत मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह के साहित्य में विधानसभा सचिवालय को भी प्रमुख स्थान दिया

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाया करे, अगली सूचना श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री राजपाल सिंह, श्री बाबूलाल, श्री परवेज अली, श्री बनारसी दास चांदना की जनपद रायबरेली में राजकीय निराश्रित महिला धर्मशाला, फुरसतगंज, रायबरेली की अधीक्षिका को एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट में फसाये जाने के बारे में है। इसको सुनने के लिए नहीं है।

जनपद शाहूजी महाराजनगर के अन्तर्गत राजापुर में यमुना नदी पर पक्का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनराज आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद क्षत्रपति शाहूजी महाराज नगर के अन्तर्गत राजापुर में यमुना नदी पर पक्का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनराज तथा श्री बृजजीवन लाल सिंह निवासीगण जनपद शाहूजी महाराज नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

सदन को कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 16 जुलाई, 1998 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 17 जुलाई, 1998 से 24 जुलाई, 1998 तक के सदन के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की है:-

दिनांक 24 जुलाई, 1998 को सदन की बैठक रखी जाय और उस दिन विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सभी सूचनाओं पर चर्चा जो उसके पहले की तिथि की कार्यसूची में सम्मिलित न की गयी हों, उन्हें दिनांक 24.7.98 को रखा जाय।

2- दिनांक 24.7.98 को प्रश्न काल न रखा जाय और नियम 56 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

2- सदन के दिनांक 17 जुलाई, 1998 से 24 जुलाई, 1998 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय:-

जुलाई, 1998

17 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) (असरकारी संकल्प)।
	(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा:-

नोट :- + छापी नहीं गयी।

"यह सदन प्रदेश के भूगर्भीय जल स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट पर चिन्ता व्यक्त करता है और यह निश्चय करता है कि सरकार भूगर्भीय जल के दोहन हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित करें जो प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें"।

(3) नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा:-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करायी जाय और जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाय।"

(4) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मागों पर विचार एवं मतदान।

18 शनिवार | बैठक नहीं होगी

19 रविवार |

20 सोमवार (1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार उसका पारण।

(2) सन् 2000 से पूरे देश में शुरू होने वाली जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का बहुउद्देश्यीय प्रयोग किये जाने विषयक श्री अम्बरीश कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा।

(3) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मागों पर विचार एवं मतदान।

21 मंगलवार वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

22 बुधवार (1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान

(2) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य।

23 गुरूवार (1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (4.00 बजे अपराह्न तक)

(2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

24 शुक्रवार (प्रश्न काल नहीं होगा)

(1) नियम 103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु "भारत की संविधान" के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) की अंतिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द "साहित्य से पूर्व शब्द और चिन्ह "विधि," रख दिये जायें।"

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधानसभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का, प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गोवर्धन, जतीपुरा तथा राधा कुण्ड गांवों में लिये जा रहे सभी प्रकार के "आवागमन कर" तत्काल समाप्त किये जाये।"

(3) नियम 103 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि जनपद अम्बेडकर नगर के चौमुखी विकास हेतु लुम्बनी-दुद्धी मार्ग पर टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी पर सेतु का निर्माण कराया जाय।"

(4) उत्तर प्रदेश भारत के प्रसिद्ध नौचन्दी के मेले में व्याप्त दुर्व्यवस्था के संबंध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा।

(5) मेरठ महानगर में नालों की सफाई न होने से जल भराव की समस्या के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा।

(6) परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन की योजनाओं पर अरबों रुपया व्यय करने के उपरान्त वांछित उद्देश्य प्राप्त न होने के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा।

(7) दारुलशफा सहित सभी विधायक आवासों में पेयजल, बिजली व अन्य दुर्व्यवस्था के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 52 पर अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना जो सदन में दी गयी, जिसका प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने किया है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 17-7-98 को नियम-56 के अन्तर्गत 28 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टैम्पों की बेमियादी हड़ताल के संबंध में, इसी विषय पर श्री समर पाल सिंह, श्री कौकव हमीद, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान तथा डा0 अशोक बाजपेयी की भी सूचना है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, टैम्पो हड़ताल के संबंध में नियम 311 में मेरी भी सूचना है।

श्री अधिष्ठाता-

आप जैसा व्यक्तित्व किसी चर्चा में बोलेगा नहीं, तो चर्चा पूरी कैसे हो पायेगी?

दूसरी सूचना श्री आर0 के0 चौधरी, श्री राम ललित चौधरी, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री श्याम प्रकाश, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रदेश की राजधानी, लखनऊ स्थित महाराजा बिजली पासी के किले में चल रहे निर्माण कार्य को रोके जाने तथा सुरक्षा बल हटाने व बिजली, पानी कांटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री विजय पाल सिंह की आगरा नगर में सफाई मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौथी सूचना श्री विनोद मणि की प्रदेश की सीमा पार नेपाल प्रदेश में भारतीय मूल के लोगों के साथ अशोभनीय व्यवहार किये जाने तथा उनकी गाड़ियों

से अवैध वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पांचवी सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर में इल्तिफातगंज एवं बसखारी फीडरों से विद्युत आपूर्ति वाधित होने के कारण बुनकरों एवं कृषकों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की स्थिति के संबंध में है, इन पांच सूचनाओं को सुना जायेगा।

छठी सूचना श्री राम औतार शाक्य की जनपद मैनपुरी व फर्रुखाबाद में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों, कत्ल, डकैती, अपहरण, लूटपाट व रोड होल्डअप की निरन्तर बढ़ती घटनाओं से उत्पन स्थिति के संबंध में है। सांतवी सूचना श्री चन्द्र पाल सिंह यादव की जनपद झाँसी मौंठ थानान्तर्गत श्री लाखन सिंह यादव की हत्या किये जाने तथा हत्यारों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। आठंवी सूचना श्री अवधेश प्रसाद व श्री उदय राज यादव की प्रदेश में विशेष रूप से जनपद-फैजाबाद में शिक्षकों की हड़ताल के कारण छात्र-छात्राओं का दाखिला न हो पाने तथा पाठ्य पुस्तकों के उपलब्ध न होने से छात्रों एवं अभिभावकों में व्याप्त घोर असंतोष के संबंध में है। नवीं सूचना श्री सीताराम निषाद की उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति की वर्तमान सूची में सम्मिलित निषाद समाज की उपजातियां, गौंड, मझवार, तुरेहा, बेलदार की भाँति निषाद समाज की वंचित उप जातियां, तत्सम् एवं पर्यायवाची जातियां, केवट, मल्लाह, विन्द, धीवर, कश्यप, वाथ, चाइ, रायकवार आदि को भी अनुसूचित जाति की सुविधायें देने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है।

आज सहकारिता विभाग का बजट भी है, इसलिये अनुरोध करूँगा कि कृपया संक्षिप्त रखें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से एक अत्यन्त लोक महत्व के तात्कालिक और ज्वलंत सवाल की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्रीमन् आप अवगत हैं कि पिछली 13 तारीख से इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टैम्पों की बेमियादी हड़ताल चल रही हैं।

मान्यवर, टैम्पों हड़ताल से न केवल इस राजधानी के लोग प्रभावित हुए हैं बल्कि जो लोग बाहर से रोज राजधानी में आते हैं, हजारों की संख्या में आये हैं वह भी प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिसकी सीधी जवाबदेही है। चार-पांच दिनों से राजधानी के अन्दर टैम्पों हड़ताल के कारण लोगों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस समस्या की ओर सचेष्ट नजर नहीं आती है। मान्यवर, राजधानी के अन्दर 25,000 टैम्पों रोज चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आवागमन का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है और यहां के नागरिकों का जीवन इन्हीं के यातायात के इस साधन पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा माडल एक्ट बनाया है और उसको लागू किया है, जिससे सभी टैम्पो मालिक क्षुब्ध हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माडल एक्ट लागू किया है, उसमें टैम्पों चालक टैम्पो के

परमिट की अवधि को 10 साल से कम 5 साल कर दिया गया। टैम्पो मालिक एवं चालक उक्त अवधि को पूर्व की भांति बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर नहीं है।

मान्यवर, एक नया टैम्पों पांच वर्ष चलने के बाद बेकार हो जायेगा और वह राजधानी के बाहर कर दिया जायेगा। 10 वर्ष की पूर्व में व्यवस्था थी, बाद में इसको घटाकर 8 वर्ष किया गया और अब, इस अवधि को घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। इस धन्धे में हजारों नौजवान लड़के, जो बेरोजगार है, किसी तरह से पूंजी एकत्र करके इसमें लगाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। 25-30 हजार टैम्पो राजधानी में रोज चलते हैं और लाखों लोगों को इससे जीविका चलती है। निर्बल परिवार का आदमी बेरोजगार जो किसी तरह से अपने सीमित संसाधन में टैम्पो खरीदता है, अगर वह पांच वर्ष के बाद बेकार हो गया, तो वह पुनः नया टैम्पो खरीदने की स्थिति में नहीं होगा आज टैम्पो हड़ताल से राजधानी के लोगों का जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और उनको यातायात संबंधी तकलीफें और कठिनाईयां उठानी पड़ रही है जिसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार की है। विगत चार-पांच दिनो से चल रहे हड़ताल के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया सरकार ने कई बार घोषणा किया है कि 20 सिटी बसें सड़को पर दौड़ाई जायेंगी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उक्त घोषणा के बाद भी आज कहीं पर भी कोई सिटी बस नहीं दिखायी दे रही है। इसका लाभ लेकर अन्य वाहनों वाले नागरिकों का शोषण कर रहें हैं और मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं।

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फिर दूसरा बयान उत्तर प्रदेश सरकार का आया है कि हम इस हड़ताल का मुकाबला करेंगे और उसके लिए पचास सिटी बसें चलाने जा रहें हैं लेकिन आज तक बसें नहीं चली और टैम्पो हड़ताल जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हड़ताल का मुकाबला करने के लिए जिस वैकल्पिक व्यवस्था की घोषणा की गई है उसका कहीं अता-पता नजर नहीं है। आज इस हड़ताल से चाहें राजकीय कर्मचारियों को कार्यालय आना-जाना हो या आम नागरिक को एक मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले में जाना हों, टैम्पों न मिलने के कारण उन्हें घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है और यह सरकार 4-5 दिनों से कान में तेल डाल कर बैठी हैं, मैं आपसे विनती करते हुए विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि यह लोक महत्व का ज्वलन्त प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुत्तर दायित्वपूर्ण व्यवहार से बहुत गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है इसलिए सदन की शेष कार्यवाही स्थगित कर इस पर तत्काल चर्चा कराने की कृपा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि"-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मा0 नेता जनता दल ने बड़े विस्तार से टैम्पों स्ट्राइक के बारे में कहां मैं इससे इधर हटकर जो हमारी नोटिस है, उसके बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं, मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है, माननीय हुकुम सिंह जी की सरकार बनी है और जबसे यह संसदीय कार्यमंत्री हुए हैं और इस सरकार को जबसे चला रहें है तब से उत्तर प्रदेश में हड़तालों की बाढ़ आ गयी है। पहले

हीं जबसे इनकी सरकार बनी है, अर्थव्यवस्था में 3 प्रतिशत जी0डी0पी0 जो है, कम हुआ है। संभवतः बिहार और उड़ीसा को छोड़कर किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरायीं नहीं होगी।

आज शिक्षक हड़ताल पर हैं उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है सारे स्कूल कालेज बन्द है छात्रों को टी0सी0 नहीं मिल रहीं है।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

क्या मान्यवर, दूसरा विषय ले लिया?

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि"-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री दिगभ्रमित हो जाते हैं, (व्यवधान) यह सदन को भ्रमित करते रहते है, शिक्षकों के अलावा 21 तारीख से विद्युत कर्मी हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिससे पूरा प्रदेश अंधकार में जाने वाला है, वैसे भी विद्युत की खराब स्थिति के कारण प्रदेश अंधकार में है। मैं सीधे-सीधे कहना चाहूंगा कि इन कर्मचारियों को बुलाकर उसका कोई निराकरण करें, जो यह सरकार करने में सक्षम नहीं है और पूर प्रदेश में जंगल राज कायम कर दिया है। उधर हड़ताल चल रहीं है और इधर यह कहते है कि हम देख रहे है इसका कोई रास्ता निकल आयेगा। हड़ताल पर बातचीत को इन्होंने ठण्डे बस्ते में डाल रखा है, तो कब तक इसका निराकरण होगा और कब तक समस्या का समाधान होगा? मा0 संसदीय कार्यमंत्री बताने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर) मा0 पाल साहब आप खड़े न हो मैं स्वयं आपका नाम पुकार लूंगा।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है। पिछले 5 दिनों से राजधानी में लखनऊ में टैम्पो की हड़ताल चल रही है। प्रतिदनि लगभग 20 लाख लोग टैम्पो के माध्यम से इधर से उधर अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं। इस शहर में आवागमन का एकमात्र साधन टैम्पो है। यह गरीब लोगों का साधन है जो अमीर है, जिनके पास कार और स्कूटर हैं, उनको तो अधिक असुविधा नहीं है, लेकिन जो गरीब हैं उनका एकमात्र साधन टैम्पो है। लखनऊ में 30-35 हजार टैम्पो चलते हैं जिससे 20 लाख लोग इधर से उधर जाते हैं। पिछले 5 दिनों की हड़ताल के कारण यहां के नागरिक समय से अपने गन्तव्य स्थान को नहीं जा पा रहे हैं। सड़कों पर झुंड के झुंड लोग खड़े रहते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी कार्यालय समय से नहीं जा पा रहे हैं जिससे कार्यालयों का काम-काज प्रभावित हो रहा है, सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है। बहुत से मरीज जो अस्पताल डाक्टर को दिखाने जाना चाहते हैं वह आज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। जनता को असुविधा हो रही है उसको कोई सुनने वाला नहीं है।

मेरी जानकारी है कि अनेक माननीय विधायक जो इंदिरा नगर और गोमती नगर में रहते हैं। वह भी अपने स्थान को नहीं पहुंच पा रहे हैं। 8-9 बजे सबेरे सड़कों पर सवारी के लिये भारी भीड़ इकट्ठा होती है। तांगा और खड़खड़े खत्म हो गये हैं। प्रदेश की राजधानी के सारे नागरिक परेशान हैं त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। रिक्शे वाले लूटने का काम कर रहे हैं और 25-30 रुपये ले रहे हैं। सरकार का दायित्व है कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करे लेकिन सरकार अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रही है। मेरा कहना है कि अगर इससे प्रदूषण फैलता है तो टैम्पो बंद कर दीजिये लेकिन यह आपका दायित्व है कि पब्लिक के आवागमन के लिये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें। आप टैम्पो को यहां बंद करके देहात में लगा दीजिये लेकिन लखनऊ में सिटी बसों की व्यवस्था कीजिये। लखनऊ में सिटी बसें न के बराबर हैं। पहली बार यह टैम्पो की हड़ताल नहीं हुई है अक्सर यह लोग हड़ताल करते हैं और सरकार कदम उठाती है और हड़ताल समाप्त हो जाती है। पाल साहब जब मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हड़ताल का संज्ञान लिया था और वह हड़ताल काल आफ हुई थी। पाल साहब ने अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिया और सिटी बसें आ गयीं जिनको देखकर टैम्पो वालों ने हड़ताल खत्म कर दी थी। लखनऊ में विकल्प के तौर पर 200-300 सिटी बसों की व्यवस्था की आवश्यकता है। आप बसों की व्यवस्था करें। जैसा कि हमारे साथी ने बताया इसके साथ-साथ यह प्रश्न लोगों के रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका का साधन केवल टैम्पो है। उनके बारे में सरकार क्या कर रही है? अगर उनकी जायज समस्यायें हैं तो उनकी और ध्यान देना चाहिये। इसके साथ-साथ मेरा यह भी कहना है कि बहुत से ऐसे टैम्पो चलक हैं जो हड़ताल में भाग नहीं लेना चाहते हैं।

(समय 1 बजकर 30 मिनट)

क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है और वह जब टैम्पो चलायेंगे तो उनके बच्चे खाना खायेंगे। वह हड़ताल में भाग नहीं लेना चाहते हैं लेकिन अगर वह सड़क पर टैम्पो चलायें तो दूसरे टैम्पो वाले उनका टैम्पो तोड़ देंगे। सरकार अगर उनको संरक्षण दे तो थोड़ा-बहुत टैम्पो चलने लगेंगे और लोगों को राहत मिलेगी; लेकिन यह सरकार जो टैम्पो चलाना चाहते हैं। उनको सुरक्षा देने का काम भी नहीं कर रही है। यह बहुत गम्भीर लोक महत्व का सवाल है, लाखों लोगों की परेशानियों से जुड़ा हुआ है इसलिए अविलम्बनीय और तात्कालिक है। मैं आपसे मांग करता हूं कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

*डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता जी, जब से प्रदेश में मा0 कल्याण सिंह जी की सरकार बनी है, हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा है। कहीं टैम्पो चालक, कहीं शिक्षक, कहीं विद्युत कर्मचारी, कहीं चिकित्सक हड़ताल पर हैं, पूरा प्रदेश हड़ताल पर है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज हो गया है। इतनी अव्यवस्था फैलती जा रही है कि यह सरकार की संवेदनहीनता का परिचायक है। इतने बड़े-बड़े जन महत्व के प्रश्न पर कोई चिन्ता नहीं है न ही हड़ताल से निपटने का कोई प्रयास कर रही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। पिछले 20 जून से शिक्षक हड़ताल पर हैं, शिक्षण संस्थायें बन्द हैं, बच्चों का प्रवेश टी0सी0 व अंकतालिका नहीं मिल पा रही है, बच्चों में अफरा-तफरी मची हुई है कि समय पर प्रवेश नहीं हो पायेंगे। 21 तारीख से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं, पूरा प्रदेश अन्धकार में डूब जायेगा। यह सरकार संज्ञा शून्य हो गयी है। इतने दिनों से टैम्पो हड़ताल चल रहा है, जन-जीवन अस्त-व्यस्त है, सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रही है न ही कोई समाधान निकाल पा रही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है और निरंकुश शासन चल रहा है, ऐसी गम्भीर स्थिति में अराजकता की स्थिति बनती जा रही है। इसलिए इस लोक महत्व के अविलम्बनीय और तात्कालिक विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए चाहूंगा कि इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें।

* श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, इसी विषय पर मैं लगातार 4 दिन से नोटिस दे रहा हूं। इस पर मुझे सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना इस विषय पर नहीं है। आपकी दूसरी सूचना है। उस पर आपको सुनूंगा।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय कुंवर साहब, और डा0 बाजपेयी जी ने इस पर अपने विचार रखे हैं। मैं भी इसी बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। यह बात सही है कि हड़तालों की एक तरह से बाढ़ आयी हुई है और सरकार का संवेदनहीन रवैया है, इससे पूरे प्रदेश के नागरिक आक्रोशित व बेचैन हैं। अभी टैम्पो हड़ताल हुई, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, शिक्षकों की हड़ताल हुई, तमाम शिक्षक समुदाय के साथ-साथ जो छात्र हैं, अभिभावक हैं, उनको परेशानी हो रही है न तो इनको टी0सी0 मिल रही है न एड़मीशन मिल रहा है और शिक्षा सत्र जिसके नियमितीकरण की बात यह सरकार कर रही है वह अनियमित हो रहा है, उसका प्रभाव आगामी अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं पर भी पड़ेगा।

शिक्षा जगत में भी बेचेनी महसूस हो रही है। विश्वविद्यालय के शिक्षक भी हड़ताल की नोटिस दे रहे हैं। इसी के साथ 21 तारीख से विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से जो संकट गहरायेगा, उसकी कल्पना आप सहज कर सकते हैं। विद्युत न मिलने से उद्योग धन्धे भी चौपट होंगे। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी समस्या पेयजल की आपूर्ति की होगी। शहरों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है और पूरे प्रदेश से सम्बन्धित समस्यायें हैं, जिनसे पूरा प्रदेश परेशान है। अगर इन पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचार नहीं होगा, सरकार इस पर तुरन्त कार्यवाही नहीं करेगी, इस हड़ताल को तुड़वायेगी नहीं तो जनता की परेशानी बढ़ेगी। सरकार और शिक्षक कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, यह सरकार के अन्दर काम करने वाले लोगो हैं और सरकार का व्यवहार एक पिता की तरह होना चाहिए। उनको बुलाकर बातचीत करनी चाहिए और हल निकालना चाहिए अन्यथा तो यह सरकार गम्भीर संकट मं फंस जायेगी जिसमें अराजकता के अलावा और कोई बात नहीं होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि नियमों को स्थगित कर इस पर चर्चा करायें।

श्री राम नेरश यादव-

मान्यवर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है। इस संबंध में हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी इस सदन में बैठकर जिस तरह से सरकार चला रहे हैं। तब से लगातार हड़ताल का बाजार गर्म है। कहीं पर देखिये सब जगह हड़तालें हो रही हैं चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे निगमों की बात हो सब जगह हड़ताल हो रही है।

ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि राजधानी का जनजीवन भी हड़तालों से ध्वस्त हो गया है। मेरे पास एक सज्जन आये। उनको मरीज को लेकर पी0जी0आई0 जाना था, लेकिन उन्होंने बताया कि वह तीन घंटे स्टेशन पर बैठे रहे मरीज को लेकर तब जाकर किसी तरह से साधन उपलब्ध हुआ। कोई अस्पताल जाना चाहता है, कोई कचेहरी जाना चाहता है माननीय सदस्यों को कठिनाई होती है। वह विभिन्न स्थानों से यहां आते हैं। उनके भी कार्य में बाधा पड़ती है। पूरा लखनऊ जिस तरह से हड़ताल में जम गया है, ध्वस्त हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार संवेदनशून्य हो गयी है। पांच दिन से टैम्पो चालक हड़ताल पर है। इस सदन के संज्ञान में दो बार मामला आया है, लेकिन अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है। लोकतंत्र का तरीका तो यही है कि आपस में बातचीत करके कोई हल निकालना चाहिए। वह हल नहीं निकला है और वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हुई है। इससे जनजीवन ध्वस्त होता जा रहा है। अराजकता की स्थिति इससे उत्पन्न हो जायेगी। इससे शासन का चलना भी मुश्किल हो जायेगा। पता नहीं लोकतंत्र कहां चला जायेगा। मेरा आपके माध्यम से निवदेन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे। इस धंधे से एक लाख परिवार जुड़े हैं, यह गरीब लोग हैं। उनकी रोजी-रोटी का सवाल है उनके जीवन निर्वाह को ध्यान में रखते हुए, उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संसदीय कार्यमंत्री जी अपना उत्तर दें। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सारी कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराई जाये।

* श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जो माहौल बनता जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर श्री कल्याण सिंह की सरकार का राज नहीं है, कल्याणकारी राज का सरकार नहीं है वल्कि हड़ताल राज का सरकार है। इस सदन के अन्दर प्रदेश की तरक्की की बात कम करते हैं, मिनिमम सर्विसेस देने की बात हम करते हैं परन्तु आज माध्यमिक शिक्षक हड़ताल पर हैं, बिजली कमी हड़ताल पर जाने वाले हैं, टैम्पों चालक हड़ताल पर हैं। आज प्रदेश के अन्दर तमाम ऐसे बिजली घर हैं, जो बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करते हैं, यदि इनके कर्मचारी हड़ताल पर चले गये तो प्रदेश सरकार को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नुकसान भी होगा और लोगों को परेशानी भी होगी। आज प्रदेश सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिये आज विश्वविद्यलयों के प्रोफेसरों/शिक्षकों ने भी हड़ताल पर जाने की नोटिस दे रखी है। यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन पूरा प्रदेश हड़तालमय हो जायेगा। इसलिये आप सरकार को निर्देशित करें कि वह हड़ताल से संबंधित संगठनों व वर्गों से बातचीत करें और व्यवस्था करें। लोगों को संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें न्यूनतम सेवायें उपलब्ध हों और सरकार का भी दायित्व है कि वह उनकी पूर्ति करें। शिक्षकों, बिजली कर्मियों, टैम्पों चालकों तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के हकों को भी सरकार को संरक्षण देना चाहिये। धन्यवाद।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, इस समय प्रदेश में हड़तालों का दौर चल रहा है। खासतौर से लखनऊ में टैम्पों चालकों की हड़ताल चल रही है। निश्चित तौर पर हजारों परिवारों की रोजी-रोटी इससे जुड़ी हुई है। लखनऊवासी हों या राजधानी में आने वाले प्रदेश व देश के अन्य कोने से लोग हों, सभी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिये टैम्पों का ही सहारा था। इसका दूसरा पक्ष भी है, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस विक्रम आटों से प्रदूषण की भी एक समस्या है। परन्तु मान्यवर, उनके साथ बैठकर इसका समाधान निकालना होगा, उसका विकल्प देना होगा क्योंकि इससे हजारों परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है।

साथ ही लखनऊ वासियों को तथा प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को भी विकल्प के रूप में आपको सीटी बस या इलेक्ट्रिक बस आदि जैसी सुविधा देनी होगी ताकि आने जाने में उन्हें कोई परेशानी न हो। इस समय सदन चल रहा है। हमारे माननीय सदस्य श्री राम ललित चौधरी जी इन्दिरा नगर से आते हैं। टैम्पो न चलने के कारण उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने में विलम्ब हो गया और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वह सदन में आ सकें, यह उनका विशेषाधिकार है। टैम्पों न चलने के कारण काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। मैं तो यह नहीं कहूंगा कि यह सरकार संवेदनशील नहीं है, फिर भी मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि वह टैम्पों चालकों से बात चीत करके उनको कोई विकल्प दे साथ ही लखनऊ वासी तथा राजधानी के अन्दर आने वाले लोगों के लिए भी कोई वैकल्पिक सुविधा दे। चाहे वह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीटी बस के रूप में हो या फिर परिवहन निगम की बसों में कटौती करके फिलहाल उन्हें शहर में लगाये, जिससे लोगों को आने-जाने में असुविधा न हो। एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि सरकार टैम्पों चालकों से बातचीत करके उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें क्योंकि हजारों परिवार की रोजी रोटी का सवाल है दूसरा, यातायात के लिए विकल्प है, इस प्रकार का कोई हल निकाले।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, बरसात का मौसम है और सदन चल रहा है। स्कूल कालेज खुल गये हैं और 5 दिन से टैम्पों की हड़ताल है। आपने नियम बनाया। मान्यवर, टैम्पों जो तकरीबन 25-30 हजार के बीच में हैं उनके चालक, ओनर्स, मालिक पांच साल के अन्दर अपना टैम्पो बदल दें। मान्यवर, हिन्दुस्तान जैसी जगह और उसमें उत्तर प्रदेश जहां इतनी ज्यादा पापुलेशन है। बेचारा वह गरीब आदमी पांच साल में नया टैम्पो कैसे खरीद लेगा? क्या करेगा वह पुराने टैम्पों का? वह थोड़े दिनों में भुखमरी की कगार पर आ जायेगा। लाइसेंस देगें नहीं परमिट जारी नहीं करेगें उसके बाद मान्यवर, उनके परिवार का क्या हाल होगा? वह कैसे बचेगें? आपको यह करना चाहिए था कि जो 10 साल का होता था वह रहने देना चाहिए था।

मान्यवर, अगर यह हड़ताल हो गई थी, तो यह सम्वेदनशील सरकार कम से कम कुछ बसों का इन्तजाम करती, जब स्ट्राइक होगी तब उसका क्या विकल्प निकलेगा? मान्यवर, आप पता करा लें चारबाग स्टेशन पर भीड़ लगी है। रिक्शे मिल नहीं रहे हैं, टैम्पों वाले स्ट्राइक पर हैं। आखिर यह सम्वेदनशील सरकार चाहती क्या है? उनकी भुखमरी को देखते हुए और जो यातायात की दिक्कत आज पूरे लखनऊ में हो रही है उसको देखते हुए सरकार कोई कार्यक्रम तैयार करे।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमान् मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की भावनाओं को ध्यान में रखने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इसमें नई बात.....

श्री हुकुम सिंह-

मैंने कहा था कि उसमें नई बात कहां से आ सकती है?

श्री अधिष्ठाता-

मैंने कहा था। कदाचित् आपका आशय है आप कोई नई बात रखना चाहते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमान् उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिसका महत्वपूर्ण नगरों में स्थान है और इस लखनऊ की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए और लखनऊ की सड़कों पर वाहनों की संख्या को देखते हुए पिछले दिनों सरकार ने भारत सरकार के एक

प्रतिष्ठित कारपोरेशन से एक सर्वे करवाया। मैं उस समय परिवहन मंत्री था। उस प्रतिष्ठान की रिपोर्ट के अनुसार चारबाग हुसैनगंज के कैरीडोर पर 1 लाख 75 हजार आदमी गाड़ी, स्कूटर, मोटर साइकिल से चलता है जिससे 75 टन प्रतिदिन प्रदूषण यहां के वाहनों से हो रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सबसे प्रदूषित शहर हो रहा है। आज लखनऊ शहर में वाहनों की स्पीड [illegible] किलोमीटर प्रतिघंटा है और सन् 2000 तक इसकी स्पीड 10 [illegible] मीटर प्रति [illegible] जायेगी। मान्यवर, सन् 2000 तक यह स्थिति होने जा रही है। लखनऊ की सड़कों पर यातायात का बहुत अधिक दबाव है। लखनऊ में मेडिकल कालेज हैं, अच्छे स्कूल हैं, हाई कोर्ट यहां पर स्थापित है, प्रदेश के मुख्यालय यहां पर जिसकी वजह से फ्लोटिंग पापुलेशन लाखों हो गयी है। हमने मेट्रो रेलवे के सम्बन्ध में बात कही थी उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवा ली थी, और हमने उस रिपोर्ट को भारत सरकार के भूतल मंत्रालय को भी सबमिट कर दिया था।

भारत के पांच महानगरों में मैट्रो रेल की व्यवस्था है आप भी पांच कारीडोर में इसको चलवा सकते हैं। किस तरह से मैट्रो रेल की व्यवस्था हो, मैट्रो रेल चलाने के बारे में कोई प्रयास आप नहीं कर रहे हैं? प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है 75 टन पर डे प्रदूषण हो रहा है। टैम्पों की हड़ताल पिछले पांच दिनों से चल रही है इसके लिए आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। सीतापुर रायबरेली में एस0आर0डी0सी0 की बसें हैं आप अगर सात-सात बसें हर डिपो से मंगवा लेते तो भी व्यवस्था हो जाती और लोगों को सुविधा हो जाती। लालबाग से लेकर सरोजनीनगर, मड़ियांव, ठाकुरगंज और हजरतगंज के आसपास जो कार्यालय हैं, लोगों को कार्यालय आना पड़ता है, पी0जी0आई0 मेडिकल कालेज जाना हो, वादकारी को न्यायालय में जाना हो तो जिस तरह से पिछले पांच दिनों से हड़ताल चल रही है, उससे लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। खड़खड़े और तांगे भी इतने नहीं है जो स्थानीय लोग हैं, जिस तरह से दुकान जाते थे कार्यालय जाते थे। पिछले पांच दिनों से जिस तरह से लखनऊ में काम हो रहा है, उससे पूरा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। हम लोग तो पूरे दिन सदन में बैठे रहते हैं इसलिए बाहर जिन लोगों को टैम्पो हड़ताल के कारण कठिनाई होती है, उस कठिनाई से अनभिज्ञ होते हैं।

आप देखें मान्यवर जिस तरह से लोग चौराहों में झुंड लगाकर खड़े रहते हैं। यह चिन्ता का विषय है आप इसमें व्यवस्था दे दें। आप लखनऊ में सिटी बसें चलवाएं परिवहन विभाग से बसें नहीं मंगा सकते हैं सिटी बसें मंगवाएं। हमने फैसला लिया था कि सहारा इण्डिया की बसें चलती हैं तो हम उनको चलवाएंगे। जो एक चीज फाइनल हो गई उसमें फिर प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर मेरा निवेदन है कि सिटी बसें आप चलवायें ताकि लखनऊ को प्रदूषण मुक्त किया जा सके।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है पिछले पांच दिनों से लोग टैम्पो हड़ताल के कारण परेशान हैं।

इस प्रदेश की राजधानी में 50 बसों से आवागमन किया जा सकता है। यह अति लोक महत्व का विषय है। इससे गंभीर लोक महत्व का विषय और कोई नहीं हो सकता है क्योंकि लाखों लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह लोगों के आने जाने की सुविधा प्रदान करें। मान्यवर, आज भी हड़ताल चल रही है और [illegible] से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सब जगह स्थिति पंगु हो गयी है और [illegible] इसमें नहीं हो रहा है। यह सदन चल रहा है। सरकार की तरफ से हस्तक्षेप होना चाहिए था। पांच दिन हड़ताल को हो गये हैं और अब तक सरकार की तरफ से किसी मंत्री का बयान नहीं आया है। सरकार की एक स्पष्ट नीति आनी चाहिए इसलिए इसको स्वीकार कर इसमें चर्चा करायें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए यातायात की व्यवस्था क्या होगी यह भी बता दें?

श्री हुकुम सिंह -

मान्यवर, पिछले एक घंटे से मैराथन चर्चा करायी गयी और टैम्पो से लेकर देश की जनसंख्या, देश की आर्थिक स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गयी, पर्यावरण पर चिन्ता व्यक्त की गयी। मै आभारी हूं एक ही विषय में विभिन्न विषयों पर यहां पर चर्चा की गयी। मान्यवर, मैं आपको अवगत करा दूं कि पचास बसें इस समय चलायी जा रही हैं। 13 तारीख में ये लोग हड़ताल पर गये। सामान्य परम्परा यह रही है कि जो भी यूनियन हड़ताल पर जाती है तो संबंधित विभाग को नोटिस देते हैं। टैम्पो वालों ने स्वतः एक निर्णय लेकर हड़ताल कर दी और कोई ज्ञापन नहीं दिया। मैंने स्वयं स्थिति की समीक्षा की और यह जानना चाहा कि इनकी मांग क्या है? उन्होंने कहा कि कोई ज्ञापन और कोई मांग नहीं आयी है। इसके बाद भी मैंने निर्देशित किया कि अगर नहीं आयी है तो आप बुलाइये और बैठकर उनकी समस्या क्या और वह क्यों हड़ताल पर गये हैं यह पूछिये? हां एक बात आयी कोई सम्मानित सदस्य हैं जिन्होंने कहा कि टैम्पो हड़ताल पर चले गये हैं और रिक्शा वाले लूट रहे हैं।

मान्यवर, सबसे ज्यादा कमजोर और निर्बल वर्ग समाज का अगर कोई है तो वह रिक्शा वाला है। आपने उनके प्रति चिन्ता व्यक्त नहीं की और जो लूट रहे हैं टैम्पो वाले उनके प्रति आपने चिन्ता व्यक्त कर दी कि वह बेरोजगार हो जायेंगे और भूखे मर जायेंगे। जहां तक निर्णय लेने की बात है, माननीय पाल जी खुद इससे पहले परिवहन मंत्री रह चुके हैं। एक बैठक हुई थी जिसमें ज्ञापन दिया गया था और जिसमें टैम्पो से बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिन्ता व्यक्त की गयी थी और यह निर्णय लिया गया था कि जो टैम्पो की आठ साल की आयु है उसे कम करके पांच साल कर दी जाय। माननीय सदन के कई सदस्यों ने भी इस पर चिन्ता व्यक्त की थी। यह कहा गया कि यातायात का यह प्रबल साधन था लेकिन उससे ज्यादा जीवन में जो शनैः शनैः जहर देकर मार रहा था, तो हमने इन पुराने खटारों को बदलवाने का निर्णय लिया और पांच साल में बदलने के लिए कहा और इस निर्णय को सही माना गया। मान्यवर, वैकल्पिक रूप से व्यवस्था की जाय यह जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए अविलम्ब 13 तारीख से पहले जानकारी नहीं थी, अगर शाम तक हड़ताल नहीं टूटती है तो कल से 100 बसें और चलायी जायेंगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अध्यापकों की हड़ताल, विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल इन सबसे आज प्रदेश में गंभीर स्थिति बनी हुई है, ये सिर्फ लखनऊ शहर की बात नहीं है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

मुख्य प्रश्न आप देखें क्या है?

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अम्बिका चौधरी जी कभी-कभी ऐसा हो जाता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अगर इतने गंभीर मसले पर सरकार असंवेदनशील है और उत्तर देना जरूरी नहीं समझ रही है, सरकार के इस रवैये के खिलाफ हम इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री अम्बिका चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, सरकार भी उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करे। वे लोग गरीब हैं। वैकल्पिक रूप में उनके लिए भी सड़क मार्ग निर्धारित हो। आधा शहर आधा बाहर उनको दे दें या शहर से बाहर चलाने की अनुमति दें। जिससे उन टैम्पो चालकों के बच्चों की रोजी-रोटी बनी रहे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, वे भी शहर के और इस प्रदेश के नागरिक हैं उनकी चिन्ता करना सरकार का दायित्व है। संवेदनहीनता उनके प्रति नहीं हो सकती है। नगर के बाहर बारह वर्ष की समयावधि है वह चला सकते हैं जो बसों की बात है हमने मंत्रिपरिषद् में निर्णय लिया है कि लखनऊ में सिटी बस सेवा में लगाई जायेंगी। इसमें कुछ औपचारिक समझौते होने बाकी हैं। वे होते ही अति आधुनिक तकनीक की, जिनमें प्रदूषण न हों, इस प्रकार की बसें यहां पर संचालित की जायें, जो बातचीत की बात है। कल ही मैंने अधिकारियों से कहा है, उनसे बातचीत कर उनकी समस्या समझें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों द्वारा जो सूचनायें दी गई है, यद्यपि वह नियम-56 के आवश्यक मानकों में नहीं आती है इसलिए ये अग्राह्य की जाती हैं। संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे माननीय सदस्यों की संतुष्टि है। ऐसी स्थिति में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है। अगली सूचना श्री आर0 के0 चौधरी, श्री राम ललित चौधरी, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री श्याम प्रकाश तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी की है। इसमें तीन माननीय सदस्य बोल लेंगे।

* श्री आर0 के0 चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, जिसकी ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया है वह बहुत ही गम्भीर मामला है। लोक महत्व का है और अविलम्बनीय है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से महापुरुषों के अन्दर भेद-भाव पैदा कर रही है किसी महापुरूष को अपमानित और किसी को सम्मानित करके बदले की भावना से काम कर रही है। मान्यवर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंगला बाजार के पास बिजली पासी का किला मौजूद है। महाराजा बिजली पासी आज से लगभग 1300 साल पहले लखनऊ में राजपाठ कर चुके हैं। उनका साम्राज्य था और उस समय के आस-पास लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, रायबरेली इस लम्बे-चौड़े इलाके में ऐसे तमाम राजा महाराजा हुए हैं। पासी समाज के उस समय के तमाम किले आज भी मौजूद हैं। उसी में से एक महाराजा बिजली पासी का किला है। पासी समाज, बहुजन समाज की यह चाहत थी कि ऐसे किलों को उजागर किया जाये और उनकी देख-रेख की जाये और उनको इस लायक बनाया जाय कि लोग इसको याद कर सकें।

पिछले शासनकाल में जब आदरणीय सुश्री मायावती की सरकार थी, तब साढ़े 4 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना बनी और उस योजना में ये सुनिश्चित किया गया था कि इसका सौन्दर्यीकरण किया जायेगा इसकी सुरक्षा की जायेगी उनके शासनकाल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा खर्च किया गया था। उस किले के चारों तरफ ऊँची बाउण्ड्री बनाई गयी किले के अन्दर ऊँचाई पर महाराजा बिजली पासी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गयी। जिसकी ऊँचाई लगभग 22 फीट होगी। इसके अलावा तमाम चबूतरे बनें। सैकड़ों बिजली के खम्भे गाड़ कर मरकरी बल्ब लगाकर लाइट की व्यवस्था की गयी पूरे कैम्पस के अन्दर प्लान्टेशन किया गया और किले के चारों ओर पक्की सड़क बनाई गयी। इसके अलावा सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ट्यूबवेल लगाये गये। उनका काम शुरू हुआ इसके अलावा कहीं कोई अव्यवस्था न हो, असुरक्षा न हो इसके लिए पुलिस और पी0ए0सी0 के कैम्प लगाये गये, काम काफी रफ्तार से आगे बढ़ा लेकिन काम पूरा हो इसके पहले ही सुश्री मायावती की सरकार चली गयी और भाजपा की सरकार आ गयी।

मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है वहां महाराजा बिजली पासी के किले पर सौन्दर्यीकरण, निर्माण कार्य को रोक दिया गया, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, ट्यूबवेल बन्द कर दिया गया, पानी नहीं मिल रहा है इसके अलावा महाराजा बिजली पासी की मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई और सुरक्षा व्यवस्था भी हटा ली गयी। कोई देख-रेख करने वाला नहीं है। बिजली पासी का किला जिसको देश-विदेश से आकर लोग देखते और आना शुरु भी हो गये थे, वह किला वीरान किया गया है और चारागाह बनकर रह गया और आज चरवाहे लोग वहां घुसकर उसका सत्यानाश कर रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, बिजली पासी की मूर्ति भी तोड़ डाली गई है, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है, अविलम्बनीय है, तात्कालिक भी है, इससे पूरे प्रदेश में एक जनाक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के पासी समाज को, बहुजन समाज को अपमानित किया है और इससे महाराजा बिजली पासी का घोर अपमान हुआ है, इसलिए इस सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, बंगला बाजार, लखनऊ में 12वीं सदी का महाराजा बिजली पासी का किला मौजूद है, यह हमारे समाज की आस्थाओं से जुड़ा है, बराबर यहां पर आयोजन हम लोग करते रहे हैं। जब हम लोग वहां आयोजन करते थे, तो वहां आशियाना जो मकान बनाने की कंपनी है, से कई बार किले की मिट्टी भराई को लेकर झगड़ा हुआ, लड़ाई भी हुई। जब सुश्री मायावती जी की सरकार बनी, तो हमारे समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर, कांशीराम जी से बात की, वह उस पर सहमत हुए और सहमत होने के बाद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावती जी से बात की, वह भी उस पर कन्विंस हुई।

मा0 कांशी राम जी ने 26 मार्च, 1997 को किले का दौरा किया और 26 मई को बहन मायावती जी, एल0डी0ए0 के और उच्च अधिकारियों के साथ मौके पर गई और किले का निरीक्षण किया और इसके बाद साढ़े 4 करोड़ की एक योजना बनाई गई, उसके बाद प्रथम किश्त के रुपये सवा करोड़ रुपया दिया गया और कहा गया कि इसको संरक्षित किया जाय, इसका सौन्दर्यीकरण किया जाय। महाराजा बिजली पासी की विशालकाय प्रतिमा लगवाई जाय। यह सब काम शुरू हो गया और जब बनकर तैयार हुआ तो एक जुलाई, 1997 को एक बहुत बड़ा पासी समाज द्वारा आयोजन वहां किया गया, जिसमें प्रदेश से लाखों पासी समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए और कांशीराम जी तथा बहन मायावती जी ने वहां महाराजा बिजली पासी द्वार का अनावरण किया, तथा महाराजा बिजली पासी की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण किया, परिसर में तमाम पौधे लगाये गये, ट्यूबवेल लगाया गया तथा पी0ए0सी0 तैनात की गई तथा कीमती पत्थर आदि लगाये गये, उन पत्थरों को लोग आज उखाड़-उखाड़ कर ले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, तब से चाहे अम्बेडकर उद्यान एवं स्थल हो चाहे परिवर्तन चौक से तथा चाहे बिजली पासी का किला हो सबका सत्यानाश हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यह करोड़ो लोगों की आस्थाओं से जुड़ा सवाल है, यदि भारतीय जनता पार्टी उसमें कुछ और नहीं कर सकती, तो कम से कम जो निर्माण हुआ है, उसको संरक्षित करने का काम करे, मान्यवर, इसको आप बचाइये, आप हमारे संरक्षक हैं जो बिजली पानी काट दिया गया है, जो पी0ए0सी0 हटा दी गई है, उन सारी सुविधाओं को सरकार अविलम्ब मुहैया कराये। इसलिए मान्यवर इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की कृपा करे, एक घंटे की चर्चा करायी जाये। इसलिये मान्यवर, इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की कृपा करें, एक घन्टे की चर्चा कराई जाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बंगला बाजार के पास स्थित बिजली पासी के किले की ऐतिहासिकता और उसके निर्माण कार्यों के परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात रख रहा हूं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी राष्ट्रीय स्तर के महापुरुष होते हैं जो भी महान पुरुष होते हैं, वह किसी

जाति के नहीं होते हैं, किसी धर्म के नहीं होते हैं और किसी मजहब के नहीं होते हैं, वह हमारी विरासत होते हैं और हमारी संस्कृति के प्रतीक होते हैं। मान्यवर, इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्ववर्ती सरकार जिसकी मुख्य मंत्री बहन मायावती थीं, उनके कार्यकाल में महान महापुरुषों के सम्मान में उनके गौरव को बढ़ाने के लिये, उनकी ऐतिहासिक स्मृति को बढ़ाने के लिये, उनकी याद को पुनर्जीवित करने के लिये अनेकों काम किये। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महापुरुषों के सम्मान में मुख्य मंत्री बहन मायावती की देख-रेख में जो भी कार्य हुए, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं बरता गया।

बिजली पासी के किले के सौंदर्यीकरण में यदि वहां पर सरकार ने पूरी निष्ठा से काम किया होता तो आज ऐसी स्थिति न आती। बहन मायावती ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की स्मृति में और उनके सम्मान में पार्क का निर्माण कराया और वीरांगना बेगम हजरत महल, जो आजादी की वीरांगना थी और अंग्रेजों की मौत की नींद सुलाने वाली वीरांगना के नाम के पार्क बेगम हजरत महल पार्क के सौंदर्यीकरण का काम किया और धर्म के भेदभाव को भुलाकर सभी महापुरुषों के सम्मान में कार्य किया। इसी तरीके से विश्व के 4 महान विद्वानों में प्रमुख महापुरुष डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर उद्यान व स्थल का निर्माण कराया गया और इसी परिप्रेक्ष्य में साहू जी महाराज के सम्मान में भागीदारी भवन बनवाये। ज्योतिबा फूले व साहू जी की स्मृति व सम्मान में परिवर्तन चौक का निर्माण करवाये गये, के सम्मान में कार्य किये गये। इसी परिप्रेक्ष्य में बेगम हजरत महल पार्क और लक्ष्मण पार्क के बीच में परिवर्तन चौक का निर्माण कराया गया। वह भी महापुरुषों के सम्मान में किया गया है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसे ही वह सत्तारूढ़ हुई है, उन महापुरुषों के सम्मान में किये गये निर्माण कार्यों को बरबाद करने का काम शुरू कर दिया है, उनके प्रति वह उदासीन हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप में कहें और केवल ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बीच में अगर कोई टोका-टोकी होती है, तो उचित नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

आपको तो किसी ने टोका नहीं है, टोका तो आपने ही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह जो महापुरुष हैं, यह हमारी धरोहर हैं, इसलिये इनके सम्मान में बिना किसी भेदभाव के कार्य करना चाहिये। लेकिन दुख और निराशा हुई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव का बर्ताव करना शुरू कर दिया है। इन ऐतिहासिक स्मृतियों और कार्यकलापों का विघटन शुरू कर दिया। मान्यवर, माननीया मायावती जी के कार्यकाल में जो काम शुरू हुए थे, कुछ ऐतिहासिक पुरुषों की

स्मृतियों में शुरू हुए थे उनमें एक पंडित दीन दयाल स्थल के विकास कार्य था। उसको छोड़कर बाकी सारे स्मृति स्थलों के कार्यों को रोक दिया गया वहां पर जो निर्माण कार्य हुआ था, उनमें विराम लग गया। राजा बिजली पासी केवल उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के ऐतिहासिक पुरुष हैं। वह यहां के राज घराने के महापुरुष हैं, जिनका देश की स्वतंत्रता में व गौरव बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है, उनकी स्मृति में बिजली पासी किले को विकसित करने के लिए 4 करोड़ रुपये की लागत से भव्य स्मारक बनाने की बात थी और उसमें । करोड़ रुपये से ज्यादा धन लग चुका है, उसकी साज-सजावट और पार्क विकसित करना आदि था, उसमें तरह-तरह के उद्यान और फौव्वारे लगाने की व्यवस्था, बिजली पानी आदि की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन इस सरकार के आते ही जहां हम प्रसन्न हो रहें थे कि यह अपने को भारतीय संस्कृति के रक्षक कहने वाले हैं, इनकी सरकार आने पर उस पर चार चांद लग जायेंगे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, सारे कार्यक्रम जो हमने चलाए थे। मा0 मायावती के सरकार के समय में वह सब रोक दिये गये और यह जो बिजली पासी का किला भव्य बन रहा था। उस पर विराम लग गया और वह चारागाह बन गया है। वहां की बिजली और पानी काट दी गयी। वहां पर एक बड़ी मूर्ति बिजली पासी की लगाई गई थी, जिसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा होता, उसको पुरातत्व विभाग को दे देते और वह इसका विकास करते, लेकिन उन्होंने उस कार्य को नष्ट करना शुरू कर दिया।

श्री अधिष्ठाता-

पूरी बात आ गयी। अब आप समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इनकी कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अन्तर है। यह हमेशा गिरगिट के चरित्र की तरह चरित्र प्रदर्शित करते हैं और यहां पर भी यह उससे बाज नहीं आये। (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा अनुरोध है कि समय का ध्यान रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अगर पूरी बात नहीं रखूंगा तो ग्राह्यता पर कैसे बता पाऊँगा? यहां पर एक लक्ष्मण पार्क बनाने की बात करते हैं (× × ×) (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस देश के समाज, और संस्कृति पर प्रहार करेंगे तो उसे सुनने के लिए यह पक्ष तैयार नहीं है। हम महाराजा पासी का आदर करते हैं, उसका अर्थ यह नहीं है कि किसी के नाम पर कुछ भी कह दें।

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

कोई ऐसी बात न कहें जिससे किसी की भावना को आघात लगे।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सही कह रहें हैं इसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, कार्यवाही में नहीं आयेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरा विचार किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं और ऐतिहासिक बात रख रहा हूं, ऐतिहासिक बात सुनने के लिये क्षमता रखनी चाहिए, उसके लिए धैर्य रखना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया विराजें आपकी बात आ गई। आपकी सारी बातों का उल्लेख आ गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं निवेदन कर रहा था कि हिन्दुस्तान में जो हमारा बहुजन समाज है महाराजा बिजली पासी उसके महापुरूष थे। बिजली पासी का किला उत्तर प्रदेश की इतिहास की पराकाष्ठा रही है, उसके परिचायक के रूप में राजा बिजली पासी के किले का निर्माण किया गया। जैसा कि माननीय आर0 के0 चौधरी ने बताया लखनऊ ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश कभी पासी साम्राज्य हुआ करता था। राजा लाखन पासी के नाम पर लाखनपुर फिर लखनावती तब लखनऊ हुआ। इसी तरह से राजा सातन पासी का किला उन्नाव में है। इसी तरह से हरदोई का पहले नाम हरिद्रोही था फिर हरदोई हुआ यहां पर पासियों का साम्राज्य था। रायबरेली का नाम पहले राजभरेली था यहां पर भी पासी साम्राज्य था। इसी तरह से डलमऊ में राजा डाल का साम्राज्य था इनका किला आज भी डलमऊ में गंगा नदी के किनारे विद्यमान है। मेरे क्षेत्र डलमऊ विधान सभा के रोहनियां में राजा गाहे का साम्राज्य था, यह पासी समाज के थे।

माननीय श्याम सुन्दर भारतीय जहां से विधायक हैं। वह क्षेत्र भी पासी साम्राज्य का अंग था। वहां भी राजा हरदेव पासी ने हरदोई बसाया था जो आज भी है इसी प्रकार से चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे इंडिया हो जहां से हमारे भाई रेवती रमण सिंह जी आते हैं तो चाहे देवरिया हो या बहराइच या पीलीभीत हो पूरा उत्तर प्रदेश पासी साम्राज्य था। मेरी मांग है कि पासी समाज के इतिहास को देखते हुए लखनऊ में, राजधानी में बिजली पासी के किले के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए ऐसे लोग महत्व के बिन्दु पर जो अत्यंत अविलम्बनीय है और साथ-साथ भारतीय संस्कृति और सभ्यता और इतिहास से जुड़ा हुआ है।

(समय 2 बजकर 30 मिनट)

पुरातत्व से जुड़ा हुआ है और इस देश के बहुजन समाज और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

मौर्या जी कृपया विराजे।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, जो सूचनायें श्लाका के आधार पर चयनित हुई, उनकी ग्राह्यता पर सुनते हैं। अगर मान्यवर, ग्राह्यता को छोड़कर बाकी बात करने वाले सदस्य और भाषण देने वाले सदस्यों को सुनेंगे, तो यह उनको प्रोत्साहन देना होगा। मैं पीठ से संरक्षण चाहता हूं यह सभी विधायकों के अधिकार का प्रश्न है, अगर भाषण देने का काम किया जायेगा तो अनावश्यक समय नष्ट होगा। मान्यवर, ग्राह्यता पर बोला ही नहीं जा रहा है। माननीय सदस्य सूचना की अविलम्बनीयता क्या है, उसका लोक महत्व क्या है? इस पर विचार रखें। माननीय अधिष्ठाता जी, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसको सुन लें और साथ ही में व्यवस्था दे दीजियेगा। मान्यवर, आप अनुमति देते हैं, आपकी अनुमति से सदस्यगण उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में बोलते हैं और उसके पक्ष में कोई तर्क भी देते हैं। माननीय डंग साहब ने पीठ के ऊपर आक्षेप किया है। इसलिए इस पर व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता-

डंग साहब ने कोई आक्षेप नहीं लगाया है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, चाहे सदस्य इधर बैठें हों या उधर बैठें हों, सबका अधिकार है। इस सदन के कुछ नियम और परम्परायें हैं और उस पीठ पर चाहे माननीय अध्यक्ष जी हों या कोई अधिष्ठाता विराजमान हों उनके निर्देशों का पालन होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली में नियमों के सम्मान करने की परम्परा है और जो भी कोई सदस्य नहीं बैठता है और दुराग्रहपूर्वक अपनी बात करना चाहता है, तो इससे सारी स्वस्थ परम्परायें ध्वस्त हो जायेंगी इसलिए नियमों और परम्पराओं के आधार पर सदन चले तो सारी बात भी आ जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

यह सही है कि समय की सीमा को हर माननीय सदस्य को मस्तिष्क में रखनी चाहिए, जिससे सभी माननीय सदस्यगण अपनी बात कह सकेंगे। इस बात का

जरूर ध्यान रखें कि नियम-56 के अन्तर्गत सूचना की ग्राह्यता, अविलम्बनीयता और लोकमहत्व पर बात कहनी चाहिए, ऐतिहासिक गाथा नहीं सुनानी चाहिए और हाऊस के मूड को समझकर के अपनी बात कहनी चाहिए। आज बहुत बड़ा एजेण्डा है, इसलिए माननीय सदस्यगण सहयोग प्रदान करें। मौर्या जी आप अपनी बात एक वाक्य में समाप्त करें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता:-

माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें। पीठ की ओर मुखातिब होकर अपनी बात कहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, महाराजा बिजली पासी का किला भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्र प्रेम, त्याग व देश के अस्तित्व के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया। ऐसे त्यागी महापुरुष के नाम पर बिजली पासी के किले का निर्माण बीच में बाधित कर दिया गया। यह प्रकरण पासी समाज के सम्मान से जुड़ा हुआ है। आज पासी समाज अपने को अपेक्षित महसूस कर रहा है। कई माननीय सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य घुड़की से डरने वाला नहीं है। अगर कोई घुड़की दिखायेगा, तो उसकी जुबान बन्द करना हम भी जानते हैं। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाये।

* श्री श्याम किशोर यादव-

मैं आपका आभारी हूं कि आपने ग्राह्यता पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। बिजली पासी का गौरवशाली किला सरोजनी नगर में मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। 1989 में जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी थे। वहां-वहां पर वंसल कम्पनी जो आशियाना की कम्पनी है। आशियाना के लोगों ने इस किले को गिराने का काम शुरू कर दिया जिससे हीरालाल यादव जी मुलायम सिंह यादव को लेकर उस किले में गये थे। मुलायम सिंह यादव जी ने उस किले को देखा। उन्होंने वहां तत्काल पी0ए0सी0 लगाकर खुदवाने का कार्य रोक दिया और इस कम्पनी को निर्देश दिया कि इस किले की बाउण्ड्री को खत्म न किया जाये। महाराजा पासी का गौरवशाली इतिहास है। वहां पर श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक सभा की। उस सभा में मुलायम सिंह यादव जी ने एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की। 10 लाख रुपये उसी समय उन्होंने इस ट्रस्ट को आवंटित किया। जिससे उसके रख-रखाव का कार्य किया व निर्माण कार्य भी उस संस्था ने शुरू किया। उसके बाद जब 1992 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई तो वंसल कंस्ट्रक्शन कम्पनी के माध्यम से आशियाना कम्पनी ने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। जिसका पूरी जनता ने विरोध किया। उस समय हमने विरोध प्रदर्शन भी किया। जिसमें हम लोग घायल भी हुए व काफी लड़ाई लड़ी। 1993 में मुलायम सिंह जी ने पुनः एक करोड़ रुपये निर्गत करने के

नोट :- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदेश दिये जब वह दुबारा सत्ता में आये। उसकी स्वीकृति सरकारी पत्रावलियों में दबकर रह गई। उसके बाद इसका सरकारी करने का काम एक सरकार द्वारा किया गया इसका हम लोगों ने विरोध किया। श्री अवधेश जी यहां बैठे हैं उन्होंने भी इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। यह जो पासी समाज है उसकी देख-रेख में इस किले की देखरेख होनी चाहिए। पासी समाज को इसको सौंप दिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आशियाना का निर्माण करने वाली बंसल कम्पनी आज भी किले पर आंख गड़ाये है और इस किले की 25-30 एकड़ भूमि को बंसल कम्पनी वालों ने बेचने का काम किया है। इसलिए मेरी मांग है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराई जाये।

* श्री हरबंश कपूर-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि पासी समाज ने निर्णय लिया था कि इस किले का वह स्वयं ध्यान रखेंगे और दूसरी ओर कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी से एक करोड़ रुपया लिया गया, यह दोहरी बात क्या है इसे स्पष्ट करें?

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, इस विषय को लेकर जो ग्राह्यता का आकार देखने को मिला, कार्यवाही में भी वह अंकित होगा मुझे विश्वास है कि जब ग्राह्यता के बारे में कोई रिसर्च करने आयेगा तो यह कार्यवाही इसका मार्गदर्शन करेगी। एक घंटे तक ग्राह्यता चली परन्तु मैं दो मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराजा बिजली पासी समाज का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। इस देश में बिजली पासी महाराज कुछ गौरव के प्रतीक थे और हैं। महाराज बिजली पासी के प्रति ये सरकार पूर्ण सम्मान रखती है और हर कार्य ऐसा करेगी जिससे उनके सम्मान को ठेस न पहुंचे। मान्यवर, हमारी सरकार ने जो कार्य किया है उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ अभी तक विकास प्राधिकरण लखनऊ उसकी देख-रेख का कार्य करता था लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि महाराजा बिजली पासी बहुउद्देशीय ट्रस्ट को यह हस्तान्तरित कर दिया गया और इसके साथ ही अनुदान के रूप में 25 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त करने हेतु कार्यवाही चल रही है, शीघ्र ही इस धनराशि को अवमुक्त कर दिया जायेगा। ऐसे विषयों पर तो कोई मतभेद होना ही नहीं चाहिए। हमें इतिहास को संरक्षित करना चाहिए। चाहें महाराजा बिजली पासी की बात हो या हमारे प्रातः स्मरणीय रामायण के एक बहुत बड़े पात्र लक्ष्मण जी हों, यही तो वह महापुरुष हैं जिनसे हमारी पहचान है क्या इस पहचान को हम खो देंगे। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समरसता में विश्वास रखती है। जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा, पथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। समाज में समरसता रखते हुए जो हमारे महापुरुष हैं उनकी धरोहर को जीवित रखने का प्रयास किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण को सुनने के बाद तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुनने के पश्चात् यह सूचना ग्राह्यता के मानकों में नहीं आती है इसलिए इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर --व्यवधान)

श्री राम ललित चौधरी, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री दद्दू प्रसाद तथा श्री लाल मणि प्रसाद आदि- (बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर भेदभाव की यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, पासी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे।)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें। अगली सूचना माननीय विजय पाल सिंह जी की है उन्होंने इसके लिये अनुरोध किया है कि इसको सोमवार को ले लिया जाये। इसके बाद की सूचना श्री विनोद मणि त्रिपाठी जी की है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आपने अपनी बात कह दी। आपकी बात आ गई। अब और कोई ऐसी बात नहीं है। पूरा सदन चल रहा है और सदस्यों को भी अपनी सूचना पर बोलना है। जैसा और सदस्यों ने आपका सहयोग किया है आप भी सहयोग करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं। जब एक साथ काम हो रहा था तो क्या कारण है कि वहां काम बन्द कर दिया गया। पंडित दीन दयाल पार्क में रोशनी इतनी है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और महाराजा बिजली पासी के किले में बिजली काट दी है। निर्माण कार्य रोक दिया गया है। हाइड्रोजन बल्ब निकाल दिया गया है। कौन विश्वास कर सकता है कि आप समरसता का व्यवहार रखते हैं। यही सौतेला व्यवहार डा0 अम्बेडकर उद्यान एवं स्थल तथा परिवर्तन चौक व अम्बेडकर प्रतिमा स्थल हजरतगंज के साथ भी हो रहा है अतः इस लोक महत्व के बिन्दु पर तत्काल चर्चा करवायें।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप पूरी बात कह चुके हैं और उस पर रूलिंग आ गई है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बिजली पानी को चालू करने के लिये तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ कहा नहीं। कैसे हम मानें कि यह सरकार भेदभाव नहीं करती है?

(ब0स0पा0 के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, भेदभाव की यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के

नारे लगाने लगे। महापुरुषों का यह अपमान नहीं चलेगा-नहीं चलेगा।)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(फ्लोर पर आये हुये सदस्य नारे लगा रहे थे पासी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें आपकी बात आ गई है। आपका परपज पूरा हो गया है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रयास से सदन के फ्लोर पर आये हुये सदस्य सदन के फ्लोर से वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री अधिष्ठाता-

मौर्य जी, आपने आगे बढ़ने में सहयोग दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सरवर अली-

(माननीय अवधेश प्रसाद जी की ओर इशारा करके) मान्यवर, यह बिजली पासी के परिवार के हैं इनको बुलवा लें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, वैल में कोई सदस्य जाना नहीं चाहता है मजबूर होकर दुखी मन से जब कोई रास्ता नहीं रह जाता है तो वैल में जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी जबाब दे रहे थे साढ़े चार करोड़ रुपये की एक स्कीम बनी राजा बिजली पासी किले को संरक्षित करने के लिए बनी। चूंकि ऐतिहासिक महत्व का यह किला है लोग इसका महत्व जान सकें, पासी साम्राज्य रहा है, पासी समाज यह समझे कि हम भी कभी राजा थे और आने वाले समय में उनको राजा बनना है यह नसीहत मिल सके। वह जमीन बहुत कीमती हो चुकी है तमाम लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसके तमाम भाग पर अतिक्रमण हो चुका है। जिस आशियाना कार्गनाइजर की बात माननीय सदस्य कर रहे थे इस पर बहस हो चुकी है कालोनियां बनाये जा रहे हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको संरक्षित रखने के लिए साढ़े चार करोड़ रुपया दिया जिसमें एक करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। जो साढ़े तीन करोड़ रुपया बचा है उसको देने के बजाय आप 25 लाख रुपये दे रहें हैं। तो कृपा करके जो साढ़े तीन करोड़ अवशेष है उसको दिलवा दीजियेगा, 25 लाख रुपया क्या आप अनुदान देने जा रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी ने बड़ी गंभीरता से अपना विचार रखा है और मुनासिब होगा कि शासन स्वयं इस पर विचार कर लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, वहां पर बिजली नहीं पानी नहीं, और जो निर्माण कार्य चल रहा था उसे भी रोक दिया गया है। तो कृपया इसे चालू करवा दें।

(व्यवधान)

मान्यवर, आपके निर्देश पर हमारे सम्मानित साथी वापस अपने स्थान पर आ गये। लेकिन जिस तरीके से सरकार हठधर्मिता पर उतारू है, वहां पर बिजली पानी की व्यवस्था नहीं दे रही है, जो रुका हुआ कार्य है उसे चालू नहीं करवा रही है और यह दलित विरोधी सरकार है। इसने वहां पर कार्य न कराकर अपने घिनौने षड़यन्त्र का उजागर किया है। हम इस सरकार के इस कृत्य पर सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

* श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जिस महत्वपूर्ण बिन्दु पर इस आदरणीय सदन में चर्चा हो रही है नियम-56 के अन्तर्गत आप भी अवगत होंगें कि महाराजा बिजली पासी उत्तर प्रदेश और देश के पासी बिरादरी और गरीब लोगों के प्रेरणा श्रोत थे। लेकिन मुझे अफसोस हुआ जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री के रूप में थे आप भी स्वयं मंत्री थे। माननीय मुलायम सिंह जी ने एक करोड़ रुपया स्वीकार किया था। आशियाना कम्पनी द्वारा बुलडोजर लगाये जाने पर उसे रुकवा दिया और फिर 93 में फैसा दिया। फिर यह आपकी सरकार आयी और आते ही उसने सरकारीकरण कर दिया।

पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें आंदोलन किया कि इसका सरकारीकरण न किया जाय। यह गौरव की बात है। लाखों करोड़ों लोग यहां पर आते हैं और अप्रैल के महीने में यहां पर मेला लगता है। सरकारीकरण के विरोध करने पर लाठी चार्ज हुआ था। कार्यकर्ताओं के ऊपर, सांसद के ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ। उस समारोह में आप भी थे। संभवतः उस समय सरकारीकरण के विरोध में आप पर भी लाठी चार्ज हुआ। यह गम्भीर मुद्दा है। मान्यवर, पार्टी यह चाहती थी कि यह किला पासी समाज को सौंप दिया जाय। भारतीय जनता पार्टी का रवैया ठीक नहीं है। जो महाराजा बिजली पासी का किला है, जो पासी समाज की धरोहर है, प्रेरणा का श्रोत हैं और देश की करोड़ों लोगों के प्रेरणा के श्रोत हैं उसे पासी समाज को सौंपने की कोशिश करेंगें कि नहीं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ने एक करोड़ रुपया स्वीकृत किया था, उसको पिछली सरकार ने वापस ले लिया था उसकों देने का कष्ट करेंगे? मान्यवर वहां बिजली, पानी की दिक्कत है, चौराहों को तोड़ा जा रहा है, आशियाना कम्पनी फिर कब्जा करने जा रही है। उसकों रोकने के लिए क्या करने जा रहें हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हर पार्टी की काम करने की अपनी शैली होती है। हमारी जो सरकार है वह प्रदेश के 16 करोड़ वाशिन्दों के लिए उत्तरदायी है। यह सरकार

नोट :- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियमों के अनुसार कार्य करती है। कोई सरकारी खजाना किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है। इस प्रदेश की सम्पत्ति है। किसी सरकार ने पार्क के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपये दे दिये। किसी ने विवेकाधीन कोष से 50-50 करोड़ रुपये दे दिये। सारे प्रदेश को अनदेखी करके एक गांव तक विकास को सीमित कर दिया। मान्यवर, यहां 83 जिले हैं, उनके निवासियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई अनुत्तरदायित्वपूर्ण रवैया अपनाने वाले नहीं हैं। हम लोग नियमों के अनुसार प्राथमिकता के अनुसार धन का आवंटन करते हैं। अब वह जमाना गया जब मुगलिया तरीके से धन बांटा जाता था। बीच में भी कुछ समय आया था। आज व्यवस्था की सरकार चल रही है। हमारे लिये कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, सरकार की गरीबों के विरुद्ध नीति है, इनकी नीति के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन का बहिर्गमन करते हैं। (श्री अवधेश प्रसाद अपने दल समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्यों सहित सदन का बहिर्गमन करके चले गये) आगरा नगर में सफाई मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना स्थगित की गयी।

(श्री विनोद मणि के खड़े होने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इससे पूर्व की सम्मानित विनोद मणि जी, इस बात को बोलें, मान्यवर, यह सूचना दो देशों की सीमाओं के बारे में है, वहां पर यह उल्लेख किया गया है कि उस सीमा को लेकर कुछ नागरिकों का उत्पीड़न होता है, उससे नेपाल देश का नाम आया है। वे हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी मित्र देश है। मान्यवर, अगर इस पर इस विधान सभा में कुछ चर्चा होगी तो, वह सन्देश ठीक नहीं जायेगा। दो देशों की सीमा भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में विनोद मणि जी बात कर लीजिएगा।

श्री विनोद मणि-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

आप इसकी संवेदनशीलता को जानिए।

श्री विनोद मणि-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

यह संवेदनशील विषय है इसकी बाद में बात कर ली जायेगी। इस सूचना को अस्वीकृत किया जाता है यह चूंकि देश की सीमा से सम्बन्धित संवेदनशील विषय है इसकी न तो किसी बात का संज्ञान ले रहे हैं और न कोई बात कार्यवाही में लिखी जायेगी।

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, इस पर क्या व्यवस्था हुई?

श्री अधिष्ठाता-

अभी कुछ नहीं इस पर मन्डे को विस्तृत रूप से बात कर लेंगे और कोई रास्ता निकाल लेंगे।

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, आपने इसका संज्ञान लिया कि नहीं?

श्री अधिष्ठाता-

मैने संज्ञान ले लिया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सदन कैसे चलेगा? या तो निर्णय कर दें या तो उनको बुलवा लें। आप इस सूचना को पढ़कर देख लें इसमें 2 देशों की बात कही गयी है, यह संवेदनशील मामला है।

श्री अधिष्ठाता-

विनोद मणि जी, आपके द्वारा कही गयी कोई बात इस कार्यवाही का अंग नहीं बनेगी। यह संवेदनशील विषय है। आपसे अनुरोध है कि आप विराजें।

* श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में बिजली का संकट है लेकिन फिलहाल मेरे क्षेत्र में जहां से मैं चुनकर आता हूं टांडा से, विद्युत व्यवस्था के ऊपर ही वहां की सारी रोजीरोटी आधारित है। हमारे क्षेत्र में लगभग 50 हजार पावरलूम हैं।

जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वह पावरलूमों का क्षेत्र है। टांडा, हसवर, इल्तिफातगंज और भूलेपुर, इन सबको मिलाकर 50 हजार पावरलूम वहां हैं और इनकी रोजी रोटी विद्युत आपूर्ति पर निर्भर है। मैनें इल्तिफातगंज ओर बसखारी फीडर का उल्लेख किया है, वहां पर लगभग एक हफ्ते से बिजली नहीं आ रही है, जिसके कारण बुनकरों के पावरलूम बंद है साथ ही धान की रोपाई भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पानी के बिना रोपाई संभव नहीं है और उसके लिये ट्यूबवेल चाहिये, जो बिजली के बिना चल नहीं पा रहें है, पूरे क्षेत्र में एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है, यह संवेदनशील क्षेत्र हैं और इल्तिफातगंज में 15 हजार की आबादी है, वह सड़कों पर निकल आती है, इसी तरह टांडा की आबादी सड़कों पर निकल आती है, पिछलें कुछ वर्षों में इसी

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिलसिले में विद्युत अधिकारी की जान भी जा चुकी, यह अत्यन्त लोक महत्व का मामला है, तात्कालिक भी है, नियम-56 की सभी शर्तों को पूरा करता है, इसलिये सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

* ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, नियम-56 की नोटिस के माध्यम से माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान जिस विषय की ओर आकर्षित किया है, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि विभाग की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार आज की तारीख में दोनों फीडरों पर विद्युत चल रही है, जो पिछले एक हफ्ते की बात माननीय सदस्य ने कही है, उसको भी विभाग ने डिनाई किया है, लेकिन माननीय सदस्य की बात को हमने गंभीरता से लिया है और एक अधिकारी को वहां भेज दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि विद्युत का संकट होने के बावजूद भी हड़ताल के बावजूद भी इस समय जनरेशन पिछले जनरेशन से ज्यादा हो रहा है और दिन में कहीं भी विद्युत की कटौती नहीं हो रही है और ईश्वर की कृपा से पानी इतना बरसा है कि कहीं धान की रोपाई इससे प्रभावित नहीं हो रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

उस फीडर के बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया। एक हफ्ते बिजली ठप्प रहीं, मैं पिछले शुक्रवार को घर गया था, शनिवार रहा, रविवार रहा, कहीं बिजली नहीं थी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, चूंकि इस समय कोई विद्युत की कटौती नहीं हो रही है इसलिये किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो रही है, हमने इसको गम्भीरता से लिया है। वैसे यह विषय न अविलम्बनीय है, न लोक महत्व का है, इसको निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

यह विषय नियम-56 की शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिये इसको अग्राह्य किया जाता है।

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आई0बी0 की रिपोर्ट आयी थी और उसमें यह तथ्य उजागर किया गया है कि सदन के दौरान विधायकों की हत्याएं की जा सकती हैं। मान्यवर, इसी बीच में मुझे टेलीफोन मिले और मुझसे कहा गया कि आप अपराधियों के खिलाफ विधान सभा में आवाज उठाते हैं आपका कत्ल कर दिया जायेगा। जब आई0बी0 कि रिपोर्ट में यह आया है विधायकों का

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कत्ल किया जा सकता है तो मैं कहना चाहिता हूं कि अपराध संख्या 146/91 है, इसके अपराधियों के खिलाफ दायर मुकदमें की विवेचना वापस ले ली गयी यह अपराध संख्या थाना बेवर जिला मैनपुरी का है। जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध लम्बा इतिहास रहा है। मान्यवर, मैंने इसी सदन में इस संबंध में प्रश्न किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि एस0एस0पी0 को कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिये गये हैं उनके असलहें वापस ले लिये जायेंगे और यह भी निर्देश दिया था कि उनके गिरोहों का सफाया कर दिया जायेगा लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है एक अपराध संख्या 171/98 थाना बेवर में कायम हुआ है जो पांच हजार रुपये वसूली का मामला था। जब एस0एस0पी0 ने पुलिस बल के साथ उनके घर पर छापा डाला तो थानाध्यक्ष को गोली मारी गयी। इस संबंध में अपराध संख्या 172/98 कायम किया गया। जिस एस0एस0पी0 ने छापा डलवाया उसका ट्रान्सफर कर दिया गया लेकिन उन अपराधियों को नहीं गिरफ्तार किया गया। मान्यवर, जिला जेल में इन्हीं लोगों में जेलर को मारा पीटा, जिसके संबंध में अपराध संख्या 549/98 कायम किया गया। इसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त एक अपराध संख्या 325/95 थाना बेवर में कायम हुआ उसमें भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी तरह से उनको बचाने के लिए अपराध संख्या 171 और 172 को थाना एटा स्थानान्तरित कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें कौन लोग थे मैं कहना चाहता हूं कि उसमें उपदेश सिंह चौहान थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था तब उन्होंने नाम लिया था इसलिए मैं उनका नाम ले सकता हूं। वह ब्रम्हदत्त की हत्या में शामिल रहे। जिस पर 49 मुकदमें कायम हैं। उनके भाई शिवराज सिंह पर भी तमाम मुकदमें कायम हैं लेकिन वह पकड़े नहीं जा रहे हैं। उनसे खतरा है लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि सुधांशु द्विवेदी की सुरक्षा की व्यवस्था की जाये। सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है जो हत्यारे हैं उनको जान-बूझकर संरक्षण दिया जा रहा है। वह कहते हैं कि आप अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं मेरे खिलाफ बोलते हैं। मुझे सुरक्षा की व्यवस्था नहीं उपलब्ध करायी जा रही है। यह सरकार गुण्डों को बढ़ाने का काम कर रही है। मान्यवर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब वचन दिया था कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। लेकिन वह अपराधी हैं। उपदेश सिंह के भाई शिवराज सिंह एस0एस0पी0 के बंगले में बैठता है, जिलाधिकारी के बंगले में बैठता है। आप जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगा लें। आपको सारी बातों की जानकारी हो जायेगी। लेकिन यह सरकार आतंकवाद को बढ़ा रही है। गुण्डागर्दी को बढ़ा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आप लम्बा न करें।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, अगर उनको न पकड़ा गया तो हमें मार दिया जायेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय औतार शाक्य को सुनने के बाद उनकी जो सूचना है उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिन तथ्यों का उल्लेख उन्होंने किया है विशेष रूप से उस पर अपेक्षा की जाती है।

श्री [illegible] सिंह-

मान्यवर, यह तथ्य शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो सत्रकाल में जब प्रश्न काल से लेकर जब तक सदन चला हो किसी न किसी रूप में इसे उठाया न गया हो, कल की कार्यवाही देख लें परसों की कार्यवाही देख लें। नाम भी यहीं आते हैं। किसी की कोई रंजिश हो और वह सदन का प्रयोग व्यक्तिगत रंजिश पर कार्यवाही करने की अपेक्षा से करते हों तो यह संभव नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य-

हमारी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। अगर कोई ऐसी बात साबित कर दें तो मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सूचना उस श्रेणी में आती नहीं थी जिसमें सुना जायें। चूंकि माननीय सदस्य ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूं इस आधार को लेकर सूचना सुनी गयी। यह कहते हैं कि व्यक्तिगत नहीं है तो फिर तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। सुधान्शु दत्त द्विवेदी का नाम लिया उनको तीन गनर दिये गये हैं, सुनील दत्त द्विवेदी का नाम लिया उन्हें भी गनर दिया गया है। प्रभु दत्त द्विवेदी को भी गनर दिया गया है। आपने कहा मैं क्षेत्र में गया और मुझे जानकारी मिली कि आई0बी0 की रिपोर्ट आयी है और विधायकों को खतरा हो गया है उस आधारपर मैंने यह उठाया है तो आई0 बी0 की रिपोर्ट अब पता नहीं आपके पास कहां से आयी? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के मामले को किसी न किसी प्रकार राजनैतिक रूप देकर आप कहेंगे तो उसका महत्व कम हो जायेगा। जो उनसे संबंधित विषय रहेंगे उन पर आप कहें तो अलग बात है आपने ध्यान आकृष्ट कर दिया अब इस प्रकरण को आप समाप्त करें।

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना श्री चन्द्र पाल सिंह यादव की है। आप संक्षेप में अपनी बात कह दें।

* श्री चन्द्र पाल सिंह-

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अति लोक महत्व और

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि झांसी जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और झांसी जिला पंचायत के सदस्य श्री राम लखन सिंह यादव की हत्या कर दी गयी। वह इस क्षेत्र के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वर्षों से वह ग्राम प्रधान रहें और आज जिला पंचायत के सदस्य थे, पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था उसको लेकर वह गांव-गांव जा रहे थे। अपने गांव के नजदीक ही दो कि0मी0 दूरी पर मोट थाना ग्राम पाड़री में सदस्यता अभियान के लिए गये थे और जब शाम को 8.00 बजे वापस आ रहे थे तो सत्ता पक्ष के लोगों के इशारे पर राजनैतिक द्वेष के कारण समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राम लखन सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी उनसे पहले उनका नाम पूछा और जब उन्होंने नाम बताया और उनसे कहा कि बड़ी नेतागीरी करते हो यह कहकर उनके सीने को गोलियों से छलनी कर दिया और हत्यारे फरार हो गये ओर वहां जिसके घर में उनको पनाह दे रखी थी उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसने पुलिस को हकीकत सुना दी कि कौन-कौन से लोग हत्या में शामिल थे। इससे सत्ताधारी पार्टी के लोग जिनका हत्या में हाथ था सक्रिय हो गये और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था विशन सिंह को उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिये जिले के कलेक्टर के पास, एस0पी0 के पास दौड़ लगाने लगे। श्रीमन्, हत्यारे आज भी फरार हैं पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है सत्ता पक्ष का पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है कि इनके खिलाफ कार्यवाही न की जाये। मैं बताना चाहता हूं कि हत्यारे कोई ऐसे वैसे नही हैं पिछले तीन वर्षों में इन हत्यारों ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्जनों हत्यायें अपहरण और लूट की घटनायें की हैं चूंकि सत्तापक्ष का संरक्षण है इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिला प्रशासन को ऐसे लोगों को सफाया करना चाहिए था उनके ऊपर इनाम घोषित करना चाहिए था लेकिन सत्ता पक्ष का दबाव है इसलिए पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आज भी हत्यारे फरार हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष की हत्या की गई दूसरी तरफ चूंकि समाजवादी पार्टी के लोगों में आक्रोश था वे आन्दोलन करना चाहते थे उस आन्दोलन को दबाने के लिए अपराधियों की ओर से समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमें कायम करने की साजिश की जा रही है। हत्यारे उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वह हमारे नजदीकी व्यक्ति थे। वह हमारे विधान सभा क्षेत्र का, हमारी पार्टी का काम देखते थे। आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है मैंने बार-बार अध्यक्ष जी से प्रार्थना की कि हमारी सुरक्षा का प्रबन्ध कराया जाय आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे जो सुरक्षा दी गई थी वह सरकार द्वारा वापस ले ली गई है यह किन कारणों से वापस ले ली गई है या तो हम जैसे लोग अपराधों में लिप्त हैं या अपने अंगरक्षक का दुरुपयोग करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से और संसदीय कार्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो मेरे पास जो सुरक्षा है वह वापस ले ली जाय या तो सरकार माननीय सदस्यों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीन नही है। सरकार नहीं चाहती

है कि माननीय सदस्य सुरक्षित रहें। हत्यारे खुले आम घूम रहे हैं और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जिन लोगों को जान का खतरा है सरकार उनके प्रति संवेदनशीन नहीं है यह सवाल अत्यंत अविलम्बनीय लोग महत्व का है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रश्न पर निश्चित रूप से चर्चा कराने की कृपा करें जिससे कि सारी स्थिति सामने आ सके।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री चन्द्रपाल सिंह-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री का उत्तर तो आ जाने दीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, श्री शिरोमणि सिंह निवासी कुम्हराल, थाना मोठ जनपद झांसी ने सूचना दी कि वह अपने भाई राम लखन सिंह यादव के साथ आ रहे थे ट्यूबवेल के पास पहुंचे तो ट्यूबवेल के पास अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

(समय 3 बजकर 30 मिनट)

यह मुकदमा 228/98 धारा-302 भारतीय दण्ड विधान बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जब माननीय चन्द्रपाल सिंह बोल रहे थे तो मुझे भी लग रहा था कि आखिर बात क्या है, उन्होंने एक पार्टी का नाम भी लिया कि उनके दबाव में शासन-प्रशासन है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। मैंने यह सोचा हो सकता है कि मेरी सूचना आयी है वह अधूरी हो तो माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ा। मान्यवर, उसकी पांचवी पंक्ति देखे-आरोप है कि हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर यह जानकारी हो कि कौन हत्यारें हैं, जो भाई मोटर साईकिल पर उनको लेकर चल रहा था जिसके द्वारा एफ0आई0आर0 की गयी उसमें अपराधी के नाम का उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, अगर इन्होंने सूचना में एक शब्द भी दे दिया होता कि अपराधी का यह नाम है तो मैं आज सदन उठने से पहले इस बात की जानकारी करता कि आखिर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया गया जबकि आरोप यह लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के दबाव में है। मान्यवर अज्ञात होते हुए भी पुलिस सतर्कता के साथ जांच कर रही है। सम्भावनायें क्या हैं, मैं बता दूं। राम लखन सिंह यादव जिनकी हत्या हुई है वह अपराधी प्रवृत्ति के थे और उनके विरुद्ध 10 मुकदमें पंजीकृत हैं यह आपसी गैंगवार का नतीजा भी हो सकता है। विवेचना जारी है, अपराधी प्रकाश में आयेंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

श्रीमन्, बात नहीं आयी। संसदीय कार्यमंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

जब विशुन सिंह को गिरफ्तार कर जिले की पुलिस ने उसे जेल में भेजा तो उसने सारी कहानी की हकीकत बतायी। पुलिस ने इस बात का भण्डाफोड़ कर दिया। माननीय राम लखन सिंह यादव के खिलाफ आपने जो बताया कि 10 मुकदमें कायम हैं राजनैतिक जीवन में आप भी कई बार जेल गये होंगे, आपने आन्दोलन किया होगा। श्री लखन सिंह यादव के खिलाफ कोई अपराधिक मामला नहीं है, न ही वह अपराधिक कार्यों में लिप्त थे आप इसकी किसी भी एजेन्सी से जांच करा लीजियेगा। यह साबित हो गया है कि यह सरकार पूरी तरह से हत्यारों को संरक्षण दे रही है, सरकार हत्या कराने में लिप्त है और साजिश रच रही है।

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के 250 लोगों की हत्यायें हो गयी लेकिन यह सरकार यह कहकर टाल देती है कि लोग अपराधिक प्रवृत्ति के थे, मान्यवर, सत्तापक्ष में भी अपराधिक प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं। आप निर्देश दीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। संसदीय कार्यमंत्री जी ने अभी कहा कि अज्ञात रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। 8.00 बजे रात को घटना हुई, समाजवादी पार्टी की यह महानता थी कि हमने नहीं देखा तो अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। जिसके यहां हत्यारे रूके थे जब उसको गिरफ्तार किया गया तो सारी हकीकत सामने आ गयी। संसदीय कार्यमंत्री जी हत्यारों का नाम छिपा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आपने जो उल्लेख किया है संसदीय कार्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान ले लिया है। अब आप बैठें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर नाम प्रकाश में आ गये थे तो सूचना आपने आज दी है कम से कम उसमें नाम का उल्लेख करना चाहिए था। यह घटना जून की है। आप केवल आरोप लगा रहे हैं, आपको नाम देना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता-

जिन बातों का आपने उल्लेख किया है उन सारे तथ्यों का संज्ञान संसदीय कार्यमंत्री जी ने ले लिया है। इस पर शासन का ध्यान आकर्षिक किया जाता है।

श्री चन्द्रपाल सिंह-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से कहें कि उन हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जायेगा। नहीं तो मैं अनिश्चित कालीन धरने पर बैठ जाऊँगा।

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्यमंत्री जी ने कह दिया है कि इसकी विवेचना हो रही है। जो लोग भी इसमें लिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अगर आपके पास कोई सूचना हो तो उसको अलग से दे दें।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

मान्यवर, जिला प्रशासन के लोग नाम छिपाने का काम कर रहे हैं। पीठ से स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो। जो लोग असुरक्षित हों उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी पूरी सुरक्षा हो, इस बात को संसदीय कार्यमंत्री जी स्वयं आश्वस्त करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सरकार का दायित्व है जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं आश्वस्त करता हूं कि किसी कीमत पर हत्यारों को छोड़ा नहीं जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

जो लोग भी इसमें इन्वाल्व हैं व चन्द्रपाल जी सहित जितने लोग असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी प्रबन्ध किया जाये। इस बात का निर्देश दिया जाता है। जो लोग इन्वाल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी।

अगली सूचना श्री अवधेश प्रसाद जी की व श्री उदयराज यादव की है। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आज समूचे उत्तर प्रदेश में शिक्षा सत्र का आरम्भ हुए 15 दिन हो गए हैं। आज बाजारों में नये पाठ्यक्रम के अनुसार नई पुस्तकें नहीं मिल रही हैं आज पूरे प्रदेश में शिक्षक आन्दोलनरत हैं। छात्रों को टी0सी0 नहीं मिल रही है। हमारे क्षेत्र में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रयास से वर्ष 1993 में राजकीय कन्या इण्टर कालेज मसौधा ब्लाक में व एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज गौहनिया में स्वीकृत हुआ था। उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। कक्षा 9 में प्रवेश लेना प्रारम्भ हो गया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक तरफ छात्रों के प्रवेश की बड़ी समस्या है दूसरी तरफ करोड़ों रुपये खर्च करके श्री मुलायम सिंह यादव जी के प्रयास से ब्लाक गौहनियां में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हो चुकी है। बिल्डिंग बन चुकी है। उनमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक दाखिले लिये जांय। आज पूरे प्रदेश में प्रवेश की गम्भीर समस्या है इसलिए आपसे निवेदन है कि सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उ0प्र0 राज्य अनुसूचित जाति की वर्तमान सूची में सम्मिलित निषाद् समाज की उप-जातियों गोंड़, मझवार, तुरेहा बेलदार की भांति निषाद समाज की पंचित उपजातियां तत्सम एवं पर्यायवाची जातियां केवट, मल्लाह, बिन्द, धीवर, कश्यप, बाथम, चाई, रायकवार आदि को भी अनुसूचित जाति की सुविधायें देने विषयक श्री सीता राम निषाद जी की कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। श्री भीम प्रसाद सोनकर जी की सूचना को अस्वीकार किया जाता है किन्तु उसमें शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, नये सदस्य हैं। आप उन्हें एक मिनट सुन लें।

* श्री भीम प्रसाद सोनकर-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के इन्दोरपुर धिन्हापुर के निवासी श्री फोजदार यादव को पुलिस आपसी रंजिश के कारण उनके दरवाजे से मारते,पीटते घसीटते तथा बेहोशी की हालत में सांय 6 बजे दिनांक 9-7-98 को थाने में ले आयी। उसका थाने में चालान नहीं किया गया और न ही श्री फोजदार यादव थाने में हैं। उनका कोई पता नहीं है। सबको यह शंका है कि पुलिस ने श्री यादव की हत्या कर दी है और थाना इन्चार्ज ने उसकी लाश को अन्यत्र छिपा दिया है। इसलिए मेरी मांग है कि उस थाना इन्चार्ज के खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत कराया जाना चाहिए और उसके पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिये। इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाये।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, कार्यकर्ता की हत्या हुई है.....

श्री अधिष्ठाता-

शासन का ध्यान आकर्षित तो कर दिया है।

(श्री राम विशुन आजाद के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

श्री राम विशुन आजाद जी आपकी सूचना भी क्या इसी मामले पर है?

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मेरी सूचना शलाका में नहीं आई है। मैं अपनी सूचना पर बोलूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

जो सूचना है नहीं उस पर क्या व्यवस्था होगी? आपकी सूचना अस्वीकृत हो गयी है। आप सोमवार को इसे दीजियेगा। उस पर विचार कर लिया जायेगा कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कैसे उस पर सुना जोयगा?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

शलाका में 10 सूचनाएं निकाली जाती हैं जिसमें से 5 पर सुना जाता है और पांच पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह आपका दुराग्रह है कि जो सूचना आई नहीं है शलाका में आप उस पर सुनने के लिये कह रहे हैं। सोमवार को दे दें उस पर विचार कर लिया जायेगा। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाओं को नियम-56 के अन्तर्गत चयनित नहीं किया गया है अतः अस्वीकार की गयी इनमें माननीय श्री मुरलीधर, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री रामचन्द्र यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुरेन्द्र अवस्थी, श्री कौकव हमीद, श्री समरपाल सिंह, श्री दीपक कुमार, श्री अशोक बाजपेयी, श्री राम विशुन आजाद, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री रामेश्वर सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी, डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री बनारसी दास चान्दना, श्री लालमणि प्रसाद, श्री सतीश जतारिया, श्री मोहम्मद मुकीम, श्री राम अचल राजभर, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री राम जग, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, की सूचनायें अस्वीकृत हो गयी।

प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने विषयक श्री ददद्दू प्रसाद के संकल्प पर चर्चा, विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों को संबंधित विकास प्राधिकरण का सदस्य नामित किये जाने विषयक श्री संजय गर्ग आदि के संकल्प, उत्तराचंल की क्षेत्रीय पारम्परिक पन चक्कियों (घ्राटों) को लघु उद्योग घोषित करने विषयक श्री हरवंश कपूर आदि के संकल्प, प्रदेश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना विषयक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के संकल्प, प्रदेश के तीर्थ स्थानों में प्रतिवर्ष मेलों के लिये कर्मचारियों को मेलावधि तक तीर्थ भत्ता दिये जाने विषयक कुंवर रेवती रमण सिंह के संकल्प एवं जनपद देहरादून की चकराता तहसील में शिक्षा व्यवस्था में सुधार विषयक श्री मुन्ना चौहान के संकल्प पर चर्चाओं, प्रदेश के भूगर्भीय जल स्तर में हो रही निरन्तर गिरावट पर चिन्ता विषयक श्री बाल चन्द्र मिश्र के नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा, सहकारिता विभाग में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने विषयक श्री बाल चन्द्र मिश्रा के नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा, प्रदेश में अतिवृष्टि से बाढ़ से सम्बन्धित श्री जगदम्बिका पाल आदि की सूचनाओं पर चर्चा (जारी), कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्षवार विभिन्न श्रोतो से अर्जित सम्पत्तियों से सम्बन्धित अतारांकित विभिन्न प्रश्नों के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा तथा प्रदेश में एड्स के संबंध में जागरुकता उत्पन्न किये जाने विषयक श्री मुन्ना चौहान आदि की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (मद संख्या 9 से 15) का स्थगन।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

* श्री दुददू प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 3 जुलाई, 1998 को "प्रस्तुत संकल्प" इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री, बरगढ़ जिला छत्रपति शाहू जी महाराजनगर को शीघ्र चालू कराया जाय, पर चर्चा आपकी अनुमति से प्रारम्भ कर रहा हूं। मान्यवर, जिला छत्रपति.....

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, सदन के कार्यक्रम को देखते हुए कल कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया और उसको सम्मानित सदन ने अनुमोदित किया कि जितनी चर्चाएं हैं उन चर्चाओं के लिए एक दिन निश्चित कर दिया गया 24 तारीख का। 24 तारीख को सत्र नहीं था परन्तु चर्चाओं के महत्व को देखते हुए किया गया। आज का कार्यक्रम भी लम्बा है तो मेरा आग्रह है कि जितनी चर्चाएं आज लगी हैं उनको आगे 24 तारीख को ले लिया जाय। आज शुक्रवार का दिन है। बाढ़ की ऐसी स्थिति प्रदेश में आई है माननीय सदस्यगण यह अपने क्षेत्र में जायेंगे वह भी देखना चाहते हैं जो वहां की समस्यायें उनसे अवगत हो लें ऐसी स्थिति को देखते हुए आज का जो एजेन्डा है मद संख्या-9 से मद संख्या 15 तक उसको स्थगित कर दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

अगर आज चर्चा नहीं हुई तो 24 तारीख को क्या फायदा चर्चा की बाढ़ अभी आई हुई है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं।

श्री हुकुम सिंह-

इसमें संदेह नहीं है कि बाढ़ की विभीषिका से सारा जनजीवन अस्त-व्यस्त है जिस दिन यह प्रश्न उठाया उससे अब तक स्थिति भयावह हो गई है चर्चा शाम तक कर लें, या रात तक कर ले, उससे उतना फायदा नहीं होगा जितना महत्वपूर्ण यह होगा कि हम अपने क्षेत्रों में जाएं और देखें। जब आएंगे तब इसमें चर्चा हो जायेगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग विराजें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री इकबाल महमूद-

आज का दिन चर्चा के लिए निश्चित है आप चर्चा करा लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि आज की कार्य-सूची की मद संख्या-9 से लेकर मद संख्या-15 तक स्थगित कर दिया जाए। और मद संख्या-16 ले लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि मद संख्या-9 से मद संख्या-15 तक के संबंध में, जिसका प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री कौकब हमीद, श्री विनोद मणि, श्री अवधेश प्रसाद, श्री इन्द्रजीत सरोज तथा श्री लालमणि प्रसाद विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बाढ़ पर चर्चा कराने की मांग करने लगे किन्तु श्री अधिष्ठाता के अनुरोध पर फ्लोर पर आये हुए सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल रामकुमार वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले व वर्ष में अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,01,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बाढ़ पर चर्चा कराने की मांग करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपने-अपने स्थान पर जायें। आज सहकारिता का बजट है और माननीय मंत्री जी बजट भाषण कर रहे हैं। कृपया अपने-अपने स्थानों पर जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य सहकारिता मंत्री अपना बजट भाषण किया)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शिवपाल सिंह यादव जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव रखें। माननीय सहकारिता मंत्री जी अपना बजट भाषण कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सरकार की इस उपेक्षापूर्ण नीति के विरोध में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग आज गंभीर बाढ़ की चपेट में हैं लोगों का जीवन अस्तव्यस्त है, वहां की गंभीर स्थिति पर सरकार की इस उपेक्षापूर्ण नीति के विरोध में मैं सदन का बर्हिगमन करता हूं।

(श्री जगदम्बिका पाल सदन त्यागकर चले गये)

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, सरकार की बाढ़ग्रस्त लोगों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति के विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, यह सरकार संख्याबल के आधार पर इस बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति पर हम लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अतः हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री विनोदमणि अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, सरकार चाहती है कि आज का बजट बिना चर्चा के पारित हो जाये इसलिए जानबूझकर के यह रवैया अपना रही है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, पहले सहकारिता मंत्री जी बजट भाषण तो पढ़ लें। तब मैं कटौती रखूं।

श्री अधिष्ठाता-

सहकारिता विभाग का बजट इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया। उत्तर भाषण में बातें आ जायेगी।

श्री बाबू राम यादव-

पूरा बजट भाषण तो हम लोग सुन लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

{× × ×}

श्री अधिष्ठाता-

मौर्य, जी आप बैठें कृपया। ये नहीं लिखा जायेगा।

नोट :- {×××} यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- {× × ×}

श्री अधिष्ठाता-

अगले हफ्ते जब माननीय सदस्य क्षेत्रों से आयेंगे तो इस पर अपने विचार रख लेंगे।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- {× × ×}

श्री अधिष्ठाता-

जो कह रहे हैं नहीं लिखा जाएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- {× × ×}

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, जब माननीय सहकारिता मंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे उस समय सदन अव्यवस्थित था। हम चाहते हैं कि वे उस पर पूरा भाषण दे दें। ताकि हम लोगों को जानकारी हो सके।

पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री-
(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं माननीय बाबूराम जी के सुझाव से सहमत हूं, क्योंकि सदन कुछ अव्यवस्थित था, सुनाई नहीं दिया। मान्यवर, सहकारिता का बजट है, महत्वपूर्ण बजट है, जब माननीय सदस्य सुनेंगे नहीं तो प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करेंगे इसलिए जो सुझाव दिया है, उसको मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर, यह जन विरोधी सरकार है, यह किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही है। इस पर एक घंटे की चर्चा करायें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

उस पर चर्चा तो होगी ही।

श्री पटेल राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, निर्बलों, बेसहारों, गरीबों एवं किसानों को सूदखोरों एवं विचौलियों से बचाने के उद्देश्य से सहकारिता आन्दोलन का भारत वर्ष में जन्म हुआ। इस आन्दोलन के सम्बन्ध में 19 वीं शदी के अंत में विचार मंथन चल रहा था, उसका

नोटः- {×××} यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

साकार एवं मूर्तरूप 1904 में सहकारी साख अधिनियम 1904 के साथ हुआ। सर्व प्रथम इस अधिनियम के माध्यम से साख-समितियों (क्रेडिट समितियां) गठित की गई तथा इनके माध्यम से आसान किश्तों पर किसानों को ऋण दिया जाने लगा फलस्वरूप किसान निजी ऋणदाताओं से निजात पाने लगे। सहकारी समितियों में बढ़ती हुई अभिरुचियों एवं इसके आकार-प्रकार को विविधीकरण करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सहकारी अधिनियम 1912 में बनाया और इस समय तक न केवल साख समितियां वरन् विपणन एवं उत्पादन के क्षेत्र में भी सहकारिता ने प्रवेश कर लिया था। सहकारिता केन्द्र का विषय होने के नाते वांछित व्यापकता को प्राप्त नहीं कर सका था।

परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने 1914 में इस पर अध्ययन करने हेतु मैकलागन कमेटी का गठन किया जिसने अपने अध्ययन में इसे प्रान्तीय विषय बनाने का सुझाव दिया था। इस कमेटी की अनुशंसाओं को मानकर 1919 में भारत सरकार ने सहकारिता को प्रान्तीय विषय घोषित किया सर्वप्रथम बाम्बे प्रान्त ने 1925 में अपना प्रान्तीय कानून बनाया लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय अधिनियम 1912 को ही स्वीकार किया। और उसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश में काम प्रारम्भ हुआ इसके माध्यम से गरीब किसान और मजदूरों को भी तमाम सहूलियतें मिलीं। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हुए, गरीबों की गरीबी भी इस सहकारिता के माध्यम से घटने लगी। यह आन्दोलन मूर्त रूप लेने लगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1965 में इसे एक अधिनियम का स्वरूप प्रदान किया।

मान्यवर, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि सहकारिता किसी व्यक्ति का नहीं, दल का नहीं पूरा समाज का एक स्वरूप है। इसको सब मिलकर ठीक करने का प्रयास करेंगे, तभी ठीक हो पायेगा मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन में कुछ कमियां आई हैं, उनका निराकरण करने की जिम्मेदारी हम सब की है, मैंने सहकारिता मंत्री के नाते इसमें कठोर कदम उठायें हैं। और दण्डात्मक कार्यवाही भी कर रहे हैं। सहकारी समितियां आज स्वावलम्बी कैसे बनें, उनके ढांचे में कैसे सुधार हो, इसमें तमाम विचारक विचार व्यक्त करेंगें। मैं उनके विचारों का स्वागत करता हूं।

साथ ही साथ इसको मूर्त स्वरूप देने के लिये सुझाव आमंत्रित करते हैं, हम लोग दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विचार करें ताकि हम सहकारिता को और भी सफल बना सकें। आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब लोग एक साथ एक भावना से एक साथ बैठें और एक दिशा में चलें क्योंकि सहकारिता में दो दिशायें नहीं होती। तो हम लोग इन समस्याओं का निदान करें और सहकारिता के सामूहिक विचार को और बलवती बनाते हुये उत्तर प्रदेश के विकास को गतिमान करें।

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुये)

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जब हमारी सरकार बनी तो चारों तरफ जिस तरह का वातावरण था, उससे सभी लोग सर्वविदित हैं। आधे से ज्यादा समितियां बन्द थी, आर्थिक स्थिति बिल्कुल जर्जर हो गई थी, प्रशासनिक ढांचा जर्जर हो गया था, समितियों के रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे, इसकी बजह से समितियों के मेम्बर्स को जो सहूलियत मिलती थी, किसानों को जो सहायता मिलती थी, वह नहीं मिल पा रही थी, किसान त्राहि-त्राहि कर रहे थे। इसलिये हमने सबसे पहले आने के बाद सहकारी समितियों को प्रारम्भ करने की वरीयता दी और इसके लिये उन्हें छूट भी दी, जिनकी रिकवरी 30 प्रतिशत तक भी थी, उनको भी प्रारम्भ करा दिया, अब इन सारी समितियों में लेन-देन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है, इसके बाद हमने इन समितियों को और भी छूट दी। हमने देखा कि जो समितियां कार्य करने को तत्पर हैं, जो ऋण अदा करना चाहते हैं, किसी तरह से ऐसी समितियां यदि बंद हैं तो वह चालू हों।

सहकारी समितियों से जो किसान-मजदूर ऋण लेते हैं, उसमें 63 प्रतिशत ऋण किसानों को इन्हीं समितियों के माध्यम से मिलता है और आज इसके चलते उत्तर प्रदेश के किसान प्रगतिशील हैं। जो उर्वरक हम सप्लाई करते हैं, उसमें इन संस्थाओं ने इस वर्ष 20 लाख मीट्रिक टन उर्वरक सप्लाई करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, इसी तरह भंडारण में भी भूमिका निभाई हैं। मान्यवर, इसमें कृषि ऋण के अतिरिक्त अन्य बहु आयामी दूसरे प्रकार के ऋण देने की भी व्यवस्था की है, जैसे लघु सिंचाई, बुनकर विकास, डेरी, मत्स्य पालन, गन्ना विकास आदि। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है उनकी तरक्की हो रही है और हमारे लोग कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विगत वर्ष 97-98 में अल्पकालीन फसली ऋण के रूप में 904.69 करोड़ का ऋण वितरण हुआ है जो गत वर्ष की उपलब्धि 863.52 करोड़ से अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1050.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है। इसी प्रकार मध्यकालीन ऋण वितरण में वर्ष 97-98 में 11.09 करोड़ की उपलब्धि हुई है। इस वर्ष इस मद में 20 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। हमारी कुल समितियां 8200 हैं।

सरकार द्वारा 30 प्रतिशत से कम वसूली वाली पैक्स में भी कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने की नितिगत निर्णय लेते हुए 2000 प्राथमिक सहकारी समितियों में ऋण अदा करने वाले कृषकों को पुनः ऋण दिया जा सका है। यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

मान्यवर, हमारे किसानों को बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता था, इसलिए हमने एक प्रतिशत ब्याज में कटौती की है और इससे किसान को सहूलियत प्रदान करायी गयी है, इससे उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ 50 लाख किसानों को लाभ होगा, यह महत्वपूर्ण निर्णय हमने 1.4.98 से लागू किया है।

मान्यवर, भविष्य के लिए भी हमने तमाम योजनायें प्रारम्भ की हैं, जो सहकारी समितियां हैं, वह विधिवत् कैसे प्रारम्भ हों, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया है और कमजोर समितियों को पुर्नजीवित करने के लिए प्रतिवर्ष का लक्ष्य बनाया गया है और इस वर्ष ऐसी 80 समितियों का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर समितियों का कारोबार ठीक हो, 1916 समितियां हमारी है जो मिनी बैंक का काम करती हैं उनमें किसानों की रूचि बढ़ रही है। 31.3.98 तक इन मिनी बैंकों में 52 करोड़ रूपया जमा हुआ है। मान्यवर, समितियों में बोगस रिकवरी को प्रभावी ढ़ंग से रोका गया है। प्रयास यह किया गया है कि वास्तविक रिकवरी हो इस प्रकार पिछलें वर्ष से 65 करोड़ 58 लाख की ज्यादा रिकवरी हुई है। इससे हमारी गतिशीलता सामने आयी है मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उ0 प्र0 में जिस तरह की स्थिति है उसमें किसानों को ऋण चाहिए। चाहे कृषि के लिए हो चाहे बीज के लिए या सिंचाई की सुविधा के लिए हो। सहकारिता ही ऐसी संस्था है जिससे किसानों को ऋण मिल पाता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंक का सी0 डी0 अनुपात 95 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों का अनपात 32 प्रतिशत है हमारे यू0पी0 कोआपरेटिव बैंक का 110 प्रतिशत है और डी0 सी0 बी0 का 90 प्रतिशत है। हमारे मा0 सदस्यों को चिन्ता होगी कि उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की अवश्यकता कितनी है, मा0 मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि ऐसे बैंक की स्थापना हो जो प्रदेश में अपने धन को खर्च करें, जिससे प्रदेश का बहुमुखी विकास हो। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उर्वरक मिलने में किसानों को कितनी परेशानी होती थी। इसके लिए सरकार 3,16,00,000 रुपये की व्यवस्था की है और पहले से ही उर्वरक देने की व्यवस्था की जायेगी। इस प्रकार से हमने 70 लाख की व्यवस्था की है। हमने इस गद में 3,16,00,000 रुपये की व्यवस्था इस बजट में की है।

यह व्यवस्था बजट में की गयी है हमारी सरकार की यह प्राथमिकता है कि कैसे किसानों को सहूलियत दी जाय जिससे किसान के जीवन में प्रकाश आये और उजाला आये। जिला सहकारी बैंक की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश में हानि में चल रहे 16 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 16 बैंकों को उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा अपने श्रोतों से पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है तथा 7 श्रेणी "घ" के बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु 3 वर्षीय कार्ययोजना बनायी गयी है। नाबार्ड से स्वीकृत 372 करोड़ के पुर्नवित्त के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा 640 करोड़ रुपये का पुर्नवित्त उपलब्ध करा दिया गया है। जो 7 बैंक हैं जिसकी स्थिति ठीक नहीं है वह गोरखपुर, सीतापुर, मैनपुरी, बलिया, उन्नाव, हरदोई और वस्ती के गोण्डा की स्थिति बहुत खराब है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया जरा संक्षेप करें। आपकों उत्तर भाषण भी देना है उसमें कह लें।

श्री पटेल राम कुमार वर्मा-

थोड़ा समय और लूंगा। वर्ष 1997-98 में वितरित 360 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण के वितरण के लक्ष्य को साक्षेप रु0 416.28 करोड़ रुपया का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 1998-99 के लिए रु0 415 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण अंचलों में शीर्ष केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं की सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक की 7 नयी शाखायें एवं जिला सहकारी बैंक की 9 शाखाएं खोली गयी है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा प्रदेश में लघु सिंचाई में 147 करोड़ रुपया कृषि यंत्रीकरण के लिए 77 करोड़ रुपया, डेरी विकास के लिए 69 करोड़ रुपया, पशुपालन विकास के लिए 22 करोड़ रुपया, बागवानी विकास के लिए एवं 21 करोड़ रुपया दीर्घकालीन ऋण के रूप में वितरित किया गया है।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक व जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्रदेश में कार्यरत चीनी मिलों का लगभग 1172 करोड़ रुपया का ऋण दिया गया है इससे गन्ना किसानों को उनकी उपज का नकद भुगतान करने में प्रदेश सरकार सफल हो सकी है। कताई मिल संघ एवं यूपिका को 1.50 करोड़ रुपये का ऋण उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक द्वारा दिया गया है।

एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 जनपदों-गोरखपुर रायबरेली एवं मथुरा में वर्ष 1997-98 से योजना संचालन प्रारम्भ की गयी है। जिसके तहत इन जनपदों में स्थित प्राथमिक सहकारी समितियों में बहुमुखी विकास के कार्यक्रम चालये जायेगें।

वर्ष 1997-98 में 16 लाख 10 हजार टन उर्वरक का वितरण कराया गया, जो विगत वर्ष की उपलब्धि 15 लाख 42 हजार से अधिक है। वर्ष 1998-99 में 20 लाख मी0 टन उर्वरक का वितरण का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 1997-98 में पी0सी0 एफ0 द्वारा 5 लाख 45 हजार 830 कुन्तल बीज समितियों को उपलब्ध कराया गया जो विगत वर्ष उपलब्धि से 31 हजार कुंतल अधिक है।

गेंहू खरीद में पी0सी0एफ0 द्वारा 5.62 लाख मी0टन की खरीद की गयी जो पिछले वर्ष 1997-98 में की गयी खरीद 1.83 लाख मी0 टन से 3 गुने से अधिक है जिससे कृषकों को समुचित मूल्य उपलब्ध कराने में मदद मिली है।

इस वर्ष भण्डारण निगम द्वारा 13 लाख 50 हजार मी0 टन का कृषि उत्पादकों को भण्डारण की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है जो विगत वर्ष की उपलब्धि 10 लाख 58 हजार मी0 टन से अधिक है। भण्डारण निगम ने अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया है। कृषकों को समुचित मूल्य उपलब्ध कराने की दृष्टि से भण्डारण निगम द्वारा इस वर्ष 44 हजार मी0 टन की गेहूं की खरीद की गयी है।

प्रदेश में कृषि निर्यातको को प्रोत्साहित करने हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपों का निमार्ण मेरठ में कराया गया है एवं इस वित्तीय वर्ष में रुद्रपुर में ऐसी सुविधा सृजित करने की कार्यवाही चल रही है। भण्डारण निगम द्वारा वर्ष 1997-98 में रु0 2.47 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया है, भण्डारण निगम को महामहिम राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है, देश के तमाम भण्डारण निगमों में उत्तर प्रदेश के निगम को प्रमुख स्थान दिया गया है और उसे सम्मानित किया। सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा

गतवर्ष के सापेक्ष रु0 82 करोड़ का अधिक व्यवसाय किया गया है। साथ ही 2.38 लाख मी0टन गेंहू की खरीद भी की गयी है। संघ ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर लाकर रु0 50 लाख रुपया राज्य सरकार के तथा रु0 78 लाख राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के ऋण की वापसी की है।

सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 द्वारा इस वर्ष 10 शीतगृहों में आलू भंडारण तथा सिविल कार्यों को किया गया है स्थित यह थी कि हमारे द्वारा जो निर्माण कराये जा रहे थे वह बिना सेण्टेज चार्जेज लिए किये जाते थे। अब हमने बिना सेण्टेज लिये पेच वर्क के कार्य बन्द कर दिये हैं। मान्यवर, पैक्सफेड द्वारा सिविल निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 में 78.84 लाख रुपया सेण्टेज के रूप में प्राप्त हुआ था। इसकी तुलना में वर्ष 1997-98 में 121.44 लाख रुपये सेण्टेज चार्जेज के रूप में प्राप्त हुये हैं। मान्यवर, सहकारिता के बारे में गबन आदि पर बहुत चर्चा होती है हमने इस तरफ भी ध्यान दिया है मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1997-98 में 1326 विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का परिपालन किया गया।

विशिष्ट प्रतिवेदनों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए निबंन्धक, सहकारी समितियां की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। मान्यवर, इस कमेटी द्वारा एक लाख एवं अधिक धनराशि के मामलों के परिपालन की मासिक समीक्षा की जायेगी। मान्यवर, इसी तरह से वर्ष 1997-98 में विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा 298 गबन के प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। जिन लोगों ने गबन किया था उनके खिलाफ कार्यवाही की है, मान्यवर, गबन की कुल धनराशि 159.54 लाख थी। इस संबंध में 79 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन मामलों में 23 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ऐसे मामले जिनमें गबन की धनराशि 5 लाख से ज्यादा है उन मामलों में विवेचना की प्रगति समीक्षा शासन स्तर से करने का निर्णय लिया गया है।

मान्यवर, 1997-98 में वित्तीय अनियमितताओं आदि के प्रकरणों में जो कार्यवाही की गई है इस संबंध में बताना चाहता हूं कि परिपालित विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संख्या 1326 थी इनमें से 1997-98 में 298 मामलों को निस्तारण किया गया है। यह मामले विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) द्वारा निस्तारित किये गये हैं। इन मामलों में 79 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं। 23 अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया है और 82 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ 1982-83 की कार्यवाही की गई है। मान्यवर, इस प्रकार से यह जो मामले निस्तारित किये गये हैं इनमें प्रमाणित गबन की धनराशि रूपया 169,53,542.02 करोड़ रुपये थी। मान्यवर, जिन लोगों ने यह गबन की कार्यवाही की उसके लिए अधिकारियों/कर्मचारियों छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक कार्यवाही की गयी है जो कार्यवाही की गई है उसमें 5 उपनिबन्धकों को निलम्बित किया गया है, 4 जिला सहायक निबन्धकों को निलम्बित किया गया है इसी तरह से सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 के 15 सहकारी निरीक्षक निलम्बित किये गये हैं, सहकारी निरीक्षक वर्ग सं0-2 के 31 सहकारी निरीक्षक निलम्बित किये गये हैं।

मान्यवर, जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने आडिट प्रतिवेदनों के परिपालन में ढिलाई की है उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की गई है। इसके अन्तर्गत 2 उपनिबन्धकों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्ट की गई है तथा 3 जिला सहायक निबन्धकों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्ट दी गयी है। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सहकारी समितियां हैं उसके अन्तर्गत सचिव हैं उनके विरुद्ध भी गबन आदि के मामलों में कार्यवाही की गई हैं। इसमें 352 सचिवों को निलम्बित किया गया है तथा 72 सचिवों को पदच्युत किया गया है। शीर्ष एवं केन्द्रीय सहकारी समितियों में मान्यवर, 32 अधिकारी और कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं।

(समय 4 बजकर 30 मिनट)

शीर्ष एवं केन्द्रीय सहकारी समितियों में पदच्युत अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या 11 है। शीर्ष एवं केन्द्रीय सहकारी समितियों में पदावनति कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या 2 है। विशेष आडिट प्रतिवेदनों के परिपालन में ढिलाई बरतने के लिए कठोर चेतावनी दी गयी उन्हें दो उप-निबन्धक तथा 8 जिला सहायक निबन्धक हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसे और सुचारू रूप से चलाने के लिए निबन्धक महोदय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनायी गयी है वह सतत् प्रक्रिया में प्रतिमाह उसको देखती है। मान्यवर, मैं कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस बजट में हमने 1548.60 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियों का प्रावधान किया है। इसके साथ ही कृषि निवेशों और उर्वरकों की उपलब्धता के लिए जिला सहकारी बैंकों से 170 करोड़ एवं फैक्स को 30 करोड़ रुपये के साफ्ट लोन का प्राविधान किया है जिसे उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा जिससे लक्ष्य के अनुसार इस वर्ष में रु0 1050 करोड़ अल्पकालीन ऋण वितरण में सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमि0 को उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 40 करोड़ रुपये का साफ्ट लोन उपलब्ध कराया गया है। जिलों के सभी सहकारी समितियों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा एकीकृत सहकारी विकास योजना सर्वप्रथम वाराणसी एवं जौनपुर जनपदों में प्रारम्भ की गयी। गतवर्ष से गोरखपुर, रायबरेली एवं मथुरा जनपदों में यह योजना संचालित की जा रही है।

अब यह 6 और जनपदों में प्रारम्भ की जायेगी। ये जनपद हैं बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, रामपुर, चमोली एवं देवरिया 14 और जनपदों के लिए हमने प्रस्ताव

किया है ये हैं- खीरी, अलीगढ़, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़। आज प्रत्येक जनपद में सहकारी समितियों की स्थिति ठीक नहीं है और उनको ठीक करने के लिए विभिन्न योजनाओं से योगदान लेकर उन समितियों के आर्थिक स्वरूप एवं किसानों को सहूलियतें देने के लिए हम संकल्पित हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर इस बजट में जो प्राविधान किया गया है वह आज तक कभी नहीं हुआ। सही समय पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हमने 3 करोड़ 16 लाख रुपये के अनुदान का प्राविधान किया है जिससे सही समय पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध करा सके।

कृषकों के उपज के ठीक ढंग से भण्डारण के लिए 120 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाकर उन्हें ऋण के लिए आवश्यक अंशपूजी की धनराशि उपलब्ध कराने हेतु 25.02 लाख का प्राविधान किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत छूट का प्राविधान है। नाबार्ड के माध्यम से प्रदेश के सहकारी समितियों को सहायता मिलती है इसके लिये 50 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के ऋणपत्रों एवं अंशकों में विनियोजन हेतु 1200 लाख एवं 100 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है जिससे ऋण वितरण के लिए 41500 लाख रुपये की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी है।

केन्द्र क्षेत्र की योजनान्तर्गत महिला सहकारी समितियों की महिला सदस्यों द्वारा किये जाने वाले हस्तशिल्प कार्यों के लिए 3 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि यह क्षेत्र मिल बैठकर काम करने का है, हम आपके सुझाव आमंत्रित करते हैं मैं आदरणीय शिवपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव रखने का कोई औचित्य नहीं है। हम सब मिलकर इसको पास करें। यह कोई विभाग नहीं है बल्कि एक आन्दोलन है इसे हम सब मिलकर गतिमान बनायें। हम शिवपाल सिंह जी के सुझावों का आदर करेंगे इसलिए वह कटौती का प्रस्ताव रखने के बजाय इसका समर्थन करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(इस समय 4 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुये)

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अपना सहकारिता बजट प्रस्ताव रखा है उसमें अगर सत्य बोला होता और सहकारिता विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शन एवं आय व्ययक दिया गया है इसमें अगर उन्होंने सही बोला होता तो हो सकता था कि मैं अपना कटौती प्रस्ताव न रखता। लेकिन मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से पूरे सदन को गुमराह करने का काम किया है सरकार का दायित्व हुआ करता है और यह सभी लोगा जानते हैं कि सहकारिता विभाग इस उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता जुड़ा हुआ विभाग है। हर व्यक्ति इस सहकारिता विभाग से जुड़ा है।

लेकिन सरकार ने यह जो किताब दी है उसमें पहले प्रारम्भिक ऋण समितियों के मद में कुछ धन का प्राविधान किया जाता था लेकिन अब की बार इसमें बिल धन का प्राविधान है। कोई प्राविधान नहीं रखा। मंत्री जी ने {× × ×} बोला है कि दूसरे सहकारी उपभोक्ता भण्डारणों की विषयक योजना इसमें मंत्री जी पिछले वर्ष लक्ष्य था 18,500 अबकी बार 15,500 है। इसी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों की उपभोक्ता वस्तुओं की फुटकर बिक्री में पिछले वर्ष लक्ष्य था उससे भी कम लक्ष्य रखा है। अगर इस किताब में देखा जाए तो घंटों लग जाएगें लेकिन उन्होंने कोई प्राविधान नहीं रखा। मंत्री का दायित्व होता है कि सरकार में जाए और सरकार से व्यय मांगे व सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा दे। लेकिन अबकी बार इस सहकारिता मंत्री जी ने कोई भी सहकारिता आन्दोलन के लिये काम नहीं किया। यह पूरा सहकारिता बजट विफलताओं का द्योतक है। यह पूरा बजट दिशा हीन है। किसान विरोधी है। तानाशाही के रूप में यह बजट दिया गया है। यह फासिस्ट प्रवृत्ति का द्योतक है। मंत्री जी कहना चाहता हूं कि यह सहकारिता आन्दोलन गरीबों, दलितों और शोषित लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूर करने के लिए आर्थिक सहायता करके आर्थिक स्थिति को मजबूर करने के लिए सहकारिता आन्दोलन चलाया गया था।

मान्यवर, प्रजातंत्र में सहकारिता जन आन्दोलन हुआ करता था परन्तु मंत्री जी ने इसको सरकारीकरण का रूप दे दिया है। 21 हजार डेलीगेट्स को हटाकर प्रजातंत्र को खत्म करने का काम मंत्री जी ने किया है। सहकारिता मंत्री बनते ही आपने घोषणा की थी कि सहकारिता विभाग में 1200 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज महीने हो गये हैं, आपने क्या इस घोटाले का पर्दाफाश किया और घोटाला करने वाले कितने लोगों को आपने जेल भेजा। सहकारिता की कई संस्थायें हैं। यू0पी0 कोआपरेटिव बैंक है, कंज्यूमर उपभोक्ता संघ है, लेबर फेडरेशन आदि अनेक संस्थाये हैं। जब कभी उपभोक्ता भंडार में रामशरण दास जी चेयरमैन हुआ करते थे तो यहां पर 82.30 लाख का लाभ हुआ करता था और उपभोक्ता भंडारों पर सामान लेने के लिये लाईनें लगा करती थी।

आज अकर्मण्यता के कारण इस संस्था को नष्ट कर दिया गया है। वहां पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। प्रारम्भिक समितियों में ऋण वितरण के मामलें में 947 करोड़ के सापेक्ष 861.31 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं। क्या यह विवरण बढ़ा है या घटा है। प्रारम्भिक समितियों के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में आपने कभी सोचा। आज उपभोक्ता भण्डार में 14 संघ हैं और कहीं पर उपभोक्ता भण्डार की स्थिति बहुत ही खराब है लेकिन गोदामों को बनाकर किस प्रकार से उपभोक्ता भंडार के पैसे का दुरूपयोग किया गया है। ये गोदाम अधूरे पड़े हैं, परन्तु मंत्री जी का ध्यान इस ओर नहीं गया। आज कई संस्थायें ऐसी है जिन पर व्यापार कर नहीं लगता है लेकिन कोआपरेटिव उपभोक्ता एक ऐसी संस्था है, जिस पर व्यापार कर लगा है।

यदि मंत्री जी को चिन्ता होती तो सहकारिता से व्यापार कर को मुक्त करते, परन्तु ऐसा नहीं किया, पैक्सफेड एक संस्था है। इसमें 89 शीतगृह हैं। पिछली बरसात में आपने देखा किसानों का आलू सड़ गया। पिछले वर्ष केवल 22

नोट:- {× × ×} यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कोल्ड स्टोरेज चल पाये थे, अबकी बार तो केवल 10 कोल्ड स्टोरेज ही मंत्री जी चला पाये। किसानों का आलू सड़ता गया परन्तु आज तक किसानों को कोई क्लेम देने की व्यवस्था नहीं की गई। यदि आप में जरा भी हमदर्दी होती तो इस बजट में किसानों के क्लेम/मुआवजा देने का प्राविधान आप रखते परन्तु आपने ऐसा नहीं किया।

मैं इसलिये बताना चाहता हूं कि जब-जब इस सहकारिता आन्दोलन में बहुत घटिया लोग आये हैं, बहुत निकम्में लोग आये हैं तो इस सहकारिता आन्दोलन को झटका लगा, कमजोर हुआ है। माननीय मंत्री जी, इस सहकारिता आन्दोलन में बहुत अच्छे लोग भी आये हैं। इस सहकारिता आन्दोलन के लिये पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इस सहकारिता आन्दोलन में लक्ष्मीशंकर यादव को कोई भुला नहीं सकता है। इन्होंने इस सहकारिता आन्दोलन में जो काम किया था किसानों के लिये, गरीबों के लिए वे इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। इसके बाद मुलायम सिंह आये तो उनको कोआपरेटर कभी भूल नहीं सकता है।

मैं इसलिये आपको बता देना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय कि इस विभाग में आजम खांन जैसे लोग भी आये। आपने देखा था उन्होंने इस सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाया और इस सहकारिता आन्दोलन में जन प्रतिनिधियों को बुलाया और उनकी सलाह ली। उनकी राय ली और कई बार ली। उसके बाद इन्होंने इस अधिनियम पर विचार किया था और सहकारिता के बड़े अनुभवी लोगों के सुझावों को अमल किया था तब ही शायद नियम में परिवर्तन किया था।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको पता होगा इसी लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क में करीब 25 हजार से ज्यादा कोआपरेटर इस प्रदेश के आये थे और आपने सुझाव दिये थे। कई बार सहकारिता से जुड़े लोगों को बुलाया था लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज तक इतने दिन हो गये हमारे सहकारिता मंत्री ने किसी भी अध्यक्ष को, किसी भी डायरेक्टर को एक साथ कभी इकट्ठा नहीं किया है और जो भी सुझाव लिये हैं केवल अपने तानाशाही और इस सत्ता के मद में होकर ऐसे निर्णय लिये हैं जो हमेशा-हमेशा सहकारिता के इतिहास में कलंकित होवें। मंत्री जी आपको सुझाव लेने थे तो कुछ कोआपरेटर इस दल में, कुछ उस दल में हैं, शायदन उनको भी कभी नहीं पूछा होगा। मान्यवर, जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपने अभी बातें कहीं कि मैंने इतने लोगों को सहकारिता आन्दोलन में जेल भेज दिया है। मंत्री जी यह आपने नहीं अधिकारियों ने आपको एक लिस्ट तैयार करके दे दी है और आपने वह सदन के सामने रख दी है। मैं इसलिये बता देना चाहता हूं कि एक बाबू हैं ओम प्रकाश शायद उनका नाम है। उसके निलम्बन के बारे में लिखा गया है लेकिन आपके दबाव से वह अभी तक निलम्बित नहीं हो सका।

एक सहायक अभियन्ता, निबन्धन महोदय के लिखने के बावजूद भी आपके दबाव की वजह से निलम्बित नहीं हुआ। बरेली में दलगत नीति से ऊपर उठने की बात कही गई है अगर आपने सहकारिता को दलगत नीति से ऊपर उठाने का काम

किया होता, तो बात थी आपने तो इसमें जातिवाद भी फैला दिया है दलगत की बात तो दूर रहीं, बरेली के सचिव, मंगवार थे वह निलम्बित होने चाहिये थे वह आपके दबाव की वजह से फिर वहीं पहुंच गए। कई ऐसे डी0आर0 बैठे हैं, ए0आर0 हैं आपके नियम कानून में भी है कि तीन साल के पहले एक बार पोस्टिंग हो गई हो तो उसे दुबारा नहीं जाना चाहिए था। परन्तु आपके दबाव में उनकी पोस्टिंग हुई है इसलिये भ्रष्टाचार अपनी चरम-सीमा पर है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं हम लोगों ने भी सुविधा दी थी लेकिन इस तरह नहीं हुआ। जिन लोगों के पास चलाने को साईकिल नहीं थी वह आज गाड़ियों में चलते हैं, ए0सी0 गाड़ियों में चलते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। पंच सितारा होटल में रुकते हैं यह भ्रष्टाचार का नमूना है। आपके नेतृत्व में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि अगर सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाना है तो सरकारीकरण को हटाना पड़ेगा। सहकारिता आन्दोलन में जब-जब सरकारीकरण हुआ है तब-तब सहकारिता आन्दोलन कमजोर हुआ है। मान्यवर मैं कहना चाहूंगा आपने रातों रात सरकारीकरण कर दिया, आप यह काम दिन में भी कर सकते थे, लोगों को जिस तरह रातों रात हटाया गया, वह दिन में भी हटा सकते थे। आप जानतें हैं रात में अच्छे काम नहीं होते हैं। जो काम दिन में हो सकता था वह आपने रात में किया।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। बजट में भारत सरकार से जिला सहकारी बैंक, एन0पी0ए0 मदों हेतु कोई धनराशि नहीं मांगी गई है। जबकि भारत सरकार राष्ट्रीय बैंक से लगभग 25 हजार एन0पी0ए0 में भेजती रही है इसके लिए मंत्री जी ने कोई प्राविधान नहीं किया है फिर सहकारिता का कैसे उद्धार हो सकता है।

माननीय सहकारिता मंत्री जी, माननीय मोहम्मद खां जब सहकारिता मंत्री थे और माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे तो एक 775 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना शासन की तरह से बनायी थी जो भारत सरकार को प्रेषित भी किया गया था। दो वर्ष से अधिक समय से योजना लम्बित पड़ी है सहकारिता विभाग उस योजना को भेजकर सो गया है। मान्यवर, राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं को सहयोग नहीं देती है। सहकारी समितियों को बैंक की गारन्टी तो गत वर्ष पास करा ली थी, 30 जून तक पास हो जाना चाहिए था लेकिन आज तक उस योजना को पास नहीं करा पाये हैं। अनुसूचित जाति के अंश पूंजी हेतु इस बजट में बताया है कि प्राविधान कुछ रखा है। पिछले वर्ष 30.62 लाख रुपया था और इस वर्ष 25.02 लाख रुपया की बात करते हैं। तो अनुसूचित जाति की जो समितियां हैं, माननीय मंत्री जी ने पूरे बजट भाषण में पैसे का प्राविधान पर ध्यान नहीं दिया है। इस सहकारिता आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ायेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता है।

मान्यवर, यह जो सहकारिता विभाग है वह गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है, पीड़ितों से जुड़ा हुआ विभाग है तो इनकों उद्धार करना चाहिए और सहकारिता विभाग को मजबूती देनी चाहिए, आंदोलन को मजबूती देनी चाहिए। अगर आप इसकों करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार से लड़ना होगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश का [× × ×] जब भ्रष्ट हो जायेगा, इस विभाग का जब भ्रष्ट हो जायेगा तो हम अधिकारियों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे प्रदेश का मंत्री बेईमान होगा।

श्री पटेल राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, मैं इन्हें चुनौती देना चाहता हूं यह शब्द लोक तंत्र परम्परा में नहीं आता है। यह अपने चेहरे को देखें और हमारा चेहरा देखें इनकों जैसा दिखता है वैसा ही सोचते हैं। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखायी देता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मंत्री जी की बेचैनी जाहिराना कारणों से है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अगर हमारे विभाग का मुखिया ही बेईमान है तो नीचे वाले लोगों से कल्पना नहीं कर सकते हैं, सहकारिता मंत्री जी को अब मेरी बात का बुरा लगा।

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज जितनी भी संस्थाएं हैं चाहें एल0डी0बी0 हो, वहां की दो ऐसी गाड़ियां, मंत्री और मंत्री जी का परिवार प्रयोग में ला रहा है। एल0डी0बी0 से दो ए0सी0 गए हैं वाटरकूलर मशीन गई है।

लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)-

मान्यवर, यह संसदीय स्वस्थ परम्परा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अपनी बात कहने का उन्हें अवसर मिलेगा ही।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इस प्रकार से सारी संस्थाओं से गाड़ियों से लेकर तमाम ऐशोआराम की चीजों को इस संस्थाओं से लिया गया है। ऐसे में सहकारिता आन्दोलन को बल नहीं मिल सकता। भष्टाचार को मिटाना है तो पहले ऊपर के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त होना होगा। हमें खुद ईमानदार होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

नोट:-[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री चन्द्र पाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय शिवपाल सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ बातें रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी सहकारिता का बजट रखा, तमाम आंकड़े जो अधिकारियों द्वारा लिखे गये थे, उनको इकट्ठा करके माननीय सदन में सुनाने का काम किया। श्रीमन् माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि सहकारिता विभाग में उपलब्धियां है। मैं माननीय मंत्री जो को बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने सहकारिता विभाग को अगर अपनी सरकार का विभाग न समझा होता अगर आपने इसको जनता का विभाग समझा होता तो निश्चित रूप से सहकारिता को बढ़ावा मिल सकता था क्योंकि सहकारिता में जनता की, किसानों की, गरीबों की खून पसीने की कमाई का पैसा हुआ करता है। और उस अंश को इकट्ठा करके इस सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने का स्वप्न महात्मा गांधी ने देखा था, पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर जितने भी लोग सहकारिता के प्रेमी रहे हैं, उन्होंने हमेशा सहकारिता को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसको सहकारी विभाग न समझकर इसको कोई साधन न मानकर, इसको सहकारी आन्दोलन समझा जनता की सेवा करने का एक माध्यम समझा, अगर श्रीमन्, माननीय मंत्री जी सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने के लिये होते तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सहकारिता से इस उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का भला होता। श्रीमन्, करीब 90 प्रतिशत लोग इस सहकारी आन्दोलन से जुड़े हुए हैं।

गांव-गांव में झोपड़ी-झोपड़ी में अगर सरकार कोई योजना बनाती है, गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए तो सहकारिता ही एक सही और सच्चा माध्यम है। जिसके द्वारा गरीबों तक सरकार की मन्शा को अनुरूप लाभ पहुंच सकता है। लेकिन श्रीमन् हमने यह देखा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस दिन से लेकर आज तक इस सहकारी आन्दोलन को आन्दोलन न समझकर जनता में सेवा की भावना न मानकर, इसको साधन मान लिया गया है। मैं सहकारिता क्षेत्र में एक छोटा सा सिपाही होने के नाते कुछ सुझाव, जो जानकारी है, के अनुरूप रखना चाहता हूं। श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहकारी आन्दोलन को चाहे उस पक्ष के लोग हों, यह इस पक्ष के लोग हों, मिलकर सहकारी आन्दोलन को मजबूत करें लेकिन इनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। माननीय मंत्री जी कहते तो हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहकारी आन्दोलन को मजबूत किया जाय, लेकिन मंत्री जी ने सहकारी आन्दोलन को राजनीति के दलदल में जबरदस्त तरीके से फंसाकर रख दिया है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने के लिए आपने कहीं अपने दल को विश्वास में लिया और हम लोगों को नफरत की दृष्टि से देखा, तो यह सहकारी आन्दोलन समाप्त हो जायेगा यह सहकारी आन्दोलन कमजोर हो जायेगा। माननीय मंत्री जी जो आज सत्ता के मद में चूर हैं, और विधान सभा में संख्या के आधार पर कानून पास करवाकर पूरे उत्तर प्रदेश में जो सहकारी समितियों को प्रजातंत्रिक और लोक तांत्रिक स्वरूप था उसको नष्ट करने का काम किया है।

श्रीमन, उस पक्ष में भले ही सहकारिता आन्दोलन से जुड़े हुए लोग बैठें हैं, उनको भी तकलीफ हुई। मंत्री जी के बगल में माननीय मारकण्डेय चन्द्र जी बैठें हैं, वे भले ही इस बात को न कहें, लेकिन जिस समय यह संख्या बल के आधार पर कानून पास करा रहे थे तो श्री मारकण्डेय चन्द्र जी को तकलीफ थी और वह सदन में नहीं थे वह बाहर थे। श्रीमन, संख्या बल के आधार पर कानून बनाकर सारे प्रदेश की संस्थाओं के प्रजातांत्रिक स्वरूप को नष्ट कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं यह सत्ता के मद में चूर है। यह कुर्सी किसी की नहीं रहती है, न कुर्सी जिन्दा आपकी रहेगी, न हमारी रहेगी, इस प्रदेश की जनता जिन्दा रहेगी।

जनता जिसको चुनकर भेजेगी, वह अमर रहेगा। अगर माननीय मंत्री जी आप वास्तव में चाहते हैं कि सहकारिता आन्दोलन मजबूत हो तो सबसे पहला काम सहकारिता की दिशा को बदलकर जो सहकारी का सरकारी कर दिया है, उसको आपको समाप्त करना पड़ेगा, चाहे इसके लिये आपको उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम में संशोधन करना पड़े, हम भले ही विपक्ष के लोग हों, यदि आप ऐसा करना चाहेंगे तो हम इसके लिये सहयोग करने को तैयार हैं।

मान्यवर, 1994 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने के लिये सहकारी अधिनियम में परिवर्तन किया था, संशोधन किया था। आप पता लगा लें, यह हिन्दुस्तान के इतिहास में पहला संशोधन था, जिसकी मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेशों ने नकल की थी, उससे सहकारी आन्दोलन मजबूत हुआ था। सहकारिता में प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया गया था लेकिन यदि कोई संशोधन इस तरह से किया जाय, दलदल में फंसाकर किया जाय, तो निश्चित रूप से सहकारी आन्दोलन को कमजोर करने की नीयत से आप ऐसा कर रहे हैं।

जब 1994 में माननीय मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय सहकारी अधिनियम में संशोधन किया गया, सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने के लिये, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 31 (क) 4 में संशोधन कर दिया गया और उस संशोधन के तहत माननीय मंत्री जी, जो सरकारी लोग थे, जो आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारी बैठे हैं वह जनता की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहें हैं। आपने संशोधन कर दिया, उस संशोधन के तहत जो प्रबन्ध निदेशक थे, सहकारी संस्थाओं में, आपने उनको असीमित अधिकार प्रदान कर दिया जो चुनी हुई समिति होगी, प्रबन्ध निदेशक उनके अंडर में काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर उनका कोई नियंत्रण अधिकार नहीं होगा। इसका नतीजा यह हुआ कि आपने जो सीना तानकर आकड़े दिये हैं, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि नहीं है। आज आपने जो कानून बनाया है यदि वह एक साल पहले बना दिया होता और प्रजातांत्रिक स्वरूप को नष्ट कर दिया होता तो मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि यह आकंड़े आप न पढ़ रहे होते। यह लोग, जो इस तरफ बैठे हैं, यह उन्होंने मेहनत से काम किया है, उसका नतीजा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपको कुछ संशोधन कराना पड़ेगा तभी आप सहकारी आन्दोलन को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में यह काम

करना चाहते हैं तो जो आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारी बैठे हैं, उनके कैडर को समाप्त करना पड़ेगा। जो चुनी हुई संस्थायें हैं, जो चुनकर लोग आये हैं, उन शीर्ष संस्थाओं में, वहां के प्रबन्ध निदेशक को एप्वाइंटमेंट करने का अधिकार वहां की प्रबन्ध समिति को होगा भले ही सरकार का हस्तक्षेप हो लेकिन उसमें कम से कम प्रबन्ध समिति के लोगों का हस्तक्षेप होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा कि वह प्रबन्ध समिति के निर्देशन में काम करें तब तक संस्था का भला नहीं होगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 1997 में सहकारी संशोधन अधिनियम में संशोधन हुआ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री चन्द्रपाल सिंह-

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि उन्होंने कानून में परिवर्तन कर दिया सहकारी अधिनियम की धारा 35 में परिवर्तन किया और धारा 29 में परिवर्तन कर दिया और जो उसका प्रजातांत्रिक स्वरूप था उसको नष्ट करने का काम किया है। माननीय मंत्री जी आप संख्या बल के आधार पर चाहे जो भी कानून बना लें लेकिन जनता आपको माफ नहीं करेगी। मान्यवर, सामान्य निकायों की बैठक नहीं बुला सकते हैं। सामान्य निकायों की अमुक कारणों से बैठक नहीं बुलायी जा सकती है इसलिए हम उसको अप्रूव करते हैं। इस तरह की बातें होंगी। अगर आपने सरकारी अधिकारियों को प्रशासक बनाने का काम किया है इससे लगता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। कि अधिकारी बैठकर वहां पर ईमानदारी से काम करें। सरकार की मंशा गंदी है। सरकार छंटे हुए भ्रष्ट और बेईमान लोगों को सहकारी संस्थाओं में बैठना चाहती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमियों की सूची बनायी जा रही है जो उन सहकारी संस्थाओं में बैठकर पैसा कमाएं, अपनी जेबे भरें और शासन को भी पैसा दें। मेरे पास उदाहरण है, सुन लीजिए।

मैं भी एक संस्था का अध्यक्ष था जनता के बीच से चुनकर आया था धारा 35 में कार्यवाही करके मुझे निलम्बित करने का काम किया गया है और वहां का प्रशासक किसको बनाया गया है मैं बताना चाहता हूं। वहां का प्रशासक एक सेवाच्युत सहायक निबन्धक को बनाया गया है जो भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी बचाता फिर रहा था। श्रीमन् उसमें सदस्य बनाये गये जिन्होंने सहकारिता के माध्यम से पचासों लाख रूपये कमाने का काम किया है जिला सहकारी बैंक फतेहपुर से पचासों लाख रुपये गबन करने का मुकदमा कायम हुआ और वह मुकदमा जिलाधिकारी द्वारा कायम किया गया लेकिन उनको यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन में सदस्य बनाया गया। तो यह सरकार की मंशा है फिर सरकार ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम के नियम 455 में संशोधन कर दिया है, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव करने का हक था, आप संख्या बल के आधार पर कानून बनाने जा रहे हैं। नगर पंचायत अधिनियम हो या जिला पंचायत अधिनियम हो, अगर चुने हुए लोगों में 2/3 लोग अगर विरोध में होगें तो अविश्वास दाखिल किया जायेगा।

लेकिन उ0प्र0 कोआपरेटिव ऐक्ट में उल्टा हुआ है। उसमें था कि 2/3 खिलाफ होंगे तब अविश्वास दाखिल होगा लेकिन इन्होंने उससे संख्या बल पर उल्टा कर दिया है और 50 परसेंट से एक आदमी भी अधिक होगा तो अविश्वास प्रस्ताव दाखिल हो जायेगा। सरकार केवल यहीं काम करने में लगी है सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने से इनका कोई लेना देना नहीं है, केवल एक काम है कि जो सहकारी शीर्ष संस्थाओं में या कोआपरेटिव सोसायटी में, या समितियों में जिला बैंकों में जो इनके राजनैतिक विरोधी बैठे हैं उनकों हटाने के लिए क्या-क्या कानून में परिवर्तन करना पड़े, उसकों परिवर्तन करने के लिए कार्य कर रहें है। माननीय मंत्री जी यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि यह केवल मुनाफा कमाने के लिए संस्थाएं बनी हैं फैक्स फैड में मुनाफा नहीं हो रहा है इसलिए उसे बन्द कर दें, पी0सी0एफ0 में मुनाफा नहीं हो रहा है तो उसे बन्द कर दें, इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है अगर पी0सी0एफ0 में नुकसान होगा तो खाद देना बन्द कर देगें, प्राइमरी सोसाइटी में मुनाफा नहीं होगा तो ऋण देना बन्द कर देगें तो इससे तो सहकारी आंदोलन चलाने की जो मंशा थी वह पूरी नहीं होगी।

गरीब और पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए यह सोसायटियां है जो कर्जदार है उनकों किसी प्रकार से लाभ पहुंचाया जाएं इसके लिए सहकारिता आन्दोलन चलाया गया था। समितियों के माध्यम से उर्वरक और बीज सस्ते दामों पर देने की व्यवस्था है इसी प्रकार सही ब्याज पर उपलब्ध कराने के लिए यह सोसायटियां बनायी गयी हैं और किसान की फसल तैयार होने पर इसकी फसल का उचित मूल्य दिलाना सहकारिता का मूल सिद्धांत है। अगर यह कहना कि मुनाफा नहीं हो रहा है इसलिए इन संस्थाओं को बन्द कर दिया जाएं तो उसके अनुसार तो हिन्दुस्तान में जो रेलवे विभाग है वह हमेशा घाटे में होता है तो फिर तो सारी रेल गाड़ियां ही बन्द हो जाएगी, इससे तो देश में त्राहि-त्राहि मच जाएगी। सहकारिता आंदोलन की जो मूल मंशा है उसके अनुसार हमें इन संस्थाओं को चलाना होगा। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इन सहकारी संस्थाओं की हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं कहा है, 80 फीसदी प्राइमरी ऋण समितियां जिनकी हालत जर्जर है, उसे सुधारने के लिए कोई प्राविधान नहीं किया है। जिससे किसानों को ऋण मिलता है उनकी स्थिति सुधारने के लिए कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई कैडर का आदमी सचिव नहीं है। एक एकाउन्टेट रखा जाता है जिसकों 500 रुपया तनख्वाह दी जाती है, तो आप इस जमाने में 500 रु0 में दो टाइम पेट भी नहीं भरता है तो आप ही सोचिए वह 500 रु0 में कैसे नौकरी करेगा निश्चित रूप से या तो वह किसान का पेट काटेगा या उस संस्था का पेट काटेगा और उस पैसे को अपनी जेब में भरेगा। यही कारण कि यह सहकारी संस्थाएं दिन पर दिन कमजोर हो रहीं हैं तो 500 रुपया तनख्वाह वाला किसी प्राइमरी सोसायटी का सचिव आप देख लें, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मोटर साइकिल नहीं हो, और शाम को एक बोतल शराब न पीता हो, कम से कम 50 प्रतिशत सचिव ऐसे हैं जिनकी खुद की जीपें हैं। और जीप लेकर जब वसूली का समय आता है तो उसी जीप को उसी संस्था में लगा देते हैं और महीने का किराया लेकर जेब भरने का काम करते हैं और उन्हीं

जीपों से शादी व्याह का काम निपटाते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि प्रारम्भिक सोसायटीज को सुधारने के लिये किसी प्रकार का प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया। उनकी प्रबंध व्यवस्था को मजबूत करने के लिये कोई प्राविधान नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि प्रारम्भिक सहकारी समितियों में कैडर बेस्ड सचिव और एकाउंटेंट होने चाहियें जब तक आप उनको वेतनमान नहीं देगें तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। इसी तरह से जो केन्द्रीय सहकारी समितियां हैं उनमें से 90 प्रतिशत ऐसी हैं जिनका मूल काम मार्केटिंग का है। लेकिन इन समितियों का काम ठप है। सरकार सहायता नहीं देती है उनमें कोई अधिकारी तैनात नहीं है जो उनका रख रखाव कर सके। आज जो क्रय विक्रय समितियाँ हैं इन समितियों का काम था कि किसान की जो फसल है अगर व्यापारी उसका मूल्य सही नहीं दे रहा है तो क्रय विक्रय समितियां खरीद कर किसान को सही मूल्य दें लेकिन इस बजट में इन समितियों के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब तक प्रारम्भिक सहकारी समितियां मजबूत नहीं होंगी जब तक केन्द्रीय सहकारी समितियां मजबूत नहीं होंगी तब तक सहकारिता आन्दोलन मजबूत नहीं होगा।

मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जब मैं एक संस्था का चेयरमैन था सरकार के मंत्री के दबाव में एक भ्रष्ट अधिकारी को जिसकी मैंने जांच कराई और तीन मामलों में जांच कराने के बाद उस अधिकारी की व जिम्मेदारी फिक्स कर दिया लाखों रुपयों की जिम्मेदारी उस पर फिक्स की लेकिन पिछलें वर्ष 1997 में सरकार की तरफ से निर्देश आता है कि बरेली के जो क्षेत्रीय प्रबन्धक का पद है उसमें तैनात करने के लिए पी0सी0एफ0 में जो यह भ्रष्टतम अधिकारी था उसका चुनाव किया गया आप जानते हैं कि बरेली में सबसे ज्यादा गेंहू की खरीद पी0सी0एफ0 द्वारा होती है। आई0ए0एस0 अधिकारी जो प्रबन्ध निदेशक होता है सरकार की तरफ से निर्देश आता है कि अमुक अधिकारी को बरेली क्षेत्र में तैनात कर दिया जाय जब मुझे इसकी जानकारी होती है तो मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा कि इसकी जानकारी करा लें अमुक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और केवल जिला प्रबन्धक रहा है, कभी क्षेत्रीय प्रबन्धक नहीं रहा है। ऐसे अधिकारी को हटाने के लिए मैंने पहले ही स्वीकृत दी थी कि उसको तत्काल हटा दिया जाये। लेकिन सरकार के दबाव में बरेली जैसे मण्डल में उस अधिकारी को क्षेत्रीय प्रबन्धक बना दिया गया। श्रीमन् यह मामला जब मैंने लिखकर भेजा था और यह मामला सरकार के पास गया।

(समय 5 बजकर 30 मिनट)

प्रबन्ध निदेशक ने लिखा था कि संस्था के अध्यक्ष जी के द्वारा इस प्रकार का लिखा गया है और सरकार ने इस प्रकार के निर्देश दिये हैं, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के निर्देश का पालन करना सम्भव नहीं है। एक मोटी रकम उस भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा सरकार के पास भेजी गयी थी। श्रीमन् उसका नतीजा यह हुआ कि उस अधिकारी को वहां से मार्च में हटाया गया। लेकिन मार्च में ही पुनः अधिकारी ने मोटी रकम दी और फिर उसी जगह फिर तैनात कर दिया गया और समर्थन मूल्य के द्वारा

जो खरीद हुई उसमें लाखों रुपया पैदा करने का काम किया। माननीय मंत्री जी नोट कर लें, बदायूं जिले से 200 ट्रक गेहूं जो प्राइमरी सोसाईटीज से खरीदे गये थे और वह जब एफ0 सी0 आई0 के लिए प्राथमिक सोसाईटी से चलता है तो पी0 सी0 एफ0 का जो ठेकेदार था, उस ठेकेदार के, द्वारा लाया जाता है, ट्रक सोसाईटी से चलते हैं लेकिन आज तक एफ0 सी0 आई0 के गोदाम में नहीं पहुचे हैं। इसके लिए जिम्मेदार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी थे जो मोटी रकम दे करके सरकार के इशारे पर प्रबन्ध निदेशकों द्वारा इसे मण्डलों में तैनात कर दिये गये हैं। उसकी कीमत आज डेढ़ करोड़ रुपये है, उस डेढ़ करोड़ रुपये की गेहूं का पता नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है।

जिन संस्थाओं में जनता के चुने हुए लोग बैठे हैं वह संस्थायें हमेशा प्राफिट में गयी हैं, उन्हें कभी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। हमें चिन्ता है कि अगर हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, कालिख लग गयी तो ठीक नहीं होगा क्योंकि हमें जनता के बीच जाना होता है। हमें एम0एल0ए0 का चुनाव लड़ना है। इसीलिए हमें संस्था की मजबूती के लिए देखना पड़ेगा। श्रीमन् आज माननीय मंत्री जी ने अपनी पार्टी के ऐसे लोगों को इसमें बैठाने का काम कर दिया है जिनका एक रुपये का भी अंश नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह संस्थायें निश्चित रूप से टूट जायेंगी और यह सहकारी आन्दोलन पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। क्योंकि माननीय सदस्यों को ट्रेन पकड़नी है। आपका सहकारिता विभाग में बहुत ज्यादा अध्यक्ष हैं। उन सारी बातों के लिए बहुत समय की जरूरत पड़ेगी। अब आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह जो हम बोल रहे हैं, मारकण्डेय चन्द्र, शर्मा जी और भाई मोती सिंह की दिल की आवाज है पांच मिनट और लूंगा।

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

आपने इस बजट की बहुत आलोचना की और माननीय मुलायम सिंह जी की तारीफ की लेकिन माननीय चन्द्रपाल सिंह जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार 1994 में सहकारी समितियों के चुनाव के बाद जब गन्ना सहकारी समितियों का .....

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

और प्रबन्ध समिति का सदस्य चुन गया उस समय अध्यक्ष और पदाधिकारियों का चुनाव होना था। आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि रातों रात मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी ने संशोधन करके आडिनेंस जारी करके जिलाधिकारियों को सहकारी चीनी मिलों में अध्यक्ष बना दिया।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा राज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहती हूं माननीय सदस्य मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यह सारा घाटा, सारी कमियाँ समितियों में कब से हुई हैं। हमारी सरकार को आए 6 महीने हुए हैं यह पहले से चली आ रही हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसी सदन में और वर्तमान सत्र में भी कई विभागों की मांगे और उनकी कटौतियां एक साथ रखी गई उनकी चर्चा बाद में हुई। श्री चन्द्रपाल सिंह जी का वक्तव्य समाप्त हो जाए उसके बाद हमारी प्रार्थना है कि श्री मुन्ना चौहान को कटौती का प्रस्ताव रख लेने दें। क्योंकि उनको ट्रेन पकड़नी है। इस पर चर्चा चलती रहेगी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक-एक माननीय सदस्य अगर 25-25 मिनट बोलेगा तो कैसे काम चलेगा?

श्री अधिष्ठाता-

चन्द्रपाल जी सदन के मूड को समझिये। आप अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री चन्द्रपाल सिंह-

माननीय सदस्या ने छह महीने की बात की यह पिछले छह महीने की बात नहीं है। यह नौ महीने की बात है। यह गड़बड़ियां नौ महीने की हैं। जो इस समय यह परिस्थितियां पैदा हुई है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल सिंह-

मैं कटौती के प्रस्ताव पर मंत्री जी के समक्ष कुछ सुझावों को प्रस्तुत कर रहा था। अब पूरा विश्वास हो गया है कि संख्या बल के आधार पर कानून बनाकर सहकारी समितियों के प्रजातांत्रिक स्वरूप को नष्ट करने का जो काम किया गया है, उसकी पीड़ा माननीय मंत्री जी के दिल में भी है। वह भी महसूस कर रहे हैं कि गलती हो गई है, अब उनके ज्ञान चक्षु भी खुल गये हैं। आज उनको चिन्ता हुई सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने की। इसलिए माननीय मंत्री जी छोड़ दीजिये कल्याण सिंह की सरकार को, इस्तीफा दे दीजिये और आ जाइये इधर। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हम आपको सहकारिता मंत्री बनायेंगे। सत्य कटु हुआ करता है, उसे सुनने में तकलीफ होती है। संख्या बल के आधार पर आप वही करेंगे जो आप चाहेंगे। आज सहकारिता में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है, मेरे पास आंकड़े भी हैं, आप उसमें से एक भी गलत नहीं पायेंगे। मैंने मूलरूप से भ्रष्टाचार की तरफ इशारा किया है, उन्हीं लोगों का तकलीफ हो रही है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री शिव पाल सिंह यादव जी

द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह सहकारी संस्थाओं के प्रजातांत्रिक स्वरूप को पुर्नस्थापित कर उसमें चुने हुए जन प्रतिनिधियों को बैठाने का काम करें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, पिछले एक घंटे से यह पूरा सम्मानित सदन हमारे विद्वान मित्र माननीय चन्द्रपाल सिंह जी एक ही रुदन सुन रहा था कि यह आपका संख्या बल है। आपका यह संख्या बल कम क्यों हुआ। आपको जनता से संख्या बल ज्यादा देकर क्यों नहीं भेजा ? आप सरकार बना क्यों नहीं पाये ? अब जिन नीतियों के बारे में इस सम्मानित विधान सभा में खड़े होकर रुदन कर रहे हैं, उनको लागू करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ था, आपने किया क्यों नहीं। मान्यवर, संख्या बल तो लोकतंत्र की रीढ़ है। जनता जिनको चुनती है और जितनी संख्या में चुनकर लोक सभा, विधान सभा और अन्य संस्थाओं में भेजती है उसको नियोजन करने का, नीति बनाने का और शासन के आधार पर प्रशासन चलाना होता है। सहकारिता आन्दोलन की बात करते हैं। आज इसी सहकारिता आन्दोलन के कारण देश में कई प्रदेश समृद्धि के शिखर पर पहुंच गये हैं। महाराष्ट्र और गुजरात को आप देखिये। हमारी सरकार का कार्यकाल 10 महीने का है और उससे पहले भी बहुत कम समय रहा। 40-45-50 साल में तीन साल को छोड़ दीजिये। इसके निर्माता कौन थे ? जो लोग चुनकर आये थे उनकी क्या नीतियां थीं और नीयत क्या थी ? माननीय मारकण्डेय चन्द्र जी ने एक उदाहरण दिया चुनी हुई समितियां थी, उसके बारे में कि आपने उसमें अध्यादेश जारी करके रातों-रात अधिकारी बैठा दिये।

श्री चन्द्र पाल सिंह-

श्रीमन् बता दें मुलायम सिंह जी के जमाने में किस समय बैठा दिये गये।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया बीच में न बोलें। आपकी बात को सबने सुना है। आप भी कृपया सुनें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, संख्या बल के आधार पर यह जनता आपको शासन चलाने के लिये देती है। शासन उस चाकू की तरह है जब सर्जन के हाथ में आता है लोगों के प्राण बचाता है। जब बन्दर और डकैत के हाथ में आता है तो बन्दर अपनी नाक काटता है और डकैत दूसरों को लूटता है। आज सहकारी संस्थाएं जो शीर्ष स्थान की हैं वह 80 प्रतिशत दिवालियेपन पर है। आप अपने सीने पर हाथ रखिये। और अपने आपसे सवाल कीजिये कि क्या यह सब 10 महीने का दोष है। यह उन

लोगों की देन है, कांग्रेस के लोगों की जो यहां उपस्थित नहीं है। कई वर्षों वर्ष सहकारी संस्थाओं पर कब्जा बनाये रखा और उसका राजनीतिकरण कर दिया। दोष अगर किसी का है तो कांग्रेस का है और कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस की जायज सन्तानें है, जो कांग्रेस से निकलकर आई या निकाली गई थीं। वे सहकारी संस्थाओं की आज की दशा के लिये दोषी है।

मान्यवर, कांग्रेस में जो भले लोग थे, जो लोग महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्ट हो चुकी है। जो लोग इस बात हृदय से अनुभव कर रहे थे कि यह लोग देश के साथ, देश की जनता के साथ, उसके विश्वास के साथ धोखा कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, उन लोगों ने विचार किया तो भारतीय जनता पार्टी जैसे पवित्र दल के साथ जुड़े हैं जब उन्होंने देखा कि यह लोग जातिवादी राजनीति करने की चेष्टा कर रहे हैं और इन्होंने अपना अपमान होते देखा। देखा कि हमारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो रही है भ्रष्ट कार्य करने के लिये बाध्य किया जा रहा है तो वे भारतीय जनता पार्टी में आ गये और हम लोगों ने ऐसे लोगों का स्वागत किया है। मेरा निवेदन है कि आज माननीय सदस्य ने जो सच में रुदन किया। मेरा हृदय फट रहा है। संस्थाओं के सचिवों की तनख्वाह 500 रुपये है। श्रीमन् आपके हाथ में प्रशासन था, नीति बनाकर, कार्य योजना बनाकर उसको लागू करते लेकिन मान्यवर, मामला गड़बड़ था। नीयत ठीक नहीं थी। आज आप रो रहे हैं। अगर इनके बारे में पहले कुछ किया गया होता तो आज यह दुर्दशा न होती। जब आपके हाथ में था, एक ऐसा वक्त भी था प्रदेश की सारी सहकारी संस्थाओं के जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं उसके बारे में उत्तर प्रदेश की सारी जनता जानती है उनके चरित्र को और कृतित्व को। उन्होंने कैसे लोगों का गिरोह अपने चारों ओर रख रखा है आज सुनते हैं करोड़ों का घोटाला है। हम एक-एक की जांच करायेंगे और देखेंगे कि कौन से अधिकारी किसके कहने पर कितनी गठरी किसके घर भेजते थे?

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

कृपा करके जिनके घर शीशे के हों वह दूसरों के घर में पत्थर उछालने की हिमाकत नहीं करेंगे। मान्यवर, क्रय-विक्रय समितियों के बारे में कहना चाहूंगा आप लोगों से "अंधा बटि रेवड़ी, अपने-अपने को दे" मैं मिनिस्टर रह चुका हूं। मैं चुनौती से कहता हूं मेरी पार्टी में जो मेरा सम्मान है वह सम्मान आपकी पार्टी में किसी व्यक्ति का नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के आपस में बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया सहयोग करें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्रय-विक्रय समितियां हैं, सहकारी समिति हैं उनकी सबकी स्थिति खराब है। यह खराब स्थिति होने की वजह क्या है मैंने जैसा अभी निवेदन किया था-"अंधा

बांटे रेवड़ी, अपने-अपने को दे" मान्यवर, सहकारी संस्थायें खोखली हो रही हैं, इन सहकारी संस्थाओं में जो शीर्ष पर बैठे हैं, जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या ए0सी0 गाड़ियों में घूमना बन्द किया।

कौम का डर है मगर आराम के साथ
रोज डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ।

सबको चारागाह कर दिया। खुद चरते रहे अधिकारियों को चराते रहे यह सरकार किसानों के हित में चराना चाहती है उद्योगों के हित में चरायेगी। यह भ्रष्टाचारी अधिकारियों के पक्ष में नहीं चरायेगी। चुनाव होंगे फिर जनता निर्णय दे देगी। चुनाव की स्थिति सुन लें इस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद जितने चुनाव हुए, विधान परिषद् के चुनाव हुए दो तिहाई में हम आये। उप चुनाव हुए सात में तीन पर हम आए जीतकर, जो रुदन कर रहे हैं उनकी संख्या पहले से घटी है। अगर यह लोग सुझाव देते तो अच्छा होता कटौती के प्रस्ताव के पीछे उद्देश्य होता है कि नीति की आलोचना करना और सुझाव देना। यह सुझाव देते और कीचड़ उछालने की कोशिश न करते। आपके भ्रष्टाचार के अनुभव का लाभ उठाने के लिए यह सरकार तैयार नहीं है। आपने सही काम किया होता, अच्छी योजनायें चलाई होती, किसानों के लिए ऋण बीज और उद्योगों के सामान के वितरण के लिए आपने कोई योजना लागू की होती तो हम समझते आपने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई होती तो बात थी। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं। मुझे वह शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक शब्द आगे लगा लें, उसके बाद सीना-जोरी स्वयं सारे सहकारिता आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी है और उसे एक परिवार का रूप दे दिया है। उसके बाद आप रोना रोते हो संख्या बल का। मान्यवर, मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि जब इनकी संख्या थी तब आपने क्या किया था। मैं फिर कहना चाहता हूं कि सत्ता का चाकू श्रेष्ठ सर्जन के हाथ में है। जो रसौली पैदा हो गयी है उसको काटकर अलग हम कर देंगे और इसको स्वस्थ बनायेंगे मान्यवर, इसी चाकू के साथ इन्होंने सहकारी संस्थाओं की हत्या करने का प्रयत्न किया था। उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वह नगण्य हो गयी है। आज यह कहना आश्चर्य नहीं होगा।

मान्यवर, आज बजट में माननीय मंत्री जी ने अपने जिन सुधारों की बात कही है, जो अफसोस जाहिर किया है, जो पाप की गठरी विरासत में मिली थी उसके बारे में चर्चा की है हम किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं, क्रय-विक्रय, उपभोक्ता समिति और शीर्ष समितियों को सुधारने का काम करने जा रहे हैं उसकी चर्चा की। मैं इस सरकार को जानता हूं, सहकारिता मंत्री जो कि मेरे मित्र हैं उनको मैं जानता हूं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भ्रष्टाचारी को कभी क्षमा नहीं किया। मैं चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार की घटनाएं आपके पास हैं, बड़ी सावधानी के साथ भ्रष्टाचारी कहीं यह न कहें कि फलां के इशारे पर काम किया था, उसको डाक्यूमेंट के साथ दें। अगर कटौती के प्रस्ताव का रोना रो रहे हो तो यह कोई भी व्यक्ति नहीं स्वीकार करेगा। आप सारी चीजों को कटौती के प्रस्तावों के माध्यम से यह कहते कि यह बात रखी थी क्या एक्शन लिया गया। लेकिन आज महज खूबसूरत भाषणों से केवल राजनीति लाभ

उठाने के लिए कि तीन करोड़ यहां होगा दो करोड़ वहां होगा। डेढ़ करोड़ का गेहूं, 2 सौ टन झांसी में गया होगा मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं यह मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र से हम आते हैं चाहे विधान सभा के सदस्य हो, लोक सभा के सदस्य हों, जिला पंचायत के सदस्य हो या फिर सहकारी संस्थाओं में जायें हर व्यक्ति ठीक है।

श्री राम प्यारे-

मान्यवर, क्या 12 बजे का हाऊस हो रहा है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, इनके चेहरे को देखकर भ्रम हो जाता है। 12 तो दिन में दो बार बजते हैं लेकिन इनके चेहरे में तो हमेशा ही 12 बजे रहते हैं। और मेरी बात सुनकर तो बड़े-बड़े चेहरों में 12 बज रहे हैं।

मान्यवर, प्रदेश की 70-80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, जिनमें से 70-80 प्रतिशत लोग कृषि से सीधे सम्बन्धित हैं या परोक्ष रूप से जुड़े हैं। सहकारिता आन्दोलन की नीति और नियोजन के साथ ठीक नियत से चलाया जाये तो उत्तर प्रदेश में समृद्धि आने में देर नहीं लगेगी। मान्यवर, जो पिछले वर्षों में विसंगति पैदा कर दी गई जो भ्रष्टाचार कदाचार था, जो संस्थाओं के शीर्ष पर परिवारवाद चल रहा था। उस परिवारवाद को समाप्त करके सही और सार्थक दिशा दी गई है। हमने तय किया है कि जो भी अधिकारी या कोई व्यक्ति चाहे जो चुना हुआ भी होगा अगर भ्रष्ट होगा तो ये सरकार क्षमा नहीं करेगी। मान्यवर, संख्या बल के आधार पर निर्णय होते हैं अगर संख्या बल का जो आपने दुरुपयोग किया है, तत्कालीन सरकार ने जो एक अधिनियम बनाया था कहा गया कि गुजरात और महाराष्ट्र में नकल की मान्यवर, इससे बड़ा असत्य और कोई नहीं हो सकता। जो नकल के पक्षधर हैं बिना नकल शब्द का इस्तेमाल किये उनके गले से पानी नीचे नहीं उतरता। हमने उसे खत्म किया ये रोदन तो अब कई वर्षों तक चलने वाला है चूंकि अब चाकू सही सर्जन के हाथ में है। बन्दरबांट लुटेरों और भ्रष्टाचारियों के हाथों में यह जाने वाला नहीं है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य अपने दुराग्रहों को छोड़कर अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेंगे।

(डा0 अशोक बाजपेयी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

जनपद एटा में रामजी लाल एवं राम प्रसाद के घरों को तोड़ने एवं सामान लुटने की घटना के कारणों की जानकारी

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, एक दूसरी सूचना देनी है, कल माननीय अध्यक्ष ने निर्देशित किया था एटा जनपद के गांव में जो घटना घटित हुई है तुरन्त आई0जी0 मौके पर जायें। आई0जी0 की रिपोर्ट मेरे पास में आ गई है, मान्यवर, उसके अनुसार दो व्यक्ति रामजी

लाल और उनके बेटे कोई रामप्रसाद इन दोनों के घर तोड़ने और सम्पत्ति लूटने की घटना बताई जाती है। मान्यवर, ये दोनों लोग अपहरण और हत्या के अभियुक्त हैं। गांव में एक आदमी को पकड़कर उसका अपहरण किया, उसकी हत्या की गई, उसकी लाश बरामद हुई है। कब से ये लोग गांव से लापता हैं। जिनकी अपहरण, हत्या हुई थी उस परिवार के लोगों में बदले की भावना से इनके घर को तोड़ा और काफी क्षति पहुंचाई। उस गांव में 100 घर दलित वर्ग के लोगों के हैं, केवल इन दो लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। बाकी के घरों में न तो नुकसान पहुंचा है न खतरों को आग लगाई गई है। मान्यवर, 11 तारीख से वहां पी0ए0सी0 तैनात थी। अभी भी वहां पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। उन्होंने लिखा है कि मैं संतुष्ट हूं कि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास हो रहे हैं। यह कहना निराधार है कि राजनैतिक कारण से स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है स्थानीय अधिकारियों द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि अगले दो दिन में इस घटना से प्रभावित परिवारों को अनुमन्य आर्थिक सहायता प्रदान कराने की कार्यवाही का भी प्रयत्न कराया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के व्यय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (क्रमागत)

* डा0 अशोक बाजपेई-

माननीय अध्यक्षता महोदय, मैं बड़ी देर से सहकारिता विभाग के बजट के समर्थन में आदरणीय डंग साहब को सुन रहा था। वह बार-बार संख्या बल की बात कह रहे थे, मान्यवर, जनतंत्र में संख्या बल का बड़ा महत्व होता है। अगर आदरणीय डंग साहब प्रदेश की जनता के विश्वास के आधार पर चुनकर आये होते तब इस तरह की बात करते तब तो कुछ और बात थी लेकिन जिस तरह से जोड़-तोड़ से तिकड़म से इन्होंने संख्या बल बनाया है, यह दुनिया के संसदीय इतिहास में शर्मनाक है। जब कभी इतिहास लिखा जायेगा आपने जो संख्या बल इकट्ठा किया है, वह इतिहास का काला अध्याय होगा। सारी मान्यताओं को तोड़ करके कुर्सी के लालच में आपने जनतंत्र के मूल्यों को समाप्त कर दिया है और उस संख्या बल की बात करते हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा। यह संसदीय मूल्यों और आस्थाओं को आपने तोड़ा है और परम्पराओं की बात कहते हैं। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि चाहे दिल्ली में सरकार बनी हो या उत्तर प्रदेश में आप इन कुर्सियों पर बैठे हों, और यह जो संख्या बल बनाया है, यह जनतंत्र के मुंह पर कालिख पोती है, जनतंत्र के नाम पर कलंक लगाया है।

श्रीमन् इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप संख्या बल की बात करते हो। कौन सा घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच गये थे जनता ने किसके आधार पर आपको चुनकर भेजा था और आपने यहां आकर खरीद-फरोख्त का काम किया है। यह 16 करोड़ की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। आप सारे तिकड़म और जोड़-तोड़ करके जनतांत्रिक परम्पराओं के साथ और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह हमारी संवैधानिक मजबूरी है कि जोड़-तोड़ से इकट्ठा किये गये बहुमत को सरकार चलाने की अनुमति देती है। यह जनतंत्र का दुर्भाग्य है। मान्यवर, इस तरह की सरकार के हाथ में जनता का भविष्य है, जिसका न कोई वायदा है, न कोई घोषणा-पत्र है न कोई कमिटमेन्ट है। केवल अवसरवादिता की मिसाल कायम है। आप जनता के बीच से संख्या बल लेकर आये होते, तो आपके हर निर्णय को स्वीकार करते। बहुमत का यही अभिप्राय होता है। डा0 साहब ने बार-बार सर्जन की बात कही है। मान्यवर, दुर्भाग्य से ऐसे नौसिखिया सर्जन के हाथ में चाकू है, जो आपरेशन के बजाय पेट को फाड़ने का काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता कराह नहीं पा रही है।

मान्यवर, बार-बार आपने कहा कि सहकारिता आन्दोलन पिछले दिनों बहक गया, ऐसे लोगों के हाथों में चला गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन इस प्रदेश में अगर किसी ने मजबूत किया है, तो समाजवादियों ने किया है। जब वर्षों से सहकारी संस्थायें मृतप्राय पड़ी थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार में नीचे से लेकर शीर्षस्थ संस्थाओं तक के चुनाव कराये। लेकिन मान्यवर, जनता का निर्णय आपको बर्दाश्त नहीं था, जिस दिन आप इस कुर्सी पर आये, उसी दिन से आपका यह काला प्रयास शुरू हो गया. कि एक-एक करके इन तमाम सहकारी संस्थाओं को कैसे समाप्त किया जाये। पहले आपने पी0सी0एफ0 के अध्यक्ष को निलम्बित किया। उच्च न्यायालय ने उनको बहाल किया। आपको यह अच्छा नहीं लगा और आपने एक आदेश करके शीर्षस्थ संस्थाओं को, सहकारी समितियों को भंग करने का काम कर दिया। यदि जनतंत्र में कल कोई गलत निर्णय सरकार करे, तो उसके लिये जनतंत्र दोषी नहीं है। आप जांच कराते, कार्यवाही कराते, अनियमितताओं के लिये दंडित करते। जो संस्थायें 5 साल के लिये चुनी गई थीं, उनको आपने भंग करने का काम किया, इस सोच से जनतंत्र कभी मजबूत होने वाला नहीं है।

मान्यवर, आज इस बात की संभावना पैदा हो गई है कि इन सहकारी संस्थाओं में चुनकर जिनको आप भेजेंगे, जिनको नामित करेंगे, जिनके हाथ में बागडोर सौंपेंगे, वह जो कुछ बचा-बचाया है, उसको भी चूसकर रख देने का काम करेंगे। जितने भी आपने अपने दल के अध्यक्ष नामित किये हैं, ऐसे निगम मर रहे हैं और अध्यक्षों के ऐशो-आराम पर पूरी की पूरी आय चली जा रही है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है और सारा उत्पादन ठप्प है। सहकारी आन्दोलन की कल्पना इसलिये की गई थी कि समाज के दबे-कुचले, गरीब, किसान मजदूर, जो समय पर खाद नहीं खरीद सकते, जो समय पर बीज नहीं खरीद सकते, जिन्हें खाद के लिये ऋण नही मिल पाता था, गांव का महाजन पैसा नहीं देता था, उन ऐसे लोगों को समय पर बीज मिले, समय पर खाद मिले, कृषि की उपज का उचित मूल्य मिल सके, कृषि उपज का सही विपणन हो सके, इसके लिये इसकी कल्पना की गई थी। गांधी जी ने सपना देखा था कि स्वराज कायम होगा, नेहरू जी ने भी देश को सहकारिता आन्दोलन से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अब न तो आपकी आस्था गांधी जी में है, न नेहरू में है और न जनतंत्र में है, आप इसको पनपता कैसे देख सकते थे?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, डा0 लोहिया ने तो इसका जमकर विरोध किया था, जिनके यह अनुयायी हैं।

श्री बाबूराम यादव-

यह बात सही नहीं है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं एक नहीं, बीसों उदाहरण दे सकता हूं संसद के, जब लोहिया ने नेहरूवादी नीतियों की खुलकर आलोचना की थी। मान्यवर, मेरी चुनौती है, जितना मैंने लोहिया जी को पढ़ा है, उतना किसी समाजवादी ने नहीं पढ़ा होगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

अगर पढ़ा होता तो लोहिया जी को पढ़कर उधर चले जायेंगे, ऐसा न होता।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं लोहिया जी के प्रति श्रद्धा रखता हूं। दो ही लोग स्वतंत्र भारत में ऐसे हुए हैं, जिन्होंने गरीबों, दलितों, और पिछड़ों की चिन्ता की है। एक डा0 लोहिया जी और दूसरे पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी। यद्यपि दोनों का रास्ता अलग था, लेकिन चिन्ता एक ही थी।

श्री बाबूराम यादव-

डा0 डंग साहब ने लोहिया जी का नाम लिया है, उन्होंने जो कहा है, वह सही नहीं है। डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने सदैव सहकारिता आन्दोलन का समर्थन किया था लेकिन जब सहकारी खेती की बात थी, तो उन्होंने विरोध किया था।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

लोहिया जी ने रचनात्मक विरोध किया था।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

सहकारी खेती का विरोध किया था स्व0 चौधरी चरण सिंह ने

डा0 अशोक बाजपेयी-

तो मैं स्वयं कह रहा हूं कि सहकारी आन्दोलन के स्वरूप का डा0 लोहिया ने सदैव समर्थन किया, गांधी जी ने समर्थन किया था लेकिन जिस तरह से सहकारी आन्दोलन चलाया जा रहा था, स्व0 चौधरी चरण सिंह ने उसका विरोध किया था।

श्री अधिष्ठाता-

सौभाग्य है कि इस सदन में बड़े-बड़े नेताओं का संदर्भ दिया गया।

श्री बाबू राम-

डा0 डंग साहब लोहिया जी के विचारों को जानते ही नहीं है। यह तो नाथूराम गोडसे से प्रभावित है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

गोडसे सपने में नजर आते होंगे। न उनके बारे में पढ़ा है और न जानते होंगे।

डा0 अशोक बाजपेयी-

डा0 साहब ने लोहिया जी को किस संदर्भ में पढ़ा है। मुझे नही मालमू। लेकिन मैं समझता हूं कि वह सहकारिता आन्दोलन के विरोधी नहीं थे, सहकारी खेती के विरोधी थे। सहकारी खेती अलग विषय है। माननीय मंत्री जी कहते कि जितने भी शीतगृह बने हैं, सभी शीतगृहों को चलाने का काम करेंगे तो एक बात थी। माननीय मंत्री जी कहते कि साधन सहकारी समितियों को चलायेंगे जिससे बीज और खाद किसानों को मिल सके। प्रदेश की जो उपभोक्ता समितियां है। वह बन्द पड़ी हैं। उनको पुनर्जीवित करने की घोषणा करते और सस्ते मूल्य का सामान उपलब्ध कराने की घोषणा करते, तब तो कुछ किसानों और गरीब लोगों के फायदे की बात होगी। माननीय मंत्री जी को यह भी कहना चाहिए था कि पी0सी0एफ0 की संस्थाओं को चलायेंगे। जिससे किसानों की फसल का सही विपणन हो सके, लेकिन इन चीजों का बजट में कोई जिक्र नहीं है। पूरे बजट में एक राजनैतिक साजिश है।

मान्यवर, एक बात बार-बार कही गयी कि शीर्ष संस्थाओं को भंग कर दिया गया, बड़ा भ्रष्टाचार था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन संस्थाओं में समाजवादी पार्टी के लोग बैठे थे। उनकी खुली जांच करा लें और दोषी पाया जाय तो जो दण्ड देना चाहे दे सकते हैं। माननीय डंग साहब बहुत ही विद्वान मित्र हैं, सहकारिता आन्दोलन को कैसे गति मिले? मैं जानता था कि आप समर्थन में यही कहेंगे। आज माननीय मंत्री जी घोषणा करें कि सहकारी संस्थाओं को जो भंग किया है। उनके चुनाव की तिथियां घोषित करें। इनकी कथनी और करनी में भेद है। अगर इनकी मंशा साफ है तो सहकारी संस्थाओं को जन प्रतिनिधियों को सौंपने के लिए चुनाव की घोषणा करें। तब मैं समझूँगा कि जनतंत्र में आपकी आस्था है। कहने से नहीं होगा। सहकारिता के माध्यम से हरदोई में एक तेल मिल लगी थी, बड़ा भारी उत्पादन था, लेकिन उसमें ताला पड़ा है। सात शीतगृह थे, बन्द पड़े हैं और जो सहकारी संस्थाएं हैं, बन्द पड़ी हैं। उस ओर आपका ध्यान नही गया है। इन मृतप्राय संस्थाओं को कैसे जीवित किया जाय इस तरफ सोचना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

इसलिए माननीय मंत्री जी इधर-उधर की बातें छोड़कर प्रदेश के सहकारी आंदोलन को बल देने की अगर इनकी इच्छा शक्ति है, तो संकल्प लेकर जुट जायं और जब कोई बड़ा काम लेकर निकलेंगे, तो जन समर्थन आपके साथ जुट जायेगा। आप केवल विद्वेश की भावना से, राजनीतिक विद्वेश से काम कर रहे हैं। आपका सहकारिता आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिये मैं माननीय शिवपाल सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरा विश्वास है कि इस बजट का पैसा क्या अगर कुबेर का सारा खजाना भी दे दें, तो यह सहकारी आंदोलन को बढ़ा नहीं सकते हैं।

* श्रीमती कृष्णा राज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सहकारिता के बजट का समर्थन करती हूं। माननीय बाजपेयी जी ने हमारी सरकार पर आरोप लगा दिया लेकिन जब केन्द्र में 13 कुनबों की सरकार थी। उसका समर्थन किसने किया? 16 करोड़ के बजाय पूरे देश को जिसने बेच दिया था। उसका समर्थन किसने किया था? (व्यवधान) मान्यवर, मैं इनसे जानना चाहती हूं माननीय सदस्य ने आरोप लगा दिया लेकिन हमारी सरकार को गिराने के लिये माननीय पाल साहब को समर्थन दे रहे थे, तो उसमें आप क्या करना चाहते थे तो क्या वह जनसमर्थन था? इसलिये आप मिथ्या आरोप हम पर न लगायें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता के बजट पर माननीय शिवपाल सिंह जी के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस प्रदेश के इतिहास को जब इतिहासकार लिखेगा, तो 9 जुलाई का दिन इतिहास के पन्ने में काले अक्षरों में लिखा जायेगा। यह वह दिन है, जब जनतांत्रिक पद्धति से चुने हुये 27 हजार कोआपरेटिव सोसाइटीज के प्रतिनिधियों को एक कलम से बर्खास्त कर दिया। तो इससे उनकी नियत जाहिर होती है। इन्होंने जो चुनाव कराने की बात कही है कि दिसम्बर 98 से जुलाई 99 तक चुनाव पूरा करा देंगे, यह गलत है। यह कहते हैं, इधर बरसात के कारण चुनाव नहीं हो सकते हैं। हम लोग जब अक्टूबर में चुन कर यहां आ सकते हैं। जिनकी संख्या 426 है, तो फिर सरकार के सामने कौन सी मजबूरी है जो दिसम्बर 98 से पहले चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो यह क्या जाहिर करता है? वह जाहिर करता है कि इनकी नियत साफ नहीं है, यह सहकारी समितियों के चुनाव कराना नहीं चाहते हैं, यह फासिस्टवादी रास्ते पर चल रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। यह सदन चल रहा है जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। जिसकी सूचना 14, 15 दिन पहले देनी चाहिये उसकी सूचना 10 तारीख को देते हैं, तो इनकी नियत में कहीं न कहीं खोट है।

मान्यवर, इन्होंने जो अंतिम चुनाव कराने का प्रोग्राम दिया है। इससे उसकी तिथि 26.6.99 को रखी है, इसके पीछे इनकी मंशा जाहिर होती है। यह तब तक भाजपा कार्यकर्ताओं को और ऐसे कार्यकर्ताओं को जिन पर गबन के आरोप हैं, उनको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन संस्थाओं में नामित करके बैठाने का काम करेगें। 9 जुलाई का दिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जायेगा। मैंने मंत्री जी की बात बड़ी गम्भीरता से सुनने का प्रयास किया लेकिन प्रदेश सरकार निकम्मी नीति के कारण उत्तर प्रदेश में आलू 12 रुपये किलों बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में 33 कोआपरेटिव सोसाइटी के शीतगृहों में किसानों का आलू सड़ गया, बर्बाद हो गया लेकिन किसान को उसकी कीमत इस निकम्मी सरकार ने दिलाने का काम नहीं किया है। माननीय डंब जी सहकारिता की बातें करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब वह समय नहीं आने वाला है। अब आपकी वोट नहीं होने वाली है। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी की और सरकार की नीयत में खोट है। जिस तरीके से जोड़ तोड़ करके गलत तरीके से मंत्रिमण्डल का विस्तार किया गया। उसी दिन इस प्रदेश की जनता ने समझ लिया था, सरकार की नीयत में खोट है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जब बजट भाषण पर उत्तर दें, तो इस बात पर जरूर प्रकाश डाले कि 26.6.99 तक चुनाव के कार्यक्रम क्यों रखे गये हैं? जब विधायकों का चुनाव अक्टूबर में हो सकता है, तो फिर सहकारी संस्थाओं का चुनाव क्यों नही हो सकता, इस अवधि में सरकार इन संस्थाओं में अपने आदमी बैठाने का काम करेगी? यह सरकार सहकारिता आन्दोलन की जड़ों में गरम पानी डालने का काम कर रही है। सरकार के सामने कौन सी मजबूरी है कि चुनाव टाले जा रहें हैं? सरकार के इस कदम से जनता में एक मैसेज जाएगा यह सरकार फासिस्ट वादी है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने सहकारिता आन्दोलन की जड़ों को सींचने का काम किया था और इस आन्दोलन को बढ़ाने का काम किया था और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का काम किया था, लेकिन यह सरकार सहकारिता आन्दोलन की जड़ों में गरम पानी ड़ालने का काम कर रही है। इसलिए मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद!

(समय 6 बजकर 30 मिनट)

श्री केशो मेहरा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सहकारिता के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसका समर्थन करता हूं।

* श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, अब आप इस पर मतदान कराइये। हमारा सहकारिता आन्दोलन बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे माननीय मंत्री जी और सरकार ने जो नियोजन प्रारम्भ किया है उसका स्वरूप बहुत अच्छा आयेगा। श्री चन्द्रपाल सिंह जी यदि माननीय मंत्री जी का सहयोग लें और दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी को सहयोग दें तो एक अच्छा स्वरूप सहकारिता का प्रस्तुत होगा। मान्यवर, अब आप मतदान करायें, नहीं तो हम लोगों की ट्रेन लेट हो जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

जल्दी किया जा रहा है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री केशो मेहरा-

विपक्ष के हमारे विद्वान सदस्य सहकारिता के कटौती पर कितने गम्भीर हैं। उसका पता इससे लगता है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को जब कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग का कटौती प्रारम्भ कर दिया। अधिष्ठाता महोदया को ध्यान दिलाना पड़ा कि आपको सहकारिता के बजट पर कटौती रखनी है, इससे गम्भीरता का पता चलता है। यहां पर कटाक्ष करते हुए कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जब से यह सरकार आयी है, तब से सहकारिता आन्दोलन ध्वस्त हो रहा है। माननीय मंत्री जी पर आरोप लगाया कि इनके कथनी और करनी में अन्तर है। कहा गया है कि "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।" जैसा यह लोग करते आये हैं, वही नजर आ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। सहकारी बैंक द्वारा दिया जाने वाला सहकारी ऋण 95 से 105 प्रतिशत तक कर दिया है। उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ी जनसंख्या 16 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। 50 वर्ष बाद भी इसके पिछड़े पन का सबसे बड़ा कारण रिर्जव बैंक की घोषित नीति ऋण और जमा अनुपात का न्यूनतम इसी प्रदेश में 60% ऋण होना। वितरित कराना चाहिये जो लगभग 50 साल तक सत्ता में रहे उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आज उत्तर प्रदेश के बैंकों द्वारा केवल 32 प्रतिशत जमा अनुपात में ऋण दिया जा रहा है जबकि केरल, तमिलनाडू और कर्नाटक में 90-95 व 105 प्रतिशत तक दिया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आह्वान किया कि रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार वह ऋण यहां पर दे अन्यथा हमें यहां पर बैंक खोलना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह तत्काल प्रभाव से सहकारी बैक खोले ताकि उत्तर प्रदेश के विकास का पैसा यहां लगाया जा सके। आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री श्याम किशोर यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी, सहकारिता विभाग के बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं तथा माननीय शिवपाल सिंह यादव जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है। उस पर बल देता हूं। मान्यवर, अभी चन्द्रपाल सिंह जी ने जो बातें कही मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए दो शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं। सहकारिता के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो बताया है। वह गुमराह करने वाली बात है, यह प्रदेश के साढ़े 16 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर सहकारिता की बात करते हैं, तो एक बात का जबाब

दे करके जांए, तो मैं मानूँगा कि आप सहकारिता आन्दोलन चलाना चाहते हैं। लखनऊ जनपद में 1971 से सहकारिता के आधार पर बिजली देने का काम लाइसेन्स के माध्यम से किया जाता है। माननीय कल्याण सिंह जी ने उस संस्था को समाप्त करने का काम किया।

इससे इस जनपद के 6 ब्लाक जुड़े हुए थे। एक-एक किसान जुड़ा हुआ था। सहकारिता के माध्यम से किसानों को बिजली देने में इतनी आसानी होती थी। अगर किसान ट्यूबवेल कहीं लगाना चाहता था, तो कोआपरेटिव के माध्यम से किसानों को करीब एक फर्लांग या 5 खम्भे की लाइन फ्री दी जाती थी या कोई बिजली लेना चाहता था तो दो लोग कनेक्शन लेने वाले हों तो एक खम्भा फ्री था। यह सुविधा पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र लखनऊ में थी। यह 1971 से शुरू की गई थी लेकिन जब श्री कल्याण सिंह की सरकार आई। इस सरकार ने इस संस्था को खत्म करने का काम किया है। मैं चाहता हूं, कि अगर मंत्री जी आप सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सदन में स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि जो लाभ पूर्व में किसानों को मिलते थे। उनको पुनः दिया जाएगा। जो विद्युत परिषद् ने लाइसेंस समाप्त करने का काम किया है। उसे लाने का काम करेंगे और प्रदेश में नया संदेश देने का काम करेगें इन शब्दों के साथ मैं श्री शिवपाल सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उस पर बल देता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यगण यह आग्रह कर रहे थे कि आज शुक्रवार है। अधिकांश माननीय सदस्य क्षेत्रों में जाना चाहते है। अगर उनके अनुरोध को स्वीकार कर लें, तो पहले श्री शिवपाल सिंह जी को बुलवा लें। वह अपना उत्तर भाषण दे देगें। उसके बाद माननीय मंत्री जी बोल दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य एक तरफ बोलने के लिए कह रहे हैं दूसरी तरफ कह रहें हैं कि जल्दी बजट पास कर लें। हमें अपने-अपने क्षेत्रों में जाना है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठता महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने बल दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। सत्ता पक्ष में बैठें लोगों ने बजट का भले ही समर्थन किया हो, क्योंकि उनकी मजबूरी थी उन्हें सरकार में रहना है परन्तु उन्होंने समर्थन कटौती का ही किया है। मैं सुझाव देना चाहता हूं। पूरा कोआपरेटिव प्रारम्भिक समितियों पर निर्भर रहता है। इस वर्ष प्रारम्भिक समितियों में वसूली कम हुई, ऋण वितरण कम हुआ। इसकी जिम्मेदारी मंत्री जी की है। मार्च/अप्रैल में लगातार बड़े-बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिये गये जबकि कोआपरेटिव में, अप्रैल, मई और जून में कभी ट्रांसफर नहीं होते हैं। इस सरकार ने बहुत पैसा

लेकर अच्छे अधिकारियों को अलग कर कोआपरेटिव को खराब अधिकारियों के हाथो में देने का काम इस सरकार ने किया है, इसका प्रभाव भी कोआपरेटिव विभाग पर पड़ा है। मान्यवर, पी0सी0यू0 एक बहुत बड़ी संस्था है जो पूरे कोआपरेटिव विभाग को संरक्षित करने का काम करती है परन्तु इसे नष्ट करने का काम मंत्री जी ने किया है। इसे कोई बजट देने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। आज कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बजट में कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। इसके अंतर्गत जो सेन्टर्स होते थे, उनको खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है।

उससे बेरोजगारी बढ़ेगी हमारे कोआपरेटर शिक्षित नहीं होगें। यह भी मंशा इनकी खराब है। मान्यवर, एक संस्था है, अभी हमारे बाजपेयी जी ने भी कहा और हमारा समर्थन किया लेकिन उस संस्था में 89 से कोल्ड स्टोरेज खोलने का कोई प्राविधान नहीं रखा जिससे किसानों के आलू का भण्डारण होता और उसे राहत मिलती। मैं समझता था, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों के सुझाव सुनकर के माननीय मंत्री जी का विशाल हृदय होगा लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी का दिल बहुत छोटा है। इन्होंने पूरे कोआपरेटिव को कलंकित किया है। आपका पूरा का पूरा बजट दिशाहीन है और अलोकतांत्रिक है, फासिस्टवादी है। मैं इस बजट पर चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आपने इस पूरे विभाग का जो सरकारीकरण किया है और उस सरकारीकरण से मैं बताना चाहता हूं कि जब-जब इस संस्थाओं पर प्रशासक लोग बैठें हैं भ्रष्टाचार, गबन, लूट बढ़ा है और जब-जब जनता के लोग बैठें हैं यह घपलें, गबन कम हुए हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी तीन महीने के अंदर इस सदन में घोषणा करें और चुनाव करायें ताकि जनता के चुने हुए लोग इसमें बैठ सकें। जब चुनाव होगें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सब लोग उसमें आ जायेगें और इन स्थानों पर बैठेंगें और सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाने का काम करेंगें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए पुनः कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

सहकारिता मंत्री (पटेल श्री राम कुमार वर्मा)-

मान्यवर, सहकारिता विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं सर्वप्रथम इन माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं समझता था कि विपक्ष के माननीय सदस्य कुछ ऐसे सुझाव देगें, जिससे मुझे काम करने में आसानी होगी लेकिन बड़ी निराशा के साथ अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं कि कोई सकारात्मक सुझाव नहीं आये। केवल यही सुनने को मिला कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, प्रजातंत्र पर कुठाराघात हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने स्वंय उस परिपाटी का अनुपालन नहीं किया और पता नहीं अंधेरें में कौन से हथकंडे अपनाकर इन संस्थाओं पर बैठे थे। वह अपने गिरेवान में झांककर देखेगें? तीन वर्ष का कार्य काल था। उसको 5 वर्ष करा दिया। अब जब वह साढ़े चार साल है, तो भी आपको आफत है और कह रहें हैं कि आप चुनाव नहीं करा रहे हैं।

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया कि हम चुनाव की घोषणा कर चुके हैं। हमने किसी तरह का कोई परदा नहीं किया है, किसी बात को छिपाया नहीं है। यह तो प्रक्रिया और तिथि आपके समाने होगी। आदरणीय अवधेश प्रसाद जी बड़े विद्ववान हैं और कई बड़े पदों पर रहें हैं, मैं जो उनके सामने अनुज हूं। वह स्वंय एक कागज दिखा रहे थे कि उस पर तिथियां अंकित हैं।

लेकिन उसके बाद फिर सदन का समय ले रहें हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सदन की नीति और नीयत ठीक है। आपने जो हथकंडे अपनायें हम वह हथकंडे नहीं अपनायेंगे जो माननीय सदस्य समितियों के प्राथमिक सदस्य हैं। उनके अधिकारों की हम रक्षा करेंगे जिनके अधिकारों पर कब्जा कर रखा था। हम उनका संरक्षण करेंगे। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस सरकार ने क्या किया, बजट में प्राविधान नहीं रखा। जब इस सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया, तो इनकी करनी का फल सामने था। आधे से ज्यादा सहकारी समितियां बन्द थीं। अब दो हजार से ज्यादा सहकारी समितियां शुरू हो गई हैं। आप लोग रहते, तो जो बची थीं, वह भी चौपट हो जातीं।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने पर व्यवधान)

अधिष्ठाता-

बीच में टोका टाकी न करें। आपस में सहयोग बनाएं।

श्री पटेल राम कुमार वर्मा-

मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अधिष्ठाता जी मा0 सदस्य का मैं आदर करता हूं श्रीमन इन्होंने कहा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। शिवपाल जी ने कहा यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह कहा गया सुधार के लिए यह सरकार क्या कर रही है। मान्यवर, भाषण शुरू किया तो मैंने कहा कि जो करना शेष है, उसमें सहयोग चाहता हूं, मैंने यथार्थतः को आपके सामने प्रस्तुत किया है सहकारी समितियों को सहायता देने की बात है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया सहयोग दें।

श्री पटेल रामकुमार वर्मा-

30 करोड़ की सहायता हमने दी है। हमने बैंकों को ठीक करने की बात कही, (डा0 धर्मज्ञ मिश्र जी के बोलने पर)।

श्री अधिष्ठाता-

मिश्रा जी, बैठ जाएं। मंत्री जी को सुन लें।

श्री पटेल रामकुमार वर्मा-

80 समितियों को प्रतिवर्ष ठीक करने का लक्ष्य हमने रखा है। 397 सचिवों को निलम्बित किया है। 92 सचिव को सेवा से निकाल दिया है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मिश्रा जी, आपका प्रस्तर रिलीज हो जाए पहले आप कहें आप क्या कहना चाहते हैं ?

पूरे प्रदेश में सहकारी आन्दोलन 9 महीने की सरकार को चकना चूर कर दिया है।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने उत्तर में गेहूं खरीद के कितने केन्द्र खोले हैं ? आपने जिलों में जितने की सूची जारी थी केन्द्र नहीं खोले, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है । इन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से गेंहू क्रय केन्द्र खोलेंगे इन्होंने जिले की जो सूची बनी उसके आधार पर केन्द्र नहीं खोले पूरे प्रदेश में । एक करोड़ मेम्बर को खाद सहकारी समितियों से नहीं मिला है । सदस्यों को रवी फसल बोने में तमाम परेशानी उठानी पड़ी है ।

श्री अधिष्ठाता-

(व्यवधान)

छेतक आ जाते हैं जैसे बीच में, ऐसे ही समझ लीजिए।

श्री पटेल रामकुमार वर्मा-

मैं मिश्रा जी का आदर करता हूं उनकी चिन्ता की जो स्थिति है । उसको हम समझ सकते हैं । वह पिछले सालों में जो दुर्दशा हुई है । उसका राग अलाप रहे हैं । इस बार सरकार ने तीन गुना गेहूं खरीद की है जो ऐतिहासिक है । मान्यवर, इन्होंने कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है तथा कुछ सुझाव भी दिये हैं । इन्होनें दो तीन बातें कहीं । हमारे क्षेत्र का व्यक्ति बरेली में कर दिया गया है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इनकी जानकारी अधूरी है । जब से यह सरकार सत्ता में आयी वह व्यक्ति जुलाई में ही उक्त पद पर आरूढ़ हो गया था । यह सरकार पूरी इमानदारी के साथ आये नीति और नियम के साथ काम कर रही है ।

श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता था । मगर बोल नहीं पाया । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जनपद लखीमपुर-खीरी जो कि माननीय मंत्री जी का अपना जनपद है, सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है । जिससे सहकारी आन्दोलन को इतना बड़ा धक्का पहुंचाया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचा होगा । मान्यवर यह जो जिलाधिकारी के माध्यम से गेहूं खरीद की बात कर रहे थे । उनके इनको संरक्षण में (×××) नहेवागंज और बाकेगंज गोला में घपला किया गया । माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगें कि इतने बड़ें घोटाले की क्या वह जांच करायेंगे ?

नोट:- (×××) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री पटेल राम कुमार वर्मा-

वह लिखकर भेज दें जांच करा ली जायेगी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जो जानकारी इनकी है, वह अधूरी है। 42 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें निलम्बित किया गया है। सबसे ज्यादा एफ0 आई0आर0 लखीमपुर खीरी में दर्ज करायी गयी है। यह सरकार पूरी ईमानदारी से गरीब किसानों की सेवा करना चाहती है। यह सेवा का विभाग है। इसलिए पक्ष और विपक्ष के साथियों से अनुरोध है कि अगर वे सारे उत्तर गरीब किसानों का हित चाहते हैं तो इसको पास करवायें। यदि माननीय शिवपाल सिंह जी सहकारिता में रुचि रखते हों तो अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहें हैं?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर भाषण दिया है, मैं तो यह समझता था कि नौ महीने के अन्दर जानकारी प्राप्त कर ली होगी अपने सलाहकारों से कुछ सीख लिया होगा लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पायी है। जो भ्रष्टाचार का मामला है इनके एक बाल सखा हैं वह यू0 पी0 कोआपरेटिव में लगातार नौ सालों से रह रहें हैं। बिना नाम से और पूरे प्रदेश में दलाली का काम कर रहा है।

श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, फिर तो यह सिलसिला चालू हो जायेगा जबाव मेरे पास बहुत है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 81,01,50,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,22,53,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, 11 मई और 13 मई, 1998 में परमाणु परीक्षण की सफलता के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने "जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान" का नारा दिया था। उसे सफल बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के माध्मय से हमने निर्णय लिया है कि लैब टू लैण्ड के तहत हमारे वैज्ञानिकों ने जो शोध काम किया है, उसे जनता तक पहुंचाने का काम हम करना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में मान्यवर जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल का प्रयोग हमारा सफल रहा है। इससे धान की उपज यहां 30 प्रतिशत कम लागत में होगी, वहीं पर कृत्रिम उर्वरकों के विपरीत कुप्रभावों से खेती को भी बचाया जा सके और उपज भी 10 से 15 प्रतिशत अधिक होगी। हमारे तमाम जनपदों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिससे हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ेगी। इसी तरह से रायजोवियम जैव उर्वरक जो कि दाल की फसलों हेतु बहुत उपयोगी है, इसकी परियोजना भेजी जा रही है। इसके प्रयोग से हमारे प्रदेश को लाभ मिलेगा आज तमाम दाल के दाम बहुत मंहगे हो गये हैं। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा। मान्यवर, ऊसर भूमि सुधार मान्यवर सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र द्वारा 10 जनपदों में ऊसर भूमि के सुधार के लिए विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कार्य सम्पादित हो रहे हैं। जिससे बहुत लाभ हमारे प्रदेश को मिल रहा हैं। नम भूमि सुधार-मान्यवर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रदेश की नम भूमि का रेखांकन एवं चिन्हीकरण सुदूर संवेदन तकनीकी के माध्यम से किया गया है। इससे समस्या-ग्रस्त भूमि के समुचित उपयोग की दिशा में हम प्रयास कर सकेंगे। कुछ निचली जमीनें जल प्लावित रहती हैं।

मान्यवर इसी के साथ ही भू-जल स्त्रोतों की खोज हिमाच्छादित क्षेत्रों का अध्ययन, नदियों पर बनने वाले रेल एवं सड़क पुलों के निर्माण हेतु उचित स्थलों का वैज्ञानिक तरीके से चयन उपयोगकर्ता विभाग के अनुरोध पर सुदूर संवेदन केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है।

विभिन्न फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल का पूर्वानुमान तथा दैविक आपदाओं से उस फसल में हुई क्षति का अनुमान सुदूर संवेदन तकनीक से सम्पादित कराकर कृषि संसाधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। वन संसाधन के क्षेत्र में प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों में बनाच्छादित क्षेत्रों, वन, निम्नीकरण एवं वन में लगने वाली आग का मानचित्रीकरण एवं सर्वेक्षण, जिसमें तत्समय की सही स्थिति पता चलती है। केन्द्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यही नहीं सुदूर संवेदन तकनीक से भूगर्भ जल स्त्रोतों की ठोस एवं सही जानकारी की जाती है। जिसके परिणामस्वरूप जहां पर ट्यूबवेल लगाने में पेरशानी होती थी। जैसे झांसी मण्डल ललितपुर, जालौन, बांदा, इन सब जगहों पर हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत से शोध किया है और उससे इस प्रदेश को लाभ मिलेगा। मान्यवर, अब हमारे प्रदेश में गेहूं की फसल या किसी भी चीज की फसल कितनी होगी, इसका पूर्वानुमान करके हमारे वैज्ञानिक बता सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी हमारी दुनिया के बीस जो समीपवर्ती देश हैं उससे 72 घण्टे के अन्दर हमें किसी भी प्रकार की सूचना पूरे आगणन सहित इस प्रदेश को पहुंच सकती है। हम एनालिसिस करा सकते हैं। हम 48 घण्टे के अन्दर पूरे प्रदेश की किसी भी योजना का लाभकारी संदेश आप तक पहुंचा सकते हैं। वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रचार, प्रसार हेतु हम मण्डल स्तर पर इसका प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं जिसमें इलाहाबाद, गोरखपुर और अन्य तमाम जनपदों में कार्य प्रारम्भ किया है।

मान्यवर, वर्तमान शासन काल में पहले से खुले हुए क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी केन्द्रों के अतिरिक्त 5 और क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना हो रही है। उत्तराचंल में भी दो ऐसे ही केन्द्र खोलना प्रस्तावित है। मान्यवर, सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र के जनपद स्तरीय उपयोग के दृष्टिगत भारत सरकार ने निश्चित समय के लिए वित्त पोषित एन0आर0डी0एम0एस0 के दो नये केन्द्रों की स्थापना किये जाने की योजना है। जिससे जनपद स्तर पर योजना के बनाने में वैज्ञानिक तकनीकी तथा शुद्ध आंकड़े उपलब्ध कराये जायेंगे और जिनका उपयोग जनपदीय स्तर से ही विकास वृद्धि में सहायक होगा। मान्यवर, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता एवं पंजाब में जालंधर शहर की तरह से अपने प्रदेश में भी एक विज्ञान नगर की स्थापना हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय गुजराल साहब ने जालंधर में विज्ञान नगर की स्थापना कराया था और हमारे यहां प्रदेश में इलाहाबाद व गोरखपुर में विज्ञान नगर का प्रस्ताव है। मान्यवर उ0प्र0 में राजकीय वेधशाला की स्थापना डा0 सम्पूर्णानन्द जी की प्रेरणा से हुई थी। इसी कारण वेधशाला की सबसे बड़ी दूरबीन 104 का नाम सम्पूर्णानन्द दूरबीन है। इस वेधशाला में प्रतिवर्ष लगभग 20 हजार आगन्तुकों को निःशुल्क खगोल विज्ञान की जानकारी दी जाती है और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोध कार्य होता है।

मान्यवर, युवाओं में खगोल विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करने हेतु गोरखपुर एवं लखनऊ में नक्षत्रशालाओं की स्थापना की गई है।

गोरखपुर की नक्षत्रशाला जल्दी ही अपना कार्य प्रारम्भ करेगी । इसका अनुबन्ध हो गया है और लखनऊ में भी यह जल्दी से जल्दी कार्य प्रारम्भ कर देगी । हमने विज्ञान नीति बनाई है । प्रदेश के इस विज्ञान नीति के बनने से हम प्रदेश को वैज्ञानिक वातावरण और संस्कृति से आच्छादित कर देंगे, साथ ही प्रदेश स्थित विभिन्न प्रयोगशालाओं, संस्थानों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, अभियन्त्रण संस्थाओं, निजी प्रयोगशालाओं अथवा जाने अनजाने ग्रामीण अंचलों के उद्भट एवं उदीयमान वैज्ञानिकों की श्रेष्ठ कार्य कुशलता का अधिकाधिक उपयोग करने तथा उन्हें सम्मानित करने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा तथा सारी योजनायें नीतिगत रूप से सम्पादित होंगी और विभाग के कार्य में तीव्रता आयेगी ।

मान्यवर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व वाले शासन में प्रदेश से अतिरिक्त केन्द्र/वाह्य सहायतित परियोजना को प्राप्त करने के लिए सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र द्वारा 10 तथा उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद् के माध्यम से 14 से अधिक प्रस्ताव मैंने अपने शासन काल में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को प्रेषित कर दिया है, जो जलीय भूमि है । जैसे बलिया का सुरहा ताल है, ऐसे क्षेत्रों के लिये योजना बनाकर भारत सरकार को तथा विश्व बैंक के लिये भेजी गई है, इस योजना के लागू हो जाने के बाद इस प्रदेश को काफी लाभ होगा । इसी प्रकार मान्यवर, ऊर्जा का आज काफी महत्व है । अभी तक गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत के लिये अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग के नियंत्रणाधीन वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान के माध्यम से वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम, सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा तथा लघु जल विद्युत ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रम संचालित किये जाते रहे हैं । इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कराये जाने हेतु इस वित्तीय वर्ष 1998-99 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम एवं एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्र के लिये 1508.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है, इसके अतिरिक्त एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम में भी केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत 325.00 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है । यह शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है ।

इसी तरह से निजी क्षेत्र में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का भी प्रयास किया गया है । हमने इस दिशा में 3 मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं की स्थापना कार्यक्रम के अन्तर्गत 23 परियोजनाओं के लिये मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किये गये हैं और इनमें से 22 परियोजनाओं में निजी उद्यमियों एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के मध्य विद्युत क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं । तीन वर्षीय इन परियोजनाओं से लगभग 65 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जायेगा और निजी उद्यमी द्वारा लगभग 350.00 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जायेगा ।

मान्यवर, निजी क्षेत्र में कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन हेतु परियोजनाओं की स्थापना के सिलसिलें में लखनऊ एवं कानपुर महानगरों में क्रमशः 5 एवं 10 मेगावाट की दो परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी उद्यमी एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के मध्य विद्युत क्रय अनुबन्ध किये जा चुके हैं । इसी प्रकार अन्य 9 महानगरों में भी इसी तरह की परियोजनायें प्रस्तावित हैं ।

बगास (गन्ने की खोई) पर आधारित सह उत्पादन से विद्युत उत्पादन की दिशा में कार्य करते हुए उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् एवं 10 चीनी मिलों के मध्य विद्युत क्रय अनुबन्ध किये जा चुके हैं एवं लगभग 30 मेगावाट क्षमता की विद्युत ग्रिड में दी जा रही है। इसके अलावा ।। अन्य चीनी मिलों से विद्युत क्रय अनुबन्ध कराये जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके हो जाने से बिजली की तमाम परेशानियां कम हो सकेंगी।

इसके अतिरिक्त 25 किलोवाट की एक परियोजना वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, लखनऊ के मुख्यालय भवन पर तथा 100 किलोवाट की दूसरी परियोजना हरैया, जनपद बस्ती में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, इस परियोजना से भी इस प्रदेश की जनता को लाभ होगा।

मैं अपने सम्मानित सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि उनके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे मार्गदर्शन का काम करेंगे और इससे विज्ञान के इस विचार को गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सहयोग होगा। मेरी यह भी प्रार्थना है कि इस महत्वपूर्ण बजट पर कटौती प्रस्ताव न प्रस्तुत कर वह इस बजट का समर्थन करेंगे।

* श्री राम प्यारे-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-70 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं अपना पूरा समय डा0 अशोक बाजपेयी जी को दे रहा हूं।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मा0 अधिष्ठाता जी, मा0 तिवारी जी ने बड़ा विद्वतापूर्ण ढंग से अपने विभाग का बजट भाषण प्रस्तुत किया। मान्यवर, मुझे स्वयं में संकोच लगता है कि जिस विभाग के बजट को कमी करने में कोई कोताही न रखी गयी हो, तो उसमें कितनी और कमी की जाय। मान्यवर, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और तमाम वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकी शोधों के द्वारा दुनिया के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, तिवारी जी ने बहुत सारी योजनायें पढ़ी लेकिन ज्यादातर योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार को प्रस्तावित है। मान्यवर, विज्ञान और प्रोद्योगिकी से और कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो इस विभाग से न जुड़ा हो। यूरोप में आप भी गये हैं, जहां पर आज उर्वरकों का उपयोग समाप्त हो रहा है, क्योंकि इनसे कृषि की उपज समाप्त हो रही है। इनके स्थान पर शैवाल और जैविक उर्वरकों की आवश्यकता होगी और कृषि की उपज को बढ़ाना होगा, जो बजट दिया है। उससे यह सारे कार्य कैसे हो पायेंगे? कृषि की व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे होगी कितने रोग लगते हैं उनमें कमी कैसे की जायेगी?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जलभराव को रोकने के लिये एक योजना रखी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश को जलभराव की समस्या से मुक्ति दिला दें, तो 25 प्रतिशत से अधिक उत्पादन बढ़ जायेगा। लेकिन इस संकल्प के साथ यह संभव नहीं है। इतने भारी भरकम व्यक्ति को इतना छोटा सा विभाग मिला है। माननीय तिवारी जी ने कल्याण सिंह की सरकार को बचाने का काम किया है लेकिन मिला उनको क्या है विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग। माननीय तिवारी जी जब अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे थे तो बड़े दुखी मन से प्रस्तुत कर रहे थे। कितना अन्याय उनके साथ हुआ, और कितना अन्याय इस विभाग के साथ हुआ। जहां पर उनके लिए कुछ करने को नहीं है। उनके अनुभव का लाभ उठाना था लेकिन आपने नहीं उठाया।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप समाप्त करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

यह तो कोई बात नहीं हुई। यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग ने नक्षत्रशाला का निर्माण 1988 में किया था। 10 साल से वह बन रही है, 250 सीट की नक्षत्रशाला बन रही है, लेकिन वह लखनऊ की जनता को आज तक समर्पित नहीं हो पायी है। तमाम मशीनें खरीदकर आ गयीं और वह बढ़ रही है लेकिन वह नक्षत्रशाला बनकर तैयार नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कम से कम 1998 में उसे चालू करा दें। जिससे जनता उसको देख सके। कृषि में लगने वाले उन तमाम कीटाणुओं को नष्ट करने के संबंध में, फलों तथा सब्जियों की फसलों को जो कीटाणु और उर्वरक नुकसान पहुंचाते हैं। उनका अध्ययन करने का काम यह विभाग करता है। इस विभाग की उपलब्धियां जो खेती से जुड़ी हैं। उसकी जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसके शोध का लाभ उ0प्र0 की जनता को नहीं मिल रहा है। इतने महत्वपूर्ण विभाग को केवल 19 करोड़ का बजट दिया गया है, जिसने प्रदेश के विकास के लिये उन तमाम चीजों का अध्ययन करना है और सुझाव देना है कहां कब कितनी बाढ़ आयेगी, जलभराव को कैसे दूर किया जायेगा कौन से कीटाणु फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको कैसे समाप्त किये जाये? उन तमाम मनुष्यों से संबंधित बीमारियों का अध्ययन इस विभाग द्वारा होता है, तो इतने महत्वपूर्ण विभाग के लिये माननीय हुकुम सिंह जी ने 19 करोड़ रुपया दिया है। इतना बजट तो जिले की डी0आर0डी0ए0 का होता है। जो हमारा प्रदेश देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो कैसे इसका विकास होगा? मैं इस पर कटौती नहीं रखता लेकिन आपकी जो मानसिकता है, उसको दर्शाने के लिये मैंने यह रखा है। हम तो चाहते हैं कि इसका और विकास हो लेकिन श्री कल्याण सिंह जी ने ही इसकी महत्ता कम कर दी है। इन शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री बावन सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के बजट का समर्थन करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं और मा0 तिवारी जी ने जो बजट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखा है उसका हृदय से समर्थन करता हूं, जो पुस्तिका हमें मिली है, इनको हमने पढ़ा है, एक पत्र भी मा0 मंत्री जी ने सभी मा0 सदस्यों को विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को भेजा है, यहां बख्शी के तालाब में एक नील हरित शैवाल जहां उर्वरक का उत्पादन होता है, यह उतनी अच्छी उर्वरक है, जिससे किसानों का बहुत बड़ा हित होता है और कृषि पैदावार भी बढ़ती है, यह कई जनपदों में चलाई जा रही है। ऐसी मुझे जानकारी है। सम्भवतः गोण्डा जनपद में भी यह योजना चलायी जा रही है, गोण्डा जनपद में किन-किन विकास खण्डों में यह योजना चलायी जा रही है, मुझे जानकारी नहीं है। इस उर्वरक से विशेषकर धान की पैदावार को बढ़ाने में बहुत लाभ होता है। अगर इसका प्रचार ठीक से किया जाये, तो गरीब किसानों का लाभ होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जनपद में इसकी जानकारी किसानों तक नहीं हो पायी है। इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि इसका लाभ किसानों को ज्यादा मिले और इस उर्वरक को ज्यादा प्रयोग करने के लिए किसानों को जानकारी दी जाये, तो अच्छा होगा। इस खाद से मुझे जैसी जानकारी मिली है, पैदावार प्रति हेक्टेयर तो लगभग 10 प्रतिशत बढ़ जाती है और इतनी जनहितकारी यह योजना है, तो यह किसानों तक पहुंचायी जाय। व्यापक स्तर पर मेरा सुझाव है कि इसका प्रचार किया जाये और मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि जो अनुदान विगत वर्षों में दिया गया है उसकी जांच करायें। बहुत ही गम्भीर मामला है पूर्वांचल में इस संबंध में कुछ नहीं हुआ है केवल बक्शी के तालाब में उत्पादन हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि मंत्री जी ने बजट में बलिया के सुरहा ताल परियोजना को स्वीकृति दी है अगर मैं इसका जिक्र न करता तो यह मेरी अकृतज्ञता होती मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के बाटनी डिपार्टमेन्ट के हेड आफ डिपार्टमेंट परम् श्रद्धेय प्रो0 आर0एन0 सिंह जिन्होंने दुनिया को ब्लयू ग्रीन एल्बी खोज करके दी। जब उर्वरक की शुरुआत हुई दुनिया में तो हमें गर्व है कि उत्तर प्रदेश के हमारे बीच के एक वैज्ञानिक ने इतनी बड़ी चीज ब्लयू ग्रीन एल्बी के रूप में दी। मैं कहना चाहता हूं कि किन हाथों में आप फंस गये हैं। आप इसके उत्पादन की तरफ ध्यान देकर इसका उत्पादन करायें। मैं आरोप और आक्षेप के लायक इस बजट को नहीं समझता हूं फिर भी कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ब्लयू ग्रीन एल्बी जब तक जीवित रहती है। नाइट्रोजन फिक्शेशन का काम करती है और जब सूख जाती है, तो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन में कनर्वट हो जाती है, इससे हमारी पैदावार बढ़ती है।

मैं मंत्री जी से जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन जनपदों के नाम इस पुस्तिका में दिखाये गये हैं। आप जांच करायें पूर्वांचल के जिला में आपके अपने जिले का नाम भी है, आप जांच करायें अपने मण्डल की जांच करायें, पूर्वांचल के किसी जिले में ब्लयू ग्रीन एल्बी का कल्चर जिसको सुखाकर सप्लाई करने की बात कही गयी है, वह योजना कहीं नहीं चल रही है। एक किलो कल्चर

भी बलिया जनपद को नहीं प्राप्त हुआ है। यह फर्जी आंकड़े लेकर बजट की राशि को लूट कर प्रदेश के किसानों का नाश करने की साजिश है। आपके साहस की सारे हिन्दुस्तान में चर्चा होती है। आप अपना नैतिक साहस दिखाने का काम करें और इतना बड़ा धोखा करने वालों के खिलाफ जांच करायें और दण्डित करने का काम करें तथा ब्लयू ग्रीन एल्वी का कल्चर पर्याप्त मात्रा में पूर्वांचल में उपलब्ध कराने का काम करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री राम प्यारे-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे चौधरी साहब ने अभी कहा है कि आपके साहस की चर्चा सारे हिन्दुस्तान में होती है। संयोग से माननीय तिवारी जी गोरखपुर जनपद के रहने वाले हैं और उनका जनपद हमारे विधान सभा क्षेत्र से मिलता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब 1.20 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से दे रहे हैं, तो इस मामले में मैं समझ रहा हूं कि आदरणीय कल्याण सिंह की सरकार के सामने कितना झुककर हमारे आदरणीय मंत्री जी ने समझौता कर लिया है। इसका अनुमान स्वयं लगाया जा सकता है।

(समय 7 बजकर 30 मिनट)

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस वैज्ञानिक युग में जहां सारी चीजें विज्ञान पर ही आधारित होती जा रही हैं। वहां आज हमारी क्या स्थिति है। जहां हमें 19 करोड़ के बजाय अरबों रुपयों का बजट लाना चाहिए था। यही कारण है कि हमारे यहां जो प्रतिभा पलायन हो रहा है, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है जो हमारे प्रदेश को छोड़कर दूसरे मुल्कों में भाग रहे हैं। यह अपने आप में खुद साबित करता है कि यह हमारे लिए और सरकार में बैठे हुए सारे साथियों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। मान्यवर, माननीय मंत्री जी गोरखपुर जनपद के रहने वाले हैं। हमारे तमाम साथी चिल्ला रहे थे कि गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ में भयंकर बाढ़ है, कटान हो गयी है, बन्धे कट गये हैं। मान्यवर, हमारे मंत्री जी बजट के प्रति कितने गम्भीर हैं जब कटौती प्रस्ताव पर बात हो रही है, तब मंत्री जी उधर बात कर रहे हैं। मान्यवर, बाढ़ से हम लोग हमेशा त्रस्त रहते हैं, बाढ़ का पूर्वानुमान इनके वैज्ञानिक नहीं लगा सकते, अगर इनकी जगह मैं होता तो इस्तीफा देकर घर चला जाता क्योंकि जब एक मंत्री कुछ है ही नहीं कोई काम कर ही नहीं सकता, तो रहने से क्या फायदा इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री हरि शंकर तिवारी-

हमारे पड़ोसी और साथी बाबू राम प्यारे सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं तो समझता था कि बहुत विशाल हृदय होगा जैसा कि परिव्यय के बारे में कहा कि 1.20 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से पड़ रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार अपने सीमित साधनों में बड़ी महती योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का काम किया गया है। उसको भी नहीं देख रहे हैं। आपका विशाल हृदय होता तो इस 1.20 पैसे की राशि को जनता तक पहुंचाने में सहयोग करते। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक की बात कही गयी, हमारे सम्मानित वैज्ञानिक प्रोफेसर आर0एन0 सिंह के बाद हमारे सी0एस0डी0 के वैज्ञानिकों ने शोध किया, उनके शोध का प्रतिफल है कि नील हरित शैवाल जैव उर्वरक का प्रयोग जन-जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे सम्मानित विधायक श्री बावन सिंह जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनको और सभी सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी वैज्ञानिक या अधिकारी ने पुस्तिका में असत्य रिपोर्ट दिया होगा उसकी जांच करायी जायेगी उसे अवश्य दण्डित किया जायेगा और उससे सम्मानित सदन को अवगत कराऊँगा। आप सबकी भावनाओं का आदर करता हूं और पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए हमारा जो प्रयास है। माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में उस वैज्ञानिक शोध को जन-जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आप उसमें सहयोगी बनिये। 1.20 पैसे का प्रतिफल जो किसानों को मिलेगा, प्रदेश के नागरिकों को मिलेगा, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया है। उन वैज्ञानिकों का सम्मान करने के लिए अपने कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे और जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के नारे का सम्मान करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राम प्यारे जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री राम प्यारे-

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,22,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 17-7-98 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

की उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 तथा संशोधित नियमावली-1993 की धारा-3 के द्वितीय भाग को शासन द्वारा लागू न किये जाने से मृतक आश्रितों में व्याप्त असंतोष के संबंध में, .

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया-

की जनपद-मथुरा में अराजक तत्वों एवं भू-माफियाओं द्वारा महन्त रामोबाई को गायब किये जाने से सम्पूर्ण साधु समाज एवं विश्व हिन्दू परिषद् के आन्दोलित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा,

श्री अजय कुमार पोइया-

की जनपद-मथुरा में स्थित गोर्वधन ड्रेन की पुनः स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि को अनियमिततायें एवं मनमानी कर हड़पे जाने के संबंध में सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं:-

श्री राम औतार शाक्य-

लखनऊ नगर में गोलागंज स्थित डफरिन महिला अस्पताल में फंगसयुक्त ग्लूकोज इंजेक्शन से कई लोगों के मरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

श्री नवाब सिंह नागर-

जनपद-गौतमबुद्धनगर के एन्तर्गत नोयडा क्षेत्र में पूर्व स्वीकृत गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में,

श्री श्याम सुन्दर-

जनपद-रायबरेली के बछरावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ड्रेनों के अर्द्ध-निर्मित पुलों को शीघ्र पूरा कराये जाने के संबंध में,

श्री राम विशुन आजाद-

जनपद-गोण्डा की मस्कनवां, वजीरगंज तथा बभनान बजारों को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के संबंध में।

डा0 रामबाबू हरित-

विधान भवन परिसर में पान, बीड़ी, सिगरेट तथा पान-मसाले आदि के खाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में तथा।

श्री दीपक कुमार-

जनपद-उन्नाव में राज्य स्तर से बनी सड़कों के शेष कार्य के लिये अपेक्षित धनराशि अवमुक्त न किये जाने से उनका निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण जनसामान्य के आवागमन बाधित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया:-

श्री उदयराज यादव-

लखनऊ नगर स्थित नैपियर रोड सचिवालय कालोनी ठाकुरगंज के 14 व 15 नम्बर ब्लाकों के मध्य सड़क के बीच की नालियों में जलभराव तथा सफाई की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री अनिल कुमार-

जनपद-बलिया के अन्तर्गत रसड़ा मुख्यालय पर मुन्सिफ कोर्ट की पुनः स्थापना कराये जाने के संबंध में,

भीम प्रसाद सोनकर-

जनपद-अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्र अन्तर्गत थाना रायसुल्तानपुर की पुलिस द्वारा कथित रूप से किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं मनमानी के संबंध में तथा,

श्री विजयपाल सिंह-

जनपद-आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत टर्मिनल राजवहा तथा इरादतनगर व बांगुरी माइनर में टेल तक पानी न पहुंचाये जाने के बावजूद किसानों पर आवपाशी लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुयीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शेष सूचनाएं जो अस्वीकृत हुई हैं वह श्री वाबन सिंह, श्री बनारसी दास चान्दना, श्री परवेज हलीम, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री बाबूलाल, श्री दद्दू प्रसाद, श्री मुरलीधर, डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामललित चौधरी, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री शेरबहादुर सिंह, राम नक्षत्र, श्रीलाल मणि प्रसाद, श्री जगदीश नारायण, श्री महेन्द्र कुमार वाल्मीकि, श्री दीपलाल भारती, डा0 बकार अहमद शाह, श्री धर्मराज निषाद्, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री विनोद मणि, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, डा0 कौशल किशोर, श्री अकबर हुसैन, श्री कृपा शंकर सिंह ।

मे0 रबर फैक्ट्री, मेरठ में प्रबन्धकों की अघोषित तालाबन्दी से श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री- (श्री हुकुम सिंह)-

(मे0 मोदी रबर लि0, मोदीपुरम, मेरठ जनपद में वर्ष 1974 में स्थापित एक निजी क्षेत्र की इकाई है । इस प्रतिष्ठान में लगभग 2150 श्रमिक (स्टाफ सहित) तथा लगभग 400 श्रमिक (संविदा श्रमिक) अर्थात कुल 2550 श्रमिकों की सहायता से भारी वाहनों के टायर का निर्माण होता है । इस प्रतिष्ठान में श्रमिकों की कोई पंजीकृत यूनियन नहीं हैं, अपितु कारखाने में नियोजित श्रमिकों द्वारा प्रतिष्ठान के विभिन्न विभागों में से ही चयनित कर्मचारी श्रमिकों का नेतृत्व कर रहें हैं । प्रतिष्ठान के सेवायोजकों व श्रमिकों के मध्य दिनांक 2.9.95 को वेतन वृद्धि व अन्य बिन्दुओं पर एक समझौता सम्पन्न हुआ जिसके अनुसार यह समझौता । जुलाई, 1995 से तीन वर्षों अर्थात 30.6.98 तक एवं ऐसी अवधि तक जब तक कि इस समझौते के स्थान पर नया समझौता नहीं हो जाता, प्रभावी रहेगा । प्रतिष्ठान में यूनियन प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर गतिरोध उत्पन्न हुआ । चूंकि सेवायोजक मनमाने ढंग से अपने पक्ष के कर्मचारियों को चुनने की साजिश कर रहे थे । अतः श्रमिकों द्वारा इसका विरोध किया गया । फलस्वरूप चुनाव टाल दिया गया । प्रतिष्ठान के लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्ष 1997-98 के बोनस का भुगतान कर दिया गया शेष 20 प्रतिशत कर्मचारियों के बोनस का भुगतान दिनांक 4-7-98 को किया जाना था, परन्तु सेवायोजकों द्वारा उस दिन भुगतान न करके 14-7-98 भुगतान के लिए तिथि घोषित कर दी गई जिससे श्रमिकों में रोष एवं असंतोष व्याप्त हो गया । दिनांक 5-7-98 को द्वितीय पाली समाप्त होने के पश्चात् सेवायोजकों द्वारा कर्मचारियों को फैक्ट्री गेट के अन्दर नहीं आने दिया गया परिणामस्वरूप उत्पादन कार्य पूर्ण रूप से बन्द हो गया । दिनांक 6-7-98 से कर्मचारीगण प्रतिदिन अपनी-अपनी पाली में फैक्ट्री गेट पर ड्यूटी करने के लिए उपस्थित होते हैं । सेवायोजकों द्वारा किसी कर्मचारी को सेवा पर नहीं लिया गया और फैक्ट्री का तालाबन्द कर दिया गया । दिनांक 5-7-98 को ही सेवायोजकों ने प्रतिष्ठान के 8 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया ।

2- प्रतिष्ठान में गतिरोध उत्पन्न होने की सूचना प्राप्त होने पर सहायक

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्रमायुक्त मेरठ ने दिनांक 6-7-98 एवं दिनांक 9-7-98 को समझौता वार्ता आहूत की लेकिन सेवायोजकों के वार्ता में उपस्थित न होने के कारण कोई समझौता सम्पन्न नहीं हो सका। पुनः समझौता वार्ता हेतु दिनांक 15-7-98 की तिथि निश्चित की गयी जिसमें श्रमिक पक्ष उपस्थित हुआ। लेकिन सेवायोजक अथवा उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि वार्ता में उपस्थित नहीं हुआ। श्रमिक पक्ष द्वारा बताया गया कि वर्ष 1998 के लिये श्रमिकों द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3- प्रतिष्ठान में व्याप्त श्रमिक अशान्ति के संबंध में मेरठ में तैनात श्रमायुक्त संगठन के अधिकारियों द्वारा की गई जांच के अनुसार मौके पर फैक्ट्री का गेट बन्द पाया गया जिससे यह प्रकट होता है कि सेवायोजकों द्वारा तालाबन्दी की गयी है। चूंकि सेवायोजकों द्वारा तालाबन्दी से पूर्व शासन से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी अतः सेवायेजकों द्वारा की गयी तालाबन्दी अवैध है।

4- सेवायोजक पक्ष की वार्ता में अनुपस्थिति के कारण प्रतिष्ठान में गतिरोध बना हुआ है तथा उत्पादन कार्य पूर्ण रूप से बन्द है। कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु श्रम विभाग के अधिकारियों तथा जिला प्रशासन द्वारा निरन्तर नजर रखी जा रही है।)

जनपद आगरा में यमुना नदी से निकलने वाले ताज तथा दयाल बाग माइनरों में सिंचाई विभाग द्वारा सफाई कराकर पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 रामबाबू हरित द्वारो दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

*सिंचाई राज्य मंत्री-(श्री धनराज यादव)-

सूचना में उल्लिखित माइनर दयाल बाग राजवाहा सिकन्दरा के मील 14-6-93 पटरी बार्यी से निकलती थी तथा इससे नीचे के राजवाहा सिकन्दरा के टेल भाग से क्रमशः दयाल बाग क्षेत्र व पूर्व में (संजय पैलेस क्षेत्र) स्थिति केन्द्रीय कारागार के तालाब को पानी दिये जाने की व्यवस्था थी। किन्तु राजवाह सिकन्दरा के मील 9-0-0 से नीचे के भाग/नहरी कमान क्षेत्र में भवनों के निर्माण हो जाने व शहरी आबादी में आ जाने के कारण सिंचाई हेतु नहरी पानी की आवश्यकता नहीं रह गयी है। दिगत पांच वर्षों से राजवाहा सिकन्दरा के मील 9-0-0 के नीचे के भाग में जलापूर्ति बन्द है। राजवाहा सिकन्दरा के मील 9.0-0 से नीचे के भाग में सिंचाई हेतु पानी की मांग न रह जाने के कारण इसके परित्याग का प्रस्ताव है। माइनर ताज न होकर माइनर पार्क के द्वारा शाहजहां गार्डन/लाल गार्डन को जलापूर्ति कराई जाती है जो राजवाहा टर्मिनल के मील 19-0-280 से निकलती है। वर्तमान माइनर पार्क के कि0मी0 5-00 के नीचे के भाग के शहरी आबादी में आ जाने व माइनर के दोनों किनारों पर नव-विकसित कालोनियों के निवासिवों द्वारा घरेलू कूड़ा-करकट, गन्दगी डालकर इस

नोट :-) (यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माइनर को सीवर ड्रेन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। फलस्वरूप शाहजहां गार्डन को जलापूर्ति कराया जाना बाधित हो रहा है। इस माइनर को कबर्ड चैनल/पाइप लाइन के रूप में निर्माण कराये बिना पानी का संचालन सम्भव नहीं है। इस कार्य को कराये जाने हेतु आगरा हेरीटेज परियोजना के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाकर प्रेषित किया जा चुका है। धनराशि स्वीकृत होने पर कार्य कराया जायेगा।

यद्यपि राजवाहा सिकन्दरा के नीचे अनुभाग 9 माइनर दयालबाग का भाग आगरा महानगर की सीमा के अन्तर्गत आ गया है। दयालबाग माइनर की कुल लम्बाई 6.182 मील में से 0.3.363 से 0.6.182 तक का भाग/भूमि शासन के आदेश से वर्ष 983 में राधा स्वामी शिक्षा संस्थान/दयाल बाग आगरा को स्थानान्तरित की जा चुकी है। राजवाहा सिकन्दरा व माइनर दयाल बाग की शेष रह गयी भूमि में से कुछ भाग में विभागीय कार्यालयों के निर्माण एवं वन विभाग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिन भागों पर अनधिकृत कब्जे किये गये हैं, उनके विरूद्ध विभाग द्वारा न्यायालयों में वाद चल रहें हैं। माइनर पार्क पर अनधिकृत कब्जों की कोई समस्या नहीं है।

प्रश्नगत राजवाहा सिकन्दरा माइनर दयालबाग व माइनर पार्क की पटरियों को पक्का कराये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राजवाहा सिकन्दरा एवं दयालबाग माइनर का जो भाग शहरी आबादी के अन्तर्गत आ गया है, को चालू कराये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा माइनर पार्क के शहरी भाग को कबर्ड चैनल/पाइप लाइन द्वारा निर्माण कराये जाने के उपरान्त ही शाहजहां गार्डन ताज गार्डन को जलापूर्ति कराये जाने की समस्या का निदान होना सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश में नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अफरोज अली खां द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

दशम वित्त आयोग की संस्तुतियां प्रदेश में वर्ष 1996-97 से लागू हुई है। इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में धनराशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 1996-97 व वर्ष 1997-98 में क्रमशः रु0 30.29 करोड़ की धनराशि अनुदान स्वरूप नागर स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

2- दशम वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिपेक्ष्य में वित्त विभाग से प्राप्त मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप नगर विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए जिसमें वर्ष 1996-97 की धनराशि के समुचित उपयोग हेतु नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई जो नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायातों से प्राप्त आगणनों का परीक्षण करेगी। नगरपालिका/नगर पंचायत स्तर पर तैयार किये गये आगणनों के परीक्षणोंपरांत अनुमोदित कार्यों को पूर्ण कराकर उसका भुगतान अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष के द्वारा ही व्यवहारतः किया जायेगा। संतोषप्रद

नोट :- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व मानकों के विपरीत कार्य एवं सामग्री की स्थिति में भुगतान किये जाने अथवा न किये जाने का निर्णय स्वयं अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष के स्तर पर ही होगा।

3- वर्ष 1997-98 हेतु जो दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए है। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों की योजनाओं के आगणन के परीक्षण एवं व्यय की स्वीकृति हेतु संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। नगर पालिका परिषदो/नगर पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों/क्रय की जाने वाली सामग्री हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आगणनों का समिति द्वारा परीक्षण किया जाता है तत्पश्चात् इसका भुगतान अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष के द्वारा ही व्यवहारिक दृष्टि से सम्प्रति किया जाता है।

4- फिर भी यह मामला सक्रिय रूप से शासन के सम्प्रति विचाराधीन है, जिसके अनुसार कार्यों के अनुमोदन से पूर्व अध्यक्ष की राय भी विशिष्ट रूप से प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता की शर्त रखी जा रही है। इससे मा0 अध्यक्ष की भूमिका और प्रभावकारी हो जाएगी। प्रदेश में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां । अप्रैल, 1997 से प्रभावी होने के फलस्वरूप वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक नागर स्थानीय निकायों में दो पी0एल0ए0 खाते खोलने के निर्देश दिए गए है। एक राज्य वित्त आयोग का जबकि दूसरा दशम वित्त आयोग का। पी0एल0ए0 खातों का संचालन अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जाता है ऐसी स्थिति में अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया गया है।)

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं। दिनांक 20.7.98 को 11.00 बजे पुनः बैठेगें।

(इसके बाद सदन सायंकाल 7 बजकर 38 मिनट पर सोमवार दिनांक 20, जुलाई 1998 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 17 जुलाई, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

शैडों, गनर एवं गार्ड, आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश।

(1) शैडों, गनर, गार्ड आदि की विशिष्ठ सुरक्षा के लिए संस्तुति केवल ऐसे व्यक्तियों हेतु ही की जाये जिन्हें इनकों जनहित में देना नितान्त आवश्यक हो और जिन्हें सामान्य सुरक्षा-प्रबन्धों के अर्न्तगत अथवा स्थानीय स्तर पर व्यवस्था से सुरक्षित कर पाना संभव न हो। ऐसे मामलों में उनके पास उपलब्ध अपनी निजी सुरक्षा-व्यवस्था, शस्त्र लाईसेन्स, आदि का भी आंकलन कर लिया जाय। ऐसे व्यक्तियों को शासन के आदेश होने पर सुरक्षा पर आने वाले व्यय के दस प्रतिशत अथवा इससे उच्चतर दर पर उनके द्वारा भुगतान के आधार पर आवश्यकतानुसार निश्चित अवधि के लिये सुरक्षा प्रदत्त हो सकेगी।

(2) सभी वर्तमान सांसद व विधायकों को आवश्यकतानुसार निशुल्क एक गनर/शैडों निश्चित अवधि तक उनकी मांग पर उपलब्ध होगा इसके अलावा शैडों/गार्ड/गनर आदि की अतिरिक्त सुरक्षा देने पर विचार औचित्य को देखते हुये इन पर निहित व्यय के 25 प्रतिशत भुगतान के आधार पर हो सकेगा।

(3) जिला परिषद् अध्यक्षों, नगर प्रमुखों व कुलपतियों को प्रदत्त सुरक्षा-व्यवस्था का परीक्षण कर लिया जाय। यदि सुरक्षा प्रदान करने का औचित्य पाया जाता है तो वह उनकी संस्था के प्रस्ताव पर प्रदत्त होने वाली सुरक्षा में निहित व्यय के दस प्रतिशत भुगतान के आधार पर देय हो सकेगा।

(4) शैडों/गनर/गार्ड आदि सुरक्षा प्रदत्त करने का औचित्य पाये जाने की स्थिति में मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के राज्य स्तरीय अध्यक्ष एवं महामंत्री को निहित व्यय के दस प्रतिशत भुगतान के आधार पर शैडो/गनर/गार्ड आदि प्रदत्त हो सकेगें।

(5) निवर्तमान सांसद/विधायक को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता होने पर सुरक्षा में निहित व्यय के दस प्रतिशत भुगतान के आधार पर सुरक्षा देय हो सकेगी।

(6) किसी भी व्यक्ति को अथवा परिवार के सदस्यों को एक से अधिक गनर/शैडों दिये जाने का औचित्य पाये जाने पर शैडो/गनर पर निहित व्यय का 25 प्रतिशत भुगतान के आधार पर ही शैडो/गनर प्रदत्त हो सकेगा।

(7) किसी के रक्त सम्बन्धी के यहां जघन्य अपराध यथा कत्ल/डकैती हो जाने पर, जिसमें वह प्रभावी पैरवी कर रहा हो अथवा गवाह हो, पुलिस द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी आंकलन कर सीमित अवधि के लिये स्थानीय स्तर से आवश्यकतानुसार सुरक्षा व्यवस्था प्रदत्त हो सकेगी।

(8) सामान्यतः ऐसे किसी व्यक्ति को शैडो/गनर गार्ड आदि नहीं दिया जायेगा जिसका कोई पूर्व अपराधिक इतिहास रहा हो या जिसके विरूद्ध अपराधिक/अवांछनीय गतिविधियों में लिपत होने सम्बन्धी आरोप किसी न्यायालय में विचाराधीन हों।

(9) सामान्यतः ऐसे किसी व्यक्ति को शैडो/गनर/गार्ड, आदि सुरक्षा नहीं दी जायेगी जो किसी व्यापारिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक संस्थान से जुड़ा हो अथवा जिसे सुरक्षा अपने निजी व्यावसायिक स्वार्थ के हित में आवश्यक हो।

नत्थी "ख"

(देखिये ता0प्र0सं0-4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर)

ट्रांजिट कैम्प में रह रहे 28 नगर विस्थापितों की सूची (संलग्नक-क)

क्र0 सं0	नाम
1.	श्री किशन लाल
2.	श्री मुनव्वर अली
3.	श्री राम कुमार बजाज
4.	श्री खशहाल सिंह भण्डारी
5.	श्री गोविन्द सिंह रावत
6.	श्री विशाल सिंह भंडारी
7.	श्री महाबीर प्रसाद
8.	श्री समद
9.	श्री मिड़ई
10.	श्री बाबू
11.	श्री मुन्नू
12.	श्री सुन्दर लाल
13.	श्री राम इकबाल सिंह
14.	श्री बिसई
15.	श्री जोखू राम
16.	श्री एम0 के0 बनर्जी
17.	श्री हरद्वार प्रसाद
18.	श्री भोला नाथ
19.	श्री राम नाथ यादव
20.	श्री दर्शन प्रसाद
21.	श्री त्रिलोकी सिंह
22.	श्री कृष्ण कान्त
23.	श्री भवानी दत्त जोशी
24.	श्री भगत राम
25.	श्री राम चन्द्र मिश्रा
26.	श्री बुद्धू लाल
27.	श्री भगवती प्रसाद
28.	श्री बी0 डी0 पाण्डेय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डायमण्ड डेरी योजना लखनऊ में अवैध कब्जों की स्थिति (संलग्नक-ग)

क्र0सं0	अनाधिकृत निर्माण कर्ताओं का नाम	भवन सं0	जो निर्माण गिराये जाने है
1	2	3	4
1-	श्री राजनाथ वर्मा	दुकान नं0-1	मा0 उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। आवंटी द्वारा न्यायालय के निर्देशानुसार रु0 75,000/- परिषद् कोश में समयान्तर्गत जमा किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार अध्यासी से भूमि न रिक्त करायी जाये, न ही डिस्टर्ब किया जाय। न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न है।
2	श्री बी0एल0 यादव	दुकान नं0-121	अनाधिकृत निर्माण हटाया जाना बाकी है।
3	श्री नरायन दत्त भट्ट	भवन सं0-103	अनाधिकृत निर्माण हटाया जाना बाकी है।
4	श्री रूप नरायन यादव	भवन सं0-ई0डी0 43 के सामने परिषद् भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	अनाधिकृत निर्माण हटाया जाना बाकी है।
5	श्री हजारी लाल यादव	भवन सं0-ई0डी0 43 के सामने परिषद् भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	अनाधिकृत निर्माण हटाया जाना बाकी है।

नत्थी "ग"

(देखिये अता0प्र0सं0-19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पांचवे शुक्रवार के लिये माननीय श्री चेतराम एडवोकेट द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-19 का संलग्नक

नगर शाहजहांपुर की चयनित मलिन बस्तियों में वर्ष 1997-98 में कराये गये निर्माण कार्यों की सूची

क्र0सं0	मलिन बस्ती का नाम	क्र0सं0	कार्य का नाम
1	2	3	4
1-	ख्वाजा फिरोज	1-	निर्माण खडंजा एवं नाली विशन के मकान के पास।
2	गढ़ी गाड़ीपुरा	2-	निर्माण खडंजा एवं नाली जे0पी0जनरल स्टोर के पास
		3-	निर्माण आर0सी0सी0 पुलिया
		4-	निर्माण खडंजा एवं नाली डा0 अम्बेडकर मूर्ति के पास
3-	बाबूजई	5-	निर्माण खडंजा एवं नाली साजउद्दीन के मकान के पास।
		6-	निर्माण खडंजा एवं नाली बुद्धू के मकान के पास
		7-	निर्माण खाली एवं मिट्टी भराव रईस किराना स्टोर एवं निर्माण खडंजा।
4-	रोशनगंज	8-	निर्माण खडंजा एवं नाली गंगाराम के मकान के पास
5	चौभुजी	9-	निर्माण नाली वाटरवर्क्स बाई पास
		10-	निर्माण खडंजा एवं मिट्टी भराव कार्य वाटर वर्क्स बाई पास।
		11-	निर्माण खडंजा वाटर वर्क्स बाई पास।
		12-	निर्माण खडंजा एवं नाली जिला अस्पताल के पीछे
6	मदियाना	13-	निर्माण खडंजा एवं नाली निगोही रोड से चेत राम शिशु मन्दिर तक।
		14-	निर्माण नाली बीसलपुर रोड चेतराम शिशु मन्दिर तक।
		15-	निर्माण खडंजा बीसलपुर रोड से चेतराम शिशु मन्दिर तक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
7	दिलाजाक	16	निर्माण खडंजा एवं नाली खटकाना में भोला के मकान के पास।
		17	निर्माण खडंजा एवं नाली मुदरी खाँ के मकान के पास।
8	मतानी/बालातिराही	18	निर्माण खडंजा एवं नाली नेशनल हाईवे रोड भय्या लाल के मकान से जगत बन्धु मन्दिर तक।
		19	निर्माण खडंजा एवं नाली सुरेश चन्द्र के मकान के पास।
		20	निर्माण खडंजा एवं नाली जगदीश खन्ना के मकान के पास।
9	ककरा	21	निर्माण खडंजा एवं नाली बड़ी मस्जिद के पास।
		22	निर्माण खडंजा शमीम के मकान से चुन्नी लाल तक।
10	लोधीपुर	23	निर्माण खडंजा एवं नाली राम औतार के मकान से व बशीर खाँ के मकान के पास।
11	गौहरपुरा	24	निर्माण खडंजा एवं नाली बस्ती की विभिन्न गलियो में।
12	चकनी करबला	25	निर्माण खडंजा एवं नाली के0के0 रोड से
		26	निर्माण खडंजा एवं नाली राम प्रकाश की दुकान के पास।
13	हुसैनपुरा	27	निर्माण खडंजा एवं नाली राम प्रकाश के मकान के पास।
14	बीबीजई चौराहा	28	निर्माण खडंजा एवं नाली अग्निहोत्री के मकान के पास
		29	निर्माण खडंजा एवं नाली चन्द्र पाल सिंह के मकान के पास।
		30	निर्माण खडंजा एवं नाली भूरे लाल के मकान के पास से सगीर के मकान तक।
		31	निर्माण खडंजा एवं नाली राम स्वरूप दीक्षित के मकान से प्रताप के मकान तक।

1	2	3	4
15-	महमं जलालनगर	32-	निर्माण खडंजा एवं नाली अखिलेश बाजपेई के मकान के पास।
16-	अंटा	33-	निर्माण खडंजा एवं नाली के0के0 रोड से दाना मियाँ के मजार से रईस वकील तक।
		34-	निर्माण खडंजा एवं नाली जाहिद के मकान के पास।
17-	नई बस्ती	35-	निर्माण खडंजा मुख्य मार्ग से कमलेश के मकान तक।
		36-	निर्माण नाली मुख्य मार्ग से कमलेश के मकान तक।
18	खलीलगर्बी	37-	निर्माण खडंजा एवं नाली लोहारों वाली पुलिया से जलनिगम कार्यालय तक।
		38-	निर्माण खडंजा हेतु मिट्टी भराव जल निगम कार्यालय के सामने।
19	मामूड़ी	39-	निर्माण खडंजा एवं नाली शकील के मकान से मुन्ना के मकान तक।
		40-	निर्माण खडंजा एवं नाली अनवार खाँ के मकान से राधे के मकान तक।
		41-	निर्माण खडंजा एवं नाली शमशुद्दीन के मकान से नफीस के मकान तक।
20	एमनजई जलालनगर	42-	निर्माण खडंजा एवं नाली राम प्रकाश धोबी से कब्रिस्तान तक।
21	नवादा	43-	निर्माण खडंजा नाली कैलाश मन्दिर से डा0 नरेन्द्र के मकान तक।
22	महमंद हद्दफ	44-	निर्माण खडंजा एवं नाली जिलेदार के मकान के पास।
23	अजीजगंज	45-	निर्माण खडंजा/नाली गर्रा नदी के पास गर्रा ग्राम्प के किनारे।
24-	मंघई टोला	46	निर्माण खडंजा एवं नाली बाबू राम यादव के मकान के पास।
25	बहादुरपुरा	47-	निर्माण खडंजा एवं नाली के0के0 रोड से रेलवे क्रासिंग के पास।
26	चौक आला खाँ	48-	निर्माण खडंजा एवं नाली ईदगाह रोड से निजाकतक के मकान की ओर।
27	हाथी थान	49-	निर्माण खडंजा एवं नाली कार्य हेतु मिट्टी भराव हाफिज मियाँ के मजार के पीछे।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०—41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या—41 का संलग्नक

क्र०-सं०	कार्यक्रम का नाम	अम्बेडकर ग्रामों की कुल संख्या	संतृप्त अम्बेडकर ग्रामों की संख्या	असंतृप्त ग्रामों की संख्या	अवशेष अम्बेडकर ग्रामों में कार्यों की प्रगति की स्थिति
1	इन्दिरा आवास	35	35	...	...
2	स्वच्छ पेयजल	35	35	...	...
3	निःशुल्क बोरिंग	35	35	...	...
4	स्वच्छ शौचालय	35	35	...	...
5	नाली खडन्जा	35	35	...	...
6	आई०आर०डी०पी०	35	28	7	शेष 7 असंतृप्त ग्रामों के प्रार्थना-पत्र बैंक में प्रेषित कर दिये गये हैं। जिनका निस्तारण शीघ्र सम्भव है।
7	प्राइमरी पाठशाला	35	34	1	भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।
8	विधवा पेंशन	35	31	4	संतृप्तकरण की कार्यवाही प्रगति पर है।
9	किसान पेंशन	35	32	3	तदैव
10	सम्पर्क मार्ग	35	10	25	शेष 25 अम्बेडकर ग्रामों में से 11 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग हेतु पूर्वांचल विकास निधि जिला योजना से स्वीकृत है, जिनमें से 7 मार्गों पर कार्य प्रगति पर है, 4 पर कार्य प्रारम्भ किये जाने की स्थिति पर है। शेष 14 ग्रामों के सम्पर्क मार्गों हेतु धनराशि का आवंटन आपेक्षित है।
11	ग्रामीण विद्युतीकरण	35	30	5	शेष 5 ग्रामों में विद्युतीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ड"

(देखिये अता0प्र0सं0-49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पांचवे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-49 का संलग्नक।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम (सर्वश्री)	संवदेनशील पद से हटाने की तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान
1- राजेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, (सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता)	06-06-98	अधीक्षण अभियन्ता (सम्बद्ध) मुख्य क्षेत्रीय अभियंता, बरेली।
2- कृपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता	29-08-96	अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध) विद्युत भण्डार, मण्डल, मेरठ।
3- सुरेन्द्र कुमार जैन, सहायक अभियन्ता	03-06-97	सहायक अभियन्ता (सम्बद्ध) विद्युत पारेषण मण्डल, अलीगढ़।
4- शिव कुमार पाठक, सहायक अभियन्ता	13-07-98	सहायक अभियन्ता, विद्युत आयात निर्यात एवं भुगतान मण्डल, लखनऊ (अधीनस्थ मुख्य अभियन्ता, ऊर्जा, लेखा)
5- डी0एल0 कालरा, अवर अभियन्ता	21-11-96	नगरीय विद्युत परीक्षण खण्ड द्वितीय, गाजियाबाद में असंवेदनशील पद पर कार्यरत हैं।
6- एस0पी0 सिंह, अवर अभियन्ता	13-05-94	जल-विद्युत उत्पादन मण्डल, उत्तर काशी के अधीन तिलोथा विद्युत गृह में पाली ड्यूटी में।
7- आर0पी0 वर्मा, अवर अभियन्ता	18-02-97	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, नोयडा के अधीन सम्बद्ध पद पर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिये अत्ताप्र0सं0-100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)
विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पांचवे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0-100 का संलग्नक

क्र0सं0	विद्युतीकृत ग्राम का नाम	क्रम सं0	विद्युतीकृत ग्राम का नाम
(अ) विकास खण्ड-उतरौला			
1	अल्ली खुर्द	29	मिर्जापुर
2	पिपराचन्दर	30	पेडरिया
3	कतरा	31	मन्सूरजोत
4	खजुहा	32	देवरिया अर्जुन
5	रसूलपुर चंद	33	जोगीवार
6	बरामल	34	पुरैनिया जाठ
7	रापुरमाफी	35	भगवतपार
8	पनतापुर	36	सिकरामाफी
9	रेगयी	37	भुरकुंडा
10	रमवापुर	38	बभनीरपास
11	उपरहुवा	39	अहिरौला
12	रमतापुर-कलां	40	बिजौरीमाफी
13	रायगांव	41	बक्सरिया
14	बड़कोट	42	छपरिया
15	कौहनिया	43	देवरियामैनहा
16	फेतीपुर	44	रेहरा
17	विरदा बविया भारी	45	मझौलाकांद
18	टिकुइया	46	चीती
19	तेन्दुआ खस	47	नया नगर
20	अल्ला	48	बढ़यापकड़ी
21	पैलेपुर	49	बेथुइया
22	मोहनजोत	50	औड़ाझार
23	मटेरिया करमा	51	कूपादेवर
24	सुरहिया धानी	52	गोकुलामाफी
25	तिलखी	53	तेरहवाखेमा
26	मगार	54	झकिरापुर
27	पिपराराम	55	बनकटवा
28	नजरमुड़	56	मछुआमाधव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	विद्युतीकृत ग्राम का नाम	क्रम सं0	विद्युतीकृत ग्राम का नाम
57	इमलियाबनघुसरा	72	मसीहाबाद
58	मधपुर	73	महिली
59	गरीबनगर	74	शेरगंजग्रिण्ट
60	हबीबपुर	75	महिला
61	नियामतजोत	76	रामपुरमुरार
62	बासूपुर	77	कड़सर
63	बदलपुर चौखड़िया	78	ब्रम्हभारी
64	मझवाकुरपुवा	79	बेलासपुर
65	बैरगपुरखास	80	बेदौला
66	पेहरखास	81	गनवरियाखुर्द
67	रानीपुर	82	मानायार बेहरिया
68	बड़हराभिटौरा	83	गड़वरियाबुजुर्ग
69	सकदरिया	84	सकराइटईआदम
70	जफरावाद	85	महमूदाबाद ग्रिण्ट
71	मोहम्मदनगर ग्रिण्ट		

(ब)-विकास खण्ड गेन्डासबुजुर्ग

1	परसौना	23	बजपुरग्रिण्ट
2	पिरेलामाझी	24	इटईरामपुर
3	डुमरिया	25	हुसैनाबाद ग्रिण्ट
4	सोनहट	26	भरतपुर ग्रिण्ट
5	नगवा	27	अइलरा
6	चीतजोत	28	अजगरी
7	नन्दौरी	29	बढ़यामैसाही
8	मझारीतथावख	30	तेरहवानौवाबाद
9	पीतरपारा	31	मैनहा
10	हासिमपुर	32	पुरैनाबुलन्द
11	पेडरियाखुर्द	33	परानपुर
12	पेडरिया बुजुर्ग	34	कंचनपुर
13	कैथोलिया सलीमपुर	35	मस्जिदिया
14	कुशहवा	36	शाहपुरटप्पा बैंक
15	मेजराबुजुर्ग	37	सिसहा
16	सुखवापुर	38	बैंकमवानीपुर
17	धोरहरा	39	चिचोरी सेहनिया
18	बन्जरिया	40	तेरहवा टप्पाबैंक
19	सहियापुर	41	सेरपुर्द कलां
20	पिपरावनकट	42	मोहम्मदपुर बजरहा
21	मगईपुर	43	बोड़िहार
22	नरायनपुर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	विद्युतीकृत ग्राम का नाम	क्रम सं0	विद्युतीकृत ग्राम का नाम
विकासखण्ड - श्रीदत्तगंज			
1	देवरिया मुबारकगंज	28	जीवनगर
2	ज्वालापुर	29	वमनपुरवा
3	बरगदिया	30	वाजिदपुर
4	बेदोलिया	31	कोडर्रारामनाथ
5	अगपाखुर्द	32	मोहम्मदनगर
6	जिगया	33	इमलियारज्जम
7	दत्तनगर	34	मझानी
8	पंडरीरेकवार	35	पुरैनियावाजिद
9	ढोवाडावर	36	रसूलपुरसूर
10	ईटईमेदा	37	गुजहनी
11	महुआइब्राहिम	38	विश्रामपुर
12	कोतुहीनिगावर	39	गोदहना
13	गुलवरियां माफी	40	त्रिगुनापतपुर
14	खरदोरी	41	गौर
15	बापभीट	42	अगयाबुजुर्ग
16	गालिबपुर	43	बनगवा
17	चबईबुजुर्ग	44	महदेकुवा सिरासिया
18	चबईखुर्द	45	महुबाधार
19	मनेरिया	46	जगदेवा
20	मझरीबांछित	47	गायहीड़
21	पचौथा	48	तख्तरवा
22	चन्दउपुर	49	शाहपुइठई
23	पिपरीकोल्हुयी	50	बेलहा
24	मस्तंजोत	51	चमरूपुर
25	दारीचौरा	52	अहिरौलानगवा
26	कपौवाशेरपुर	53	पिपरारामचन्दर
27	बिठरा	54	बेलईबुजुर्ग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अता0प्र0सं0-118 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82 पर)

बकाये की स्थिति (रु0 लाख में)

क्र0सं0	विभाग का नाम	बकाया 3/96	बकाया 3/97	बकाया 3/98
(अ) सरकारी				
1-स्थानीय निकाय				
(क)	जल संस्थान	29000	34793	42475
(ख)	नगर निगम	15519	19312	19641
(ग)	सिटी बोर्ड	7280	8915	10436
(घ)	नगर पंचायत	7469	10375	11777
(ङ)	नगरपालिका परिषद्	4980	6917	9476
	योग	64248	80317	93805
2	जल निगम	8851	8821	9312
3	सिंचाई	20111	31698	33193
4	आईडीपीएल देहरादून	6087	8710	11123
5	सीमेण्ट निगम	1786	3766	6099
6	सेस/नोयडा	5727	3376	9407
7	को-आपरेटिव मिल्स	2006	2250	2504
8	पुलिस विभाग	1108	1306	1446
9	स्वास्थ्य विभाग	777	1186	1251
10	यूपीसीसीएल देहरादून	1122	1122	1122
11	अन्य सरकारी विभाग	6207	7988	7345
	योग	118030	155531	176606

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में कराये गये कार्यों की वर्षवार तालिका।

(अता0प्र0सं0 126 का संलग्नक)

वित्तीय वर्ष 1995-96

क्रमांक	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
1	बाबु पुरवा	सामुदायिक शौचालय	7.00 लाख
2	जूही गढ़ा	सामुदायिक शौचालय	7.00 लाख
3	उस्मानपुर	सामुदायिक शौचालय	7.00 लाख
4	जूड़ी बम्बुरहिया	सामुदायिक शौचालय	7.00 लाख
5	तौधकपुर	सामुदायिक केन्द्र	1.10 लाख
6	बगाही	सामुदायिक केन्द्र	1.10 लाख
7	बगाही/जूही बम्बुरहिया	कूडादान (25)	0.50 लाख
8	तौधकपुर/नौवत्ता	निजी शौचालय (50)	1.60 लाख
9	बगाही भट्ठा	निजी शौचालय (25)	0.25 लाख
		योग	32.55 लाख

वित्तीय वर्ष 1996-97

क्रमांक	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
1	पहाड़पुर	सामुदायिक केन्द्र	1.35 लाख
2	सहदुल्लापुर	नाली खड़ंजा कार्य	1.20 लाख
3	क0व0 गोविन्द नगर	नाली खड़ंजा कार्य	1.37 लाख
4	देहली सुजानपुर	नाली खड़ंजा कार्य	3.46 लाख
5	नौबरता	नाली खड़ंजा कार्य	4.05 लाख
6	क0 व0 गोविन्द नगर	नाला निर्माण	5.00 लाख
7	तौधकपुर	नाली, खड़ंजा	1.50 लाख
		योग	17.93 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वित्तीय वर्ष 1997-98

क्रमांक	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
1	क0ब0 गोविन्द नगर	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
2	अजीतगंज	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
3	अजीतगंज बेगमपुरवा	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
4	धर्मेन्द्र नगर	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
5	जूही लाल कालोनी	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
6	लक्ष्मनपुरवा	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
7	रविदास नगर	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
8	धर्मेन्द्र नगर	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
9	लक्ष्मनपुरवा	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
10	धरी पुरवा	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
11	क0ब0 गोविन्द नगर	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
12	जूडी लाल कालोनी	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
13	रविदास नगर	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
14	रविदास नगर	नाली खड़ंजा कार्य	0.30 लाख
15	लक्ष्मनपुर	नाली खड़ंजा कार्य	3.14 लाख
16	जूडी गढा	नाली खड़ंजा कार्य	2.73 लाख
17	जूडी बंबुरहिया	नाली खड़ंजा कार्य	4.25 लाख
18	छंगामल हाता	नाली खड़ंजा कार्य	5.86 लाख
19	बगाही	नाली खड़ंजा कार्य	6.22 लाख
20	नौबत्ता	नाली खड़ंजा कार्य	6.63 लाख
21	नाम आसरे नगर	नाली खड़ंजा कार्य	7.45 लाख
22	धर्मेन्द्र नगर	नाली खड़ंजा कार्य	4.32 लाख
23	शिव नगर	नाली खड़ंजा कार्य	3.40 लाख
24	क0ब0 गोविन्द नगर	नाली खड़ंजा कार्य	7.48 लाख
25	गांधीग्राम	नाली खड़ंजा कार्य/नाली निर्माण	9.54 लाख
26	शिव नगर/धर्मेन्द्र नगर	पानी निकासी हेतु ह्यूम पाइप का कार्य	4.52 लाख
27		हैण्डपम्प 86 नग	15.99 लाख
28	सुबखपुरवा	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
29	सहदुल्लापुर	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा क्षेत्र "छावनी" में वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में कराये गये कार्यों की वर्षवार तालिका

वित्तीय वर्ष 1995-96

क्रमांक	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
1	छबीले पुरवा	सामुदायिक केन्द्र	1.10 लाख
2	गज्बू पुरवा	सामुदायिक केन्द्र	1.10 लाख

वित्तीय वर्ष 1996-97

क्रमांक	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
1	गंगागंज	सामुदायिक केन्द्र	1.35 लाख
2	अम्बेडकर नगर	सामुदायिक केन्द्र	1.35 लाख
3	गंगागंज	नाली खड़ंजा	1.40 लाख
4	धाओड़ा	नाली खड़ंजा	0.46 लाख
5	शिवकटरा	नाली खड़ंजा	1.54 लाख
6	काली खेड़ा	नाली खड़ंजा	0.35 लाख

वित्तीय वर्ष 1997-98

क्रमांक	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
1	ओमपुरवा-I	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
2	ओमपुरवा-II	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
3	तारे बगिया तिवारीपुर	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
4	काली खाड़ी	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
5	देवीगंज	सामुदाकिय शौचालय	3.67 लाख
6	देवीगंज	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
7	वाजिदपुर	नाली खड़ंजा कार्य	1.25 लाख
8	बरारी	सी0 सी0 ढुलाई कार्य	1.37 लाख
9	शिवकटरा	नाली खड़ंजा कार्य	2.60 लाख
10	शिवकटरा हरिजन बस्ती	नाली खड़ंजा कार्य	1.61 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
11	बरारी	नाली खड़ंजा कार्य	2.80 लाख
12	ओमपुरवा	नाली खड़ंजा कार्य	0.61 लाख
13	जगईपुरवा	नाली खड़ंजा कार्य	1.14 लाख
14	ओमपुरवा	नाली खड़ंजा कार्य	1.91 लाख
15	कालीखेड़ा/शिवकन्रा	नाली खड़ंजा कार्य	3.17 लाख
16	जगईपुरवा (आजाद नगर)	सी0 सी0 ढुलाई कार्य	1.66 लाख
17	सफीपुर-1	नाली खड़ंजा कार्य	0.64 लाख
18	जगईपुरवा (सुरतासिंदर)	सी0 सी0 का कार्य	0.99 लाख
19	जगईपुरवा	नाली खड़ंजा कार्य	0.94 लाख
20	बरारी	नाली खड़ंजा कार्य	4.47 लाख
21	तिवारीपुर धनिया	नाली खड़ंजा कार्य	1.00 लाख
22	तिवारीपुर प्रथम	नाली खड़ंजा कार्य	2.13 लाख
23	तिवारीपुर बगिया	नाली खड़ंजा कार्य	2.72 लाख
24	तिवारीपुर बगिया (दुर्गविहार)	नाली खड़ंजा कार्य	10.04 लाख
25	चरारी	नाली खड़ंजा कार्य	3.85 लाख
26	ओमपुरवा	नाली खड़ंजा कार्य	1.78 लाख
27	ओमपुरवा	नाली खड़ंजा कार्य	0.42 लाख
28	ओमपुरवा (नई बस्ती)	नाली खड़ंजा कार्य	1.61 लाख
29		हैण्डपम्प 29 अदद	0.36 लाख

विधान सभा क्षेत्र "कल्याणपुर" में वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में कराये गये कार्यों की तालिका (अता0 प्र0 सं0-120 का संलग्नक)

वित्तीय वर्ष 1995-96

क्र0सं0	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
1	पहलवानपुरवा	सामुदायिक शौचालय	7.00 लाख
2	मसवानपुर	सामुदायिक केन्द्र	1.10 लाख
3	ज्यौरा	सामुदायिक केन्द्र	1.10 लाख
4	रानी का बगीचा	सामुदायिक केन्द्र	1.10 लाख
5	गकड़ीखेड़ा	नाली खड़ंजा	0.22 लाख
6	बैरी अकबरपुर	नाली खड़ंजा	0.80 लाख
7	लोहारन मट्ठा/राजापुरवा-कूड़ादान (11)		0.22 लाख
8	विरहाना गीतानगर/निजी शौचालय (50) मसवानपुर		1.60 लाख

वित्तीय वर्ष 1996-97

क्र0सं0	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
1	नवीन नगर	सामुदायिक केन्द्र	1.35 लाख
2	राजापुरवा	नाली खड़ंजा	3.08 लाख
3	परगियापुरवा	नाली खड़ंजा	2.00 लाख
4	काकादेव	नाली खड़ंजा	0.51 लाख
5	बारासिरोही	नाली खड़ंजा	3.26 लाख

वित्तीय वर्ष 1997-98

क्र0सं0	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
1	भेड़ी खाना	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
2	विरहाना	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
3	गजोधर सिंह का पुरवा	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
4	पार्वती नगर	नाली खड़ंजा	2.03 लाख
5	हैण्ड पम्प अधिष्ठापन कार्य-40 अद्द		8.80 लाख

विधान सभा क्षेत्र " सीसामऊ" में वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं 97-98 में कराये गये कार्यों की तालिका (अता0प्र0सं0-126 का संलग्न)

वित्तीय वर्ष 1996-97

क्र0सं0	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
1	जे-2 अम्बेडकर नगर	नाली खड़ंजा	4.64 लाख

वित्तीय वर्ष 1997-98

क्र0सं0	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
1	चन्द्रिका लाल का हाता	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
2	कानपुर टेनरी का हाता	सामुदायिक शौचालय	3.67 लाख
3	कानपुर टेनरी का हाता	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
4	जे-2 अम्बेडकर नगर	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
5	फजल का हाता	सामुदायिक केन्द्र	1.45 लाख
6	हैण्ड-पम्प का अधिष्ठान-37 अद्द		6.84 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा क्षेत्र "आर्यनगर" में वित्तीय वर्ष 1996-1997 एवं 97-98 में कराये गये कार्यों की तालिका

वित्तीय वर्ष 1996-97

क्र0 सं0	मलिन बस्ती का नाम	कार्य का प्रकार	आगणन धनांक
1	संत लाल का हाता	सामुदायिक शौचालय	3.43 लाख
2	चूना भठिया	सामुदायिक शौचालय	3.43 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(नत्थी " झ ")

(देखिये अता0प्र0सं0-141 का उत्तर पीछे पृष्ठ 92 पर)

श्री राम औतार शाक्य द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न सं0 141 के उत्तर का संलग्नक

क्रम सं0	ग्राम का नाम
1	उद्दैलपुर परम कुटी
2	नबादा
3	नाहिली
4	कुरावली
5	बिधरई
6	नगलामान्धाता
7	नवाटेडा
8	कनकपुर सादा
9	बनकिया
10	विनोदपुर
11	मोहनपुर
12	सिढ़पुरा
13	दिवरई
14	आठपुरा
15	खिचौली
16	बढ़खेड़ा
17	नगलादीनू
18	बद्रेपुर
19	सिंहपुर
20	नगला दुम्हार
21	निजामपुर
22	आलीपुर पट्टी
23	शमशेर गंज
24	मैरापुर गुजराती
25	सहन
26	रतिभान पुर
27	ओरंगाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "अ"

(देखिये अता० प्र० सं० 145 का उत्तर पीछे पृष्ठ 95 पर)

12 अधिकारियों के निलम्बन के अलग-अलग कारण तथा रेड मानिटरिंग यूनिट द्वारा इन पर लगाये गये आरोप

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	निलम्बन के कारण	रेड मानिटरिंग यूनिट द्वारा लगाये गये आरोप
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1	जगदीश चन्द्र (76461) तत्कालीन सहा०अभि० (मीटर)	उपभोक्ता मे० हंस कास्टिंग यूनिट 1/11 हमीरपुर के मीटरिंग बाक्स को पिलफर प्रूफ रखने में लापरवाही बरतना तथा इसमें चेकिंग में अनधिकृत सीलिंग प्लायर प्रयोग करते हुए त्रुटिपूर्ण मीटर बाक्स की सीलिंग किया जाना जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा मीटरिंग व्यवस्था में छेड़-छाड़ कर विद्युत चोरी किया जाना।	(1) **मे० हंस कास्टिंग प्रा०लि० यूनिट –I** मीटरिंग व्यवस्था में लापरवाही किया जाना। (2) **मे० हंस कास्टिंग प्रा०लि० यूनिट –II** मीटर बाड़ी की त्रुटिपूर्ण, अधूरी सीलिंग कर मीटर व्यवस्था से छेड़-छाड़।
2	सतीश कुमार जैन (81145) सहायक अभियन्ता	उपभोक्ता मे० वीनस कास्टिंग प्रा० लि० एवं मे० हंस कास्टिंग, हमीरपुर की मीटरिंग व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने में लापरवाही बरतने, जिसके फलस्वरूप उक्त उपभोक्ताओं द्वारा उनके मीटर व्यवस्था में छेड़-छाड़ कर विद्युत चोरी किया जाना।	(1) **मे० वीनस कास्टिंग प्रा०लि०** मीटर के सी०टी० जंक्शन बाक्स की प्लेट एवं मीटर टर्मिनल में मीटरिंग लीड्स को ठीक प्रकार से न लगाया जाना। (2) **मे० हंस कास्टिंग प्रा०लि० यूनिट –I** मीटरिंग व्यवस्था में लापरवाही किया जाना।
3	रमाशंकर श्रीवास्तव (66132) अधिशासी अभियन्ता	मे० वन्दना स्टील्स एवं वीनस कास्टिंग प्रा० लि०, हमीरपुर की मीटरिंग व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने में लापरवाही बरतने एवं इसके फलस्वरूप उक्त उपभोक्ताओं द्वारा उनके मीटरिंग व्यवस्था में छेड़-छाड़ कर विद्युत चोरी किया जाना।	(1) **मे० वन्दना स्टील्स** मीटर के सी०टी० एवं पी०टी० के सेकेण्डरी कनेक्शनों को ठीक से सील न किया जाना। (2) **मे० वीनस कास्टिंग प्रा०लि०** मीटर के सी०टी० जंक्शन बाक्स की प्लेट एवं मीटर टर्मिनल में मीटरिंग लीड्स को ठीक प्रकार से न लगाया जाना।

1	2	3	4
	सर्वश्री		
4	के० सी० सिन्हा (73084) अधिशासी अभियन्ता	मे० पीलीभीत इस्पात की मीटरिंग सी०टी० कन्ट्रोल केबिल की कन्ड्यूटिंग प्रभावी ढंग से न करवा पाने के फलस्वरूप सी०टी० टर्मिनल बाक्स तक पूरी नहीं की गयी जिसके कारण उपभोक्ता छूटे हुए भाग से विद्युत चोरी कर सका।	(1) **मे० पीलीभीत इस्पात** मीटरिंग सीलिंग कन्ट्रोल केबिल की कन्ड्यूटिंग सी०टी० टर्मिनल बाक्स तक पूरी नहीं की गयी जिससे उपभोक्ता छूटे हुए भाग से विद्युत चोरी कर सका।
5	गिरवर सिंह (71158) अधिशासी अभियन्ता	मे० पीलीभीत इस्पात की मीटरिंग सी०टी० कन्ट्रोल केबिल की कन्ड्यूटिंग प्रभावी ढंग से न करवा पाने के फलस्वरूप उपभोक्ता छूटे हुए भाग से विद्युत चोरी कर सका।	**मे० पीलीभीत इस्पात** मीटरिंग सी०टी० कन्ट्रोल केबिल की कन्ड्यूटिंग प्रभावी ढंग से नहीं करवा पाये जिससे उपभोक्ता छूटे हुए भाग से विद्युत चोरी कर सका।
6	एम० सईद, उपखण्ड अधिकारी (पारेषण)	मे० पीलीभीत इस्पात के सेन्डिंग एण्ड पर इनर्जी मीटर रीडिंग में हेराफेरी कर उपभोक्ता के परिसर पर लगे मीटर से तालमेल बिठाये रखने के फलस्वरूप उपभोक्ता विद्युत चोरी आसानी से कर सके।	**मे० पीलीभीत इस्पात** उपभोक्ता के सेन्डिंग एण्ड पर इनर्जी मीटर व एम्पियर मीटर रीडिंग में हेराफेरी कर उपभोक्ता के परिसर पर लगे मीटर से तालमेल मिलाये रखना जिससे उपभोक्ता विद्युत चोरी आसानी से कर सके।
7	एस० के० सिंह अवर अभियन्ता	मे० पीलीभीत इस्पात के सेन्डिंग एण्ड पर इनर्जी मीटर व एम्पियर मीटर रीडिंग में हेराफेरी कर उपभोक्ता के परिसर पर लगे मीटर से तालमेल बिठाये रखने के फलस्वरूप उपभोक्ता आसानी से चोरी कर सका।	**मे० पीलीभीत इस्पात** उपभोक्ता के सेन्डिंग एण्ड पर इनर्जी मीटर व एम्पियर मीटर रीडिंग में हेराफेरी कर उपभोक्ता के परिसर पर लगे मीटर से तालमेल मिलाये रखना जिससे उपभोक्ता आसानी से चोरी कर सका।
8	बी० एस० गंगवार एस०एस०ओ०	दिनांक 8-5-95 को शाम की शिफ्ट में 20.00 बजे उपभोक्ता मेसर्स पीलीभीत इस्पात के एम्पियर मीटर की रीडिंग गलत भरी गयी जबकि 20.15 बजे उपभोक्ता के दोनों फर्नेस पूरी क्षमता पर कार्यरत पायी गयी।	दिनांक 8-5-95 को शाम की शिफ्ट में 20.00 बजे उपभोक्ता मे० पीलीभीत इस्पात के एम्पियर मीटर की रीडिंग गलत भरी जबकि 20.15 बजे उपभोक्ता के दोनों फर्नेस पूरी क्षमता पर कार्यरत पायी गयी।

1	2	3	4
	सर्वश्री		
9	आर० एस० चौधरी अधिशासी अभियन्ता	उपभोक्ता मे० क्रान्ति स्टील्स बहराइच के मीटरिंग प्रणाली का दुरुस्त रूप से पिलफर प्रूफ न रखने तथा उपभोक्ता द्वारा विद्युत चोरी करने में सहयोग प्रदान करने तथा परिषद को राजस्व क्षति पहुंचाया जाना।	मे० क्रान्ति स्टील्स की मीटरिंग व्यवस्था को पिलफर प्रूफ न रख पाना।
10	आर० एस० खरे सहायक अभियन्ता	उपभोक्ता मेसर्स क्रान्ति स्टील्स बहराइच के मीटरिंग प्रणाली का दुरुस्त रूप से पिलफर प्रूफ न होने तथा उपभोक्ता द्वारा विद्युत चोरी में सहयोग प्रदान करने तथा परिषद को राजस्व क्षति पहुंचाया जाना।	मे० क्रान्ति स्टील्स की मीटरिंग व्यवस्था को पिलफर प्रूफ न रख पाना।
11	जग प्रसाद तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता	मे० जालान एलाइज, हाटा, देवरिया के मीटरिंग प्रणाली के संयंत्रों को पिलफर प्रूफ न रखने के फलस्वरूप उपभोक्ता को विद्युत चोरी करने में सहयोग प्रदान करना तथा परिषद को राजस्व क्षति पहुंचाना।	(1) मीटरिंग सी० टी० बाक्स में सेकेन्ड्री सी० टी० टर्मिनलों की पहुंच खुली रखने हेतु जिससे सी० टी० के सेकेण्ड्री टर्मिनलों की सीलिंग का औचित्य ही खत्म हो गया एवं उपभोक्ता को सी० टी० सर्किट में शार्टिंग कर मीटरिंग में व्यवधान पैदा करने की खुली छूट मिली। 3750 के०वी०ए० के उपभोक्ता के मीटर को मीटर बाक्स में न लगाकर केवल मीटर बोर्ड पर टंगवाने, जिससे मीटर की बाड़ी में छेड़छाड़ की सम्भावना बनी रही। (2) परिषदादेशानुसार मीटरिंग केबुल को आर्मेड न रखने हेतु एवं न ही एफ मल्टीकोर केबुल प्रति सी० टी० टर्मिनल इस्तेमाल करने हेतु।

उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद

1	2	3	4
12	श्री प्रभुनाथ सिंह, अधिशासी अभियंता	मै० जैलान एलाइज, हाटा, देवरिया के मीटरिंग सी० टी० के सेकेण्ड्री टर्मिनल बाक्स की कवर प्लेटों पर अपनी सील लगाते समय पिलफर प्रूफ न रखने, उसके अवमुक्त स्वीकृत भार को वास्तविक भार से तालमेल की ओर ध्यान न देना। उपभोक्ता द्वारा विद्युत की हेरा-फेरी पर नियंत्रण न रखे जाने पर मीटर बाक्स की व्यवस्था न कर मीटर को मात्र एक वोल्ट पर टांगे रखने, मीटरिंग केबुल को पिलफर प्रूफ न रखने तथा उपभोक्ता द्वारा विद्युत चोरी करने में सहयोग प्रदान कर परिषद को राजस्व क्षति पहुंचाना।	(1) दिनांक 8-6-95 को मीटरिंग सी०टी० के सेकेण्ड्री टर्मिनल बक्से की कवर प्लेटों पर अपनी सील लगाते समय सी०टी० टर्मिनलों की पहुंच खुली रखते हुए सी०टी० सेकेण्ड्री टर्मिनलों की सीलिंग का औचित्य ही समाप्त हो गया जिससे उपभोक्ता को सी०टी० सेकेण्ड्री को (सील बिना छेड़े) आसानी से शार्ट करके मीटरिंग में व्यवधान पैदा करने की खुली छूट मिली। (2) उपभोक्ता की विद्युत खपत का अध्ययन परिषदा-देशानुसार न कर उसकी विद्युत की हेरा-फेरी को न रोक पाने हेतु। (3) मीटर बक्से की व्यवस्था न करने हेतु जिससे इतने बड़े उपभोक्ता का मीटर केवल एक बोर्ड पर टांगा गया, जिससे मीटर की बाड़ी में छेड़छाड़ की सम्भावना बनी रही।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अता० प्र० सं०—147 का उत्तर पीछे पृष्ठ 96 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पांचवें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–147 का संलग्नक।

बिन्दु	कार्यवाही
1— यह कि महाप्रबन्धक, ओबरा के पत्रांक 1991/जीएम/दिनांक 23-12-91 के अनुसार ऊर्जा मीटर (एम०डी०आई०) की रीडिंग प्रत्येक मंगलवार को 8.00 बजे ली जाती है जबकि उपर्युक्त प्रश्न के बिन्दु संख्या–6 के अन्दर यह समय 10 बजे बताया गया है।	इस कार्यालय के पत्र संख्या 1438/ए दिनांक 24 जुलाई, 1994 द्वारा शासन को पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है कि संयुक्त मीटर रीडिंग का समय अनुबंध के अनुसार 10 बजे है। महाप्रबन्धक, ओबरा ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं के पत्र दिनांक 23-12-91 द्वारा यह समय 8 बजे बताया गया जो सही नहीं था तथा परिषद के स्तर पर सही समय शासन को 10 बजे सूचित किया गया था।
2— इसी सन्दर्भ में विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले बुद्धवार का निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–99 के उत्तर के बिन्दु–1 में यह सूचित किया गया है कि दिनांक 18-12-90 को मीटर रीडिंग लेने के उपरान्त (अर्थात् 8 बजे या 10 बजे) तुरन्त मीटर सील कर दिया गया था जबकि रजिस्टर दि०: 18-12-90 के पाली में तैनात अवर अभियन्ता ने 14.22 बजे मीटर पर परिषद् की सील नहीं पायी।	दिनांक 18-12-90 को 10 बजे रीडिंग लेने के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा तुरन्त सील लगा दी गयी थी तथा बाद में सहायक अभियन्ता, परिचालन द्वारा सूचित किये जाने पर सहायक अभियन्ता (टेक्निकल/परीक्षण) द्वारा भी अपनी सील लगा दी गयी थी।
3— यह कि ट्रायविक्टर मीटर की रीडिंग एवं लाग बुक में दि० 17-12-90 से 18-12-90 तक मे० हिण्डालको द्वारा 193.5 मेगावाट विद्युत ली जा रही थी जबकि इसी प्रश्न संख्या के बिन्दु आठ (8) के उत्तर में एम० डी० आई० मीटर की रीडिंग को आधार मानकर बीजक बनाया गया है अर्थात् माननीय मुख्यमंत्री जी ने 193.5–188=5.5 मेगावाट विद्युत के घाटे को चोरी नहीं मान रहे हैं।	अनुबंध के अनुसार हिण्डालको द्वारा विद्युत उपभोग का बिल उनके फीडर पर लगे तीन नग किलोवाट एम० डी० आई० द्वारा रिकार्ड के अनुसार किया जाना है जिसकी रीडिंग 188 मेगावाट थी। इस फीडर पर ट्रायविक्टर मीटर केवल पावर फैक्टर जानने के लिए लगा है। ट्रायवेक्टर मीटर की जांच स्वतंत्र एजेंसी (इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लैब, मद्रास) जो कि तमिलनाडु सरकार का उपक्रम है, कराई गयी। कैलीब्रेट करने से पहले के० डब्लू० एम०डी० आई० में 2.75% फास्ट पाई गई। जिसके द्वारा गणना करने से 193.5 की सही डिमान्ड 193.5×100/102.75=188.32 मे० वा० आती है। जबकि एम०डी०आई० की मीटर रीडिंग 188.0 मेगावाट थी। अतः उपरोक्त दोनों रीडिंग लगभग समतुल्य हैं।

बिन्दु	कार्यवाही
4— यह कि बिजली खपत एवं खपत की दर (मे०वा०) में एम०डी०आई० एवं ट्रायवेक्टर मीटर के द्वारा ली जाती है। ये दोनों मीटर एक दूसरे के पूरक की तरह कार्य करते हैं अर्थात् एक ही त्रुटि दूसरे से पता चलती है। परन्तु बिन्दु–4 के उत्तर में इस सत्यता को छुपाकर ट्रायवेक्टर मीटर को मात्र पावर फैक्टर मापने वाली संयंत्र बताया जा रहा है।	इस कार्यालय के पत्रांक 1438, दिनांक 12 अगस्त, 94 को शासन को पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है कि यद्यपि ट्रायवेक्टर मीटर द्वारा पावर फैक्टर के अतिरिक्त विद्युत उपभोग एवं डिमाण्ड भी मापे जा सकते हैं परन्तु यहां यह केवल पावर फैक्टर जानने के लिए ही उपयोग होता है क्योंकि अनुबन्ध के अनुसार विद्युत उपभोग एवं डिमान्ड केवल वहां पर लगे 3 नग एम०डी०आई० मीटर द्वारा ही नापी जाती है। इस प्रकार एम०डी० आई० मीटर एवं ट्रायवेक्टर मीटर एक दूसरे के पूरक नहीं हैं।
5— यह कि राज्य विद्युत परिषद् एवं संबंधित ऊर्जा मंत्रियों की मिलीभगत से मे० हिण्डालको इसी प्रकार निरन्तर करोड़ों रुपये चोरी करता रहा एवं विद्युत परिषद् के विद्युत आपूर्ति को अपने पावर हाउस रेनूसागर से उत्पादित दर्शाता रहा। जिसका साक्ष्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी वर्ष 1987, 1988,1989 एवं 1990 में मिलता है, जिसके अनुसार रेनूसागर की मशीनों का पी०एल०एफ० 119 से लेकर 162% तक आता रहा है, जो कि असम्भव ही नहीं बल्कि समस्त प्राकृतिक नियमों के विपरीत है अर्थात् कम्पनी परिषद् के अधिकारियों के मिलभगत से अरबों रुपये की चोरी पर आवरण डालने का दुष्प्रयास है।	शासन को इस विषय में पत्र-संख्या 1438-ए, दिनांक 28 जुलाई, 1994 द्वारा पूर्व में भी निम्नानुसार सूचित किया गया है :—"परिषद् के सांख्यिकी एक दृष्टि में उत्पादित ऊर्जा वर्ष 1988-89 में 3164.856 मी० यू० मुद्रित है जिसके जांच उपरान्त कुछ त्रुटि पाई गयी। ऊर्जा प्रणाली द्वारा कैरियर से आंकड़े नोट करने में उक्त गलती हुई है। क्षेत्रीय अधिकारी से रेनूसागर पावर हाउस के निम्न आंकड़े प्राप्त किये गये हैं :—

वर्ष	उत्पादन क्षमता पी० एल० एफ० (मि०यू०)	(मे०वा०)	(प्रतिशत)
1986-87	2344.598	283	94.58
1987-88	2314.624	283	93.11
1988-89	2380.767	283	96.03
1989-90	2470.12	283	83.09

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि मे० हिण्डालको अपनी इकाइयों को उनकी रेटेड कैपेसिटी से अधिक लोड पर चलाते हैं जिससे इनकी मशीनों का पी०एल०एफ० काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक अतिरिक्त व्वायलर भी स्थापित कर रखा है। अतः माननीय विधान सभा सदस्यगण द्वारा उल्लिखित पी० एल०एफ० सही नहीं प्रतीत होता है।

बिन्दु	कार्यवाही
6— यह कि एम० डी० आई० एवं ट्रायविक्टर मीटर रीडिंग में विरोधाभास होने की दशा में परिषद् द्वारा दोनों ही मीटरों की जांच कराई जानी चाहिये थी । परन्तु चोरी में लिप्त परिषदीय अधिकारियों ने केवल ट्रायविक्टर मीटर की जांच इसलिए करवाई कि उसके द्वारा प्रदर्शित पावर बिना सील की गयी एम०डी०आई० मीटर में प्रदर्शित पावर से अधिक थी । अधिकारीगण भूल गये कि ट्रायवेक्टर मीटर के गलत सिद्ध हो जाने पर भी बिना ठीक की हुई एम०डी०आई० मीटर में 188 मे०वा० की रीडिंग सही सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि लागबुक में दर्ज तीनों मीटरों का औसत 193.30 मेगावाट एवं अवर अभियन्ता के लाग बुक में दर्ज तीनों मीटरों का औसत 193 मे० वा० के समतुल्य है, को किसी दशा में गलत नहीं सिद्ध किया जा सकता ।	यह कहना ठीक प्रतीत नहीं होता कि ट्रायविक्टर मीटर की जांच अधिक पावर प्रदर्शित करने के कारण की गयी । तथ्य यह है कि एम०डी०आई० में रीडिंग को रीसेट कर दिया गया था । तथा ट्रायविक्टर मीटर को रीसेट नहीं किया गया था अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि ट्रायविक्टर मीटर की जांच स्वतंत्र एजेन्सी (इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लैब, मद्रास) जोकि तमिलनाडु सरकार का उपक्रम है, द्वारा करायी जाय ताकि ट्रायवेक्टर मीटर की त्रुटि का पता लग जावे। कैलीब्रेट करने से पहले के०डब्लू० एम० डी० आई० में 2.75 प्रतिशत फास्ट पायी गयी जिसके द्वारा गणना करने से 193.5/102.75=188.32 आती है जबकि एम०डी०आई० की मीटर रीडिंग 188 मेगावाट थी क्योंकि सभी मीटर एक सर्किट में लगे हुए थे उनमें एक की जांच करने से बाकी सभी मीटरों का रुख पता लग जाता है इस प्रकार केवल ट्रायवेक्टर मीटर की जांच का निर्णय उचित था । अवर अभियन्ता द्वारा लाग बुक में दर्ज की गयी एम०डी०आई० की रीडिंग विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि 14 बजे ड्यूटी पर आये सहायक अभियन्ता श्री संजय कुमार गुप्ता ने एम० डी० आई० पर परिषद् की सील पायी थी तथा उन्होंने केवल ट्रायविक्टर मीटर की रीडिंग ही पढ़ी थी जोकि सही थी । अवर अभियन्ता ने सील न होने की बात भी लिखी थी जबकि मीटर पर सील थी । अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता ने कहीं भी दुबारा सील होने की बात नहीं लिखी जिससे स्पष्ट है कि रीडिंग लेते ही मीटर सील कर दिया गया था । अवर अभियन्ता द्वारा लिखी गयी टिप्पणी पूर्वाग्रह से ग्रस्त प्रतीत होती है जोकि तथ्यों के अनुसार ठीक प्रतीत नहीं होती।
7— यह जाँच पूरे दो वर्ष तक निलम्बित रही इस बीच अधिकारियों ने अपने बचाव के लिए उपयुर्क्त तथ्यों को तोड़-मरोड़कर परिषद् के सामने रखा ।	तथ्यों में कोई तोड़-मरोड़ नहीं की गयी है ।

उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद

(नत्थी-'ठ')

(देखिये अता0प्र0स0-156 का उत्तर पीछे पृष्ट 102 पर)

काश्तकारों की सूची जिनकी भूमि 4000/800 के0बी0 उप-केन्द्र-उन्नाव के लिए अधिग्रहीत की गई।

ग्राम - मुर्तजा नगर

क्रम-सं0	नाम
1.	श्री अयोध्या पुत्र गंगा दयाल निवासी-झाऊ खेड़ा म0ग्रा0
2.	श्री अशोक कुमार, पुत्र राम कृष्ण (बरासतन)
3.	श्री अनूप कुमार पुत्र राम कृष्ण (बरासतन)
4.	श्री आलोक कुमार पुत्र राम कृष्ण (बरासतन)
5.	श्री कढ़िली पुत्र डम्पर नि0 ग्रा0
6.	श्री कल्लू पुत्र जंगली नि0 कूमेदान खेड़ा म0ग्रा0
7.	श्री कल्लू जियालाल नि0 तुर्कमान नगर
8.	श्री कल्लू पुत्र पंचम नि0 गजोली
9.	श्री कल्लू पुत्र सुब्बा नि0 तुर्कमान नगर
10.	श्री काली चरन पुत्र बुधई नि0 कुमेदान खेड़ा
11.	श्री काली चरन पुत्र मूडू नि0 तुर्कमान नगर
12.	श्री कृष्ण कुमार सिंह पुत्र हरदेव सिंह नि0ग्रा0
13.	श्री कल्लू पुत्र श्री निहाल नि0 कूमेदान खेड़ा म0ग्रा0
14.	श्री जयराम पुत्र श्री निहाल नि0 कूमेदान खेड़ा म0ग्रा0
15.	श्री गोला पुत्र श्री निहाल नि0 कूमेदान खेड़ा म0ग्रा0
16.	श्री कल्लू पुत्र लछिमन नि0ग्रा0
17.	श्री मंगल पुत्र लछिमन नि0ग्रा0
18.	श्री ब्रम्हा पुत्र लछिमन नि0ग्रा0
19.	श्री लाला पुत्र लछिमन नि0ग्रा0
20.	श्री छोटे पुत्र लछिमन नि0ग्रा0
21.	श्री कालीदीन पुत्र रामजीवन
22.	श्री केशव पुत्र श्री मतऊ नि0 दबन्दपुर तहसील हसनगंज
23.	श्री गोपी चन्द्र राजपाल पुत्र सेवाराम राजपाल नि0 प्रेमनगर, कानपुर
24.	श्री गुरू चरन पुत्र राम प्रसाद नि0 तुर्कमान नगर
25.	श्री गया प्रसाद पुत्र कालिका नि0 कूमेदान खेड़ा
26.	श्री गया प्रसाद पुत्र तुलसी नि0ग्रा0
27.	श्री गंगा प्रसाद पुत्र शिवलाल नि0ग्रा0
28.	श्री गोपी चन्द्र पुत्र सेवा राम नि0अ0वि0 कालोनी, उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम - सं0	नाम
29.	श्री छेदी लाल पुत्र भगवानदीन नि0 तुर्कमान नगर
30.	श्री छोटे लाल पुत्र बिहारी नि0 कूमेदान खेड़ा म0ग्रा0
31.	श्री छोटे लाल पुत्र खुमान
32.	श्री छोटे लाल पुत्र हेमराज
33.	श्री बुधी लाल पुत्र हेमराज
34.	श्री गंगा राम पुत्र हेमराज
35.	श्री छेदी पुत्र बुधई नि0 कुमेदान खेड़ा
36.	श्री जोधा पुत्र केसारी नि0 कूमेदान खेड़ा म0ग्रा0
37.	श्री जीत बहादुर सिंह पुत्र खिन्ना नि0 तुर्कमान नगर
38.	श्री धनी राम पुत्र शिवराम उर्फ चिन्तू
39.	श्री रमेश पुत्र श्री शिवराम उर्फ चिन्तू
40.	श्री विश्राम पुत्र श्री शिवराम उर्फ चिन्तू
41.	श्री ननकऊ पुत्र घिन्ना नि0ग्रा0
42.	श्री प्रकाश पुत्र श्री छोटे लाल नि0 तुर्कमान नगर
43.	श्री पुत्ती लाल पुत्र श्री धनी राम नि0 तुर्कमान नगर
44.	श्री राम दयाल पुत्र श्री धनी राम नि0 तुर्कमान नगर
45.	श्री बल्देव सिंह पुत्र भोला सिंह नि0 तुर्कमान नगर
46.	श्री बाबू लाल पुत्र कल्लू नि0 तुर्कमान नगर
47.	श्री बाला पुत्र गनेशी नि0 गजोली
48.	श्री विक्रम सिंह पुत्र भारत सिंह नि0 पिचपुरी
49.	श्री सतवंत सिंह पुत्र भारत सिंह नि0 पिचपुरी
50.	श्री बिहारी पुत्र लल्लू नि0ग्रा0
51.	श्री प्रेम कुमार पुत्र स्व0 बप्पू पुत्र रामजीवन
52.	श्री मिश्री लाल पुत्र तेजा नि0 कुमेदान खेड़ा
53.	श्री दया शंकर पुत्र लाल मनि नि0 तुर्कमान नगर
54.	श्रीमती रामेश्वरी बेवड नरायन नि0 कुमेदान खेड़ा म0ग्रा0
55.	श्री राम भरोसे पुत्र श्री पोहकर
56.	श्री श्री राम पुत्र श्री पोहकर नि0 कुमेदान खेड़ा
57.	श्री राम खेलावन पुत्र विश्राम नि0 कूमेदान खेड़ा
58.	श्री राम भरोसे पुत्र पंचम नि0 मजौली
59.	श्रीमती रामवती बेवा कम्हई
60.	श्रीमती राम कुमारी पुत्री कल्लू नि0ग्रा0
61.	श्री राम पुत्र जुराशन नि0 तुर्कमान नगर
62.	श्री राम नरायन पुत्र सुन्दर लाल (मृतक)
63.	श्री राधे लाल पुत्र सुन्दर लाल (मृतक)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम0 सं0	नाम
64.	श्री अनन्त लाल पुत्र सुन्दर लाल (मृतक)
65.	भोले पुत्र सुन्दर लाल (मृतक)
66.	श्री राम प्रकाश (सुन्दर लाल)(मृतक)
67.	श्री राज कुमार पुत्र राम रतन नि0 मोतीनगर, उन्नाव
68.	श्री राज कुमार पुत्र शिव लाल (मृतक)
69.	श्री होरी लाल संरक्षिका श्रीमती सुखराना माता स्वयं
70.	राम नरेश संरक्षिका श्रीमती सुखराना माता स्वयं
71.	परन संरक्षिका श्रीमती सुखराना माता स्वयं
72.	श्री राज कुमार पुत्र स्व0 श्री हीरा लाल नि0ग्रा0
73.	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 शम्भू रतन नि0ग्रा0
74.	श्री राम गुलाम पुत्र सरदार नि0ग्राम
75.	श्री राम नाथ पुत्र लाला
76.	श्री सरजू प्रसाद पुत्र लाला
77.	श्री रज्जन लाल पुत्र हीरा लाल
78.	श्री उमा शंकर पुत्र हीरा लाल
79.	श्री राम गुलाम पुत्र धासू नि0 दोस्ती नगर
80.	श्री मोती लाल पुत्र धासू नि0 दोस्ती नगर
81.	श्री भभूती प्रसाद पुत्र धासू नि0 दोस्ती नगर
82.	श्री राम गोपाल पुत्र श्री राजा राम
83.	श्री राम कृष्ण पुत्र श्री राजा राम
84.	श्री राम प्रसाद पुत्र श्री राजा राम
85.	श्री राम चन्द्र उर्फ मन्नू लाल पुत्र शम्भू नाथ नि0 गजौली
86.	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री शम्भू रतन पुत्र डम्मर नि0ग्रा0
87.	श्री शिव गोपाल पुत्र सीता राम नि0 कुमेदान खोड़ा म0ग्रा0
88.	श्री सूर्य नारायन पुत्र भगवानदीन नि0 तुर्कमान नगर
89.	श्री सोहन लाल पुत्र श्री राम प्रसाद नि0 तुर्कमान नगर
90.	श्री सरदार पुत्र निधान नि0 तुर्कमान नगर
91.	श्री सहदेव पुत्र लालमणि नि0 तुर्कमान नगर
92.	श्री सेवक पुत्र भमान नि0 कुमेदान खेड़ा नि0ग्रा0
93.	श्री सुक्खा पुत्र बुदोहर नि0ग्रा0
94.	श्रीमती शिवराजा बेवा राम सनेही नि0ग्रा0
95.	श्री सुन्दर लाल पुत्र रूस्तम नि0ग्रा0
96.	श्री हरिदस आहूजा पुत्र भानुमल आहूजा नि0 आशोक नगर, कानपुर
97.	श्रीमती बिमला पत्नी विद्या रमन नि0 304 मोती नगर, उन्नाव
98.	श्री महाबीर पुत्र जिया लाल नि0 तुर्कमान नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम0 सं0	नाम
99.	श्री मेवा लाल पुत्र बुराखान
100.	श्री मोहन पुत्र पूसू
101.	श्री मैकू पुत्र धनी राम नि0 कूमेदान खेड़ा म0ग्रा0
102.	श्री मिश्री पुत्र चोखो नि0 तुर्कमान नगर
103.	श्री मंगली पुत्र पंचम नि0 गजौली
104.	श्रीमती मैकी पत्नी बाबूलाल उर्फ बाबू नि0 रमई खेड़ा, म0 मवैया परगना व तहसील पुरवा
105.	श्री मंगल पुत्र गंगा प्रसाद
106.	श्री शिव राज पुत्र गंगा प्रसाद
107.	श्री चन्द्रिका पुत्र गंगा प्रसाद
108.	श्री महेश पुत्र गंगा प्रसाद
109.	श्री लक्ष्मी नरायन पुत्र साधू नि0 कूमेदान खेड़ा म0ग्रा0
110.	श्री लल्लू पुत्र चौधी नि0ग्रा0
111.	श्री ठाकुर पुत्र बिहारी
112.	श्री हुबलाल पुत्र रिसाल नि0ग्रा0
113.	श्रीमती चन्दैन बेवा राम सहाय नि0ग्रा0
114.	श्री महावीर पुत्र ननकऊ नि0 मुर्तजा नगर
115.	हीरालाल पुत्र पुसई नि0 जगत खेड़ा मठ मगरवारा परगना हड्डा
116.	श्री सुशील कुमार पुत्र रामऔतार नि0ग्रा0

संलग्नक "ढ"

काश्तकारों की सूची जिनकी भूमि 400/800 के0बी उपकेन्द्र उन्नाव के लिए अधिग्रहीत की गई।

ग्राम - तुर्कमान नगर

क्र0 सं0	नाम
*	सर्व श्री
1.	राकेश कुमार पुत्र कल्लू
2.	भरोसे पुत्र पंचम नि0 गजौली
3.	मंगली पुत्र पंचम नि0 गजौली
4.	चन्द्राका प्रसाद पुत्र पनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	नाम
5.	मंगल पुत्र पनऊ
6.	अमर प्रसाद पुत्र शिवराज पुत्र पनऊ
7.	महेश प्रसाद पुत्र गंगा प्रसाद नि0 ग्रा0
8.	नत्थी लाल पुत्र मनियां नि0 गजौली
9.	तुलसी जब राम पुत्र एकनाथ
10.	बल्देव सिंह पुत्र भीखा सिंह
11.	बाबू लाल पुत्र मनियां नि0 मजौली
12.	महादेव पुत्र बाले नि0 गजौली
13.	शिवराम पुत्र बाले नि0 गजौली
14.	शिव बालक पुत्र रघुनाथ नि0 गजौली
15.	राम प्यारे पुत्र कुंजी लाल नि0 गजौली
16.	श्रीमती रहिमाना बिधवा सुबराती नि0 गजौली
17.	राजा राम पुत्र गाजी नि0 कूमेदान खेड़ा मजरे मुर्तजा नगर
18.	लाला पुत्र मतई
19.	नन्हकऊ पुत्र मतई
20.	कल्लू पुत्र जंगली नि0 कूमेदानघेड़ा मजरे मुर्तजा नगर
21.	शिव राम पुत्र हुबलाल
22.	रघुबीर पुत्र हुबलाल
23.	शिव राम पुत्र हुबलाल
24.	साहब लाल पुत्र राम लाल
25.	तुलसी राम पुत्र एकनाथ
26.	राम शंकर पुत्र एकनाथ
27.	गंगा रतन पुत्र एकनाथ
28.	बल्देव सिंह पुत्र भिखा सिंह
29.	सुन्दर पुत्र सोहबती
30.	राम नरायन पुत्र सुन्दर
31.	राधे लाल पुत्र सुन्दर
32.	अनन्त लाल पुत्र सुन्दर
33.	भोले पुत्र सुन्दर
34.	राम प्रकाश पुत्र सुन्दर
35.	सीता राम पुत्र पितम्बर
36.	महेश प्रसाद पुत्र बद्री
37.	मोहन पुत्र पूसू
38.	मृतक सुन्दर पुत्र सोहबती
39.	राम चरन पुत्र काली चरन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	नाम
40.	कैलास पुत्र काली चरन
41.	बीरपाल पुत्र काली चरन
42.	कुंवर सिंह पुत्र राम आधार
43.	गंगा रतन पुत्र एकनाथ
44.	तुलसी राम पुत्र एक नाथ
45.	राम शंकर पुत्र एक नाथ
46.	प्रकाश सिंह पुत्र छोटे लाल
47.	सरदार पुत्र निधान
48.	राजा राम पुत्र गाजी
49.	नन्हा वयस्क संरक्षिका श्रीमती दियारा
50.	राजपाल अवयस्क माता एवं संरक्षिका श्रीमती दियारा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 (एल) 298 विधान सभा-29-10-98-(436)-813-(आफ0) ।